लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चौथा सत्र
Fourth Session

Preservation
17-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 17 में अंक 51 से 61 तक हैं
Vol. XVII contains Nos. 51 to 61]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य: एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 57–सोमवार, 6 मई, 1968/16 बैशाख, 1890 (शक)
No. 57—Monday, May 6, 1968/Vaisakha 16, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	Member Sworn	819

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. सं. S. Q. Nos.			
1648.	दिल्ली में मद्यनिषेध	Black-Listing Code	819-22
1650.	आयकर का निर्धारण	Income-Tax Assessments	822-23
1652.	कृषकों पर उपहार कर अधिनियम का लागू करना	Application of Gift Tax Act to Agriculturists	823-24
1653.	तीर्थस्थानों पर भिखारियों के लिये गृह	Homes for Beggars at Pilgrimage Places	824-26
1654.	गुजरात तेल शोधक कारखाना	Gujrat Refinery	827-28
1657.	यूनेस्कों के दिल्ली स्थित कार्यालय के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क का अपवंचन	Evasion of Customs Duty by Officers of UNESCO Office, Delhi	828-30

अ. सू. प्र. सं. S. N. Q. Nos.			
31.	भाक्षीक (पाइराइट) तथा रसायन विकास निगम का मुख्यालय	Headquarters of Pyrites and Chemicals Development Corporation	831

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता. प्र. सं. S. Q. Nos.			
1647.	काली-सूची सम्बन्धी संहिता	Black-Listing Code	832
1649.	मद्रास में गलत ढंग से धन की प्रतिपूर्ति	False Reimbursement Charges in Madras	832—33
1651.	पश्चिम बंगाल में अस्पतालों में भोजन की सप्लाई	Food supplied in Hospitals in West Bengal	833

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the house by him.

अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9600.	टाइप एफ के क्वाटरों में रहने वाले कर्मचारियों को टाइप दो के क्वाटरों का अलाटमेंट	Allotment of Type II to Employees living in Type F Quarters	851—52
9601.	राजस्थान में तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Tobacco in Rajasthan	852
9602.	फिल्मों से संबन्धित लोगों से करों की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film People	852—53
9603.	आयकर	Income Tax	853—54
9604.	अमरीकी सहायता	U.S. Aid	854
9605.	1968-69 के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता	Central aid to Kerala for 1968-69	854
9606.	नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के फारमैनों के लिये समयोपरि भत्ता	Over-time for Foremen of Government of India Press, New Delhi	855
9607.	भारत में क्विनडीन सल्फेट तैयार किया जाना	Manufacture of Quindine Sulphate in India	855
9608.	अंधों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास केन्द्र संबन्धी समिति	Blind Training and Rehabilitation Centre Committee	856
9609.	सिंचित भूमि	Land Under Irrigation	856
9610.	आयकर की वापसी के मामले	Income-Tax Refund Cases	856—57
9611.	कोयना भूकम्प विशेषज्ञ समिति	Koyana Earthquake Expert Committee	857—59
9612.	पश्चिम बंगाल के गांवों में बिजली लगाना	Rural Electrification of West Bengal	859
9613.	चण्डीगढ़ में चिकित्सा कालेज	Medical College at Chandigarh	859—60
9615	छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on products of Small Scale Industries	860
9616.	प्लास्टिक की वस्तुओं का आयात	Import of Plastics	860—61
9617.	श्री बृज किशन चांदीवाला को मकान दिया जाना	Accommodation to Shri Brij Krishan Chandiwala	861
9618.	मुंघेर में गंगा नदी के जल का दूषित हो जाना	Pollution of Ganga Water at Monghyr	861—62
9619.	भारत में कृषियोग्य तथा सिंचित भूमि	Cultivable and Irrigated Land in India	862
9620.	भारत में बिजली की दरें	Electricity charges in India	862
9621.	बरौनी ताप बिजली घर	Barauni Thermal Power Station	862—63
9622.	भारतीय उर्वरक निगम का मथानोल का कारखाना	Methanol Plant of Fertilizer Corporation of India.	863
9623.	मोहल्ला अमृतपुरी बी, गढ़ी झरिया मारिया गाँव को नागरिक सुविधाएं	Civic Amenities to Mohalla Amritpuri—B Garhi Jharia Maria Village	863—64

अ. ता. प्र. सं U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9624.	गोरखपुर जिले के निवासियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Residents of Gorakhpur Villages	864
9625.	उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में सड़कों का निर्माण	Construction of Roads in Gorakhpur, U.P.	864
9626.	नागार्जुन सागर बांध	Nagarjunasagar Dam	865
9627.	पेट्रोल की उत्पादन लागत	Cost of Production of Petrol	865—66
9628.	उर्वरक कारखाना कोरवा	Fertilizer Factory, Korba	866
9629.	दामोदर घाटी बांध	Damodar Valley Dams	866—67
9630.	बम्बई में पकड़ी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Currency unearthed in Bombay	867
9631.	भारत में सर्वाधिक कर देने वाले लोग	Top Tax Payers in India	867—68
9632.	एक्सपेरीमेंटल मैडिकल साइंसिस संस्था, बोन हुगली (कलकत्ता) द्वारा चलाये गये अस्पताल में नर्सों का प्रशिक्षण	Training of Nurses in Hospital run by Society of Experimental Medical Sciences, Bonhoghly (Calcutta)	868
9633.	नई दिल्ली नगर पालिका में हिन्दी	Hindi in N. D. M. C.	868—69
9634.	दिल्ली बृहद् योजना	Delhi Master Plan	869
9635.	कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में गन्दगी की स्थिति	Insanitary Conditions in Kasturba Nagar, Delhi	869—70
9636.	चण्डीगढ़ में किराया-खरीद आधार पर मकान	Houses on Hire-Purchase Basis in Chandigarh	870
9637.	चण्डीगढ़ के लिये समाज कल्याण योजनाएं	Social Welfare Schemes for Chandigarh	870
9638.	मध्य प्रदेश में परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Projects in Madhya Pradesh	870
9639.	तीन योजनाओं में मध्य प्रदेश में किया गया प्रति-व्यक्ति व्यय	Per Capita Expenditure Incurred on Madhya Pradesh in Three Plans	871
9641.	'घेराव' से उद्योगों का बीमा	Insurance of Industries against Gheraos	871
9643.	अजमेर स्थित गूंगे तथा बहरे बच्चों के स्कूल के लिये होस्टल की इमारत	Hostel Building for the School for Deaf and Dumbs, Ajmer	871
9644.	कम्पनियों के वितरित लाभ पर करों की समाप्ति	Abolition of Taxes on Distributed Profits of Companies	871—72
9645.	बिहार में पिछड़े वर्गों के लिये पेय जल की सुविधाएं	Drinking water Facilities for Backward Classes in Bihar	872
9646.	होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के शताब्दी समारोह के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Centenary Homoeopathic System of Medicine	872—73
9647.	बिहार में होम्योपैथिक डाक्टर	Homoeopathic Doctors in Bihar	873

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.		
9648. इण्डिया एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड	India Explosives Ltd.	873
9649. राजनीतिक दलों द्वारा लेखा परीक्षित लेखों का पेश किया जाना	Submission of Audited Accounts by Political Parties	874
9650. माक्षीक पाइराइट तथा रसायन विकास निगम	Pyrites and Chemicals Development Corporation	874
9651. सस्ते मकानों का निर्माण	Construction of Cheap Houses	874
9652. चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता	Chittaranjan Cancer Hospital at Calcutta	875
9653. पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा योजना के नये औषधालय	New C. G. H. S. Dispensaries in old Delhi Area	875
9654. आसाम में आदिवासी और पिछड़े लोगों का उत्थान	Uplift of Adivasis and Backward People in Assam	875
9655. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये काम करने वाले स्वयंसेवा संस्थाओं के लिये अनुदान	Grants for Voluntary Organisation Working for the Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	875—76
9656. नलकूपों के लिये बिजली देना	Energisation of Tubewells	876
9657. उड़ीसा में बाढ़ नियंत्रण कार्य	Flood Control Works in Orissa	876—77
9658. उड़ीसा में महानदी दरया	Mahanadi River in Orissa	877
9659. उड़ीसा में सिंचित भूमि	Irrigated Areas in Orissa	877
9660. नैराड़ी बांध (वंशधारा परियोजना)	Neradi Barrage (Vamsadhara Project)	877—78
9661. बचत आन्दोलन	Economy Drive	878
9662. नलकूपों के लिये बिजली	Electricity for Tubewells	879
9664. सस्ते मकान	Cheap Houses	879
9665. भूटान और सिक्किम को सहायता	Aid to Bhuttan and Sikkim	879—80
9666. इंडियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड	Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.	880
9667. भारत में निकाला गया सोना	Gold Extracted in India	880
9668. सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	880—81
9669. दिल्ली में सीमा शुल्क कलैक्टरों का सम्मेलन	Conference of Collectors of Customs held in Delhi	881
9670. विटामिन सी का मूल्य	Prices of Vitamin 'C'	881—82
9671. नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा-प्रसाद के मामलों की जांच	Enquiry into Affairs of Shri Sriram Durga Prashad of Nagpur	882

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं.		
U. S. Q. Nos.		
9672. मैसर्स साराभाई मेर्क, लिमिटेड	M/s. Sarabhai Merck Ltd. Baroda	882—83
9673. बड़ौदा की मैसर्स साराभाई मेर्क का विटामिन 'सी' प्लांट	Vitamin 'C' Plant of M/s Sarabhai Merck of Baroda	883
9674. पश्चिम बंगाल के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में परिवार नियोजन	Family Planning in some Backward areas	883
9675. बिहार में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में सिंचाई पर व्यय	Expenditure on Irrigation in Chotanagpur and Santhal Parganas in Bihar	883—84
9676. महालेखापाल, रांची का कार्यालय	Office of the Accountant General Ranchi	884
9677. सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	884—85
9678. राजेन्द्रनगर, दिल्ली के निवासियों के अभ्यावेदन	Representation of Residents of Rajendra Nagar, Delhi	885
9679. 1968-69 वार्षिक योजना का परिव्यय	Annual Plan Outlay for 1968-69	885
9680. विशेष बहुधन्धी आदिम जातीय खण्ड	Special Multipurpose Tribal Blocks	885—86
9681. अखिल भारत के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के संसद सदस्यों और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों का सम्मेलन	Conference of All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Members of Parliament and Assemblies	886
9682. महर्षि महेश योगी को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Maharishi Mahesh Yogi	886
9683. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यात्रा तथा अन्य भत्ते	Travelling and other Allowances to Central Government Employees	887
9684. पिपेरिया (मध्य प्रदेश) में वाणिज्यिक बैंक खोलना	Opening of Commercial Banks at Piperia (Madhya Pradesh)	887—88
9685. खेसारी दाल	Khesari Dal	888
9686. पश्चिम कोसी नहर परियोजना	Western Kosi Canal Project	888—89
9687. अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को 'ओरल कैंसर'	Oral Cancer to Textile Workers in Ahmedabad	889
9688. पांडीचेरी में औरोविल्से (विश्व नगर)	Auroville in Pondicherry	889
9689. दिल्ली वृहद योजना का क्रियान्विति	Implementation of Delhi Master Plan	889—90

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं.		
U. S. Q. Nos.		
9690. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Loan for O. N. G. C.	890
9691. तटवर्ती छिद्रण कार्य	Off-shore Drilling	890—91
9692. भारतीय ड्रिलरों को प्रोत्साहन बोनस	Incentive Bonus for Indian Drillers	891
9693. एण्टीबायोटिक्स, प्लांट ऋषिकेश	Antibiotic Plant, Rishikesh	891
9694. एण्टी बायोटिक्स प्लाँट ऋषिकेश संशिलिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद तथा शल्यक्रिया चिकित्सा औजार कारखाना मद्रास	Antibiotic Plant Rishikesh Synthetic-Drugs Plant, Hyderabad and Surgical Instruments Plant, Madras	892
9695. नर्मदा जल विवाद	Narmada Water Dispute	892—93
9696. नर्मदा घाटी का विकास सम्बन्धी बैठक	Meeting on Narmada Valley Development	893—94
9697. कालाकोट ताप बिजली घर परियोजना	Kalakot Thermal Power Project	894
9698. चांदी का चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाया जाना	Smuggling of Silver out of India	894—95
9699. सोने की तस्करी का बीमा	Insuring of Smuggled Gold	895
9700. लोदी कालोनी, नई दिल्ली में चेमरिया	Chummeries in Lodi Colony, New Delhi	895—96
9701. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम की मशीन	Machinery of National Projects Construction Corporation	896—97
9702. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के ठेके	Contracts to National Projects Construction Corporation	897
9703. अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां	Payment of Scholarships to Students of A. I. I. M. S.	897
9704. मैसर्स रामप्रसाद हर नारायण उज्जैन का आय कर निर्धारण	Income-tax Assessment of M/s. Ram Prasad Harnarayan, Ujjain	897—98
9705. मैसर्स रामप्रसाद हर नारायण उज्जैन पर आय-कर का निर्धारण	Income-Tax Assessment of M/s. Ram Prasad Harnarayan, Ujjain	898
9706. गोआ में निषिद्ध माल का पकड़ा जाना	Contraband Goods recovered in Goa	898
9707. बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Gold recovered in Bombay	898—99
9708. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय की इमारतों, संसद भवन और मंत्रियों के बंगलों की मरम्मत	Repairs to Central Government office Buildings, Parliament House and Minister's Bungalows	899

विषय अ. ता. प्र. सं U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9709. नैनीताल में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की बैठक	Central Family Planning Council at Nainital	899—900
9710. दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिग स्टाफ के भत्ते	Allowances to Nursing Staff of Delhi Hospitals	900
9711. नर्मदा नदी क्षेत्र में कृषि-योग्य भूमि	Cultivable Land in Narmada Basin	900—01
9712. उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Uttar Pradesh	901
9713. उत्तर प्रदेश में निर्मितसाबुन पर बिक्री कर	Sales Tax on soap manufactured in Uttar Pradesh	901
9714. भारत में पेय जल की कमी	Shortage of drinking water in India	901—02
9715. सरकारी कर्मचारियों का विशेष वेतन तथा प्रति-नियुक्ति भत्ता	Special Pay and Deputation Allowances of Government employees	902
9716. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कर्मचारियों का दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली तबादला	Transfer of C. W. and P. C. staff to Faridabad and Back to New Delhi	902—03
9717. तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों में आरक्षण	Reservation in Class II Technical Posts	903—04
9718. केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्यालयों का फरीदाबाद स्थानान्तरण	Shifting of C. W. & P.C. offices to Faridabad	904
9719. दिल्ली का समाज कल्याण निदेशालय	Directorate of Social Welfare of Delhi	905
9720. हिन्दुस्तान सेन्ट्रल इन्डस्ट्री लिमिटेड। नांगलोई दिल्ली	Hindustan Central Industry Ltd. Nangloi, Delhi	905
9721. उड़ीसा में खाने वाले तम्बाकू पर बिक्री कर	Sales Tax on chewing tobacco in Orissa	905—06
9722. भारत का आन्तरिक लोक ऋण	Internal Public Debt of India	90
9723. उत्तर प्रदेश में जिला परिषद्	Zila Parishads in U.P.	906—07
9724. पी० एल० 480 करार	P. L. 480 Agreement	907
9725. दिल्ली के गांवों का नगरी-करण	Urbanisation of Delhi Villages	907
9726. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों द्वारा देय बिजली और पानी का खर्च	Electricity and water Charges Payable by Central Government Employees	907—08
9727. उत्तर प्रदेश के बजट का छपना	rinting of U. P. Budget	908
9729. टैगोर थियेटर, नई दिल्ली	Tagore Theatre, New Delhi	908—09
9730. स्टेट बैंक आफ इंडिया की भिलाई शाखा का दर्जा ऊंचा करना	Upgradation of State Bank of India Branch Bhilai	909

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं.		
U. S. Q. Nos.		
9731. महाराष्ट्र में भाटसाई परियोजना	Bhatsai Project in Maharashtra	909—10
9732. विदेशी चीनी पकड़ी जाना	Seizure of Foreign Sugar	910—11
9733. ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	Trombay Fertilizer	911
9734. आयकर विभाग के कार्यकरण की जांच	Probe into working of Income-tax Department	911—12
9735. सिन्धु नदी के जल-विवाद के बारे में बातचीत	Indus Water Dispute Talks	912
9736. उत्तरी जोन में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना	Suspension of L.I.C, Employees in Northern Zone	912—13
9737. कलकत्ता नमक झील को कृषि योग्य बनाने के काम में अनियमितताएं	Irregularities in Calcutta Salt Lake Reclamation Work	913
9738. कलकत्ता के अस्पतालों में रोगियों पर शुल्क	Levy on Patients in Calcutta Hospitals	913—14
9739. पोंग बांध तथा सतलज, व्यास सम्पर्क निर्वासित पुनर्वास समिति	Pong Dam and Sutlaj Beas link Oustees Rehabilitation Committee	914
9740. महिलाओं में अनैतिक पण्ड दमन करने के लिये विशेष महिला पुलिस	Special Lady Police for the suppression o Immoral Traffic in Women	914
9741. कलकत्ता महानगर जिले का विकास	Development of Calcutta Metropolitan District	914—15
9742. परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी कृषि सम्मेलन तथा मुशायरा	Poetic Symposia on Family Planning Programme	915
9743. चलचित्र कलाकारों के पास लेखा-बाह्य धन के बारे में जांच करने के लिये समिति	Committee to enquire into unaccounted money with film artistes	915
9744. अपना कारोबार करने वाले कम्पनियों के लिये योजना	Schemes for Self-employed persons	916
9745. नैनीताल में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की बैठक	Central Family Planning Council meet at Nainital	916—17
9746. उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa	917
9747. उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Orissa	917
9748. राजस्थान में मलेरिया का उन्मूलन	Malaria Eradication in Rajasthan	918
9749. नैनीताल में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की बैठक	Central Family Planning Council Meet at Nainital	918—19
9750. डाक्टरी शिक्षा का पुनरीक्षण करने के लिये मंत्रियों की समिति	Ministerial Committee for Review of Medical Education	919

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.		
9751. विदेशी माल का तस्कर व्यापार	Smuggling of Foreign Goods	919—20
9753. पी० एल० 480 निधियां	P. L. 480 Funds	920—21
9754. रूसी रिगों और मशीनों का आयात	Import of Soviet Rigs and Machinery	921
9755. कृष्णा नदी जल विवाद	Krishna Water Dispute	921—22
9756. राज्यों में कृषि ऋण निगम	Agricultural Credit Corporation in States	922—23
9757. भारत में विदेशी गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा पूंजी विनियोजन	Investment by Foreign Private Enterprises in India	923
9758. दाहेज में दूसरा तेल शोधक कारखाना	Second Refinery at Dahej	923
9759 आयकर विभाग बम्बई में एक प्रश्न की संसदीय कार्यवाही का वितरण	Distribution of Parliamentary Proceedings of a Question in Income-tax Department, Bombay	923—24
9760. पत्रव्यवहार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme by Post	924
9761. आय-कर की बकाया राशि	Income-Tax Arrears	924—26
9762. नाइलन का धागा जब्त किया जाना	Seizure of Nylon Yarn	926
9763. शराब में विष के कारण दिल्ली में मौतें	Deaths in Delhi due to Liquor Poisoning	926—27
9764. मथुरा में तम्बाकू व्यापारी	Tobacco Dealers in Mathura	927
9765. कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये सरकारी ऋण	Loan to Government Employees for House Building Purposes	927
9766. दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण रोक थाम के लिये समिति	Committee to Check Food Adulteration in Delhi	928
9767. मकानों की समस्या	Housing Problem	929
9768. फिल्मी सितारों की आय	Earnings of Film Stars	929—30
9769. दिल्ली में चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना	Smuggled Gold Seized in Delhi	930
9770. क्राउन काकों पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Crown Corks	930—31
9771. रिजर्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र सरकार के बैंको कों अस्वीकार किया जाना	Maharashtra States Cheques Dishonoured by Reserve Bank	931
9772. स्वास्थ्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारियों का सेवा-निवृत्ति की आयु के पश्चात् सेवा-काल बढ़ाना	Extension of Service after Superannuation age to officers in Ministry of Health and D. G. H. S.	931—32
9773. क्राउन कार्क पर उत्पादन शुल्क	Excise duty on Crown Cork	932

विषय अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9774. नई दिल्ली स्थित अशोक होटल में शराब का दिया जाना	Serving of Liquors in Ashoka Hotel New Delhi	932
9775. मकान का प्लाट खरीदने के लिये सामान्य भविष्य निधि के लेखे से धन निकालना	Withdrawal from G.P. Fund Account for Purchasing House Plots	932—33
9779. आन्ध्र प्रदेश में लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Andhra Pradesh	933
9780. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश का दौरा	Visit of Madhya Pradesh and Andhra Pradesh by Commiseioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	933—34
9781. फर्मों को दिये गये ठेके	Contract to Firms	934
9782. फिल्मी सितारों द्वारा विदेशी मुद्रा संबन्धी विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violations by Film Stars	934—35
9783. कानपुर के श्री पन्नालाल के निवास स्थान पर छापा	Raid on the Residences of Shri Panna Lal of Kanpur	935
9784. कानपुर के श्री अमर नाथ केदिया के निवास स्थान पर छापा	Raid at the Residence of Shri Amar Nath Kedia of Kanpur	935
9785. सहायक कालेक्टर के ग्रेड में पदोन्नति	Promotion to Assistant Collector's Grade	936
9786. सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन	Customs Reorgnisation Committee's Report	936
9787. दस रुपये का नया नोट	New Ten-rupee Notes	936—37
9788. कुछ कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना	Allotment of Foreign Exchange to Certain Companies	937
9789. कुछ कम्पनियों द्वारा वास्तविक मूल्य से कम मूल्य के बीजक बनाये जाना	Under-Invoicing by Certain Companies	937—38
9790. कुछ कम्पनियों पर बकाया आयकर	Income-tax Arrears due from Certain Companies	938
9791. कुछ कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि	Income-tax Arrears due from Certain Companies	938
9792. मैसर्स के प्राडक्शन्स	M/s. Kay Productions	938—39
9793. चलचित्र वितरकों के कार्यालयों पर छापा	Raid on offices of Film Distributors	939
9794. दिल्ली में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स	Film Distributors of Delhi	939
9795. विदेशी सहायता	Foreign Aid	940
9796. जीवन बीमा निगम में पदोन्नतियां	Promotions in LIC	940

विषय अ. ता. प्र. सं. U. S. Q. Nos.		SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
9797.	1967–68 में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programme duuring 1967-68	940
9798.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अत्यधिक हानि	Heavy Losses in Public Sector Undertakings	941
9799.	अनुसूचित आदिम जातियों द्वारा धर्म परिवर्तन	Conversion of Religion by Scheduled Tribes	941
9800.	नई दिल्ली में समाचार पत्रों तथा पत्रकारों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Newspapers and Journalists in New Delhi	941
9801.	राजस्थान में पीने के पानी की कमी	Scarcity of drinking water in Rajasthan	942
9802.	देश में उत्पादित मिट्टी के तेल की ढलाई पर राज सहायता	Subsidy on Transport of Indigenously produced Furnace oil	942
9803.	नर्मदा जल विवाद	Narmada water Dispute	942—43
9804.	राज्यों में घाटे की वित्त व्यवस्था	Deficit Financing in States	943—44
9805.	सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद	Security Paper Mill, Hoshangabad	944
9806.	दिल्ली स्टाक एक्सचेंज का प्रधान	President, Delhi Stock Exchange	944—45
9807.	बैंकों में हिन्दी में कारोबार	Transaction of Business by Banks in Hindi	945
9808.	आयकर सहायक आयुक्त	Assistant Commissioners of Income-tax	945—46
9809.	परिवार नियोजन विभाग में कार्यक्रम अधिकारी का पद	Post of Programme Officer in Departmen of Family Planning	946—47
9810.	फाइलेरिया रोग का खतरा	of Filariasis	947—48
9811.	नीलरत्न सरकार चिकित्सा कालेज कलकत्ता में मकानों आदि का गिराया जाना	Demolitions of Structures in Nilratan Sarkar Medical College, Calcutta	948—49
9812.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	National Capital Region	949
9812-क	नायलोन के धागे के उत्पादन के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Production of Nylon Yarn	949—50
9812-ख	नायलोन के धागे की उत्पादन लागत	Cost of Production of Nylon Yarn	950—51
9812-ग	केन्द्रीय सरकार के सरकारी उपक्रमों में स्थानीय श्रमिकों को रोजगार देना	Employment of Local Labour in Central Government Public Undertakings	951
9812-घ	फिल्म अभिनेत्री कुमारी आशा पारिख द्वारा आयकर का अपवंचन	Income-Tax Evasion by Film Actress Miss Asha Parekh	951—52
9812-ङ	समवायों/निगमों के प्रतिवेदनों का हिन्दी में प्रकाशन	Reports by Companies/Corporations published i n Hindi	952

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public importance	953
दक्षिण भारत मिल मालिक संघ के कपड़े के उत्पादन में $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत कमी करने सम्बन्धी कथित आदेश से उत्पन्न स्थिति	Situation arising out of reported of the Southern India Mill Owner Association to Curtail textile production by 33,1/3 per cent	953—56
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	956—58
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	958
सदस्यों का अवरुद्ध किया जाना, हटाया जाना और दोषसिद्ध किया जाना	Restraint, Removal and conviction of Members	958—60
बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक	Banking Laws (Amendment) Bill	960
(एक) प्रवर समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Select Committee	960
(दो) साक्ष्य	(ii) Evidence	960
हरिजनों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश के मंत्री की कथित टिप्पणी के बारे में वक्तव्य	Statement Re : alleged Remarks of Andhra Minister re. Harijans	960
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y.B. Chavan	960
सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक	Estate Duty (Amendment) Bill	961
पुरः स्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का रोका जाना	Motion for leave to introduce-held over	961
राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक-पुरः स्थापित	State Agricultural Credit Corporation Bill-Introduced	964
अनुदानों की मांगें (पश्चिमी बंगाल) 1968-69	Demands for Grants (West Bengal) 1968-69	965
श्री हुमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	965—67
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterji	967—68
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	968—69
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	969—70
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H.N. Mukerjee	970
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	971—72
श्री देवेन सेन	Shri Deven Sen	972
श्री चपलाकाँत भट्टाचार्य	Shri C.K. Bhattacharyya	974—75
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	975—76
श्री श० ना० मारुती	Shri S.N. Maiti	976
श्री अ. कु. किस्कू	Shri A.K. Kisku	976—77

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K.C. Pant	977
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion for Adjournment	
पश्चिमी बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968-पुरःस्थापित तथा पारित	West Bengal Appropriation (No.2) Bill 1968	983—84
	Introduced and Passed	984
सिविल प्रतिरक्षा विधेयक	Civil Defence Bill Motion to consider	986
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K.S. Ramaswamy	986
श्री क० प्र० सिंह देव	Shri K.P. Singh Deo	988—89
श्री अ० सिंह सहगल	Shri A.S. Saigal	989—90
श्री राम सिंह अयरवाल	Shri Ram Singh Ayarwal	990
श्री क० मि० मधुकर	Shri K.M. Madhukar	990—91
मंत्रियों के निवास स्थान (संशोधन) नियमों के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Ministers Residences (Amendment) Rules-Negatived	991—93
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	991
श्री अनिरुधन	Shri K. Anirudhan	991—92
श्री शिवनारायण	Shri Sheo Narain	992
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	992
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	992
श्री भा० दा० देशमुख	Shri B.D. Deshmukh	992
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao	992—93
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्बन्ध में जांच समिति पर वक्तव्य	Statement re. Committee of Inquiry on CSIR	993
डा० त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	993—94
राष्ट्रीय अनुशासन योजना के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा	Half an hour discussion re. National Discipline Scheme	994
श्री दी० च० शर्मा	Shri D. C. Sharma	994—95
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	995—96

लोक–सभा
LOK SABHA

सोमवार 6 मई 1968/16 बैशाख, 1890 (शक)
Monday, May 6, 1968/Vaisakha 16, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

सदस्य जिन्हें शपथ दिलाई गई
Member Sworn In

श्री गुडाडिन्नी वासागों डाप्पा काडप्पा (बीजापुर-मैसूर)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में मद्य-निषेध

*1648. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद ने दिल्ली में पूर्ण मद्यनिषेध की सिफारिश की है और इस प्रयोजन के लिये एक समिति स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार से भी इस मामले में सहयोग देने का अनुरोध किया गया है और क्या इस प्रस्तावित समिति में केन्द्रीय सरकार का एक प्रतिनिधि होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री डा० (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन, में जो दिल्ली महानगर की सिफारिशों का निरीक्षण कर रहा है, से अब तक कोई निवेदन नहीं आया है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या सरकार मामले की जाँच कर रही है और यदि हां, तो सरकार की वर्तमान राय क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : मद्यनिषेध के सम्बन्ध में फैसला राज्य सरकारों को करना है ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यह एक निदेशक सिद्धान्त है और अखिल भारतीय कांग्रेस दल भी आंशिक मद्यनिषेध के पक्ष में; कई राज्यों में उसने आंशिक मद्यनिषेध किया है। क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार का अपना कोई मत है ?

श्री अशोक मेहता : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को मद्यनिषेध अपनाने की सलाह निरन्तर दे रही है, किन्तु केन्द्रीय सरकार इससे होने वाली हानि के लिए मुआवजा देने की स्थिति में नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : In view of the fact that all the veteran Congressmen have undergone imprisonment in connection with prohibition and that it is one of the Directive Principles and also in view of the fact that liquid is being smuggled from wet areas into dry areas, do Government propose to take concrete steps in this connection to bring about uniformity ?

Shri Asoka Mehta : Two factors are coming in our way. The first is that different states hold different opinions about it, secondly the Central Government is not in a position to compensate them for any loss that may be incurred.

श्री कन्डप्पन : केन्द्र शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ? यदि इन क्षेत्रों में मद्य-निषेध को लागू नहीं किया जाता, तो केन्द्रीय सरकार को राज्यों को कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । क्या सरकार केन्द्र शासित क्षेत्रों में पहल करने के लिये तैयार है ?

श्री अशोक मेहता : नीति का शनै शनैः पालन किया जा रहा है । जैसा कि मैंने बताया कुछ वित्तीय कठिनाइयां हैं और उन पर काबू पाना आसान नहीं है ।

श्री राने : संविधान के अनुच्छेद 47 को सरकार कब तक क्रियान्वित करना चाहती है ?

श्री अशोक मेहता : संविधान के ऐसे बहुत से अनुच्छेद और निदेशक सिद्धान्त हैं जिनके बारे में कोई भी समय सीमा रखना कठिन है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The contract for the sale of country liquor during the current year in the capital has been given for Rs. 74 lakhs authorising sale of five and a half lakh of bottles. The cost price of these bottles and the sale contract together amount to 90 lakhs while the sale proceeds of these bottles at the rate of Rs. 16 per bottle come to Rs. 88 lakh only. This shows that they will have to adopt underhand means to offset this deficit of Rs. 2 lakhs and for making profit. It is because of this that poisonous liquor is being sold in Delhi and it has so far taken a toll of 26 lives. What steps Government propose to take in this regard ?

Shri Asoka Mehta : It is the responsibility of the Delhi Administration to enquire into this matter.

श्री श्रद्धाकर सुपाकर : क्या दिल्ली महानगर परिषद ने अपनी योजना का कोई विस्तृत खाका भेजा है और क्या उसने केन्द्रीय सरकार से हानि का मुआवजा देने के लिये कहा है और यदि हाँ, तो उसकी राशि क्या है ?

श्रीमती फूलेरणु गुह : अभी तक उसने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । हमारी जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रशासन महानगर परिषद की सिफारिश पर विचार कर रहा है ।

Shri O.P. Tyagi : Has not the past experience amply demonstrated that corruption is the natural concomitant of prohibition ? Do Government propose to formulate a uniform policy in this regard with consensus of the states ?

Shri Asoka Mehta : In this regard the experience of different states has been different. For instance in Gujrat there is complete prohibition and no cases showing increased corruption have been noticed. In just opposition to this the experience of Maharastra has been just the opposite. In view of this uniform policy cannot be adopted.

Shri K.N. Tiwary : In view of the fact that prohibition is one of the Directive Principles, do Government propose to take a decision to enforce it and compensate the states for any loss that might be incurred ?

Shri Asoka Mehta : It is not a question of paltry sums but of colossal amounts which Central Government is not in a position to bear at present.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई राज्य सरकारों ने मद्यनिषेध को क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया है और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि जिन राज्यों में मद्यनिषेध है वहाँ पर अपमिश्रित शराब बेची जाती है, क्या यह सच है कि सरकार इस मद्य-निषेध को हटाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री अशोक मेहता : मैंने बार-बार यह बताया है कि राज्य भिन्न-भिन्न नीतियां अपनाते हैं । निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किसी राज्य के लिये सही नीति क्या है । मद्यनिषेध एक राज्य का विषय है और एक संघात्मक संविधान के देश में हम राज्यों को केवल सलाह ही दे सकते हैं । किन्तु राज्यों का निर्णय हमें मानना होगा ।

श्री शांति लाल शाह : शराब पर उत्पादन शुल्क से हानि के विरुद्ध क्या, सरकार को पता है कि बढ़े हुए बिक्री कर और मनोरंजन कर से काफी आय होती है और यदि नहीं, तो क्या सरकार हानि तथा आय की जांच करेगी ?

श्री अशोक मेहता : ये सब तथ्य विभिन्न राज्य सरकारों को ज्ञात हैं और इन तथ्यों को ध्यान में रखकर ही वे अपना निर्णय करती हैं । महाराष्ट्र सरकार ने, इन सभी तथ्यों को जानते हुए भी कुछ निर्णय किये हैं ।

Shri Y.S. Kushwah : May I know whether wine is served at the official receptions ?

Shri Asoka Mehta : No, Sir,

Shri Hem Raj : The hon. Minister just now stated that the State Government do not agree to what you say. But may I know the steps taken by the Government in Himachal Pradesh, which is a Union Territory, in pursuance of the Tek Chand Committee Report ?

Shri Asoka Mehta : I said different states are following different policies. As regards Union Territories, if they are prepared to set aside a certain sum for this purpose, I will certainly press the Government. The resources of the Central Government being limited, it is not possible to concede the demands of all the State Governments.

Shri Buta Singh : May I know whether after the attainment of Independence people in rural areas have become more addicted to spirits and if so, the preventive measures taken by the central and the State Governments in that regard.

Shri Asoka Mehta : I do not have the figures relating to this; State Governments might be having. The report of the Tek Chand Committee has already been submitted and now it depends upon the State Governments to implement that. The hon. Members having different views should exert their influence upon the State Government.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister stated that different states have different opinions in this matter. But actually this is not so. The fact is that in the Centre itself the Ministers oppose each other. There are certain Ministers who publicly oppose prohibition and because of the wavering policy of the Central Government the State Chief Ministers also put off this matter on one or the other pretext. It is wrong to say that

drinking is on the wane. On the other hand illicit distillation is increasing and people are dying of intake of spurious liquor. In view of this do Government propose to evolve a diluted alcoholic drink to save the people from deliterious effect of liquor.

Shri Asoka Mehta : The various points raised by the hon. Member are given effect to by the states also. Illicit distillation takes place only when there is prohibition.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : Even when there is prohibition illicit distillation is practised.

Shri Asoka Mehta ; Illicit distillation is also practised when there are more taxes. As regards the uniform policy, it is very difficult to evolve a consensus of opinion among the states.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is your policy ?

Shri Asoka Mehta : Our policy is quite clear. We are trying to implement the Directive Principles. But the policies and experiences of different Chief Ministers are different in this matter. A strong public opinion is called for in its favour.

Income-tax Assesments.

***1650. Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri T.P. Shah :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of such Income-tax cases re-opened during the last two years in which the income assessed in the first assessment was more than two lakhs of rupees; and

(b) the names and addresses of such assessees ?

The Minister of State in the Ministry of Finance, (Shri K.C. Pant) : (a) and (b) : The information is not readily available, and its collection will require an examination of all the files in which the assessments had been re-opened. This will involve enormous time and labour.

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I do not endorse the views of the hon. Minister that it will require a lot of time and labour, because there is a list of all these big cases with the Commissioner and without his accord such cases can not be reopened.

In view of the fact that incidence of evasion is much more in those cases as these people have the technical knowledge and the services of experts and accountants at their disposal, what steps have been taken by the Government for the correct assessment in these cases ?

Shri K.C. Pant : Sir, during 64-65 40,602 cases were reopened and during 65-66 52, 140 cases were reopened. It has never been the intention of the Government to hide facts. Now it will take a long time to classify it according to income. In order to give more attention to high income cases central circles have been created at all the places.

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether any incometax evaders have been prosecuted during the last three years and if not, the reasons therefor ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान में पिछले चार या पांच वर्षों के आंकड़े दिये थे। मैंने कहा था कि इस वर्ष भी 20 मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है ?

श्री प० गोपालन : सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि गत 10 वर्षों में सरकार ने आयकर की बड़ी बड़ी राशियों को इकठ्ठा होने दिया है और बाद में अधिकांश मामलों में उनको आंशिक या पूर्ण रूप से बही खाते में डाल दिया गया था। देश में यह दृढ़मत है कि करदाता अधिकारियों से मिलकर आयकर की बड़ी-बड़ी राशि बकाया रख लेते हैं। क्या सरकार इस सम्बन्ध में एक स्वतंत्र जांच करायेगी ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : बकाया राशि बढ़ी है और उनको कम करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा समय समय पर सभापटल पर रखा गया है । किन्तु जो आंकड़े दिये गये हैं वे सब प्राप्त किये जा सकने वाली बकाया राशि नहीं है । उनमें वे राशियां भी शामिल हैं जिनके भुगतान की तारीख अभी नहीं आई है । भुगतान के लिये कुछ समय दिया जाता है । उनमें वे राशियां भी शामिल हैं जो बहुत वर्षों से बकाया हैं और जिनका वसूल किया जाना बहुत कठिन है, किन्तु जिन्हें अभी तक बहीखाते में नहीं डाला गया है । तीसरे उनमें से बहुत सी राशियों के मामले न्यायाधिकरण, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं । कुल बकाया राशि का अनुमान लगाने से पहले इन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा ।

श्री मोरारजी देसाई : जहाँ तक उनकी एक जांच कराने की मांग का सम्बन्ध है यह कहना बहुत गलत है कि सभी आय अधिकारी इसी प्रकार के हैं । यदि व्यक्तिगत मामले हमारी जानकारी में लायें जाये तो हम निश्चय ही उनकी जांच करायेंगे ।

Shri Shashibhushan Bajpai : Apart from the arrears of Rs. 500 crores against the bigwigs, may I know the amount of death duty arrears against the princes and the number of persons so far convicted for default of payment of tax arrears ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : प्रश्न के तीसरे भाग का उत्तर उप-प्रधान मंत्री पहले ही दे चुके हैं । दूसरे भाग की जानकारी मेरे पास इस समय नहीं है । जहां तक पहले भाग का सम्बन्ध है, पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने जो कुछ कहा है वह संगत है । 500 करोड़ रु० की बकाया राशि 31 मार्च, 1967 को थी । अब इसमें 100 करोड़ रु० की कमी हो गई है । न्यायाधिकरण में भी कुछ राशि के मामले विचाराधीन हैं ।

Shri Madhu Limaye : While speaking during the second reading of the Bill I had drawn the attention of the hon. Minister to the cases of four individuals. Their names are Kila Chand, Dev Chand, Amin Chand Pyare Lal. Can the hon. Minister give an assurance that he will consider filing suits under section 277 of the Income Tax against these four persons ?

Shri K.C. Pant : All possible action under the law will be taken against them.

श्री दामानी : क्या खोले गये मामलों में निर्धारण के पूरा होने के लिये कोई समय सीमा रखी गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मूल निर्धारण के मामलों में तो सामान्यतः चार वर्ष का समय निश्चित किया गया है; किन्तु पुनर्निर्धारण के मामलों में मैं स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि लेखा परीक्षण की तरह की कर-निर्धारण पद्धति चालू करने के पश्चात कुछ उद्योगों ने करों की वास्तविक राशि को छिपाया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लेखा परीक्षण की तरह के करों-निर्धारण का सम्बन्ध उत्पादन शुल्कों से हैं, आयकर से बिल्कुल नहीं । अतः प्रश्न नहीं उठता ।

कृषकों पर उपहार कर अधिनियम का लागू करना

***1652. श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी सम्पत्तियों के हस्तांतरण करते समय उन कृषकों को भी, जो आयकर दाता नहीं है, उपहार कर अधिनियम के उपबन्धों से मुक्त नहीं किया जाता है;

(ख) क्या इससे कृषक रैयतों को कठिनाई हो रही है, जिन्हें कई कारणों से अपनी सम्पत्तियों को, अपने वंशजों को हस्ताँतरित करना होता है ;

(ग) क्या केवल कृषकों को इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने से छूट देने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । दानकर केवल 10,000 रुपये से अधिक रकम के दान पर लगता है । इसके अलावा दानकर्त्ता पर आश्रित रिश्तेदारों को दिये गये 10,000 रुपये तक के दान पर कोई दानकर नहीं लगता यदि उक्त दान आश्रित व्यक्ति के विवाह के अवसर पर दिया जाता है । दानकर्त्ता के बच्चों की शिक्षा के लिये दान की पर्याप्त रकम पर भी कर से छूट दी गई है । जीवन साथी को 50,000 रुपये तक के दान पर भी दानकर से छूट दी गई है ।

(ग) तथा (घ) चूंकि दानकर अन्य प्रत्यक्ष करों को और विशेष रूप से कृषि सम्बन्धी भूमि पर लगने वाले सम्पदा शुल्क को टालने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये आरम्भ किया गया था, अत एव कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति को दान-कर से छूट देने का प्रश्न नहीं उठता ।

Shri B.S. Sharma : Sir, according to Section 10 of the Income tax Act and section 2 E(1) of Wealth Tax income from agriculture is not subject to Income Tax and Wealth Tax. As regards Wealth Tax, Gift Tax and State Duty all these three laws were enforced in 1957—58 as supplemental to Income Tax Act on the recommendation of Prof. Kaldor. To what extent is it justifiable to impose Gift Tax on the peasants who are exempt from Incometax, and Wealth Tax. Do Government propose to effect some improvement in this connection since the price of land has increased considerably ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.C. Pant): If the price of land has increased the wealth of the peasants has also increased in the same proportion and as I stated already Government considers it justifiable and no change is called for.

Shri B.S. Sharma : The hon. Minister says that the wealth of the peasants has increased proportionately. May I know whether Government propose to bring the so called increased income within the ambit of Income Tax Act ?

Shri K.C. Pant : The question of income tax does not arise here. Since Wealth Tax, State Duty and Gift Tax are inter-related Gift Tax is being levied on agricultural land with a view to preventing the evasion of other taxes.

तीर्थस्थानों पर भिखारियों के लिये गृह

*1653. **श्री समर गुह** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हरिद्वार, लक्ष्मण झूला जैसे तीर्थ स्थानों तथा समूचे भारत के अन्य ऐसे स्थानों में तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ्य को कुछ और अन्य संक्रामक किस्म के रोगों से पीड़ित भिखारियों के कारण खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्र का विचार इन रोग ग्रस्त भिखारियों के लिये गृह स्थापित करने की कोई योजना तैयार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) यह सच है कि विभिन्न तीर्थस्थानों पर बहुत से भिखारी भिक्षा कार्य में लगे हैं तथा उनमें से कुछ कुष्ठ रोग और अन्य सक्रामक रोगों से पीड़ित हैं।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली सभी भिक्षावृत्ति विरोधी परियोजनाओं के लिये भारत सरकार पचास प्रतिशत सहायता देती है। समय समय पर, जब कभी भी राज्य सरकारें परामर्श मांगती है, उन्हें परामर्श दिया जाता है।

श्री समर गुह : हमारे देश में तीर्थ स्थान बड़े पवित्र समझे जाते हैं। वहां पर वृद्ध तथा अपंग व्यक्तियों जो कि वास्तविक भिखारी नहीं हैं—का दृश्य बड़ा करुणामय है। राज्य सरकारों पर इस जिम्मेदारी को टालने की बजाये क्या सरकार कोई ऐसा कदम, उठाने में पहल करेगी कि सम्बन्धित राज्य सरकारें ऐसे व्यक्तियों के लिये आवास की व्यवस्था करने सम्बन्धी योजनाओं को आरम्भ करें ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : चतुर्थ योजना में कुछ योजनाओं को शामिल करने के लिये तृतीय योजना के अन्त में एक अध्ययन दल बनाया गया था। यह महसूस किया गया कि चालीस केन्द्रों को चलाने की अनुमानित लागत 22.37 लाख रु० होगी। यह सुझाव सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था। यद्यपि वे योजना की प्रशंसा करते हैं, वे इसका 50 प्रतिशत देने को तैयार नहीं हैं। चूंकि हम इस योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, अतः इस योजना में तीर्थस्थानों को शामिल कराने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध करेंगे। वाराणसी, ऋषिकेश और हरिद्वार के सम्बन्ध में हमने उत्तर प्रदेश सरकार से लिखापढ़ी की है।

श्री समर गुह : भिखारियों की समस्या के अतिरिक्त वहां पर दूसरी समस्या सन्यासियों, कुष्ठरोगियों और क्षयरोगियों की भी है। क्या सरकार तीर्थस्थानों पर चिकित्सकों के एक दल को भेजेगी ताकि यात्रियों को इन छूत की बीमारियों से बचाया जा सके ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है। हम स्वास्थ्य मंत्रालय से इस विषय पर लिखापढ़ी करेंगे।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : केवल गृह निर्माण ही काफी नहीं है, क्योंकि इनमें से अनेकों गृहों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है जैसा कि हम कानपुर में देखते हैं। क्या सरकार देश में इन गृहों की हालत के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन तैयार कर रही है क्या सरकार मलेरिया उन्मूलन वर्ष की भांति कुष्ठरोग उन्मूलन वर्ष आरम्भ करना चाहती है। साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि विभिन्न राज्यों में भीख मांगने विरोधी अधिनियम को सरकार किस तरह लागू करना चाहती है ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : कुष्ठरोग विरोध सम्बन्धी प्रश्न स्वास्थ्य मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिए। भीख मांगने के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और हमने उसे राज्य सरकारों को भेजा है। वे कहते हैं कि उनके पास इसकी क्रियान्विति के लिये काफी धन नहीं हैं। इन गृहों के कार्य के सम्बन्ध में हमें प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं जो इस समय मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें उपलब्ध करा दूंगी।

Shri S.C. Jha : Apart from places of pilgrimage do Government propose to ban begging by law at other places also ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : ऐसा कानून बनाने का कोई विचार नहीं है ।

Shri Prem Chand Verma : May I know the steps taken or proposed to be taken by Government in regard to the banishing of beggary from the railway platforms ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : रेलवे प्लेटफार्म रेलवे मंत्रालय के मन्त्राधिकार में आते हैं ।

Shri Ramji Ram : May I know whether Government are contemplating to deprive Brahmins of their birth right of accepting alms ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है ।

Shri P. L. Barupal : May I know the total number of well-built persons feeding themselves on alms in the country ? Do Government propose to utilise their services for the construction of canals

श्रीमती फूलरेणु गुह : देश में भिखारियों की कुल संख्या का पता लगाने के लिये कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

श्री श्रीधरन : विभिन्न तीर्थस्थानों पर अनेकों कदाचार किये जाते हैं जैसे कि समाज विरोधी तत्वों द्वारा कुष्ठरोगियों और लंगड़े लूलों को किराये पर लेकर पैसा बनाने के लिए घुमाया जाना । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेगी ?

श्रीमती फूलरेणु गुह : मैं समझती हूं यह एक सुझाव है । हम इसकी जांच करेंगे ।

Shri Tulsidas Jadhav : Are Government considering any scheme to give incentive to the Members of the family of persons suffering from chronic diseases, particularly leprosy so that they may be kept indoors for treatment and other persons saved of contagion ?

श्री अशोक मेहता : हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं है । सामाजिक प्रतिरक्षा की सभी योजनाओं के लिये हमारे पास एक वर्ष में केवल 20 लाख रु० होता है । जब तक हमारे पास अधिक संसाधन नहीं होते, मैं नहीं जानता कि इन सारी योजनाओं का मैं क्या करूं ।

Shri Shiv Charan Lal : Have Government made an evalution of the wealth of the lepers begging in places of pilgrimage. Their contagions ha its bearing on the alms-givers also. Do Government propose to ban begging after instituting an enquiry.

श्री अशोक मेहता : ये दो विभिन्न जिम्मेदारियाँ हैं; एक तो विधि तथा व्यवस्था की जो कि राज्य सरकार की है; दूसरी इन भिखारियों को गृहों में ले जा कर बसाने की । हम भिखारी गृह चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं । देश में 40 ऐसे गृहों की योजना हमने बनाई है किन्तु हमारे संसाधन इतने सीमित हैं कि हम एक गृह भी नहीं खोल सके ।

श्री दी० चं० शर्मा : चूंकि भीख मांगने को पूर्णतया समाप्त करना संभव नहीं है, इस लिये क्या मंत्री महोदय ने भारत के निवासियों पर किसी प्रकार का उपकर लगाने पर विचार किया है ताकि अधिक संख्या में उनके लिये गृह खोले जा सकें ।

श्री अशोक मेहता : उपकर लगाना तो मेरे माननीय साथी का विशेषाधिकार है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कुछ भिखारी रोगग्रस्त भी होते हैं और वे बच्चे भी पैदा करते हैं और इस प्रकार वे बीमारी को फैलाते हैं । क्या श्री अशोक मेहता ने श्री चन्द्रशेखर के साथ इन

रोगग्रस्त व्यक्तियों के बन्ध्यीकरण के सम्बन्ध में कभी बातचीत की है ?

श्री अशोक मेहता : यह एक बहुत ही मूल्यवान सुझाव है और मैं इसे स्वास्थ्य मंत्री को भेज सकता हूं।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

*1654. **श्री प्रेमचन्द शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात तेल शोधक कारखाने के विभिन्न यूनिटों के चालू होने में एक वर्ष से लेकर एक वर्ष और चार महीने तक विलम्ब हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस विलम्ब के कारण विशेषज्ञों तथा अप्रयुक्त श्रमिकों पर बहुत अधिक व्यय किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस अत्यधिक बिलम्ब के क्या कारण थे तथा फालतू व्यय के कारण कितनी हानि हुई; और

(घ) इस विलम्ब के कारण उत्पादन में हानि की दृष्टि से कितना नुकसान हुआ और इसके लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। देरी के कारण जब कभी शोधनशाला के एक हिस्से में काम की गति को ढीला करना पड़ा था; तभी विशेषज्ञों एवं श्रमिकों को शामिल करते हुए व्यक्तियों को दूसरे यूनिटों में, जिनके निर्माण कार्य में बाधा नहीं पड़ी थी, सामान्यता काम पर लगाया गया। अतः देरी के बावजूद परियोजना की कुल लागत में वृद्धि नहीं हुई।

(ग) शोधनशाला के विभिन्न यूनिटों के चालू होने में निम्न कारणों से देरी हुई:—

(1) कई यूनिटों के विस्तृत कार्यकारी आलेख की प्राप्ति में देरी,

(2) उपकरण की प्राप्ति में देरी; विशेषता केटेलिटिक रिफार्मिंग यूनिट के लिए;

(3) निर्माण मजदूरों द्वारा कभी कभी हड़ताल; तथा

(4) जमीदारों द्वारा दिये गये रिट प्रार्थना-पत्र के लम्बित रहने से रेलवे साइडिंग के निर्माण कार्य में देरी।

(घ) शोधनशाला के चालू होने में देरी के कारण जो हानि हुई उससे जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसमें देशीय कच्चे तेल का इस्तेमाल न होना; वे स्तर जहां पर शोधनशाला में समय समय पर मांग के साथ साथ कार्य होता और कमी वाले उत्पादों का लगातार आयात जैसे पहलू शामिल हैं। इनका धनराशि के रूप में उचित तौर पर मूल्यांकन नहीं हो सकता है। इन परिस्थितियों में देरी के कारण हुई हानि के लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

Shri Prem Chand Verma : The hon. Minister has not answered the operative part of my question. Is it not a fact that the construction of thermal power station and other units of Gujrat Refinery was delayed by two years consequent upon which the stay of 41 foreign experts was protracted by one to twelve months entailing an additional expenditure of Rs. 3 lakh and 22 thousand ? Have Government gone into the causes which prevented the completion of the project report during the scheduled time, if so the details there of, if not the reasons therefor ?

श्री रघुरामैया : विलम्ब का कारण यह था कि रूस से जो उपकरण आदि आने थे उन के पहुंचने में देर लग गई। जिस स्थान पर काम नहीं होता तो स्टॉक को दूसरे स्थान पर काम में ले लिया जाता है। दूसरे प्रश्न के बारे में मैं प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में पहले ही बता चुका हूं। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कुछ हानि हुई है, किन्तु इसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना कठिन है।

Shri Prem Chand Verma : May I know if it is a fact that none of the refineries and other petro-chemicals complex scheduled to be completed by 196 as envisaged in the project Report have been completed in time, if so whether any enquiry has been instituted into the causes of the delay, if so, whether Government have framed a new policy in the light of the findings for the timely completion of the projects, if so, the broad outlines there of ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : प्रायः विदेशी मुद्रा के कारण कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि आवश्यक विदेशी मुद्रा कब मिलेगी। फिर, प्रायः हमें विदेशों से उपकरण प्राप्त करने होते हैं जो समय पर नहीं पहुंच पाते। ये सब बातें हमारे बस से बाहर हैं। अतः हमारे लिये पहले से कोई निश्चित तारीख बताना कठिन है।

श्री स० चं० सामन्त : माननीय मंत्री ने स्वीकार किया कि 1 वर्ष और 4 महीने की देरी हुई है। क्या इसमें कुछ विदेशी विशेषज्ञ भी अन्तर्ग्रस्त है और उन्हें कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा मिलेगी ?

श्री रघुरामैया : जहां तक विदेशी विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, अन्य क्षेत्रों में उनसे काम लिया गया था।

श्री राणा : सरकार इस तेल-शोधक कारखाने का विस्तार कब करने का विचार रखती है; क्या इसी प्रकार का विलम्ब होगा या विस्तार के लिए आवश्यक विदेशी उपकरण प्राप्त हो गये हैं ?

श्री अशोक मेहता : यह विस्तार कार्य चालू है और मैं नहीं समझता इसमें कोई खास देरी होगी।

श्री मनुभाई पटेल : क्या नैफ्था "करैकर" के सम्बन्ध में कोई विलम्ब हुआ है ? दूसरे, गैस सिलैंडरों की कमी के कारण उस कार्यक्रम में भी विलम्ब हुआ है, किन्तु एक वैकल्पिक कार्यक्रम के रूप में तेल-शोधक कारखाने ने पास के शहरों को पाइपलाइन द्वारा तरल गैस सप्लाई करने का एक प्रस्ताव दिया है। क्या इसमें भी विलम्ब होगा ? तीसरे, पेट्रोरसायन काम्पलेक्स की प्रगति क्या है ?

श्री रघुरामैया : नैफ्था करैकर और अन्य सम्बन्धित परियोजनाओं के सम्बन्ध में ठेके तैयार हैं और उनपर शीघ्र ही हस्ताक्षर किये जायेंगे।

श्री मनुभाई पटेल : पाइप लाइन द्वारा तरल गैस जो दी जायेगी ?

श्री रघुरामैया : मुझे इसकी जांच करनी होगी।

Evasion of Customs Duty by Officers of UNESCO Office, Delhi

***1657. Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have received a communication from the employees of the Delhi Office of the UNESCO stating that the Officers in the said office import articles for their personal use in the name of the Office and thus evade customs duty;

(b) whether it is a fact that Miss Roch, Deputy Chief in the said Office, who is shortly going abroad, imported a tape-recorder from Hong kong in the name of the Office for personal use without paying any Customs duty;

(c) whether it is also a fact that the former Chief of the aforesaid Office, at present in Moscow had imported tyres for personal use and also imported two portable Typewriters which he took away with him without paying any customs duty; and

(d) if so, the measures taken by Government against such evasions of Customs Duty and if no action has been taken, the reasons therefor;

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.C. Pant): (a) Government have received a letter from an ex-employee of the Delhi Office of the UNESCO alleging that certain Officers in the said Office had imported certain articles for the official use of the UNESCO Mission, but these were meant for their personal use:

(b) The UNESCO Mission imported a tape-recorder from Hong kong for its official use against an Exemption Certificate signed by Miss Roach, Deputy Chief of the Mission whilst acting as Chief of Mission;

(c) Two portable type writers were imported by the UNESCO Mission for its official use against Exemption Certificates signed by the former Chief of the Mission. It has not been possible to find out whether any tyres were cleared against an Exemption Certificate signed by the former Chief of the Mission. It is also not possible to say whether the said Chief of the Mission, who is at present in Moscow, took any of these articles away with him; and

(d) Since the articles were imported for the official use of the Mission, no Customs duty was payable on the said articles.

Shri Madhu Limaye: The hon. Minister stated that all those articles had been imported for the official use of UNESCO. Has the hon. Minister tried to find out whether the payment for those articles has been made from the UNESCO bank account or from those of the individuals mentioned therein? If the hon. Minister has not looked into this matter, was it not his duty to do so after receiving notice of the question?

Shri K.C. Pant: The total price of those articles amounted to Rs. 3 000. On receipt of this report the Chief of Protocol of the External Affairs Ministry took up this matter with the UNESCO Mission. The Chief of UNESCO Mission has written that those articles had been imported for authorised use and that no question of misuse of privileges arose in that. After receiving this information no enquiry is considered necessary.

Shri Madhu Limaye. From whose bank account has the payment been made?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं नहीं जानता कि भुगतान किस खाते से किया गया । मैंने कहा कि यह 3000 रु का एक छोटा सा मामला है और हमने यूनेस्को के प्रमुख से पूछ लिया है कि कोई दुरुपयोग तो नहीं किया गया है ।

Shri Madhu Limaye: It is no use asking them. They would obviously say that those articles were meant for official use.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यूनेस्को एक विशेषाधिकार प्राप्त निकाय है ।

Shri Madhu Limaye: Does that mean that they should violate our laws?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : हमारे पूछने के बाद जब उन्होंने यह कह दिया कि इसका दुरुपयोग नहीं किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि मामले को वहीं समाप्त हो जाना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye: In my opinion the matter does not end there. No foreign organisation or country has the right to violate our laws. The hon. Minister should atleast give an assurance that he will hold an enquiry.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : सामूहिक सम्पत्ति तथा अन्त-

र्राष्ट्रीय करारों के अनुसार ये स्थान अनतिक्रमणीय हैं और जब तक हमारे पास भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत किसी अपराध का मूल प्रमाण न हो हम वहां जाकर तलाशी नहीं ले सकते ।

Shri Madhu Limaye : I will give the cheque later on.

Shri Morarji Desai : If the hon. Member gives an evidence we will consider it.

Shri Madhu Limaye : Customs Department is run by him and as such it is his duty to collect evidences. Still I am prepared to give evidence.

Shri Madhu Limaye : This malpractice has been going on for the last four years with the complicity of an Indian official whose name I will disclose later on. These people import goods in the name of UNESCO and then sell them in this country after retaining a sufficient margin of profit When they leave this country, they get this money changed into foreign exchange at the official exchange rate. Will the hon. Minister look into this aspect of the matter ?

श्री मोरारजी देसाई : यदि माननीय सदस्य कोई प्रमाण दें तो हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे ।

श्री नाथपाई : मैं यह मानता हूं कि राशि शायद बहुत छोटी है । मैं यह भी मानता हूं कि यूनेस्को को विश्व भर में विशेष अधिकार प्राप्त हैं । मगर यह मामला कुछ भिन्न है । यद्यपि राशि छोटी सी है किन्तु सिद्धांत बहुतबड़ा है । इस संदर्भ में मन्त्री महोदय को हमें सन्तुष्ट करना चाहिये कि यूनेस्को को जो विशेषाधिकार दिये जाते हैं उनका छोटे स्तर पर भी किसी व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाता है । जिस चैक द्वारा राशि का भुगतान किया गया था, उसकी संख्या बताने वाले कागजात हमारे पास हैं । यदि हम उसे दिखा दें, तो क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करेंगे कि क्या जो अधिकारी हाल ही में भारत छोड़ कर गया था उसने यूनेस्को के लिये खरीदी गई सम्पत्ति को नहीं बेचा और क्या धन को व्यक्तिगत बचत के रूप में दिखाया गया था । केवल माननीय मंत्री ही नहीं हम भी यह चाहते हैं कि यूनेस्को के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखे जायें किन्तु हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन न करे ।

श्री मोरारजी देसाई : हम सब ये चाहते हैं कि कानूनों का उल्लंघन न हो और इस पर कोई मतभेद नहीं है । इस मामले में शिकायत उस व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसका ठेका यूनेस्को कार्यालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उसका काम संतोषजनक नहीं पाया गया था । यदि यह सिद्ध कर दिया जाये कि यूनेस्को द्वारा उसके अपने कार्यालय द्वारा उपयोग के लिये खरीदी गई वस्तुएं यहां बेची गई हैं, तो हम निश्चय ही कार्यवाही करेंगे । किन्तु कोई प्रमाण नहीं है । इसके विपरीत सरकार जो भी जाँच कर सकती थी और उसने की है उससे सरकार संतुष्ट है कि वे वस्तुयें यहाँ नहीं भेजी गई हैं । ऐसे मामले में कार्यवाही कैसे की जा सकती है ?

श्री हो० ना० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि ये आरोप उन व्यक्तियों के एक निकाय द्वारा लगाये गये हैं जिसने यूनेस्को में काम किया है, सरकार को उसके द्वारा दिये गये तथ्यों की जांच करनी चाहिये थी, क्या कारण है कि सरकार यह कहती है कि इसने यूनेस्को के प्रमुख की बात पर विश्वास कर लिया है और जाँच नहीं की ?

श्री मोरारजी देसाई : व्यक्तियों के किसी निकाय ने शिकायत नहीं की है, केवल एक व्यक्ति ने शिकायत की है जो कि असन्तुष्ट है । यदि इन दोनो में से मुझे एक की बात पर विश्वास करना है, तो मैं उस असन्तुष्ट व्यक्ति की अपेक्षा यूनेस्को के प्रमुख की बात को मानूंगा ।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

Headquarters of Pyrites and Chemicals Development Corporation.

S. N. Q. 31. Shri Sheopujan Shastri :
Shri Gunanand Thakur :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) whether it is proposed to shift the Headquarters of the Pyrites and Chemicals Development Corpration from Dehri-on-Sone, Shahabad, Bihar to Delhi;

(b) whether it is the policy of Government to keep the Headquarters at such a place which may be the area of its activities;

(c) if so, the reasons to shift the Headquarters and whether the people of that place and Bihar Government have opposed the move; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) निगम के कार्य कलापों के भावी विस्तार को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के मुख्यालय को डेरी-आन-सोन से एक अधिकतर केन्द्रीय स्थान जैसे दिल्ली या फरीदाबाद, ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) जब एक कम्पनी के कार्य कलाप एक क्षेत्र से ज्यादा क्षेत्रों में फैलने लगते हैं, जैसे कि पी० सी० डी० सी० के विचारित विस्तार के बाद, तो उसके मुख्यालय के स्थान का निश्चय दक्ष प्रबन्ध और पर्यवेक्षण तथा सम्पर्क में सुविधा आदि को विचार में रख कर किया जाता है ।

(ग) और (घ) सरकार ने पी० सी० डी० सी० के कार्यकलापों को हाल ही में बिहार से बाहर पाये गये पाइराइटस धातु तक बढ़ाने का निश्चय किया है और इसे नये खनिज राक फास्फेट के समुपयोजन को सौंपने का निर्णय किया है । इन नये तथा विस्तृत कार्यकलापों के कारण, कम्पनी के प्रबन्धकों के लिये यह आवश्यक होगया है, कि वे कम्पनी के मुख्यालय के लिये एक अधिकतर केन्द्रीय स्थान के बारे में सोचें । किन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है । प्रश्न पर अन्तिम निर्णय करने से पहले बिहार सरकार और क्षेत्र के निवासियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर उचित विचार किया जायेगा ।

Shri Sheopujan Shastri : Whether it is a fact that they are being shifted from that place because the officers had opposed their stationing there ?

श्री रघुरामैया : निश्चित रूप से नहीं । मैं उत्तर में पहले बता चुका हूं कि कार्यवाही के विस्तार के कारण ऐसा किया गया था । राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अब "रॉक फास्फेट" उपलब्ध है और राजस्थान में माओक के अतिरिक्त यह काम भी इसको सौंपा गया है ।

Shri Sheopujan Shastri : Have the local public represented to you for the reconsideration of this matter ?

श्री रघुरामैया : बिहार सरकार ने अभ्यावेदन दिया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

Shri Gunanand Thakur : May I know whether the officials in their opinion ascertained by the Government of Bihar have opposed this move and whether the Government of Bihar have represented opposing this move in view of the local problems ?

श्री रघुरामैया : इस पग के विरोध में हमें बिहार सरकार से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और हम मामले पर विचार कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO THE QUESTIONS

काली-सूची सम्बन्धी संहिता

*1647. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 27 जुलाई, 1967 को सभा पटल पर रखी गई काली-सूची सम्बन्धी संहिता की प्रक्रिया में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सख्ती के साथ पालन करती है,

(ख) क्या काली-सूची प्रक्रिया संहिता में यह उपबंध है कि काली-सूची में दर्ज फर्मों को उन पर लगाये गये सभी आरापों से उच्च न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिये जाने के बाद भी काली-सूची में ही रखा जाए यद्यपि निचले न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया था और इसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें काली-सूची में रखा गया था; और

(ग) क्या राज्य सरकार की उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पडी अपील के कारण सरकार किसी फर्म को काली-सूची से नहीं निकाल सकती है जब उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा उनके विरुद्ध सिद्ध आरोप समाप्त कर दिया गया हो ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) जी हां ।

(ख) काली-सूची में रखने का कोई भी आदेश तब तक लागू रहता है जब तक कि उस आदेश को वास्तव में वापस न ले लिया जाए । यदि कोई फर्म किसी भी न्यायालय द्वारा उन आरोपों से मान सहित मुक्त कर दी जाती है जिनके कारण उस फर्म को काली सूची में रखा गया था तो उस मामले में संहिता के अधीन उसे काली सूची में रखने के आदेश को वापस लेने के प्रश्न पर विचार करने की अनुमति है ।

(ग) जी, नहीं ।

मद्रास में गलत ढंग से धन की प्रतिपूर्ति

1649. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **स्वास्थय परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में उन डाक्टरों कैमिस्टों तथा कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को धोखा देकर गलत ढंग से चिकित्सा संबंधी धन की प्रतिपूर्ति लिए जाने के कथित आरोप में तलाशी ली गई थी अथवा जिनको गिरफ्तार किया गया था तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है:

(ख) क्या इस प्रकार से धोखे बाजी से दो वर्षों में अकेले मद्रास राज्य में 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि चिकित्सा से काम की प्रतिपूर्ति में ली गई है;

(ग) केन्द्रीय सरकार के 12 सर्वोच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनका इस धोखे वाजी में हाथ है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) अन्य राज्यों में राज्य-वार इस प्रकार की जालसाजी का पता लगाने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)

(क) से (घ) तक : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 1183/68**]

पश्चिम बंगाल में अस्पतालों में भोजन की सप्लाई

***1651. श्री रवि राय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल 1968 के हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में रोगियों को दिये जाने वाले भोजन का गुण प्रकार तथा मानक बहुत गिर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस स्थिति को ठीक करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगर विकास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क), (ख) और (ग) इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है। सरकारी अस्पतालों में आहार निर्धारित-मान के अनुसार दिया जा रहा है । कीमतें बढ़ने के कारण कुछ देर से कुछ अस्पतालों में इस विषय में कठिनाई अनुभव की जा रही है तथा आहार की दर बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के कर्मचारियों के लिये नयी दिल्ली में कर्जन रोड पर स्थित होटल में भोजन व्यवस्था का ठेका

***1655. श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों के नाम क्या हैं, जिन्हे कर्जन रोड के संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के कर्मचारियों के होस्टल में भोजन व्यवस्था का ठेका दिया गया था और ठेके की शर्तें क्या थीं;

(ख) क्या ठेका देने से पहले कोई टेंडर मांगे गये थे ;

(ग) ठेकेदार को कुल कितनी धन राशि दी गई है तथा/अथवा कितनी राशि देनी शेष है; और

(घ) विभिन्न भोजनों, स्नकों और अन्य सेवाओं के लिये ठेकेदार के लिये क्या क्या दरें तय की गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) (क) भोजन व्यवस्था का ठेका मैसर्स वोल्गा केटररर्स, नई दिल्ली को दिया गया था । भोजन व्यवस्था की मुख्य शर्तें थीं कि वे प्रातः कालीन चाय (बैड-टी) प्रातः कालीन स्वल्प आहार (ब्रेकफास्ट), कमरे में ही आकर सेवा करना (रूम सर्विसेज) बिस्तर (बेड लिनेन), कम्बल,साबुन, तौलिया आदि तथा भोजन के कमरे (डाइनिंग हाल) तथा लाउंज में वेटरों की सप्लाई करेंगे ।

ठेके की यह भी शर्त थी कि उनसे गीजर तथा पैन्ट्री की मेजों का किराया लिया जायेगा किन्तु उन्हें भोजन का कमरा तथा उसके साथ का स्थान निःशुल्क दिया जायेगा परन्तु बिजली तथा पानी का वे भुगतान करेंगे ।

(ख) जी हां ।

(ग) (उपर्युक्त मद (क) के) भोजन की व्यवस्था के ठेकेदार के लिये तथा ठेके में दी गयी अन्य सेवाओं के लिये भोजन की व्यवस्था करने वाले को 16.95 रुपये एक व्यक्ति तथा 33 50 रुपये दो व्यक्ति प्रतिदिन की दर से दिया जायेगा।

हिसाब-किताब किया जा रहा है।

(घ) प्रातःकालीन चाय तथा प्रातःकालीन स्वल्प आहार के अतिरिक्त विभिन्न भोजनों की दर निम्नांकित थी :-

(i)	दोपहर का भोजन (लंच)	11 रुपये
(ii)	दोपहर के बाद की चाय	2.50 रुपये
(iii)	रात का भोजन (डिनर)	12.50 रुपये

पैट्रो-रसायन उद्योग समूह, बम्बई

*1656. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पेट्रो-रसायन समूह, जो वर्ष 1966 में चालू होने वाला था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप भारी मात्रा मे कई वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसे पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उसमें पूरा उत्पादन कब से होने लगेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) बम्बई में पैट्रो रसायन समूहों के चारों पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के मुख्य सन्यन्त्र चालू हो गये हैं। यह आशा है कि ये साल के अन्त तक पूरा उत्पादन करने लगेंगे और समान मात्रा में आयात अनावश्यक हो जायगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल का उत्पादन तथा खपत

*1658. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम औरर सायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में तेल का उत्पादन कितना है और उसकी कुल खपत कितनी है;

(ख) तेल-उत्पादन के मामले में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) भारत इस संबंध में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) 1967 के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में कच्चे तेल का उत्पादन क्रमशः 2.78 और 2.88 मिलियन मीटरी टन था। 1967 के दौरान कच्चे तेल की कुल खपत 14.45 मिलियन मीटरी टन थी।

(ख) खोजे गये तेल क्षेत्रों जिनका अभी तक व्यापारिक समुपयोजन नहीं हुआ है, को अधिक कच्चा तेल तैयार करने के लिये यथासंभव जल्दी विकसित किया जा रहा है और तेल के अतिरिक्त साधन मालूम करने के लिये नये क्षेत्रों का अन्वेषण किया जा रहा है।

(ग) तेल अन्वेषण के स्वरूप को देखते हुए इस विषय में कोई पूर्वानुमान व्यवहारिक नही है।

जहाज खरीदने के लिये विदेशों से ऋण

*1659. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाज खरीदने के लिये ऋण प्राप्ति के संबंध में पश्चिम जर्मनी तथा ब्रिटेन के साथ बात-चीत की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) जांच पड़ताल करने की दृष्टि से इन सरकारों के साथ बातचीत की गयी है, लेकिन अब तक किसी तरह की तफसीली बातें तय नहीं हो पायी हैं ।

Petroleum and Chemical Industries

*1660. **Shri K.M. Madhukar :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) The position of India in the Petroleum and Chemical Industry amongst Burma, Pakistan, Ceylon, U.K. and France :

(b) whether Government are facing certain difficulties in implementing the suggestions given by the Soviet experts regarding oil exploration in the country; and

(c) if not, the reasons for not increasing the investment of State capital in the Petroleum Industry ?

The Minister of Petroleum and Chemicals & of Social Welfare (Shri Asoka Mehta) (a) India ranks above all the five countries mentioned in so far as the production of Crude Oil is concerned. It, however, ranks after U.K. and France in Chemical Industries as well as in the output of refined Petroleum Products and their consumption.

(b) No, Sir.

(c) The Government is providing requisite funds to the Oil & Natural Gas Commission for carrying out the oil exploration and production work and is also providing necessary investments for the expansion of public sector refining and marketing activities.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

*1661. **श्री कामेश्वर सिंह** :

श्री श्रीधरन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पश्चिम खण्ड में फूलेम प्रूफ उपकरणों तथा बिजली की लाइनों का प्रयोग नहीं किया जाता ;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल के महीनों में कोई दुर्घटना हुई है;

(ग) यदि हां, तो पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) फूलेम प्रूफ इलैक्टरिक मोटरों का प्रयोग नहीं किया जाता, किन्तु इससे कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Industrial Undertakings under the Deptt. of Social Welfare

*1662. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state ;

(a) the names of industrial undertakings State-wise which are functioning under the control of his Ministry and the amount invested in each;

(b) the names of industrial undertakings proposed to be set up in each State during the Fourth Plan period and the estimated outlay in respect of each of them;

(c) whether Government propose to set up any industrial undertakings in Uttar Pradesh with a view to remove unemployment in the State and to bring at par with other States the backward economy of Uttar Pradesh; and

(d) if so, the details in regard thereto ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) The Department of Social Welfare does not control any industrial undertaking.

(b) The Fourth Five Year Plan is still to be formulated.

(c) and (d) The Government of Uttar Pradesh in the Harijan and Social Welfare Department are setting up five Industrial Estates, one each at Badaun, Ballia, Ghazipur, Gonda and Rai-Bareli. The purpose of these Industrial Estates is to provide special avenues to Harijans for improving their economic condition.

Cost of Soda Ash

*1663. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of soda ash, manufactured in India, is the highest in the world;

(b) whether it is also a fact that the cost of even that soda ash which is manufactured by Japan by importing salt from India is low, as compared to India; and

(c) if so, the reasons for which the cost of soda ash manufactured in India is so high and the action being taken by Government to reduce the cost of its production as also its sale price :

The Minister of Petroleum, Chemicals and of Social Welfare (Shri Asoka Mehta) (a) and (b) Cost of production of soda ash in other countries is not readily available. In the absence of reliable information on the cost of production in Japan, it is not possible to make a comparison with our own costs of production. Generally speaking, however, it may be stated that cost of production of soda ash in India is higher than in other important manufacturing countries.

(c) The high cost in India is mainly due to the small size of the units, the higher costs of raw materials, the higher cost of plant and machinery and the higher cost of electrical energy, etc.

Some of the measures under consideration for reducing the cost of production are expansion of the existing units to economic sizes, and the adoption of the latest process known as modified solvay process.

Co-operation of Social Organisations to emancipate the Society from Social ills

*1664. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have sought the co-operation of social organisations like Arya Samaj and others to emancipate the society from social ills like casteism, provincialism and untouchability, which are engaged in rooting out these ills for the last about hundred years;

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) how best their services can be used ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) to (c) : It has been the policy of Government to encourage social work by voluntary organisations of a secular character. Within the limitations of the Department budget, Government would be willing to consider specific proposals from secular and non-political organisations who wish to work for social reform.

Aid India Consortium Meeting

***1665. Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have been asked to submit the details of the family planning and agricultural programmes of India for consideration at the next meeting of the Aid India Consortium scheduled to be held in the second half of May, 1968; and

(b) if so, whether Government propose to submit those details ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) While considering the requirement of economic aid to India, the consortium reviews the Indian economic situation, in its various aspects, and takes into account developments in different fields of economic development, such as agricultural and industrial production, exports, family planning etc. For this purpose, appropriate information is furnished to the consortium.

नोट जारी करने में प्रत्याभूति स्वरूप सोना जमा रखने की प्रणाली

***1666. श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नोट जारी करने में प्रत्याभूति स्वरूप सोना जमा रखने की प्रणाली को समाप्त करने का भारत का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि से अब तक इस प्रणाली के द्वारा आर्थिक स्थिरता बनाये रखने मे कहां तक सहायता मिली है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक है कि सोने की कुछ न्यूनतम मात्रा निगम विभाग की परिसम्पत्ति के रूप में रखी जाय। अभी इस प्रणाली में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) मुद्रा सम्बन्धी स्थिरता विधि-सम्मत प्रारक्षितनिधियों के रूप और उनकी मात्रा पर नहीं, बल्कि अर्थ-व्यवस्था में कुल मिला कर मांग और पूर्ति के बीच होने वाले सन्तुलन पर निर्भर रहती है।

उर्वरक निगम का सिंदरी कारखाना

1667. **श्री अब्राहम :** **श्री प० गोपालन :**

श्री पी० राममूर्ति : **श्री उमानाथ :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के सिंदरी कारखाने में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1964 से चार्जमैनों को द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि बिहार सरकार के श्रम विभाग ने भारतीय उर्वरक निगम के महाप्रबंधक को सूचित किया था कि चार्जमैन द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लाभ के उसी दिन से हकदार हैं, जिस दिन से इन सिफारिशों को सिंदरी कारखाने में क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो चार्जमैनों को बकाया राशि न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) बकाया राशि का भुगतान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें सिंदरी कारखाने के कर्मचारियों पर स्वत: लागू नहीं होती हैं। किन्तु इन सिफारिशों की समानता पर सिंदरी कारखाने के अश्रमिकों के वेतन मानों का पहली अप्रैल, 1964 से पुनरीक्षण किया गया था।

(ख) चार्जमैनों को जिनका वेतन मान (स्केल) रुपये 320-15-470 है, बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पंचाट के अन्तर्गत श्रमिकों की श्रेणी में माना गया था और उनके वेतन-मानों का पुनरीक्षण उपर्युक्त (क) के अन्तर्गत नहीं लाया गया था। किन्तु उनकी विशेष प्रार्थना पर उनको बाद में बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एवार्ड से अध्ययन की अनुमति दी गई थी, ताकि वे द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की सामानता पर पुनरीक्षण का लाभ कर सकें। यह पहली मार्च, 1967 से लागू हुई।

(ग) जी हां। बिहार सरकार के परामर्श पर ही चार्जमैनों को बिहार इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एवार्ड से आध्ययन की अनुमति दी गई थी और 1-3-1967 से द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों की समानता पर उनके वेतन मानों का पुनरीक्षण किया गया था।

(घ) और (ङ) क्योंकि वेतन-मानों का पुनरीक्षण 1-3-1967 से किया गया था, बकाया धनराशि की अदायगी का प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम का कार्य

1668. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के प्राप्त हुए कारोबार की तुलना में पूरे किये गये नये कारोबार का अनुपात हाल के वर्षों में लगातार कम होता गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1965-66 की तुलना में 1967-68 में पूरे किये गये नए कारोबार की वृद्धि दर बहुत कम थी;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रवृति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) पूरे किये गये कारोबार का अनुपात 1965-66 में 95.4 से कम होकर 1966-67 में 94.4 तथा 1967-68 में 93.6 हो गया। यह गिरावट महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती।

(ख) तथा (ग) : पूरे किये गये नये कारोबार के 1964-65 तथा बाद के वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं:—

वर्ष	रकम, करोड़ रुपयों में
1964-65	701.08
1965-66	797.79
1966-67	770.27
1967-68	844.37

1966-67 को छोड़कर, 1964-65 से लगाकर बाद के प्रत्येक वर्ष में नये कारोबार में वृद्धि हुई है।

(घ) निगम अधिक से अधिक कारोबार प्राप्त करने के सभी संभव उपाय कर रहा है।

सफदरजंग क्षेत्र, नई दिल्ली में बने बनाये मकानों की बिक्री

1669. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सफदरजंग तथा अन्य क्षेत्रों में बने बनाये मकान नकद भुगतान पर बेचे जायेंगे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मकान मध्यम तथा अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को बेचे जायेंगे;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे निर्णय से मध्यम तथा अल्प आय वर्ग की जनता को मकान देने का उद्देश्य कहाँ तक पूरा हो सकेगा; और

(घ) किराया-खरीद आधार पर मध्यम तथा अल्प आय वर्ग की जनता को ये मकान न बेचने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) (ख) और (ग) : इस विषय पर सरकार ध्यान दिये हुए है और शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर लिया जाएगा।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

सोने का मूल्य

*1670. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हट्टी सोना खाना ने घोषणा की है कि औद्योगिक प्रयोग के लिये परमिट वालों को सप्लाई किये जाने वाले सोने का मूल्य प्रति 10 ग्राम बिक्रीकर मिला कर 158 रुपये होगा;

(ख) यदि हां, क्या यह मूल्य सरकार द्वारा पहले निर्धारित किये गये मूल्य से अधिक है; और यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह रियायत केवल 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक ही दी जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो केवल उपरोक्त अवधि के लिए ही यह रियायत दी जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) अप्रैल-जून, 1968 तिमाही के लिये हट्टी सोने का मूल्य 158 रुपया प्रति 10 ग्राम है जिसमें बिक्री-कर शामिल नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । अप्रैल-जून 1968 की तिमाही के लिये हट्टी सोने का मूल्य वही है जो पिछली दो तिमाहियों के लिये अर्थात अक्तूबर-दिसम्बर, 1967 और जनवरी-मार्च 1968 के लिये निर्धारित किया गया था ।

(ग) और (घ) हट्टी सोने का मूल्य प्रत्येक तिमाही के लिये उसकी पूर्ववर्ती तिमाही के दौरान चल रहे बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाता है । मूल्य निर्धारित करने की नीति में वैसे कोई रियायत देने का विचार नहीं है ।

यूनिवर्सल प्रेस सर्विस, मद्रास

1671. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एम० पी० राधाकृष्णन मद्रास के मल्टीविंग यूनिवर्सल प्रेस सर्विस और यूनिवर्सल एडार्टस प्रैस के एकमात्र मालिक हैं;

(ख) क्या इन फर्मों ने पश्चिम जर्मनी से 10 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है;

(ग) क्या इन फर्मों ने नई दिल्ली स्थित दो विदेशी दूतावासों से काफी भारतीय मुद्रा अर्जित की है;

(घ) क्या उनकी विदेशी आय का एक हिस्सा हंबर्ग बैंक के एक खाते में जमा है; और

(ङ) पिछले दस वर्षों में इन फर्मों तथा उनके मालिक की कुछ कितनी आय पर कर निर्धारण किया गया था और उनसे वस्तुत: कितनी राशि वसूल की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है, और यथासम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में नर्सिग स्टाफ को महंगाई भत्ता

*1672. **श्री नम्बियार :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों के जूनियर ग्रेड के नर्सिंग स्टाफ को पूरा मंहगाई भत्ता मिल रहा है जबकि सीनियर ग्रेड की नर्सिंग सिस्टरों को दो तिहाई मंहगाई भत्ता मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) : नर्सिंग सिस्टरों को 45 रुपये प्रतिमास भोजन भत्ता मिल रहा है जबकि स्टाफ नर्सों को भोजन भत्ता 30 रुपये प्रतिमास की दर से दिया जाता है। नर्सिंग सिस्टरों की अपेक्षा स्टाफ नर्सों का वेतन मान भी कम है। इसी कारण स्टाफ नर्सों को पूरा मंहगाई भत्ता दिया जाता है जबकि नर्सिंग सिस्टरों को इस दर का दो तिहाई मंहगाई भत्ता दिया जाता है।

जीवन बीमा निगम की व्यपगत पालिसियां

*1673. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की जाने वाली बहुत सी नई पालिसिया पालिसी-धारियों द्वारा प्रीमियम का भुगतान न किये जाने के कारण व्यपगत हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी-मार्च 1967 तथा जनवरी मार्च 1967 में कुल कितनी पालिसियां जारी की गई पहली बार कितना प्रीमियम दिया गया और एजेंटों को कुल कितना कमीशन दिया गया;

(ग) गत वर्ष प्रीमियम का भुगतान न किये जाने के कारण जनवरी-मार्च 1967 में जारी की गई कितनी नई पालिसियां व्यपगत हुईं;

(घ) ऐसे कारोबार को बन्द करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) 1966-67 तथा 1967-68 में इसके कारण जीवन बीमा निगम को कुल कितनी हानि हुई ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा नमूने के तौर पर किये गये अध्ययन के अनुसार, जिन महीनों में बीमे का सबसे ज्यादा काम होता है उन महीनों (दिसम्बर तथा मार्च) से सम्बन्धित पालिसियों के स्खलित होने का प्रतिशत अनुपात अन्य महीनों की अपेक्षा थोड़ा सा ही ज्यादा है।

(ख) जनवरी-मार्च 1967 में 5,33757 तथा जनवरी-मार्च, 1968 में 4,85,095 पालि-

सियां जारी की गयीं। इन पालिसियों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रीमियम तथा दिये गये कमीशन की रकमों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) पालिसियों के स्खलित होने के मामलों में कमी करने के लिये जीवन बीमा निगम द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(i) पालिसी लेने वाला जब तक पिछले तीन वर्षों में स्खलित हुई अपनी पालिसियों को फिर से जारी नहीं कराता, तब तक उसे कोई नई पालिसी जारी नहीं की जाती।

(ii) स्खलित पालिसियों को फिर से जारी कराने के लिये प्रीमियम की बाकी रही रकम को किस्तों में अदा करने की विशेष सुविधायें दी गयी हैं।

(ङ) सर्वांगीण दृष्टि से यदि देखें तो, (पालिसियों के) स्खलन से निगम को कोई हानि नहीं होती।

यूरोपीय कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें

*1674. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पाउन्ड के अवमूल्यन के फलस्वरूप यूरोपीय कर्मचारियों को नियुक्ति की शर्तों में संशोधन करने के लिये सरकार ने कोई हिदायतें जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी हिदायतें जारी करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन शर्तों में संशोधन करने के लिये कुल कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जब भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था तब प्रेषण-सम्बन्धी कुछ विशेष सुविधायें दी गयी थीं। सिद्धांत यह था कि विदेशी मुद्राओं के रूप में घरों को भेजी जाने वाली रकमों का बचाव हो जाय ताकि परिवारों आदि को कोई कठिनाई न होने पाये। पौण्ड स्टर्लिंग तथा दूसरी मुद्राओं के अवमूल्यन के बाद, रुपये के रूप में बराबर की रकमों तथा प्रेषण-सम्बन्धी सुविधाओं में, इसी सिद्धान्त के अनुसार कमी करना वांछनीय था।

(ग) यह एक प्रतिबंधात्मक उपाय है जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा की देनदारी को उसी स्तर पर कायम रखना है। इन मूल्यों की मात्रा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

Family Planning Programmes

*1676. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the population of Hindus, Muslims and Christians respectively, after the introduction of the family planning programes;

(b) the details of this percentage before the introduction of these programmes;

(c) whether it is a fact that after the introduction of these programmes, the percentage of increase in Hindu population has been less as compared to before their introduction, whereas it has increased in the case of Christians and Muslims; and

(d) if so, whether Government propose to introduce compulsory family Planning for all castes, communities and classes in the country and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandra Sekhar) : (a) The required information is not available.

(b) Though the family planning programme was introduced in 1951, an intensified programme was started in 1963. A statement containing the population of Hindus, Muslims and Christians during 1951 and 1961, according to census reports is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-1197/68]**

(c) and (d) Do not arise in view of the reply given to part (a).

उर्वरकों की उत्पादन लागत

9581. श्री बाबू राव पटेल : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के कारखानों में कारखाना द्वार पर विभिन्न प्रकाश के उर्वरकों की प्रति टन औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के उर्वरक कितने रुपये प्रति टन औसत मूल्य पर दिये जाते हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र में गत तीन वर्षों में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का वार्षिक उत्पादन कितने टन का था तथा उसका मूल्य कितना था; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के लाभ को कार्य बढ़ाने के लिये प्रयोग में लाया जाता है अथवा राजस्व में जमा कर दिया जाता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Metro Exports (P) Ltd., Bombay

9582. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sanctioned to Metro Exports (P) Ltd., Bombay during the last eight years;

(b) the amount of Income-tax assessed and realised from this firm, respectively during the last six years; and

(c) the amount of Income-tax due at present and the action taken to realise the same ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) (a) to (c) ; The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona

9583. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange granted to Kirloskar Oil Engines Limited, Poona during the last five years; and

(b) the amount of Income-tax assessed and realised from this firm by Government during the year 1966-67 ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

(b) During the year 1966-67, assessment for the assessment year 1962-63 was made resulting in a demand of Rs. 51,206/-. Besides, advance tax demand of Rs. 49,00,420 was raised for the assessment year 1967-68. The amount of income-tax realised during the year 1966-67 was Rs. 51,206 towards regular assessment for 1962-63, Rs. 49,00,439 towards advance tax for 1967-68. The assessee also made a voluntary payment of Rs. 2,19,773 towards Super Tax.

पूर्वी भारत में सिंचाई परियोजनाओं सम्बन्धी जानकारी के आदान प्रदान के बारे में भारत-पाकिस्तान बैठक

9584. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी भारत में सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जानकारी का आदान प्रदान करने के लिये अप्रैल, 1968 के अन्तिम सप्ताह में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बैठक में किन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और क्या निर्णय किया गया;

(ख) क्या फरक्का बांध के प्रश्न पर भी चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : पूर्वी नदियों पर परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरे का पहले पाकिस्तान और भारत में तबादला हो चुका है। इनके सम्बन्ध में और जानकारी तथा ब्यौरों की अदला बदली के लिये भारत और पाकिस्तान के विशेषज्ञों की बैठक अभी नहीं हुई है। यह बैठक 13 मई, 1968 को नई दिल्ली में होनी अनुसूचित है।

मध्य प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता

9585. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में योजनावार मध्य प्रदेश को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई तथा इसमें से राज्य द्वारा कितनी राशि को प्रयोग में नहीं लाया गया;

(ख) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी राशि मंजूर की;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने अधिक सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

उप प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मध्य प्रदेश को पहली

तीन पंचवर्षीय आयोजनाओं में क्रमश: 61 करोड़ रुपये 96 करोड़ रुपये और 213 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी। इन सारी रकमों का पूरा पूरा उपयोग किया गया था।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1184/68]**

(ग) और (घ) 1967-68 में राज्य-सरकार ने 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी थी। 1968-69 के लिये राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता के लिये कोई विशेष मांग नहीं की गयी है।

मन्त्रालयों द्वारा स्थापित आयोग तथा नियंत्रण बोर्ड

9586. श्री बाबू राव पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा स्थापित नये आयोगों तथा नियंत्रण बोर्डों के नाम क्या हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक पर कितना धन खर्च किया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में किस आधार पर धन खर्चने की मंजूरी दी गई ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

आयकर अधिकारियों के प्रशिक्षण कालेज का नागपुर से हैदराबाद स्थानान्तरण

9587. श्री देवराव पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों के प्रशिक्षण कालेज को जो पिछले दस वर्ष से नागपुर में चल रहा है वहां से हटा कर हैदराबाद ले जाया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रशिक्षण कालेज को नागपुर से हैदराबाद हटाने का निर्णय किया गया था परन्तु अभी तक उस पर अमल नहीं किया जा सका।

(ख) उपर्युक्त निर्णय के निम्नलिखित कारण हैं:—

(i) जलवायु की दृष्टि से हैदराबाद अधिक उपयुक्त स्थान है।

(ii) प्रशासनिक कर्मचारी कालेज हैदराबाद में स्थित है, इसलिये आय-कर के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कर्मचारी कालेज में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा दिये गये व्याख्यानों में उपस्थित होने का लाभ रहेगा।

(iii) व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिये नागपुर के मुकाबले हैदराबाद में अधिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Jhuggi Jhonpari

9588. Shri Ramavtar Shastri : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the total number of citizens of Delhi proposed to be settled outside Delhi city under the jhuggi jhonpari scheme;

(b) the total number of persons settled outside Delhi city so far;

(c) the estimated amount to be spent till the completion of the entire scheme;

(d) the amount spent so far on the implementation of this scheme;

(e) whether the news item published in certain newspapers recently is correct that some of the jhuggi owners have sold the plots allotted to them by the Delhi Administration and have again set up jhuggis; and

(f) if so, the number of such persons and the steps Government propose to take to check it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) About one lakh families. The eligible amongst them i.e. those who had squatted on Government and public lands prior to the 31st July 1960, are to be taken to regular colonies planned for them in Delhi and the ineligibles (post-July 1960 squatters) are to be taken to areas on the periphery of Delhi.

(b) Nearly half the number mentioned above have been shifted to regular colonies as well as camping sites as per the provisions of the J & J Removal Scheme.

(c) The Jhuggis and Jhopris Removal Scheme drawn up in 1962, was estimated to cost about Rs. 10.00 crores to provide alternative accommodation to about 50,000 families, who squatted on Government and public lands prior to the 31st July 1960.

(d) Rs. 733.35 lakhs.

(e) and (f): 540 plots of 80 square yards allotted on lease hold basis under the Scheme which was formulated in 1960, are suspected to have changed hands and passed into the hands of ineligible persons in contravention of the terms of the leases.

To discourage **benami** sales and trafficking in the plots, the Scheme was revised in November 1962 to provide for allotment of alternative accommodation to eligible squatters on rental basis only and **not** on ownership basis. Persons who re-squat on Government land after their removal, are dealt with under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act. Under this Act, re-squatting is an offence punishable with imprisonment upto one year or fine upto Rs. 1,000 or both. A proposal is also under consideration to make fresh squatting a cognizable offence.

Conference of Town Planners of India

9589. Shri Ramavtar Shastri: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether an annual Conference of Town Planners of India was held on the 10th April, 1968;

(b) if so, whether any recommendations have been made in regard to the development of the Indian cities;

(c) if so, the details thereof;

(d) the steps Government propose to take to implement them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy): (a) The Institute of Town Planners, New Delhi, a private professional body, held the annual meeting of its members from 10th to 12th April, 1968.

(b) and (c): The annual meeting of the Institute discussed the topic of Economic Recession and Physical Planning and has stressed the importance of allocating greater resources to Physical Planning and Housing, to counteract economic Recession and to guide urban and regional development in the country on rational lines.

(d) The recommendations have just been received and are being examined.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

9590. श्री अ० श्री कस्तूरे : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रिक के बाद की कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों के छात्रों को दी जाने वाली भारत सरकार की छात्रवृत्तियाँ की दरें, 1951 में निर्धारित की गई थीं ;

(ख) क्या ये दरें अभी तक बदली नहीं गई हैं ; और

(ग) क्या सभी वस्तुओं के मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार की छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ाने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण तथा राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) वर्तमान दरें। 1954-55 से लागू हैं।

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 1879 जिसका उत्तर 8 जून, 1967 को दिया गया और जिसमें इस स्थिति को साफ रूप से बताया गया है, की ओर ध्यान आमन्त्रित किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि

9591. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि की वर्तमान दरें कब निश्चित की गई थीं।

(ख) इस बीच उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुये रुपये का वास्तविक मूल्य कितना कम हो गया है ;

(ग) क्या रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुये सरकार ने विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की दरों को बढ़ाने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो पुनरीक्षित दरें क्या होंगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (मोरारजी देसाई) : (क) 1-7-1959 से।

(ख) लगभग 41. 67

(ग) और (घ) : जी नहीं। कारण निम्नलिखित हैं:—

(I) वर्तमान वेतन-मान और वृद्धियों की दरें अभी 1-7-1959 को ही निर्धारित की गयी हैं और इनके संशोधन के लिये तब तक प्रतीक्षा रहेगी जब तक अगला वेतन आयोग नियुक्त नहीं होता और इनकी ब्यौरेवार जांच नहीं करता।

(II जीवन निर्वाह व्यय में वृद्धि की प्रति पूर्ति केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में समय समय पर उचित समायोजन करके की जाती है; और

(III) फिलहाल सभी स्तरों पर वेतन-मानों में परिवर्तन करने पर रोक लगी हुई है जो प्रशासनिक व्यय में किफायत के एक साधन के रूप में लगायी गयी है।

मद्रास में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

9592. श्री किरूत्तिनन : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर 1967 को मद्रास राज्य में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे थे :

(ख) क्या इन केन्द्रों के लिये इमारतों की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने कोई राशि नियत की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 257 ।

(ख) और (ग) अप्रैल, 1958 से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अधिकतम 67,500 (60,000 भवनों के लिये तथा 7,500 उपस्करणों के लिये) तक का अनावर्ती अनुदान अथवा वास्तविक हुये अनावर्ती खर्च का 75 प्रतिशत, इनमें जो भी कम हो, देकर सहायता करती आ रही है ।

मद्रास सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों के निर्माण के लिये ठीक ठीक कितना धन मंजूर किया अथवा कितने धन का उययोग किया इसके बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है क्योंकि 1967-68 तक चल रहे नियम के अनुसार राज्य सरकारों को सहायता योजनावार न देकर सभी स्वास्थ्य योजनाओं के एक वर्ग के लिये एक मुश्त सहायता दी जाती थी ।

मैडिकल कालिज

9593. श्री किरूतिनन : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1967 के अन्त तक राज्यवार देश में कितने मैडिकल कालेज चल रहे हैं;

(ख) 1967 में (राज्यवार) डिग्री पाठ्यक्रम के लिये कितने विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र दिये तथा कितने विद्यार्थियों को दाखिला मिला; और

(ग) क्या सरकार ने कोई कदम उठाये हैं कि उन सभी विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाये जो मैडिकल पाठ्यक्रम पढ़ने के इच्छुक हों ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) चिकित्सा कालिजों की एक सूची संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1185/68]**

(ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है । वैसे, 1967 में चिकित्सा कालिजों में उपलब्ध सीटों की कुल संख्या 11160 थी ।

(ग) चिकित्सा कालिजों में प्रवेश उनकी प्रवेश-क्षमता के अनुरूप सम्बन्धित संख्या तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार दिया जाता है । इसलिये आवेदन करने वाले सब विद्यार्थियों को प्रवेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

यह बता दिया जाए कि 1950-51 से, जबकि मेडिकल कालिजों में केवल 2500 सीटें उपलब्ध थीं, अब उनकी प्रवेश क्षमता बहुत बढ़ गई है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये मद्रास सरकार को सहायता

9594. **श्री किरूत्तिनन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिये मामिजागा आरासू (मद्रास सरकार) को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई ।

(ख) कितनी धनराशि का इस्तेमाल किया गया ;

(ग) इन कार्यक्रमों की क्रियान्विति में राज्य द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है; और

(घ) वर्ष 1968-69 में तामिलनाड (मद्रास राज्य) की कितनी धनराशि देने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) 194.21 लाख रुपये (इसमें 1966-67 के 50 लाख रुपये के बकाया वेतन भी शामिल है)

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1186/68]**

(घ) राज्यों के नियतनों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जा रहा है । मद्रास राज्य से सम्बंधित सूचना सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

नई दिल्ली में किलोकरी (श्री निवासपुरी) में भूमि का अर्जन

9595. **श्री ईश्वर रेड्डी** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किलोकरी (श्री निवास पुरी) दिल्ली के खसरा संख्या 136 के भूखण्डों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने अर्जित किया है ;

(ख) क्या उन्हें वैकल्पिक भूखण्ड अथवा मुआवजा दिया गया है ;

(ग) क्या खसरा संख्या 136 किलोकरी (श्री निवास पुरी में) हुए किसी अनधिकृत निर्माण को नियमित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) खसरा संख्या 136 में 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि है जिसमें से एक बीघा 10 बिस्वा पहले ही अधिगृहीत की जा चुकी है । खसरा संख्या 136 का बचा हुआ क्षेत्र भी धारा 6 के अधीन अधिसूचित कर दिया गया है परन्तु कलक्टर ने अभी तक अपना निर्णय नहीं दिया है ।

(ख) एक बीघा 10 बिस्वा क्षेत्र के मुआवजे की रकम भुगतान के लिये अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में जमा करवा दी गई है । यह रकम प्राप्तकर्ताओं को उनके दावे की पुष्टि हो जाने पर दी जायेगी । जब तक अदालत दावेदारों के हकों की पुष्टि नहीं करती तब तक वैकल्पिक प्लाटों का आवंटन भी संभव नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Allotment of Government Quarters to Private Individuals and Organisations.

9596. Shri Hardayal Devgun : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of type III, IV and V Government quarters category-wise allotted to private individuals or organisations;

(b) whether market rent is being charged from all of them, and if so, since when; and

(c) the policy of Government in regard to allotment of Government accommodation to private bodies ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) to (c): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

बन्ध्यीकरण

9597. श्री रणजीत सिंह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्ध्यीकरण आप्रेशन के पश्चात भी किसी स्त्री के पुनः गर्भवती होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन परिस्थियों में हो सकता है; और

(ग) गत तीन वर्षों में सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाये गये हैं ;

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : बन्ध्यीकरण आप्रेशन के पश्चात् किसी स्त्री के पुनः गर्भवती होने की कोई सम्भावना नहीं है बशर्ते उसका आपरेशन उचित ढंग से किया गया हो ।

(ग) अब तक 7,00,000 से भी अधिक किये गये बन्ध्यीकरण आपरेशनों में से केवल एक गर्भधारण का मामला सरकार के ध्यान में लाया गया है ।

मद्रास सरकार को वित्तीय सहायता

9598. श्री किरूत्तिनन क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थामियहोगा अरासु (मद्रास सरकार) ने ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये केन्द्र से 4 करोड़ रुपये की राशि की प्रार्थना को दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) वर्ष 1968-69 में इस कार्य के लिये सरकार का कितनी राशि नियत करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : 1967-68 के लिये मद्रास राज्य को ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिये 6 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में आवंटित की गई थी । राज्य सरकार ने 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त

राशि के लिये प्रार्थना की थी । धन की कमी के कारण यह अतिरिक्त राशि आवंटित करनी सम्भव न हो सकी । ग्राम विद्युतीकरण के लिये मद्रास सरकार ने अतिरिक्त सहायता की अपनी प्रार्थना को फिर दुहराया । इस प्रार्थना को भी उसी कारण से न माना जा सका । वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण, कुछ अन्य राज्य सरकारों की अतिरिक्त आवंटन की प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया गया । 1968-69 के लिये ग्राम विद्युतीकरण के निमित्त राज्यवार केन्द्रीय सहायता के आवंटन के बारे में राज्य योजनाओं के लिये समस्त केन्द्रीय सहायता की मात्रा के तय हो जाने के बाद फैसला किया जायगा ।

बारी से बिना सरकारी क्वाटरों का आवंटन

9599. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15-16 वर्षों से अधिक सेवा काल वाले अनेक सरकारी कर्मचारियों को अभी तक कोई सरकारी क्वाटर नहीं दिये गये हैं जबकि उसे 5 वर्ष तक की थोड़ी नौकरी करने वाले अनेक सरकारी कर्मचारियों को बारी से बिना क्वाटर आवंटित किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन सरकारी कर्मचारियों के जिनके नाम 15 वर्ष से अधिक सेवा काल के बाद भी प्रतीक्षा सूची में हैं हितों की रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) सामान्य पूल के निवास स्थानों का आवंटन सरकारी निवास स्थानों (दिल्ली में सामान्य पूल) के आवंटन नियमावली, 1963 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार किया जाता है । स्वास्थ्य के आधार पर बगैर पारी का आवंटन भी उपर्युक्त नियमावली में दिये गये उप-बन्धों के अनुसार किया जाता है। 1967 के दौरान तथा 15 अप्रैल, 1968 तक कुल रिक्त हुए स्थानों का 12 प्रतिशत बगैर पारी के आधार पर आवंटन किया गया है जो कि बारी के आधार पर आवंटन की तुलना में अधिक नहीं है ।

(ख) सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध स्थानों का आवंटन प्राथमिकता की तारीखों के आधार पर विभिन्न टाइपों के लिये अनुरक्षित प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाता है । कठिन अर्थिक स्थिति के कारण सामान्य पूल में बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं आरम्भ किया जा सकता ।

टाईप एक के क्वाटरों में रहने वाले कर्मचारियों को टाइप दो के क्वाटरों का अलाटमेंट

9600. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी जो टाइप दो के सरकारी क्वाटरों के अधिकारी हैं टाइप एक के क्वाटरों में रह रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये सरकारी कर्मचारी वस्तुतः टाइप दो के क्वाटरों का किराया दे रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तीसरी श्रेणी के इन सरकारी कर्मचारियों को आउट आफ टन आधार पर टाइप दो के क्वाटरों का अलाटमेंट करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : टाईप II रिहायशी वास के पात्र कुछ सरकारी कर्मचारी टाईप I वास में निरन्तर रह रहे हैं। केवल उन मामलों में आवंटन नियमों के उपबन्धों के अनुसार टाईप II वास का किराया लिया जा रहा है जिनमें कि उन्हें टाईप II का वास उनकी प्राथमिकता की तारीख के कारण आवंटित कर दिया गया तथा वे टाईप II में नहीं गये ।

(ग) आवंटन नियमावली में दिये गये उपबन्धों के अनुसार, व्यक्तिगत कर्मचारी की प्राथमिकता तारीख को ध्यान में रखते हुए, उसकी बारी पर अधिकृत श्रेणी दी जाती है। यदि ऐसे कर्मचारियों के मामले में रियायती बर्ताव (प्रिफरेनशियल ट्रीटमेंट) किया गया तो इसी प्रकार का अनुरोध उन श्रेणियों के कर्मचारियों से भी प्राप्त होगा जो कि नीचे के टाईप के वास में रह रहे हैं यद्यपि वे अपनी परिलब्धियों के कारण उच्चतर टाईप के अधिकारी हैं ।

Excise Duty on Tobacco in Rajasthan

9601. Shri Meetha Lal Meena: Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that Excise duty on tobacco in Rajasthan is different from that in other States;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the rates of excise duty in the various States; and

(d) whether Government have under consideration any scheme to make them uniform and if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The rates of excise duty on unmanufactured tobacco which are uniform throughout the country are given in the annexure. **[Placed in Library. See No, LT-1187/68**

(d) Does not arise.

फिल्मों से सम्बंधित लोगों से करों का बकाया राशि

9602. श्री जुगल मण्डल : क्या वित्त मंत्री 11 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3520 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या फिल्मों से संबंधित लोगों द्वारा देय करों की बकाया राशि के बारे में इस बीच जानकारी इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो फिल्मों से संबंधित उन लोगों के नाम और पते क्या हैं जिनसे करों की राशि बकाया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 3520 में जिस अतारांकित प्रश्न संख्या 700 का उल्लेख किया गया है उसमें बताये गये 12 निर्धारितियों में से निम्नलिखित 7 के मामलों में 16-11-1967 को कर की रकमें वसूल होनी बाकी थीं।

(1) श्री दिलीप कुमार उर्फ युसुफ खां, बम्बई।
(2) फिल्मालय, बम्बई के श्री शशधर मुखर्जी।
(3) श्री सुबोध मुखर्जी, बम्बई।
(4) श्री जय मुकर्जी, बम्बई।
(5) फिल्म युग, बम्बई के श्री जे० ओम प्रकाश।
(6) निर्माता श्री वी० शान्ताराम, बम्बई।
(7) श्रीमती सुल्ताना कारदार, बम्बई।

श्री दिलीप कुमार और जे० ओम प्रकाश की बाकी रही रकमें अब वसूल हो चुकी हैं। निर्माता श्री वी० शान्ताराम के मामले में बाकी रही माँग इस लिए बाकी है कि उसका समायोजन राज कमल कला मन्दिर के मामले में होने वाली कर की वापसी की रकम से होगा :

(ग) सवाल नहीं उठता।

आयकर

9603. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुप्ता मैनुफैक्चरिंग वर्क्स बम्बई (2) मद्रास स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मद्रास (3) हिन्दुस्तान कन्स्ट्रकशन कम्पनी लिमिटेड बम्बई (4) हीरा मिल्स उज्जैन (5) आयरन एंड स्टील चौबिया बम्बई (6) नेशनल ईको रेडियो एंड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड (7) एग्फा इण्डिया लिमिटेड (8) हमदर्द वक्फ लेबोरेट्रीज़, दिल्ली (9) विनोद मिल्स उज्जैन (10) एंड्रू यूल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता (11) बैंक आफ इण्डिया, बम्बई (12) श्री गोविंद हरि सिधानियां, कानपुर (13) कोडक लिमिटेड, बम्बई (14) इंटर्नेशनल कम्बशन कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (15) मिल्सविशी हैवी इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, नई दिल्ली और (16) दन्ट्रैको इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली की ओर आयकर की कितनी कितनी राशि बकाया है; और

(ख) क्या इन फर्मों द्वारा कर के अपवंचन का कोई मामला पकड़ा गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) क्रमसंख्या (ii), (iv), (viii) तथा (x) पर उल्लिखित मामलों के सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध है जो नीचे दिये अनुसार है:—

क्रम संख्या	नाम	31 मार्च 1968 को आयकर की बकाया रकम (रुपये)
(ii)	मद्रास स्टेट हैंडलूम वीवरज़ कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मद्रास	कुछ नहीं
(iv)	हीरा मिल्स उज्जैन	31,399 रुपये
(viii)	हमदर्द वक्फ लैबोरेटरीज, दिल्ली	कुछ नहीं
(x)	एण्ड्रयू बूल एण्ड कम्पनी, कलकत्ता	कुछ नहीं

अन्य संस्थाओं के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) क्रम संख्या (ii), ( ), (viii), (x) तथा (xv) के मामलों में कोई कर की कोई चोरी नहीं पाई गयी । अन्य मामलों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

अमरीकी सहायता

9604. श्री अदिचन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अप्रैल, 1968 के "इकानमिक टाइम्स" में अमरीकाज़ टाइटनिंग क्रैडिट स्क्वीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुए समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो 1968-69 में अमरीका से भारत को मिलने वाली सहायता पर इससे कितना पभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सहायता देने वाले देशों की घरेलू आर्थिक स्थिति, उन कई बातों में से एक बात है, जिनके आधार पर, उनके द्वारा दी जाने वाली सहायता की मात्रा और उसका रूप निर्धारित किया जाता है । इस परिस्थिति में यह बताना सम्भव नहीं है कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकास शील देशों को या खास तौर पर भारत को दी जाने वाली सहायता पर "अमरीकी ऋणों में की जाने वाली कमी" का कितना प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

1968-69 के लिये केरल को केन्द्रीय सहायता

9605. श्री अदिचन : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य की 1968-69 की योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ख) उस राज्य के लिये कितनी सहायता मंजूर की गई है तथा सहायता की राशि में कितनी कमी की गई है; और

(ग) उस राज्य द्वारा मांगी गई सहायता में कमी किये जाने के फलस्वरूप किन योजनाओं पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने अपनी 1968-69 की वार्षिक आयोजना के लिये केन्द्रीय सहायता से किसी निश्चित रकम की मांग नहीं की । केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकार के लिये 1968-69 के लिये 30.40 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के फोरमैनों के लिये समयोपरि भत्ता

9606. श्री न० रा० देवघरे : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित भारत सरकार के मुद्रणालय के फोरमैनों ने गत तीन वर्षों में केवल दो घण्टे समयोपरि काम करके प्रतिदिन 4 से 6 घण्टे का समयोपरि भत्ता लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी कि उस अवधि में उनके द्वारा लिया गया समयोपरि भत्ता निमयानुकूल था अथवा नहीं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत में क्विनडीन सल्फेट तैयार किया जाना

9707. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्विनडीन सल्फेट जो कई प्रकार के हृदय रोग के रोगियों के लिये जीवनदायी औषधि है और जिसका निर्माण लगभग पिछले दो वर्षों पहले तक मैसर्स बुरोज़ वैलकम द्वारा भारत में किया जा रहा था, अब भारत में तैयार नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन औषधि को तैयार करने में काम आने वाले मुख्य पदार्थ भारत में उपलब्ध हैं और उनका निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो देश में इस औषधि का निर्माण बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि आयातित औषधि की 25 गोलियों की कीमत लगभग 14 रुपये हैं जबकि देश में तैयार की जाने वाली औषधि की 100 गोलियों की कीमत केवल 12 रुपये थी; और

(घ) यदि हां, तो इस औषधि का निर्माण पुन: देश में आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) मैसर्स बरोज वैलकम एण्ड कम्पनी ने भारत में 'क्विनिडीन सल्फेट' की मूल औषधि का अभी तक निर्माण नहीं किया है। फर्म द्वारा इसका निर्माण बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता। वैसे, मैसर्स वरोज वैलकम कम्पनी स्थूल क्विनिडीन सल्फेट से उसकी टिकियायें बनाती आ रही है।

(ख) क्विनिडीन सल्फेट औषधि का निर्माण जो "क्विनिडीन सल्फेट टिकिया" का प्रमुख अंश है, देश में (1) पश्चिम बंगाल के सिनकोना डिपार्टमेंट द्वारा अपनी मूंगपू स्थित फैक्टरी में, (2) मैसर्स मेहता फार्मेस्यूटिकल, अमृतसर और (3) कैमिकल इण्डस्ट्रियल एण्ड फार्मेस्यूटिकल लेबोरेटरीज, बम्बई द्वारा किया जा रहा है। मद्रास और पश्चिम बंगाल की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे क्विनिडीन सल्फेट को निर्यात के लिये घरेलू खपत की पूर्ति के बाद ही दें।

(ग) इस समय क्विनिडीन सल्फेट की टिकियाओं का व्यापारिक आधार पर आयात नहीं करने दिया जाता । मैसर्स वरौज वैलकम एण्ड कम्पनी द्वारा बाजार में बेची जाने वाली देश में निर्मित "क्विनिडीन सल्फेट की 200 मि० ग्राम की टिकियाओं का थोक और खुदरा मूल्य 100 टिकियाओं वाले प्रति पैकेट क्रमशः 32.99 रुपये और 37.94 रुपये है ।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता ।

Blind Training and Rehabilitation Centre Committee

9608. Shri Jamna Lall : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Blind Training and Rehabilitation Centre Committee has approached the Government to provide jobs to the blinds, trained and untrained, to enable them to earn their living;

(b) whether it is also a fact that they have demanded the facility of free travel in trains and buses;

(c) if so, the number of blind trainees under the Central Government in Delhi and other places: and

(d) the number of the blinds provided employment during the last five years ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) The Department of Social Welfare is not aware of this Committee.

(b) Does not arise.

(c) The Department of Social Welfare administers the Training Centre for the Adult Blind, Dehra Dun. There were 165 trainees in this Centre on 1st April, 1968.

(d) Approximately 460 blind persons were placed in employment by the 9 Special Employment Exchanges for the Physically Handicapped during the past five years.

सिंचित भूमि

9609 .श्री सीताराम केसरी : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को कुल कितनी भूमि सिंचाई की जाती थी; और

(ख) 1970-71 तक कितनी अधिक भूमि पर सिंचाई की जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 9 करोड़ एकड़ ।

(ख) परिकल्पित घन की उपलब्धता पर लगभग 10.3 करोड़ एकड़ ।

आयकर की वापसी के मामले

9610. श्री टी० पी० शाह :

श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को आय कर की राशि की वापसी के कितने मामले अनिर्णित पड़े थे और करदाताओं को कितनी राशि वापस की जानी थी ;

(ख) क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है कि लोगों को आयकर की राशि वापस करने में विलम्ब होता है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार आय कर की वापस की जाने वाली राशि पर कोई ब्याज नहीं देती है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पिछले दो वर्षों में इस राशि पर कितना ब्याज दिया गया ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । सूचना मांगी गयी है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) जी, हां । शिकायतों की जांच की गयी है तथा जहां आवश्यक पाया गया उपयुक्त कार्यवाही की गयी है सरकार कर की वापसी शीघ्रता से करने से सम्बन्धित सामान्य समस्या पर विचार कर रही है । मामले पर निरन्तर विचार किया जा रहा है तथा कर की वापसी की मंजूरी देने में होनेवाली देरी को दूर करने के लिये समय समय पर उपाय किये जा रहे हैं ।

(ग) जी, नहीं । जिन मामलों में कानून के अधीन ब्याज देय होता है, उन मामलों में वह अदा किया जाता है ।

(घ) 1967-68 में विलम्ब से की गयी कर की वापसियों पर सरकार द्वारा दिये गये व्याज की रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । पिछले दो वर्षों में अदा की गई रकमें इस प्रकार हैं :—

1965—66	पन्द्रह हजार रुपये
1966—67	आठ हजार रुपये

कोयना भूकम्प विशेषज्ञ समिति

9611. श्री रविराय : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुए इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि दिसम्बर, 1967 में कोयना में आये भूकम्प के बारे में जांच कर रही विशेषज्ञों की समिति ने कहा है कि यह भूचाल विवर्तनिक (टैक्टोनिक) कारणों से आया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति में जिसने अपनी जांच पूरी कर ली है, कुछ जापानी विशेषज्ञ भी थे ;

(ग) क्या उस समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या अनुसरणात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट में विशेषज्ञों की समिति ने यह विचार प्रकट किया है कि कोयना क्षेत्र में भूकम्प का कारण विवर्तनिक है ।

(ख) टोकियो की औद्योगिक विज्ञान संस्था के दो जापानी विशेषज्ञ, नामशः प्रो० एस० ओकामाटो और प्रो० सी० तमूरा कोयना भूकम्प से सम्बन्धित विशेषज्ञों की समिति के साथ लगाये गये थे ;

(ग) और (घ) : समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है। किन्तु, समिति ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जोकि इसके संकलित होने के समय उपलब्ध आँकड़ों पर आधारित है और इसमें यह कहा गया है कि इस सम्बन्ध में और जांच तथा सर्वेक्षण किए जाएं। इस प्रारम्भिक रिपोर्ट में और जांच के सम्बन्ध में जो मुख्य सुझाव दिये गये हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(1) पश्चिमी भारत के कुछ भागों की हवाई फोटोग्राफी और तलरेखीय तथा भू-पृष्ठीय अध्ययनों के लिये प्रथम श्रेणी का बार बार त्रिभुजीय तथा लेवल सर्वेक्षण किया जाए ।

(2) लावा के प्रवाह के भू-विज्ञान सम्बन्धी नक्शे बनाये जाएं और पश्चिमी तट के साथ साथ के गर्म चश्मों की शृंखला के ताप और प्रवाह का आवधिक अध्ययन किया जाये।

(3) भूकम्प विषयक वक्रीभाव के अध्ययन को जारी रखा जाए और ये अध्ययन पश्चिमी तट से लेकर दक्कन क्षेत्र के पूर्वी किनारे तक की भूमि के सम्बन्ध में भी किये जायें।

(4) जापान में किये जा रहे अध्ययनों के आधार पर भू-चुम्बकीय अध्ययन किये जाएं ।

(5) भूत काल में आये भूकम्पों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक आंकड़े एकत्रित किये जाएं।

(6) ज्वार की परिमाणी मात्रा का निरीक्षण किया जाए।

(7) अतिरिक्त झुकाव-मीटर और अत्यधिक शक्तिशाली भूकम्प-लेखी सयंत्र लगाए जाएं ।

(8) जापान में टोकियो की औद्योगिक विज्ञानशाला में प्रारूप अध्ययन किये जाएं ।

(9) पूना में स्थित केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र द्वारा स्थल पर किये जा रहे अभियान्त्रिक अध्ययन को जारी रखा जाए और तेज कर दिया जाए।

(10) समिति ने यह भी सिफारिश की है कि ग्रौटिंग और ऐंकरिंग के कार्य में जो कुशल इंजीनियर हैं, उनसे बांध की मरम्मतों के बारे में सलाह ली जाए। इस उद्देश्य के लिये यूनेस्कों के जरिये विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं।

प्रारम्भिक रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर अनुवर्ती कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। इस उद्देश्य के लिये सम्बन्धित मंत्रालयों और विभागों, नामशः ज्योलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया, दि सर्वे आफ इण्डिया, दि इण्डियन मेटियोरोलाजिकल डिपार्टमेंट और दि आयल एण्ड नैचुरल गैस कमीशन से प्रार्थना की गई है कि वे विशेषज्ञों की समिति द्वारा बताये गये आधारों पर और सर्वे तथा अनुसंधान करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

इस बीच निम्नलिखित अनुसंधान कार्य या तो पूरे कर दिये गये हैं या फिर पूर्ण होने को हैं :—

(1) समिति द्वारा बताये गये क्षेत्रों की हवाई फोटोग्राफी भारतीय वायु सेना द्वारा की जा चुकी है और सम्बद्ध अधिकारियों को फोटोग्राफी के प्रिंट जाँच के लिये दे दिये गये हैं।

(2) कोयना बाँध पर प्रारूप अध्ययन औद्योगिक विज्ञान संस्था टोकियो, जापान में, तथा भूकम्प इन्जीनियरी स्कूल, रुड़की में किए गये हैं। इन अध्ययनों के शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(3) केन्द्रीय जल तथा बिजली गवेषणा केन्द्र द्वारा किये जाने वाले इंजीनियरी अध्ययन लगभग पूर्ण किये चा चुके हैं ।

(4) बाँध को मजबूत करने से सम्बन्धित समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए ग्राऊटिंग और एंकरिंग के तीन विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं यूनेस्को के तत्वावधान में प्राप्त की गई थीं ।

अन्तिम रिपोर्ट के प्राप्त होने और इस पर सरकार द्वारा विचार करने के बाद अगली अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी ।

पश्चिम बंगाल के गांवों में बिजली लगाना

9612. श्री रवि राय : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार का ओर दिलाया गया है कि गांवों में बिजली लगाने के बारे में पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों से पीछे है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गांवों में बिजली लगाने के सम्बन्ध में राज्यों में से पश्चिम बंगाल का 12 वां स्थान है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) जैसा कि 10-4-1968 के कलकत्ता के हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में छपा है यह सच है कि ग्रामों की प्रतिशतता में बिजली लगाने में सब राज्यों में पश्चिम बंगाल का स्थान 12 वां है । पश्चिम बंगाल में ग्राम विद्युतीकरण की मन्द गति का मुख्य कारण यह है कि संसाधनों की कमी तथा औद्योगिक तथा शहरी भारों को पूरा करने की आवश्यकता के कारण राज्य बिजली बोर्ड तथा राज्य सरकार ग्राम विद्युतीकरण को प्राथमिकता नहीं दे सके । 13 मार्च 1968 को कलकत्ता में हुई बैठक, जिस में पूर्वी क्षेत्र के बिजली बोर्डों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकारों के विद्युत से सम्बन्धित सचिवों ने तथा दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने भाग लिया था, में उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की कार्य प्रगति को बढ़ाने पर जोर दिया गया था जिन में पम्पों को ऊर्जित करने पर बल दिया गया है । भारत सरकार ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति को बढ़ाने के लिये उपाय सुझाने के हेतु उन राज्यों के संसद् सदस्यों की एक समिति बनाने के बारे में विचार कर रही है, जिनमें ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति अखिल भारतीय औसत से कम है ।

चण्डीगढ़ में चिकित्सा कालेज

9613. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ में एक चिकित्सा कालेज आरम्भ करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) चण्डीगढ़ में एक मैडिकल कालिज खोलने का एक प्रस्ताव चण्डीगढ़ प्रशासन से प्राप्त हुआ है । यह विषय विचाराधीन है ।

छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क

9615. श्री प्रेमचन्द वर्मा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग संस्था महासंघ ने छोटे उद्योगों के उत्पादों पर उत्पादन शुल्क के अधिक भार के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं;

(ग) क्या इन मांगों पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो सरकार उन मांगों को कहां तक पूरा करने के लिये तैयार है; और

(घ) सरकार इस महासंघ की मांगों से क्यों सहमत नहीं होती है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्तमन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) उनकी मुख्य मांगें एक संकल्प के पैराग्राफ 2 (7), 4, 5 और 6 में दी गयी हैं जिनके उद्धरण संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1188/68]**

(ग) और (घ) इन मांगों की पहले किसी न किसी रूप में ध्यान पूर्वक जाँच कर ली गयी है परन्तु राजस्व की काफी हानि अथवा आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण अथवा मांगों के गुण-दोषों के आधार पर उनको न्यायोचित नहीं पाने के कारण उन्हें स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है ।

प्लास्टिक वस्तुओं का आयात

9616. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना अवधि में प्लास्टि की वस्तुओं के निर्माण का लक्ष्य 85,000 टन निर्धारित किया गया था, लाइसेंस-प्राप्त क्षमता लगभग 71,000 टन थी और वास्तविक उत्पादन केवल 27,000 टन था जिसके परिणामस्वरूप 83.30 लाख रुपये के प्लास्टिक के सामान का आयात करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इस उद्योग के लिये पर्याप्त धनराशि नियत करके इसका विकास करने के लिये व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां । यह अनुमान है कि 83.3 लाख रुपये के आंकड़े 1965-66 में मुख्य प्लास्टिकों के आयात से सम्बन्धित हैं ।

(ख) यह विचार था कि तीसरी योजना के दौरान, पेट्रो-रसायन श्रेणी का एथेलीन कच्चे माल के रूप में प्लास्टिकों के उत्पादन के लिये इस्तेमाल होने लगेगा। किन्तु पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना में अनेक कारणों से देरी हुई जिसके परिणाम स्वरूप प्लास्टिकों के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सका। चौथी योजना के दौरान प्लास्टिकों के विकास को बढ़ाना सम्भव है क्योंकि पेट्रो-रसायन श्रेणी का एथेलीन अब उपलब्ध हो गया है और इसके बढ़ती हुई मात्राओं में प्राप्त होने की आशा है। अप्रैल, 1969 से शुरू होने वाली चौथी योजना को तैयार करते समय इस उद्योग को धनराशि आदि नियत करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Accommodation to Shri Brij Kishan Chandiwala

9617. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of persons other than Government officials in Delhi who have been allotted Government accommodation;

(b) whether it is a fact that Shri Brij kishan Chandiwala, who is not in any way connected with the Government Service, has been allotted a Government bungalow;

(c) if so, the grounds on which he has been allotted the said bungalow and whether the rent of the said bungalow is charged at the market rate; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) 470 non-entitled persons have been allotted Government accommodation including hostel accommodation, servant quarters, garages etc. in Delhi.

(b) and (c) ; Shri Brij kishan Chandiwala has been allotted a bungalow as he was connected with the Samyukta Sadachar Samiti on payment of market rate of rent.

(d) Does not arise.

Pollution of Ganga Water at Monghyr

9618. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have received any communication from the Chairman, Monghyr Municipal Board, about the damage caused to water-works due to the pollution of the water of river Ganges and also because of the blaze therein;

(b) whether Central assistance has been sought;

(c) if so, the details thereof; and the reaction of Government thereto; and

(d) whether it is a fact that no assistance would be given until report is submitted by the Inquiry Commission in view of the emergency conditions in Monghyr ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) A request was initially made for Central assistance to meet the costs of cleaning the Monghyr Water Works and providing alternative Water Supply to the town in the interim period till the regular supply from the Water Works was restored. These were estimated at Rs. 1,86,600/-.

Subsequently, the Chairman, Monghyr Muncipal Board wrote seeking Central assistance for the following costs:—

(1)	For cleaning the existing water works system.	Rs. 1,50,000/-
(2)	For installing electric pumps in 12 wells in the town.	Rs. 1,00,000/-
(3)	For installing 200 hand pumps in the town.	Rs. 1,00,000/-

(4)	For converting the tank in front of Circuit House as raw water storage tank.	Rs. 1,00,000/-
(5)	Miscellaneous	Rs. 50,000/-
	Total	Rs. 5,00,000/-

(d) As regards meeting the cost of cleaning the water-works and providing interim water supply at Monghyr, the Indian Oil Corporation has already initiated necessary action. On the other claims, it is considered desirable to await the findings of the Commission of Inquiry recently appointed.

भारत में कृषियोग्य तथा सिंचित भूमि

9619. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने एकड़ जुती हुई और जोती जा सकने वाली भूमि की नहरों, बोरिंग्स और पम्पिग सेटों के माध्यम से सिंचाई की जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है, जिससे जुती हुई और जोती जा सकने वाली सारी भूमि की दस वर्षों में सिंचाई की जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके रास्ते में कौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग 9 करोड़ एकड़ ।

(ख) और (ग) : कृषि के लिये उपलब्ध समस्त क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता । बृहत्, मध्यम तथा लघु सिंचाई स्कीमों से कुल लगभग 20 करोड़ एकड़ भूमि की सिंचाई होने का अनुमान है । धन की उपलब्धता पर यह कार्य अगले 20-25 वर्षों में हो सकता है ।

भारत में बिजली की दरें

9620. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के विभिन्न भागों में बिजली की दरों में कितना कितना अन्तर है तथा विभिन्न क्षेत्रों के किस किस दर पर बिजली दी जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : राज्य बिजली बार्डों, संघीय प्रदेशों के बिजली विभागों, बम्बई, अहमदाबाद और कलकत्ता के लाइसेंसदारों तथा दामोदर घाटी निगम द्वारा सेवित (जो स्थिति 1-4-68 को थी) उपभोक्ताओं की विविध श्रेणियों के लिए बिजली शुल्क की औसत दरों का विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1189/68]**

बरौनी ताप बिजली घर

9621. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1968 को 'इण्डियन नेशन' में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि बरौनी ताप बिजली कि सप्लाई बहुत अनियमित हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस अनियमितता के कारण समस्त दरभंगा जिले में, विशेषकर जयनगर मधुबनी आदि में लघु उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी निरन्तर सप्लाई बनाये रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) हाल ही में उत्तरी बिहार के क्षेत्र में बिजली सम्भरण में कुछ बाधाएं आई हैं। ये बाधाएं बरौनी ताप विद्युत केन्द्र में स्थापित टर्बी जनित्रों के गवर्नर गियरों के कुछ खराब काम करने के कारण जनित्रों में आटोमेटिक ट्रिपिंग होने से आई थीं। राज्य बिजली बोर्ड ने उच्च स्तरीय तकनीकी वैज्ञानिकों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें संयंत्र तथा उपस्कर के सम्भरण-कर्ताओं के साथ विस्तार रूप से बातचीत की। उन्होंने नुक्स को दूर करने के लिये कार्यवाही करनी आरम्भ कर दी है। प्रतिस्थापन के लिये नये पुर्जे प्राप्त किए जा रहे हैं।

भारतीय उर्वरक निगम का मैथानोल का कारखाना

9622. श्री स० चं० सामन्त : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के मैथानौल कारखाने को उसमें उत्पादन कम होने के कारण, प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये से अधिक घाटा हो रहा है;

(ख) देश में मैथानोल की बढ़ी हुई माँग को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ग) ट्राम्बे स्थित कारखाने के मूल अमरीकी निर्माता को इस घाटे को पूरा करने के लिये न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह कहना ठीक नहीं है कि मैथानोल कारखाने में प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपये से अधिक घाटा हो रहा है। वर्ष 1966-67 में जब कारखाना केवल 6 मास चला था तो 32.32 लाख रुपये की हानि हुई थी और 1967-68 में 6.62 लाख रुपये की हानि हुई। 1968-69 में लाभ होने की आशा है।

(ख) ट्राम्बे में प्रतिदिन 60 टन का क्षमता प्राप्त हो चुकी है और निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सन्तुलन सुविधाओं पर विचार किया जा रहा है।

(ग) ठेके की शर्तों के अनुसार अमरीकन ठेकेदार की 5 प्रतिशत अदायगी रोक ली गई है।

मौहल्ला अमृतपुरी-बी, गढ़ी झरिया मारिया गांव को नागरिक सुविधाएं

9623. श्री स० चं० सामन्त : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार की स्वीकृत विकास योजना के अनुसार मौहल्ला अमृतपुरी-बी को गढ़ी झरिया मारिया गांव का भाग दिखाया गया है;

(ख) क्या इस मौहल्ले के प्रतिनिधियों ने आवश्यक दैनिक आवश्यकताओं अर्थात् पानी, बिजली, पक्की गलियों और उनमें रोशनी की और दिल्ली विकास प्राधिकार का ध्यान दिलाने के लिये बार बार प्रयत्न किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस गढ़ी गांव के नये बनाए गये मौहल्लों में सभी सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। गढ़ी झरिया मारिया गांव की एक मिश्रित विकास योजना बनाई गई थी तथा आयोजन की दृष्टि से अमृतपुरी 'ख' क्षेत्र को भी हालांकि यह इस ग्राम का भाग नहीं है एक अनधिकृत बस्ती मात्र है, इसमें सम्मिलित कर लिया गया था।

(ख) और (ग) जी हां। दिल्ली विकास प्राधिकार ने उन्हें नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था के लिये दिल्ली नगर निगम से सम्पर्क स्थापित करने के लिये कहा है।

(घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Rehabilitation of Residents of Gorakhpur Villages

9624. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of villages in District Gorakhpur, Uttar Pradesh the population and land of which have gone to other villages consequent to Rapti, Rohim, Gorra, Kauno and Ghagra rivers changing their original course; and

(b) the steps taken so far or proposed to be taken to rehabilitate the residents of those villages which has been affected by land erosin ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) and (b) : The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the House in the due course.

Construction of Roads in Gorakhpur, U.P.

9625. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start soon the work in regard to the construction of roads from Sikarganj to Bolghat, Urwa to Bolghat, Khajni to Gaur, Kauriram to Banagaon, Bansgaon to Urwa via Malhan, Kauriram to Gola; Kauriram to Gagha via Gajarpur; Barhalganj to Patnaghat; Madria to Aswanpar via Hata; Barhalganj to Somraghat and from Motiram terminus to Rudrapur or Gajpur and Chauripur to Rudrapur in Gorakhpur District of Uttar Pradesh; and

(b) if so, when the said work is likely to be start and the estimated cost thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) and (b) : The information will be furnished by the Minister of Transport and Shipping who is concerned.

Nagarjunasagar Dam

*9626. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the time by which the Nagarjunasagar Dam would be fully completed;

(b) whether it is a fact that per acre capital cost of irrigation on the said Dam would come to to Rs. 820 if so, the reasons therefor;

(c) whether it is also a fact that the target fixed for irrigating 20 lakh acres of land is for supplying small quantity of water for cultivation on traditional lines rather than for supplying considerable quantity of water for intensive cultivation; and

(d) if not, the per acre estimated quantity of water likely to be used for irrigating land ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : The Nagarjunasagar Dam is expected to be completed in all respects in 1969.

(b) : On the basis of the latest revised estimate, the cost per acre would be Rs. 840/- approximately. This is due to the long period of construction which results in increased project costs.

(c) and (d) : Water will be made available to meet the full requirements of the crops as per approved cropping pattern. On an average 2.95 acre ft. of water will be supplied per acre of irrigation.

Cost of Production of Petrol

9627. Shri Maharaj Singh Bharti : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per ton cost of production of petrol in Gujrat is less than in Barauni, in Gauhati it is lower than in Gujrat, that of caltex is lower than in Gauhati, that of Burmah Shell is lower than that of Caltex and the cost of production of Esso is the lowest;

(b) whether it is also a fact that the ratio between the maximum and minimum cost of production is 3 : 1 ;

(c) if so, whether Government have conducted an enquiry into the causes thereof; and

(d) if so, the measures being adopted by Government to improve the conditions in the public sector ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum & Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The cost of production per tonne in a refinery is calculated in the total for all the refined products and not separately for any one product like petrol. The facts mentioned in the question denote the position existing in 1965 regarding refining cost per tonne of all products refinery-wise.

(b) The ratio in 1966, as between the maximum and minimum refining cost/tonne, was 2.5 : 1.

(c) No, Sir.

(d) The coastal refineries, having come on stream much earlier than I.O.C.'s refineries, have been able to increase their production and reduce per tonne operating cost. I.O.C.'s refineries being new, have been operating at less than the designed throughout.

As the production increases the cost will come down. Besides, the figures of cost in the different cases, are not comparable as the processes involved in each refinery are different.

Fertilizer Factory, Korba

9628. Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the controversy on the question whether fertilizer factory in Korba should be based on coal or naphtha, it has ultimately been decided to abandon the proposal;

(b) whether it is also a fact that public funds to the tune of rupees one crore have already been spent for the purpose; and

(c) if so, the persons responsible therefor and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Although the proposal to set up a coal-based Fertilizer factory at Korba was dropped in 1965 as a result of a comparative evalution of coal and naphtha as feed stock and other relevant factors, another scheme recently prepared by The Fertilizer Corporation of India to put up a coal-based factory in Madhya Pradesh is, at present, under consideration.

(b) Yes, Sir.

(c) The question of ascertaining the persons responsible and taking action against them does not arise, as all the relevant decisions have been taken by the Government in the public interest after a full and careful examination.

Damodar Valley Dams

***9629. Shri Maharaj Singh Bharati .** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of hours in a year for which water is supplied to Power Houses from different dams in Damodar Valley and the percentage of the power generated annually to the total capacity of power generation;

(b) whether it is a fact that the capacity of the said dams to hold water is only 2.5 crore acre feet i.e, fifty per cent of the water of Damodar River, which is five crore acre feet and that the lower parts of that River were flooded this year;

(c) whether it is also a fact that the whole of the water from the said dams is not utilised for irrigation purposes and most of it is discharged in the river itself; and

(d) the amount by which the said dams of Damodar Valley Corporation canals and Power Houses at these dams are running in loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : Water is supplied to the Power Houses for about 2000 hours in a year.

The power generation during 1967-68 was of the order of 68 per cent of the capacity of the power stations,

(b) : The capacity of the dams is of the order of 2.5 million acre feet as against the average annual flow of 5 million acre feet in Damodar.

The maximum discharge in the river was one lakh cusecs as against the design discharge of 2,50,000 cusecs. In spite of that, some congestion appears to have occurred in the lower part of the river due to local rainfall.

(c) : Yes, Sir. The Damodar Scheme was conceived essentially as a flood control project and so the flood control aspect has to be given due importance.

(d) : The audited revenue accounts for the year 1966-67 exibit a deficit of about Rs. 96 lakhs under irrigation and of about Rs. 77 lakhs under flood control. The hydro-electric power-houses attached to the dams are a part of the integrated system for the supply of power in and around the Damodar Valley. In the audited revenue accounts for the year 1966-67, there was a surplus of Rs. 101 lakhs in respect of power.

Foreign Currency Unearthed in Bombay

9630. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 1496 on the 23rd November, 1967 and state :

(a) whether the investigations about the seizure of foreign currency in Bombay in July. 1967 have since been completed;

(b) if so the details thereof;

(c) if not, the reasons for the delay in completing the investigations and when they are likely to be completed; and

(d) the persons by whom the investigations are being conducted and since when ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance. (Shri Morarji Desai) (a) The investigations in regard to the seizure of Indian and foreign currency made in Bombay in July, 1967 have not yet been completed.

(b) Does not arise.

(c) and (d) investigations in this matter were initially started by the Enforcement Directorate. During the course of investigations it traspired that the case had much wider ramifications. The case has, therefore, been referred to the Central Bureau of Investigation. It is not possible to state precisely when the investigations will be completed.

भारत में सर्वाधिक कर देने वाले लोग

9631. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रतिवर्ष सबसे अधिक कर कौन देता है; और

(ख) देश के उन दस करदाताओं के नाम क्या हैं जो सबसे अधिक कर देते हैं और गत दो वर्षों में उन्होंने कितना कर दिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सबसे बाद की सूचना केवल 1966-67 के दौरान पूरे किये गये आयकर के निर्धारणों के बारे में ही उपलब्ध है। 1966-67 में निर्धारित की गई सबसे अधिक आय 15.21 करोड़ रुपये की थी जो आई० सी० आई० (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में वर्ष 1962-63 के लिए निर्धारित की गई थी।

(ख) 1966-67 के दौरान निर्धारित की गई आय के आधार पर सबसे अधिक कर देने वाले दस कर दाता इस प्रकार हैं : --

(1) आई० सी० आई० (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड.
(2) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड
(3) वर्मा शैल रिफाइनरीज (इण्डिया) लिमिटेड
(4) एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड
(5) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड
(6) कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि
(7) टेल्को लिमिटेड
(8) महाराष्ट्र राज्य सड़क यातायात निगम

(9) बर्मा आयल कम्पनी लि०

(10) ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यूफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड

1966-67 तथा 1967-68 के दौरान कर दाताओं द्वारा अदा किये गये करों के बारे में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह इकट्ठी की जा रही है तथा यथा संभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

एक्सपेरीमेंटल मैडिकल साइंसिस संस्था, बोन हुगली (कलकत्ता) द्वारा चलाये गये अस्पताल में नर्सों का प्रशिक्षण

9632. श्री गणेश घोष :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहायक नर्सिंग संवर्ग में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की लड़कियों के प्रशिक्षण के लिये बोन हुगली कलकत्ता में एक्सपेरिमेंटल मेडिकल साइंसिस की सोसायटी द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल को अब तक कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां, तो 1961 से 31 मार्च, 1968 तक कुल कितनी लड़कियों को दाखिला मिला और कितनी लड़कियों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया;

(ग) क्या सरकार ने अस्पताल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को मान्यता दे रखी है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अस्पताल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (डा० चन्द्र शेखर) : (क) केन्द्रीय सरकार ने संस्था को सहायक उपचर्या धात्री के प्रशिक्षण के लिये कोई अनुदान नहीं दिया है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Hindi in New Delhi Municipal Committee

9633. Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the New Delhi Municipal Committee has started conducting the work in Hindi in accordance with the Official Languages Act;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health faimly Planning and Urban Devlo -pment (Shri B.S. Murthy): (a) In the matter of conduct of its business the committee is governed by Rule 3 of General Rules of Procedure 1940. which reads as under :

> "The business of the Committee shall be transacted either in English or in Urdu or in Hindi and the proceedings (unless in the cases of any specified Committee, the Chief Commissioner otherwise directs) shall be recorded either in English or in Hindi or in Urdu.
>
> Provided that nothing in this rule shall prevent any Committee to use more than one of the languages specified above in the conduct of its business, recording of its proceedings or issue of notices. agenda and proceedings."

However, Rule 8 of the Business Bye-laws of the Committee reads as under :

"All business shall be conducted in English"

(b) Does not arise.

(c) It has been recently decided that the language policy of the New Delhi Municipal Committee should be more or less the policy as expressed in the Official Languages (Amendment) Act, 1967, and the question of amending the existing Bye-laws suitably is under consideration.

Delhi Master Plan

9634. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(b) whether Government's attention has been drawn to the dissatisfaction expressed about the Delhi Master Plan in the All-Party Meeting on this Plan held in Delhi under the Chairmanship of the former Works and Housing Minister on the 7th April. 1968; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy : (a) Yes.

(b) The matter is being examined.

कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में गन्दगी की स्थिति

9635. श्री म० ला० सोधी : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को काफी समय से कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली में व्याप्त गन्दगी की स्थिति के बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि वहां के क्वार्टरों में मरम्मत की आवश्यकता है विशेषकर बरामदों, छतों तथा द्वारों की मरम्मत की जरूरत है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस बस्ती की स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) क्षेत्र की सामान्य सफाई तथा स्वच्छता के लिये दिल्ली नगर निगम उत्तरदायी है । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केवल मकान के अन्दर की नालियों की सफाई से संबंधित है । सामान्य स्वच्छता कभी भी अभीष्ट नहीं हो सकेगी क्योंकि बस्ती में खुली नालियां हैं ।

(ख) जब कभी आवश्यकता होती है मरम्मत की जाती है। अभी हाल ही में अनेक मकानों के फर्श को 71,600 रुपये की कुल लागत से पुनः ठीक किया गया है। छतों और दरवाजों की भी मरम्मत की जा रही है।

(ग) भूमिगत नालियों (अन्डर ग्राउंड ड्रेन्स) की व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है।

चण्डीगढ़ में किराया-खरीद आधार पर मकान

9636. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों की ओर से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें किराया-खरीद आधार पर मकानों का आवटन करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चण्डीगढ़ के लिये समाज कल्याण योजनायें

9637. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिये चालू वर्ष में कौन-कौन सी समाज कल्याण योजनाएं आरम्भ की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : वार्षिक योजना 1968-69 के लिए चंडीगढ़ प्रशासन से समाज कल्याण कार्यक्रमों का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

Central Assistance for Projects in Madhya Pradesh

***9638. Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any memorandum has been received from the Madhya Pradesh Government stating that for want of adequate funds, important projects of the State particularly those which are essential for increasing the food production, are not being implemented; and

(b) the manner in which Government propose to provide funds to the Madhya Pradesh Government so that the implementation of important projects is not delayed ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) : No such Memorandum in respect of the Annual Plan of 1968-69 has been received from the Government of Madhya Pradesh.

(b) : Keeping in view the availability of resources at the Centre and on the basis of the principles followed in the distribution of Central assistance between different States which include consideration of the requirements of projects essential for food production, the maximum Central assistance which can be given to Madhya Pradesh has already been assured to the State. The question of the Centre financing the State Government in any other manner does not arise.

Per Capita Expenditure Incurred on Madhya Pradesh in Three Plans

*9639. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the **per capita** expenditure incurred for Madhya Pradesh during the last three Five Year Plan periods has been minimum as compared to that of other States and Union Territories;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken to remedy the situation ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) : The **per capita** Plan expenditure in Madhya Pradesh in the first three Five Year Plans has not been the lowest among the States and Union Territories.

(b) and (c) : Do not arise.

Insurance of Industries against Gheraos.

9641. Shri Sheopujan Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether Government have recently received any memorandum regarding insurance of industries against Gheraos; and

(b) If so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) (a) A suggestion was received from a banker that Government should establish a scheme of insurance to cover industrial undertakings against loss or damage caused by political strike, collective action of workers, riots and civil commotion, sabotage, malicious damage etc.

(b) Government did not consider it desirable that it should establish such a scheme.

Hostel Building for the School for Deaf and Dumbs, Ajmer

9643. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri T.P. Shah :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government have agreed to give some grant for the construction of a hostel building of the school for Deafs and Dumbs at Ajmer;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) when the amount of the grant is likely to be paid ?

The Minister of States in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) (a) and (b) A grant of Rs. 52,500 has been sanctioned to the Badhir Bal Vikas Samiti, Ajmer for the construction of a school and hostel building.

(c) A sum of Rs. 5,000/- has been released as the first instalment. Subsequent instalments will be released in the light of the progress in building in accordance with rules.

कम्पनियों के वितरित लाभ पर करों की समाप्ति

9644. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के करारोपण आयोग के अधिकारी श्री ई० बी० नाटक्लिफ द्वारा कम्पनियों के लाभ तथा लाभांश पर करारोपण संबंधी दस्तावेज में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अंशधारी को लाभांश पर वैयक्तिक आयकर देना पड़ता है, कम्पनियों वितरित लाभ पर कर समाप्त किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर के कराधान आयोग के रिपोर्टर श्री ई० बी० नाथक्लिफ द्वारा कम्पनी के लाभों तथा लाभाशों के कराधान पर तैयार किये गए प्रलेख में दी गई मुख्य बातों पर अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य चैम्बर की भारतीय राष्ट्रीय समिति द्वारा जारी की गयी एक प्रेस विज्ञप्ति सरकार के देखने में आयी है ।

(ख) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि कम्पनियों के वितरित लाभांशों पर कोई कर नहीं लगना चाहिये ।

Drinking water Facilities for backward Classes in Bihar

9645. Shri K. M. Madukar : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) Whether Government are aware that there are many Colonies of socially backward classess, harijan and landless farmers in Bihar where arrangement for drinking water has not so far been made even twenty years after the Independence ;

(b) If so, the annual central assistance provided for this purpose to Bihar during the last five years and the amount proposed to be given this year: and

(c) Whether adequate assistance has been provided to Bihar for this purpose and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) In the matter of provision of special facilities for house-sites and housing, this Deparment is concerned, among the three categories stated, only with the Scheduled Castes (Harijans). Water Supply is a State Subject. There is no Centrally Sponsored Scheme (Backward Classes Sector) for the purpose. There are many villages in the country which do not have a source of drinking water within a radious of one mile, particularly in the summer season.

(b) The following allocations were made under the State Plan scheme entitled. "Drinking Water Supply" :—

1963-64	Rs. 100,000
1964-65	Rs. 200,000
1965-66	Rs. 100,000
1966-67	Rs. 200,000
1967-68	Rs. 200,000
1968-69	Rs. 200,000

(c) Within the total financial limits fixed for welfare programmes, it is open to the State Government to decide priorities for various items such as Education, Housing, Water Supply etc. It is also open to the State Government to utilise provisions made under the National Drinking Water Supply and Sanitation Scheme of the Health Ministry, and for Community Development Blocks so as to benefit the Schedued Castes in adequate measure.

होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के शताब्दी समारोह के लिये केन्द्रीय सहायता

9646. श्री क० मि० मधुकर : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली की 213 वीं शताब्दी मनाई गई थी;

(ख) क्या होम्योपैथिक डाक्टरों ने शताब्दी समारोह के दौरान केन्द्रीय सरकार से कोई सहयोग तथा सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। 10 अप्रैल, 1968 को नई दिल्ली में होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली के प्रवर्तक डा० हनेमन की 213वीं जन्म शताब्दी मनाई गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में होम्योपैथिक डाक्टर

9647. श्री क० मि० मधुकर : क्या स्वास्थय, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पंजीकृत तथा गैर पंजीकृत होम्योपैथिक डाक्टरों की संख्या क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन्हें अब तक कोई सहायता दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

इण्डिया एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड

9648. श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री रमानी :**
श्री उमानाथ :
श्री प० गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के सभी यूरोपीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हाल में बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इण्डिया एक्सप्लोसिव्स में उन्हीं वर्गों के भारतीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्तों में भी वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

Submission of Audited Accounts by Political Parties.

9649. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to State :

(a) Whether it is a fact that the officer of Ward-H of Income-tax Department, Patna has asked the Bihar Pradesh Congress Committee, Bihar, Bhartiya Kranti Dal, Bhartiya Jan Sangh, Bihar, S. S. P., Bihar P. S. P., Bihar and the Bihar State Council of the Communist Party to submit their respective audited accounts through a letter written by him on the 27th March, 1968;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether such a practice existed previously also; and

(d) if not, the propriety of introducing such a practice now ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) Income from property and investments of political parties is chargeable to tax. The requisition made by the Income-tax Officer was for the purpose of ascertaining the income liable to tax.

(c) Yes, Sir

(d) Does not arise.

Pyrites and Chemicals Development Corporation

9650. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Pyrites and Chemicals Development Corporation is engaged in extracting sulphur at Amjhor in Shahabad district of Bihar;

(b) the total number of employees in the Sulphur Factory run by the said Corporation;

(c) the number of local employees out of them;

(d) the pay-scales of employees of this factory in comparison with the pay-scales of other mining workers; and

(e) the details in regard to other facilities being provided to the employees of this factory ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) No, Sir. The Pyrites & Chemicals Development Company Ltd. is at present engaged in the mining of pyrites ore at Amjhore for use in the manufacture of sulphuric acid.

(b) to (e) : Information relating to the mining project is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

Construction of Cheap Houses

9651. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government have received any application from some firm and industrialists during the last five years offering to construct cheap houses in Delhi ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) No.

(b) and (c) : Do not arise.

चितरंजन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता

9652. श्री ज्योतिर्मय वसु : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरन्जन कैंसर अस्पताल, कलकत्ता को अपने नियंत्रण में लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू०मूर्ति) (क) जी नहीं। वैसे चितरन्जन राष्ट्रीय कैंसरअनुसधान केन्द्र, कलकत्ता तथा चितरन्जन कैंसर अस्पताल कलकत्ता के बीच अच्छा ताल-मेल बिठाने के लिए एक साझा शासी निकाय बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस निकाय में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार तथा इसमें रुचि रखने वाली अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

New C. G. H. S. Dispensaries in old Delhi Areas.

9653. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2484 on the 30th November, 1967, and state :

(a) whether it is a fact that Government have since decided the location of three C. G. H. S. Dispensaries proposed to be opened in old Delhi; and

(b) if so, the details thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) Funds have been made available only for two new C. G. S. H. Dispensaries during 1968-69. It is proposed to open one Dispensary in Rajouri Garden and the other in Shakurbasti area.

Uplift of Adivasis and Backward People in Assam

9654. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a scheme has been prepared by the Arya Samaj Sarvdeshik Pratinidhi Sabha, for the uplift of Adivasis and backward people of Assam and border areas so that they may not be misled by foreign missionaries; and

(b) if so, whether Government propose to provide any grant to the Arya Samaj for the uplift of the said peoples ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) (a) and (b) : Government have not received any such scheme.

Grants for Voluntary Organisation Working for the Uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

9655. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) the names of the Voluntary Organisations working for the uplift of the people belonging to the Scheduled Castes and Seheduled Tribes?

(b) whether Government give any grants to the said Organisations;

(c) if so, the amount of the grants given in 1967-68; and

(d) if not, whether Government propose to give grants to the said organisation ?

The Minister of State in the department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) and (b) Records are maintained only in relation to those organisations which are in receipt of Government grants. A List of such organisations was furnished in the answer given to Unstarred Question No. 4531 on 14th December, 1967.

(c) Rs. 25.21 Lakhs.

(d) Does not arise.

नलकूपों के लिये बिजली देना

9656. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली योजना के आरम्भ से उड़ीसा में पम्पिग सेटों और नलकूपों के लिये बिजली दी गई है;

(ख) यदि हां, तो मार्च 1968 तक कितने नलकूपों और पम्पिग सेटों के लिये तथा किन किन जिलों में;

(ग) 1968 के लिए इस संबंध में उड़ीसा के लिये क्या कार्यक्रम है; और

(घ) क्या इन उपायों से राज्य में निरन्तर सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को लाभ हुआ है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) : राज्य सरकार से जानकारी मंगाई जा रही हैं और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में बाढ़ नियन्त्रण कार्य

9657. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 और 1968-69 में बाढ़ नियंत्रण कार्य करने के लिये उड़ीसा को कोई राशि नियत की गई है : और

(ख) यदि हां, तो 1967-68 में उड़ीसा में क्या बाढ़ नियंत्रण उपाय किये गये हैं और 1968-69 में क्या उपाय करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण कार्यों के कार्यान्वियन के लिए उड़ीसा सरकार 1967-68 के दौरान 45 लाख रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रुप में दी गई थी । राज्य सरकार ने 1968-69 के लिए 25 लाख रुपये के व्यय का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) 1967-68 के दौरान, निम्नलिखित कार्य हाथ में लिए गये थे :—

1. वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और मजबूत करना और आवश्यकतानुसार रिटायर्ड लाइनों का प्रबंध करना ।

2. नाजुक जगहों पर नये तट बन्धों का निर्माण ।
3. आरक्षित क्षेत्रों में जल निकास में सुधार । 1968-69 के दौरान इन उपायों को जारी रखने का विचार है ।

उड़ीसा में महानदी दरया

9658. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उड़ीसा में महानदी दरया के संबंध में भूपृष्ठ जल संशाधनों का अध्ययन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या अध्ययन किया गया था और उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) इस अध्ययन में ये कार्य परिकल्पित हैं; कुल तलवर्ती जल संसाधनों का निर्धारण और उनका मौसमी वितरण, नदी पहुचों में लाभों और क्षतियों का हिसाब लगाना, और भावी विकास के लिए उपलब्ध जल की अवशिष्ट मात्रा को निश्चित करना । यह अध्ययन लगभग पूर्ण हो गया है और परिणामों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

उड़ीसा में सिंचित भूमि

9659. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्रोतों से उड़ीसा में मार्च, 1968 तक कितनी कितनी भूमि में सिंचाई की गई है ; और

(ख) वर्ष 1968-69 में उड़ीसा में विभिन्न स्रोतों से स्रोतवार कितनी कितनी भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

		लाख एकड़ों में
(क) :	बृहत् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें	27.80
	लघु स्कीमें	25.95
	कुल	53.75
(ख) :	वृहत तथा मध्यम स्कीमें	1.00
	लघु तलवर्ती जल प्रवाह स्कीमें	0.10
	राज्य नलकूप तथा नदी पम्प स्कीमें	0.15
	निजी लघु सिंचाई कार्य (नलकूप पम्प आदि)	0.19
	कुल	1.44

नेराडी बांध (वंशधारा परियोजना)

9660 श्री मि० सू० मूर्ति : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निराडी बांध के निर्माण के लिये जो वंशधारा परियोजना का एक भाग है आन्ध्र प्रदेश सरकार को तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस परियोजना के निर्माण के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को कोई वितीय सहायता देने का विचार है और यदि हां, तो कितनी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस परियोजना पर अपने विचार अगस्त, 1967 में भेजे थे । इन विचारों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है । परियोजना के अन्तर्राज्यीय पहलुओं के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की सहमति की भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) वित्तीय सहायता का प्रश्न तभी उठेगा जब परियोजना के कार्यान्वियन की स्वीकृति मिल जाएगी ।

बचत आन्दोलन

9661. श्री बाबूराव पटेल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी व्यय में बचत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यह कटोती किन किन क्षेत्रों में और कितनी करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम, धातु तथा खनिज व्यापार निगम आदि जैसे निगमों के प्रशासनिक और यात्रा खर्चे में कमी करने के लिये कोई उपाय सोचे गये है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और किस प्रकार ?

उपप्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) व्यय में बचत सम्बन्धी उपाय मुख्यत: प्रशासनिक क्षेत्र में किये गये हैं । इस क्षेत्र में हाल के वर्षो में किये गये उपायों में से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं, वेतनमानों में संशोधन पर रोक, कुछ प्रकार के मामलों में प्रतिनियुक्ति भत्ते पर प्रतिबन्ध यात्रा भत्ते की दरों में कमी, साधारण नियम के अनुसार किये जाने वाले स्थानान्तरण को स्थगित करना, आकस्मिक व्यय की मदों के सम्बन्ध में खर्च में कमी करना तथा सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी निरीक्षण अध्ययन को बढ़ा देना आदि । किन्तु व्यय में की गयी ये बचतें अधिकांश में सरकारी कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देने से प्रति सन्तुलित हो गयी है ।

(ख) और (ग) : सरकारी क्षेत्र के उद्यम स्वायत्त निकाय होते हैं तथा अपना रोजमर्रा के काम के मामले में उन्हें सामान्यत: पूरे अधिकार प्राप्त हैं तथापि, सरकारी विभागों में व्यय में बचत करने के लिए सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश उदाहरणार्थ वेतन मानों के ऊर्ध्वगामी संशोधन से बचना तथा टेलीफोन-व्यय पर प्रतिबन्ध आदि को आवश्यक कार्य-वाही के लिये इन उद्यमों के नोटिस में ला दिया गया है ।

Electricity for Tubewels

9662. Shri T.P. Shah : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the electric lines were provided and connections given for tube-wells in village Jehra and Tiyarpur without signing any agreement or installing meters by the Hydro Electric Department, District Bulandshahr, Uttar Pradesh and that the said tube-wells worked for about an year without meters;

(b) whether it is also a fact that after one year, the consumers themselves complained to the Executive Engineer that they had not been supplied meters for one year, and

(c) if so, the action taken by Government against the officers responsible for this irregularity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) to (c) : It has been reported by the U.P. State Electricity Board that connection for a tubewell in village Jehra, District Bulandshahr, was given on 28th February, 1966 after installation of a meter but without completion of formalities in respect of deposit of security. estimate charges and execution of the agreement. After this was detected by an Executive Engineer in June, 1968, the necessary formalities were completed by the consumers on 6th July, 1966. The investigations have been completed in this case and action against the official concerned is under the consideration of the U.P. State Electricity Board.

सस्ते मकान

9664. श्री स० चं० सामन्त : क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मकानों की समस्या को हल करने के लिये सस्ते मकान बनाने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो उनका मोटा ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) इस मन्त्रालय के राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने निर्माण की लागत को कम करने के उद्देश्य से भवन निर्माण की कुछ नई तकनीकियां एवं डिजाइने निकाली हैं तथा भवन निर्माण सामग्री में भी सुधार किया है । उनके सुझावों को निर्माण एजेंसियो में परिचारित कर दिया गया है ।

भूटान और सिक्किम की सहायता

9665. श्री स० चं० सामन्त : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम और भूटान की सरकारों ने उस धन के अलावा जो उन्हें 1968-69 के लिए दिया गया था और धन मांगा है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा किन-किन परियोजनाओं में कटौती की गई है; और

(ग) भुटान से आने जाने वाली सेवाओं के संचालन के लिये कितनी राज सहायता दी जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) भूटान जाने या वहां से आने के लिये कोई विमान-सेवा नहीं है ।

इन्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड

9666 श्री कामेश्वर सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मस्युटिकल्स लिमिटेड अपने उपयोग के लिये विदेशों से कच्चे माल का आयात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कच्चे माल का कितना आयात किया जा रहा है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ! कुछ कच्चे माल, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं, आयात किये जाते हैं ।

(ख) 1967-68 के दौरान कम्पनी ने 2399 मीटरी टन कच्चा माल आयात किया ।

Gold Extracted in India

9667. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the quantity of gold extracted in India from 1960 to 1967 ; year-wise ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Fiance (Shri Morarji Desai) : Gold is produced in the country in the Kolar and Hutti Gold Mines. The quantity of gold produced in these mines from 1962-63 to 1967-68 was as under :—

Year	Quantity (In Tonnes)
1962-63	4.84
1963-64	4.34
1964-65	4.63
1965-66	3.86
1966-67	3.54
1967-68	3.27

The production figures of the Kolar Gold Mines for the year 1960-61 and 1961-62 are as follows :—

Year	Quantity (In Tonnes)
1960-61	4.35
1961-62	4.25

The figures in respect of Hutti Gold Mines (which is not managed by (Government of India) for these years are not readily available. They have been called for and will be laid on the Table of the House on receipt.

Public Undertakings

9668. Shri O. P. Tyagi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the lack of managerial skill is one of the major factors responsible for the failure of public undertakings ;

(b) if so, steps taken by Government to remove this deficiency ; and

(c) the likely number of trained managers needed for the public undertakings at present ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) There is admittedly a certain overall scarcity of managerial talent, and this is also one of the handicaps of Public Sector Undertakings. Various steps have been taken to draw upon the available managerial talent from all sources, including the private sector, for management of Public Enterprises.

(c) There should be trained managers at all levels, and the Public Enterprises are availing of managerial training facilities in the various institutions in the country. A survey of the training requirements of managers in selected Public Enterprises is also under-way.

दिल्ली में सीमा शुल्क कलेक्टरों का सम्मेलन

9669. श्री हेम बरुआ : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों के सीमा शुल्क कलेक्टरों का कुछ समय पहले दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी वस्तुओं विशेषकर सोने की बढ़ती हुई तस्करी के बारे में इस सम्मेलन में विचार किया गया था; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ता, अप्रैल, 1963 के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में एक सम्मेलन में मिले । सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी वस्तुओं के क्रय तथा सोने के तस्कर-आयात को रोकने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी । सम्मेलन मे यह निर्णय किया गया कि समुद्र की तथा समुद्र तटों की गश्त में वृद्धि की जानी चाहिये, पश्चिमी तट पर गुप्तचर्या कार्य का समन्वय किया जाना चाहिये, मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर अतिरिक्त नियंत्रण रखा जाना चाहिये, तथा निष्कर्ष रूप में तस्कर आयात को रोकने की वर्तमान व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाने के सभी संभव उपाय किये जाने चाहिये ।

विटामिन सी का मूल्य

9670. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से आयात किये गए विटामिन 'सी' का भारत में तटागत मूल्य क्या है;

(ख) बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मेर्क द्वारा तैयार किया गया विटामिन 'सी' देश में किस कीमत पर बिकता है,

(ग) क्या मैसर्स साराभाई मेर्क ने उनके द्वारा तैयार किए गये विटामिन 'सी' के विक्रय मूल्य में 10 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि करने की मांग की है और यदि हां, तो इस मांग के समर्थन में क्या औचित्य दिया गया है; और

(घ) क्या गुजरात के औषध नियंत्रक ने इस मूल्य-वृद्धि की सिफारिश की है और यदि हां, तो किन आधारों पर ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) (क) विभिन्न देशों से आयातित विटामिन सी का तटागत मूल्य 32 रुपये से 36 रुपये प्रति किलोग्राम है ।

(ख) साराभाई मेर्क विटामिन सी (पलेन) आर. पी./यू. एस. पी, को 73.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचते हैं ।

(ग) जी हां, ! बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मेर्क ने मुख्यत: कच्चे माल के मूल्यों और अन्य ऊपरी व्यय के बढ़ जाने के आधार पर बिटामिन सी के मूल्य को 73.50 रुपये से 83.16 रुपये प्रति किलोग्राम कर देने अर्थात 9.66 रुपये की वृद्धि के लिये प्रार्थना की है ।

(घ) गुजरात राज्य के औषध नियन्त्रण प्रशासन के निदेशक ने विटामिन सी के मूल्य में वृद्धि करने, जैसे उत्पादन लागत बढ़ जाने के आधार पर फर्म ने प्रार्थना की है, की सिफारिश की है।

नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद के मामलों की जांच

9671. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर के श्री श्रीराम दुर्गा प्रसाद के मांमलों की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच-निष्कर्ष क्या है और इम मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) रायबहादुर सेठ श्रीराम दुर्गाप्रसाद और राय बहादुर श्रीराम दुर्गाप्रसाद (प्राइवेट) लिमिटेड के मामलों में अब तक पूरी की गई जाँच-पड़ताल के कारण 1965 में 115 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये थे । लेकिन पार्टियों द्वारा मद्रास तथा बम्बई उच्च न्यायालयों में रिट दरख्वास्तें दायर करने के कारण न्यायनिर्णय की कार्यवाहियां रुकी पड़ी है । विभाग ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है । बम्बई उच्च न्यायालय में दायरे की गई रिट दरख्वास्तों का फैसला अभी होना है ।

मैसर्स साराभाई मैर्क लिमिटेड

9672. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़ौदा के मैसर्स साराभाई मेर्क द्वारा बेनजेन के आयात पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क न दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई शिकायतों की जांच की है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कम्पनी बी० पी० आयोडीन का आयात कर रही थी जिस पर 47 प्रतिशत सीमा शुल्क देना होता है परन्तु इसे कच्चा आयोडीन घोषित करके इस कम्पनी ने केवल 27 प्रतिशत सीमा शुल्क दिया;

(ग) इस कम्पनी ने ऐसे कपटपूर्ण तरीकों से सरकार से जो उत्पादन शुल्क बचाया है उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार ठगने के अपराध में इस कम्पनी तथा दल के निदेशकों के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां, परन्तु उसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई । बेनजेन स्थानीय तौर से खरीदा जाता था । विदेशों से आयात नहीं किया जाता था ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते ।

बड़ौदा की मैसर्स साराभाई मेर्क का विटामिन 'सी' प्लांट

9673. **श्री जार्ज फारनेंडीज** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री 18 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 668 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़ौदा की मैसर्स साराभाई मैर्क कम्पनी द्वारा अपने विटामिन सी और सोविटोल कारखाने में पूरा उत्पादन किया जाता है हालाँकि यह घोषणा की गई थी कि प्लांट बन्द था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ पिछड़े क्षेत्रों में परिवार नियोजन

9674. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछड़े क्षेत्रों में, विशेष रूपसे छोटा नागपुर और संथाल परगना में, लोग इस विचार की अपेक्षा कि परिवार नियोजन का अपने परिवार का आकार सीमित रखने के लिए प्रयोग में लाया जाय कि, अपनी गरीबी को दूर करने के हेतु कुछ रुपये प्राप्त करने के इरादे से अधिक अपना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में सिंचाई पर व्यय

9675. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य में छोटा नागपुर तथा संथाल परगना में सिंचाई कार्यों पर कुल कितना धन व्यय हुआ ;

(ख) सिंचाई योजनाओं के द्वारा इन क्षेत्रों में कुल कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार दोहरी फसलों के उद्देश्य से इन क्षेत्रों के लिये अधिक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) छोटा नागपुर और सन्थाल परगना को लाभ पहुचाने वाली बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर मार्च, 1967 के अन्त तक कुल लगभग 6 करोड़ रुपये व्यय हुए।

(ख) मार्च 1968 के अन्त तक इन योजनाओं से लगभग 1.2 लाख एकड़ क्षेत्र सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया था।

(ग) जी हां।

महालेखापाल, रांची का कार्यालय

9676. **श्री कार्तिक ओराओं** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ भारतीय ईसाइयों ने, जो आदिम जातियों के नहीं हैं, अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित कोटे के विरुद्ध महालेखापाल, राँची के कार्यालय में नौकरियाँ प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको कार्यालय के रजिस्टर में अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के रूप में दिखाया गया है;

(ग) इनमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो आदिवासियों से ईसाई बने हैं; और

(घ) ऐसे कर्मचारियों की संख्या क्या है जो आदिवासियों से भिन्न भारतीयों से ईसाई बने हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा उपलब्ध होते ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

सरकारी उपक्रम

9677. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : **श्री मुहम्मद इमाम** :
श्री रा० को० अर्मोन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम फालतू कर्मचारियों को अपने कारखानों में लगाने के उपायों का विचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और इन कर्म-चारियों को किस प्रकार कारोबार में लगाया जायेगा और इस पर कितना धन खर्च होगा; और

(ग) क्या इस बारे में उनके मंत्रालय से परामर्श किया गया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में मौजूदा फालतू कर्मचारियों की संख्या का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण शुरू किया है। 67 उपक्रमों द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, इन उपक्रमों में 30 सितम्बर 1967 को फालतू कर्मचारियों की संख्या 13,636 थी। 14 और उपक्रमों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और इन उपक्रमों को हिसाब में शामिल करने पर अनुमान है कि मोटे तौर पर, फालतू कर्मचारियों की संख्या 15,000 हो जायगी।

इन उपक्रमों में से कुछ उपक्रमों ने यह सूचना भी दी है कि फालतू कर्मचारियों को नई प्रायोजनाओं और विस्तार योजनाओं में खपाने के लिये कार्यवाई की जा रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी फालतू कर्मचारियों की समस्या को निपटाने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

राजेन्द्रनगर, दिल्ली के निवासियों के अभ्यावेदन

9678. श्री हरदयाल देवगुण : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में राजेन्द्रनगर कालौनी के निवासियों ने अपनी कठिनाइयों के सम्बन्ध में हाल में एक अभ्यावेदन भेजा है और उनका एक प्रतिनिधिमंडल भी उनसे मिला था;

(ख) यदि हाँ, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) (क) जी हां।

(ख) उनके रिहायशी परिसरों के दुरुपयोग पर दो अलग से प्राधिकरणों के द्वारा की जा रही कार्यवाही के विरुद्ध मुख्य शिकायत है। पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय हर्जाना वसूल कर रहा है तथा नगर पालिका के उप-नियमों (बाई-लाज़) का उल्लंघन करने के लिए नगर पालिका के द्वारा कम्पाउंडिंग फी वसूल की जा रही है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

1968-69 की वार्षिक योजना का परिव्यय

9679. श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1968-69 की वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना की अवधि में उड़ीसा राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) 1968-69 की वार्षिक योजना के परिव्यय में किन-किन परियोजनाओं के लिये राशि नियत की गई है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं :

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

विशेष बहुधन्धी आदिम जातीय खण्ड

9680. श्री क० प्र० सिंह देव : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में तथा वर्ष 1966-67 में प्रत्येक राज्य में कितने विशेष बहु-धन्धी आदिम जातीय खण्ड खोले गये;

(ख) उन पर कितनी राशि खर्च हुई है ;

(ग) उनके क्या परिणाम हुए हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने विकास खण्ड खोलने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियोंके आयुक्त की 1965-66 की रिपोर्ट के परिशिष्ट xvi और xvii की ओर ध्यान आमंत्रित है। 1966-67 में 31 नये आदिम जातीय विकास खण्ड स्थापित किये गये।

(ग) विशेषतया शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और कृषि के क्षेत्र में, लगाई गई पूंजी और जन सहकार्य के संमेय में, सन्तोषजनक प्रगति हुई है।

(घ) चतुर्थ योजना का अभी सविन्यास नहीं हुआ है।

Uplift of Adivasis and Backward Members of Parliament and Assemblies

9681. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received the resolution passed by the Conference of All India Seheduled Castes and Scheduled Tribes Members of Parliament and Members of the State Assemblies held at Nagpur on the 6th and 7th April, 1968 ; and

(b) if so, the demands of the Conference and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) No.

(b) Does not arise.

महर्षि महेश योगी का विदेशी मुद्रा

9682. श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महर्षि महेश योगी ने विदेशों में ध्यान-योग का मार्गदर्शन करने के लिये 40 व्यक्तियों का चयन किया है;

(ख) क्या इस योगी ने सरकार से अनुरोध किया है कि इन व्यक्तियों के विदेश जाने के लिए विदेशी मुद्रा दी जाये;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई है और कितनी मंजूर की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या उन देशों की सरकारें इन व्यक्तियों का खर्च वहन करेंगी और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकार के पास निर्दिष्ट दल को विदेशी मुद्रा देने या 'पी' फार्म सम्बन्धी अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया है।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यात्रा तथा अन्य भत्ते

9683. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को, केन्द्र में काम करते समय तथा सरकारी निगमों में प्रतिनियुक्ति के दौरान पृथक-पृथक, दैनिक, यात्रा तथा अन्य भत्तों के रूप में कितनी राशि मिलती है; और

(ख) भत्तों के भुगतान में असमानता होने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले दैनिक भत्ते, यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्तों, अर्थात् महंगाई भत्ते,नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ते तथा मकान किराया भत्ते, की दरों का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये सख्या एल० टी० 1190/68**]

जो सरकारी कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में सेवा के लिये भेजे जाते हैं उनको ये भत्ते सम्बन्धित उपक्रम के अपने कर्मचारियों को मिलने वाली दरों पर दिये जाते हैं । किन्तु यदि उपक्रम में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार के वेतन-मान के अनुसार वेतन मिलता है तो उसे महंगाई भत्ता भी केन्द्रीय दरों पर दिया जाता है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते तथा दरें एक समान नही हैं, हालाकि उनमें से बहुत से उपक्रमों ने केन्द्रीय सरकार की दरों को अपना लिया है । जिन मामलों में इन भत्तों की वर्तमान दरें अलग अलग हैं, उनमें यह भिन्नता उस विशिष्ट उपक्रम से सम्बन्धित कारणों के आधार पर है ।

पिपेरिया (मध्य प्रदेश) में वाणिज्यिक-बैंक खोलना

9684. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1962 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में पिपेरिया में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के बन्द होने पर भारत के रिजर्व बैंक ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि भारत के स्टेट बैंक के अलावा यदि कोई वाणिज्यिक बैंक वहां अपनी शाखा खोलना चाहेगा तो उसे इसकी अनुमति दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो अन्य वाणिज्यिक बैंकों के आवेदन पत्र नामंजूर करने के क्या कारण थे; और

(ग) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा पिपेरिया में ऐसी शाखा खोलने की अनुमति कब तक दिये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिपेरिया से मार्च 1962 में प्राप्त कुछ ऐसे अभ्यावेदनों के उत्तर में, जिनमें किसी वाणिज्यिक बैंक को उस नगर में अतिरिक्त कार्यालय खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था, रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया था कि किसी बैंक को किसी विशेष स्थान पर अपनी शाखा खोलने का निदेश देना रिजर्व बैंक का काम नहीं है, लेकिन यदि किसी बैंक से उस जगह पर शाखा खोलने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हो तो उस पर शाखा खोलने का लाइसेंस देने की नीति के अनुसार उचित ध्यान दिया जायगा ।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र के एक बैंक ने पिपेरिया में अपना कार्यालय खोलने के लिये रिजर्व बैंक की अनुमति मांगी थी, लेकिन वह इसलिये नहीं दी गयी थी कि उस जगह पर पहले से ही भारतीय राज्य बैंक और केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक एक कार्यालय मौजूद था और वहां अतिरिक्त बैंक कार्यालय की गुंजाइश नहीं थी ।

(ग) किसी भी बैंक ने 31 जुलाई 1969 को समाप्त होने वाली दो वर्षों की अवधि के शाखा विस्तार के अपने चालू कार्यक्रम में इस स्थान को विचारार्थ शामिल नहीं किया है । इस स्थान पर अपना कार्यालय खोलने के इच्छुक किसी पात्र बैंक से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा बशर्ते कि उस स्थान की वाणिज्यिक सम्भाव्यताओं को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो । लेकिन इस सम्बन्ध में कोई समय निधारित नहीं किया जा सकता है ।

खेसारी दाल

9685. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि केवल खेसारी भूसे में मादक द्रव्य होता है जिससे लियर्मीस पैदा होता है;

(ख) यदि हां, तो देश में भूसा उत्तरी खेसारी दाल की बिक्री और उसे रखने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है; और

(ग) क्या खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 में समुचित संशोधन करने की वांछनीयता पर सरकार विचार करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) खेसारी दाल का विषैला तत्व जिससे चटरी मटरी रोग हो जाता है, उसके छिलके तथा बीज दोनों में उपस्थित रहता है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं वैसे खेसारी दाल को विषाक्तता से मुक्त करने का कोई उचित उपाय ढूंढने के लिए प्रयोगशाला में तथा बाहर अन्वेषण किये जा रहे हैं ।

पश्चिम कोसी नहर परियोजना

9686. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री 8 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम कोसी नहर के अन्तिम रेखा बंधन का प्रस्ताव नेपाल सरकार को भेजा जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को;

(ग) क्या उस प्रस्ताव का अनुमोदन या उसका उत्तर नेपाल सरकार से प्राप्त हो चुका है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या विलम्ब न होने देने के लिये रेखा बन्धन के भारतीय क्षेत्र में भूमि अर्जित करने का काम आरम्भ कर देने का सरकार का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) 17 अप्रैल 1968।

(ग) पता चला है कि नेपाल सरकार ने विस्तुत अनुसन्धान रिपोर्ट की एक प्रति मांगी है।

(घ) रेखांकन के भारतीय हिस्से में पड़ने वाली भूमि अर्जन का प्रश्न तभी उठेगा जब नेपाल में रेखांकन को अन्तिम रूप मिल जायेगा और उन्हें भूमि का कब्जा दे दिया जायेगा।

अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को 'ओरल कैंसर'

9637 श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में लगभग बारह प्रतिशत सूती कपड़ा मिल कर्मचारी "ओरल कैंसर" रोग से पीड़ित हैं।

(ख) क्या इस रोग के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जाँच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस रोग को फैलने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) **जी हां।**

(ख) और (ग) गुजरात कैंसर सोसाइटी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों में एक आम सर्वेक्षण किया है। इसकी रिपोर्ट अभी भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

पांडीचेरी में औरोविल्ले (विश्वनगर)

9688. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडीचेरी में औरोविल्ले, विश्वनगर, के निर्माण पर कुल कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ख) इस नगर के निर्माण में सरकार द्वारा नगदी तथा उपकरणों के रूप में क्या सहायता दी जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली वृहद योजना की क्रियान्विति

9689. श्री म० ला० सोंधी : क्या **स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की अन्तरिम सामान्य योजना तैयार होने के बाद नगरीय स्थिति में कोई सुधार हुआ है ;

(ख) यदि नहीं, तो वृहद योजना में किये गये आश्वासनों को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का सामना करने के लिये किस प्रकार पूरा किया जा सकता है;

(ग) क्या विभिन्न प्राधिकारियों के बीच सामन्वय का अभाव दिल्ली के नगरीय जीवन में सुधार लाने में बाधक सिद्ध हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब सू० मूर्ति) (क) जी हाँ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जल पूर्ति तथा मल निष्कासन की सुविधाओं की व्यवस्था करने में कमी कभी कमी रह जाती है तथा जल पूर्ति में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के लिये विदेशी मुद्रा

9690. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने प्रयोगात्मक तटवर्ती छिद्रण कार्यों के लिए सरकार से अब तक विदेशी मुद्रा में कुल कितना ऋण लिया है;

(ख) इस ऋण को अदा करने के लिए इस आयोग ने क्या अदायगी-कार्यक्रम तैयार किया है ; और

(ग) क्या यह आयोग इस कार्यक्रम को कार्यरूप दे सका है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) 31 मार्च, 1968 तक फारिस खाड़ी में अतटीय खोज के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 22,023,937.18 अमरीकी डालर के बराबर धन राशि ऋण के रूप में दी गई थी।

(ख) ऋण चार बराबर किश्तों में वापिस किया जाना है। ऋण की पहली किश्त 31-3-1965 को ली गई थी और अदायगी 31-3-1971 से शुरू होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि अदायगी कार्यक्रम केवल 1971 में शुरू होगा।

तटवर्ती छिद्रण कार्य

9691. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने फारस की खाड़ी के क्षेत्र में ड्रिलिंग करने वाले अपने कर्मचारियों को तटवर्ती छिद्रण कार्य का प्रशिक्षण दिया है ताकि इस प्रकार अनुभव से भारत को अपने तटवर्ती छिद्रण-कार्य में सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो क्या फारस की खाड़ी के क्षेत्र में ड्रिलिंग करने वाले अपने कर्मचारियों को बारी से भेजने का विचार है; और

(ग) क्या ईरान सरकार से कोई, प्रार्थना की गई है कि ड्रिलिंग करने वाले भारतीय कर्मचारियों को खाड़ी क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) से (ग) फारस की खाड़ी में छिद्रण कार्य एक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है और इस व्यवस्था में प्रशिक्षण की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। किन्तु निकट भविष्य में, एक संरचना में उत्पादन करने वाले कुओं, जहां निर्धारित प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जायेगा, का छिद्रण शुरू कर देने की आशा है और आयल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उस समय इस काम पर ड्रिलिंग करने वाले कुछ भारतीयों को भेजने का विचार रखता है।

भारतीय ड्रिलरों को प्रोत्साहन बोनस

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी रिगों का प्रयोग करने वाले भारतीय तेल ड्रिलर जिस गति से काम कर रहे हैं वह प्रयोगात्मक छिद्रण कार्य में रूसियों को मिली अधिकतम गति से पांच गुना है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय ड्रिलों द्वारा किये गये अच्छे काम को उन्हें प्रोत्साहन बोनस देकर, मान्यता देने की सम्भावना पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी नहीं। परन्तु पता चला है कि 1967-68 के दूसरे अर्थ भाग में, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के ड्रिलर दल, 1966 में रूस में प्राप्त औसतन व्यधन गतियों से बढ़ गये थे।

(ख) और (ग) : प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उसके द्वारा व्यधन कार्यों की दक्षता में दर्शायी गई वृद्धि के अनुपात अदायगी की जाती है। इस विषय में व्यक्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पर्यवेक्षों एवं सेवा-विभाग से सम्बन्धित व्यक्तियों को आयोजन पूर्ति बोनस अदा किया जाता है। उन व्यक्तियों को जो व्यधन-स्थल पर कार्य करते हैं, निर्धारित समय की अपेक्षा कम समय में अपने कार्य को पूरा करने पर अतिरिक्त अदायगी की जाती है। शेष व्यक्तियों को पहले दो ग्रुपों के व्यक्तियों की अपेक्षा कम दर पर बोनस की अदायगी की जाती है।

एण्टीबायोटिक्स, प्लान्ट ऋषिकेश

9693 श्री शिवचन्द्र झा . क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऋषिकेश स्थित एन्टीबायोटिक्स प्लांट ने उसके बदले जिसके लिये प्रारम्भ से ही योजना की गई थी पशु पोषाहार के लिये क्लोरा-टेट्रा-साईक्लीन तैयार करना आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एण्टी वायोटिक्स प्लान्ट ऋषिकेश संशिलिष्ट औषधि कारखाना, हैदराबाद तथा शल्यक्रिया चिकित्सा औजार कारखाना मद्रास

9694. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋषिकेश में एण्टीवायोटिक प्लांट हैदराबाद में संशिलिष्ट औषधि कारखाना तथा मद्रास में शल्य क्रिया औजार कारखाने का निर्माण-कार्य तथा उनमें उत्पादन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उनकी कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) **एण्टीवायोटिक्स प्लॉट ऋषिकेश** : पोटाशियम पेंसिलीन का इतर-अनुर्वर खण्ड नियमित उत्पादन कर रहा है। चालू मास में सोडियम साल्ट और प्रोकेन साल्ट खण्ड उत्पादन शुरू कर देंगे।

स्ट्रेप्टोमाइसीन का उत्पादन भी शुरू हो गया है। उक्त उत्पादन के बाजार में विक्रय से पहले कई तकनीकी समस्याओं को हल करना है। उत्पाद इस समय परीक्षाधीन है।

टेट्रासाइक्लीन की अनुर्वरता आदि जांच के बारे में कण्विन परीक्षण (फारमेण्टेशन ट्रायल) भी चालू हैं।

जुलाई 1968 तक आक्सी-टेट्रासाइक्लीन के निर्माण कार्य के पूरे होने की आशा है और 1968 के चौथे चर्तुथांश में नायस्टाटीन के निर्माण कार्य के पूरे होने की आशा है।

रूसी विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार निर्धारित क्षमता तक उत्पादन करने में लगभग दो-तीन वर्ष लगेंगे।

संशिलिष्ट औषध कारखाना, हैदराबाद

आई० एन० एच०, निकोटीनामाइड, कोलिक एसिड और डिथियल कारवामेज़ीन स्ट्रेट के सिवाये सारे खण्डों में उत्पादन शुरूहो गया है। उत्पादों का विक्रय भी हो रहा है। प्रत्येक उत्पाद की निर्धारित क्षमता को प्राप्त करने के लिये लगभग $1\frac{1}{2}$ साल लगेगा।

शल्य क्रिया चिकित्सा औजार कारखाना, मद्रास

सितम्बर, 1965 में कारखाना चालू हुआ था और उत्पादन कर रहा है इस कारखाने ने परिवार नियोजन सम्बन्धी औज़ारों को तैयार करने में भी अपने कार्यकलापों को लगाया है। इस ओर क्षमता का लगभग 35 से 40 प्रतिशत तक प्रयोग किया जा रहा है।

नर्मदा जल विवाद

9695. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ संसद सदस्यों ने नर्मदा नदी के पानी के प्रयोग के विवाद से उत्पन्न समस्या को हल करने का प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर विचार कर लिया गया है ?

(ग) क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ) नर्मदा जल विवाद पर शीघ्र समझौते के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री को समय समय पर संसद सदस्यों के पत्र प्राप्त होते रहते हैं। इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है वह इस विषय पर ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के उत्तर के रूप में 16-4-68 को लोक सभा में दिये गये बयान में बता दी गई है।

नर्मदा घाटी की विकास सम्बन्धी बैठक

9696. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री मनीभाई जे० पटेल
श्री नाथूराम अहिरवार :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री सूर्यसिंह :
श्री शशि भूषण वाजपेयी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री लखन लाल गुप्ता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा घाटी के विकास के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में 10 अप्रैल 1968 को हुई बैठक का सारांश लिखाया गया था और शुद्धियां की गई थी और क्या बैठक के सभापति इस प्रक्रिया से सहमत थे और क्या उन्होंने बैठक का सारांश लिखे जाने पर आपत्ति नहीं की;

(ख) क्या यह भी सच है कि अगले दिन अर्थात 11 अप्रैल, 1968 को पुनः विचार विमर्श आरम्भ किया गया तो उस बैठक के सभापति और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों ने बैठक का सारांश लिखे जाने की उस प्रक्रिया को अपनाने से इन्कार किया और वह बैठक तुरन्त समाप्त हो गई;

(ग) क्या सारांश न लिखे जाने का, जैसा कि बैठक के पहले दिन किया गया था, कोई कारण बताया गया था ; और

(घ) क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय साधारणतया ऐसी प्रक्रिया ही अपनाता है कि बैठकें आयोजित की जायें और वहां विचार विमर्श किया जाये किन्तु उसका सारांश न लिखा जाये ;

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : (क) से (घ) 10 अप्रैल 1968 को कोई औपचारिक विवरण तैयार नहीं किया गया किन्तु विचार विमर्श के कुछ नोट लिखाये गये थे। अप्रैल की प्रातः को जब फिर विचार विमर्श शुरू हुआ, मध्य प्रदेश के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार के अधिकारियों के विचार, केन्द्रीय अधिकारियों के उत्तर और फिर राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रत्युत्तर को रिकार्ड किया जाये। उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की कि इस रिकार्ड पर केन्द्रीय अधिकारी अपने हस्ताक्षर करें। इस पद्धति को उचित नहीं समझा गया क्योंकि यह महसूस किया गया कि चूंकि केन्द्रीय सरकार इस विवाद की भागी नहीं है इसलिए यह अच्छा होगा कि विचार विमर्श के दौर के पूरा हो जाने के उपरान्त ही संक्षिप्त विवरण जारी किया जाये।

सिंचाई व बिजली मंत्रालय की यह साधारण रीति रही है कि बैठकों के उपरान्त विचार विमर्श का संक्षेप तैयार किया जाता है ।

कालाकोट ताप बिजली घर परियोजना

9697. श्री सु० क० तापडिया : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू के निकट कालाकोट ताप बिजली घर परियोजना जिस पर मूलतः लगभग दो करोड़ 56 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था, मार्च 1966 में पुन.शोंषिघत 4 करोड़ 30 लाख रुपये की अनुमानित लागत में भी पूरी नहीं होने की सम्भावना हैं :

(ख) इस बिजली घर के निर्माण कार्य पर अब तक कितना धन व्यय किया गया हैं तथा इस काम में और उपकरण प्राप्त करने तथा उनके लगाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इस परियोजना के कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है तथा इस परियोजना की नवीनतम पुनरीक्षित अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ध) इस काम में विलम्ब होने तथा इतना अधिक व्यय बढ़ जाने के मुख्य कारण क्या हैं ;

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कालकोट ताप बिजली केन्द्र परियोजना की 2.56 करोड़ रुपये की मूल अनुमित लागत को दुहराकर 4.50 करोड़ रुपये कर दिया गया हैं वहरहाल संशोधित अनुमान कि राज्य सरकार से प्रतीज्ञा की जा रही है :

(ख) अनुमान हैं कि मार्च 1968 तक कुल 4.34 करोड रुपये व्यय हो चुके हैं जनित्र और उपस्कर प्राप्त किए जा चुके हैं और इन्हें लगाया जा रहा हैं :

(ग) प्रथम जनित्र (7.5 मैगावाट) के जल्दी ही चालू हो जाने की सम्भावना है। परियोजना के 1969 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(ग) विलम्ब और व्यय में वृद्धि के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) उपस्कर और साज समान को परियोजना स्थल तक ले जाने में कठिनाइयाँ ।
(2) श्रमिक तथा उपयुक्त ठेकेदार लगाने में कठिनाइयां ।
(3) पाकिस्तान के साथ युद्ध के परिणामस्वरूप 1965 में काम का बन्द हो जाना ।
(4) अवमूल्यन का प्रभाव ।
(5) पाकिस्तान द्वारा माल का कब्जा; और
(6) बिजली केन्द्र में हाल ही में लगी आग ।

चांदी का चोरी छिपे भारत से बाहार ले जाया जाना

968. श्री प्र० न० सोलंकी : **रा० रा० सिंह देव :**
श्री रा० की अमीन : **श्री एस० पी० राममूर्ति :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत से इस समय विदेशों को बड़े पैमाने पर चाँदी की जो तस्करी होती है क्या उसका कारण यह है कि भारत में चाँदी का मूल्य कम है अथवा उसके चोरी छिपे निर्यात करने से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा का रुपयों में मूल्य अधिक है; और

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित कारण को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने विदेशों को चांदी की तस्करी रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आजकल देश में चांदी के स्थानीय भावों में तथा अन्तर्राष्ट्रीय भावों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अनधिकृत रूप से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना ही देश से चाँदी के चोरी छिपे निर्यात का उद्देश्य मालूम पड़ता है।

(ख) तस्कर-आयात-निर्यात को रोकने के लिये जो उपाय सरकार द्वारा किये गये हैं उनमें चांदी का तस्कर निर्यात रोकने के उपाय भी शामिल है; और उनमें से महत्वपूर्ण उपाय ये हैं :—

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसके पीछे लगे रहना, विश्वासनीय मुखबिर रखना तथा आयात-निर्यात तस्करों के विभिन्न गिरोहों पर निगाह रखना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, जल और थल सीमा के सुगमता से पार होने योग्य स्थलों पर गश्त लगाना, विभागीय न्याय-निर्णय के साथ-साथ उचित मामलों में मुकदमा चलाना।

सोने की तस्करी का बीमा

9699. श्री प्र० ना० सोलंकी : श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री रा० की० अमीन : श्री नंजा गौडर :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सोने की तस्करी का नियमित रूप से बीमा कराया जा सकता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे बीमे की प्रीमियम दरों के अनुमान के आधार पर 1961 से लेकर आज तक प्रति वर्ष भारत में कुल कितने मूल्य का सोना चोरी छिपे लाया गया हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) चूंकि सोने का तस्कर आयात निर्यात कानूनन जायज नहीं होने से इसके लिये बीमा कम्पनियों द्वारा बीमा-सुविधा दी जाने की सम्भावना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोदी कालोनी नई दिल्ली में चेमरियां

9700 श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोदी कालौनी, दिल्ली में अविवाहितों के लिये बनाई गई **चमरियां** विवाहित कर्मचारियों को दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भोजन बनाने के लिये जल सम्भरण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या यह सच है कि शौचालय ब्लाक जिसमें केवल दो शोचालय हैं तथा दो स्नानागार हैं प्रत्येक ब्लाक में रह रहे इतने अधिक लोगों के लिये पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन निवासियों की परेशानी दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ङ) क्या यह सच है कि इन चमेरियों के पीछे पानी जमा हो जाता है जिससे वहाँ मच्छर पैदा होते हैं और अन्य बीमारियां फैलने का डर रहता है; और

(च) यदि हां, तो स्वच्छता की दृष्टि से इन क्वार्टरों की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : लोदी कालौनी, दिल्ली की चमरियों को होस्टल वास के रूप में तदर्थ आधार पर गैर शादीशुदा और इसके साथ-साथ उन अन्य कर्मचारियों को आवंटित किया गया है जिन्होंने चमरियों के वास का निर्दिष्ट अनुरोध किया था । यह नियमित पारिवारिक वास नहीं है, केवल एक अथवा दो कमरे प्रत्येक कर्मचारी को आवंटित किये गये हैं । प्रत्येक खंड के स्नानगृहों तथा कामन मैस में पानी की सप्लाई है ।

क्योंकि ये चमरियां मूल रूप से गैर शादीशुदा कर्मचारियों के लिए थीं अतएव दस चमरियों के प्रत्येक ब्लाक में दो शौचालयों तथा दो स्नानगृहों की व्यवस्था पर्याप्त थी । क्योंकि अब अनेक चमरियों में कर्मचारी परिवार के साथ रह रहे हैं अतएव वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है । कुछ वर्षों पूर्व इन चमरियों को समुचित सुविधायें देकर नियमित पारिवारिक क्वार्टरों में बदलने पर विचार किया गया था किन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण उसे छोड़ देना पड़ा । इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जा रहा है ।

(ङ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Machinery of National Projects Construction Corporation

9701. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that machinery worth crores of rupees belonging to the National Projects Construction Corporation is lying at Several project sites which is being used very rarely;

(b) if so, the value of machinery purchased so far by the National Projects Construction Corporation from foreign countries; and

(c) the value of machinery purchased in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar. Prasad) (a) : No, Sir. The machinery is being put to the best use. The optimum use of this Machinery is hampered to some extent owing to the difficulty in obtaining spare parts for equipment of foreign origin.

(b) and (c) : The total purchase price of machinery held by the Corporation is Rs. 5.77 crores out of which machinery worth approximately Rs. 1.28 crores was purchased from foreign countries.

Contracts to National Projects Construction Corporation

9702. Shri Ram Charan : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state ;

(a) the value of construction work entrusted so far to the National Projects Construction Corporation;

(b) the amount of expenditure (including the Indian currency and foreign currency) incurred on the said Corporation so far; and

(c) the average profit earned by the said Corporation so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) : The value of construction work entrusted upto the end of April, 1968 by various project authorities to the National Projects Construction Corporation is about Rs. 62 crores.

(b) ; The amount of revenue expenditure incurred so far on the execution of above works is Rs. 39.45 crores. Besides this, Rs. 7.72 crores were spent on the acquisition of fixed assests out of which Rs. 2.51 crores have been charged to revenue expenditure.

(c) Rs. 18.6 lakhs per annum, for the period from 1957-58 to 1966-67.

Payment of Scholarships to Students at A. I. I. M. S.

9703 Shri Onkar Lal Berwa : will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students of the All India Institute of Medical Sciences do not get their scholarships even after six months of the sanction;

(b) whether it is also a fact that the poor students leave their studies as a result of non-receipt of the scholarships; and

(c) if so, the number of students admitted and the number of students who left their studies in 1967 as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministery of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) and (b) : No.

(c) Does not arise.

Income-Tax Assessment of M/s Ram Prasad Harnarayan, Ujjain.

9704. Shri [Crlar Sirgh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of Income-Tax assessed on M/s. Ramprasad Harnarayan of District Ujjain, Madhya Pradesh, in the years 1964-65, 1965-66, 1966-67 and 1967-68;

(b) the amount of Income-Tax realised each year by Government during the above period; and

(c) the total arrears of the Income-tax to be recovered and the action proposed to be taken by Government to realise it ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai)

(a) Assessment Year	Income-Tax Assessed on the Firm	Income-Tax Assessed on the Partners.
1964—65	12,677	31,608
1965—66	5,736	12,230
1966—67	6,216	11,780
1967—68	8,527	16,404

(b) and (c) The entire tax demand for the above mentioned years has been realised. As there are no arrears the question of taking action for recovery does not arise.

Income-Tax Assessment of M/s Ram Prasad Harnarayan, Ujjain.

9705 Shri Onkar Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Directors of the firm M/s. Ramprasad Harnarayan in District Ujjain in Madhya Pradesh are the members of the same Hindu Joint Family;

(b) whether it is also a fact that the Directors of this firm are running business in different names with a view to evade income-tax;

(c) if so, the number of Directors of this firm and the amount of Income-Tax assessed and realised from them in the years from 1962-63 to 1966-67; and

(d) the arrear of Income-Tax outstanding against them and the action being taken by Government to realise the same ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) (a) M/s Ramprasad Harnarayan, Ujjain, is a firm and not a company. It has, therefore, partners and not directors. All the partners of this firm are members of a Hindu Joint Family, in which there has been a partial partition.

(b) The partners of the firm are partners in other legally constituted firms, which is permissible under law, and no evasion is involved.

(c) There are four partners in the firm. The income-tax assessed and realised from them and the firm are :

1962—63	Rs. 3,664	1965—66	Rs. 17,966
1963—64	Rs. 20,869	1966—67	Rs. 17,996
1964—65	Rs. 44,285		

(d) There are no arrears due from them.

Contraband Goods recovered in Goa

9706 Shri Shri Chand Goel :
Shri J. B. Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foreign goods worth about 8 lakhs of rupees were recovered in Goa in the second or third week of April;

(b) if so, the details of the goods recovered; and

(c) the names of the country with which the smuggled goods were connected and the number of arrests made in this connection ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) The information in this reard is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Gold recovered in Bombay

9707. Shri Shri Chand Goel :

Shri J.B. Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 28,000 tolas of gold were recovered from an Indian motor launch at Bombay port in the first fortnight of April, 1968; and

(b) if so, the value of gold in Indian currency and its international price and the number of arrests made in this connection and the nature of action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir.

(b) The value of the gold is Rs. 29 lakhs approximately at the international monetary rate and about Rs. 55.5 lakhs at the market rate. 20 persons were arrested in this connection. All of them, except one, are still in custody as they could not furnish the bail amounts. Investigations are in progress.

Repairs to Central Government Office Buildings, Parliament House and Minister's Bungalows

9708. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state ;

(a) whether the expenditure incurred by Government on the repairs and white-washing of the buildings in which offices of the Central Ministries are situated, Parliament House, Teen Murti House and the bungalows of the Ministers has been increasing every year; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to reduce the expenditure on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Expenditure on maintenance of buildings is limited to a percentage, fixed from time to time, of their cost of construction. The percentage is higher in the case of old buildings. In a few cases of old buildings this ceiling has been exceeded for the following reasons :

(i) Rise in wages of workcharged staff;

(ii) Rise in prices of materials;

(iii) Additional or special repairs required to old buildings;

(iv) Inadequacy of the amounts available on the basis of the fixed percentage as the capital costs of old buildings are low.

(b) Reduction in maintenance expenditure is hardly possible due to the reasons enumerated in (a) above. It is therefore proposed to review the maintenance estimate ceilings for all Government buildings.

नैनीताल में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की बैठक

9709. श्री चेंगलाराया नायडू : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद ने जिसकी बैठक 17 अप्रैल, 1968 को अथवा इसके आसपास नैनीताल में हुई थी; चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम तैयार करने के लिये मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या-क्या मुख्य मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किये गये; और

(ग) उन्हें कहाँ तक स्वीकार किया गया है तथा क्रियान्वित करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने के बारे में एक नोट केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद की पांचवीं बैठक में, जो 17,18 अप्रैल, 1968 को नैनीताल में हुई, सूचनार्थ रखा गया था। परिषद ने इस सम्बन्ध में कोई विशेष रूप से मार्गदर्शी सिद्धांत निश्चित नहीं किये हैं परन्तु चौथी पंचवर्षीय योजना बनाते समय परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर इस परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखा जायेगा।

दिल्ली के अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ के भत्ते

9710. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री अब्राहम :
श्री चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री नायनार :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रशिक्षित नर्स संघ द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कार्यवाही की गई है ;

(ख) सामान्य दरों की आधी दरों पर नगर भत्ता दिये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार मासिक वर्दी भत्ता तथा धुलाई भत्ता बढ़ाने का है ताकि नर्सें साफ सुथरी वर्दी पहन सकें; और

(घ) क्या सरकार का विचार भी मैस भत्ते को बढ़ाकर 3 रुपये प्रति दिन करने का भी है क्योंकि बढ़ते हुए वर्तमान मूल्यों को देखते हुए यह दर अपर्याप्त है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1191/68]**

वित्तीय अवस्था को ध्यान में रखते हुए भारत की प्रशिक्षित नर्स एसोशिएशन के विभिन्न प्रस्तावां पर विचार करना सम्भव नहीं हो पाया है।

(ख) क्योंकि नर्सिंग स्टाफ को निःशुल्क आवास उपलब्ध किया जाता है तथा भोजन भत्ता दिया जाता है इसलिये उन्हें नगर भत्ता आम दरों से आधा दिया जाता है।

(ग) और (घ) इस समय इन भत्तों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नर्मदा नदी क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि

9711. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी नदी में कितने एकड़ भूमि में खेती होती है ;

(ख) गत 15 वर्षों में इस नदी-क्षेत्र में फसल बोई गई भूमि में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) गत 15 वर्षों में देश में बोई गई भूमि औसतन कितने प्रतिशत बढ़ी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खोसला समिति को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के नर्मदा बेसिन में 82.2 लाख एकड़ कृष्ट भूमि है ।

(ख) बोये क्षेत्र का बेसिन-वार वार्षिक व्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग गत 15 वर्षों के दौरान देश के बोये क्षेत्र में लगभग 1.4 प्रतिशत प्रति वर्ष औसतन वृद्धि हुई है ।

Financial Assistance to Uttar Pradesh

9712. Shrimati Sushila Rohatgi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governor of Uttar Pradesh has suggested to the Central Government that the Central assistance to the State should be given on the basis of population; and

(b) if so, whether Government propose to increase the said assistance from about 5 percent to 17 per cent in view of the fact that population of the State is 17 per cent of that of the country ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise

Sales Tax on Soap Manufactured in Uttar Pradesh

9713. Shrimati Sushila Rohatgi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sales tax is charged on soap manufactured without power and all of its raw material in Uttar Pradesh; and

(b) whether it is also a fact that this double Sales Tax is inhibiting the soap manufacturing industry in Uttar Pradesh; and

(c) if so, whether Government propose to stop realising double sales tax ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. Soap manufactured with or without the aid of power and raw materials used in the manufacture of such soap are liable to sales tax in the State of Uttar Pradesh.

(b) There is no definite material available with Government to support this.

(c) Does not arise.

Shortage of Drinking Water in India

9714. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in the

world and specially in India as is evident from the "Quest for Water" Exhibition organised in the U.S.I.S., Curzon Road, New Delhi; and

(b) if so, the suggestions made by the Planning Commission to develop and expand the drinking water resources of the country in order to remove the impending danger ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy) : (a) Yes.

(b) While drawing up the detailed schemes and allocating funds for the Fourth Plan, due consideration will be given to the need of development of drinking water supply facilities.

सरकारी कर्मचारियों का विशेष वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता

9715. श्री मु० ना० नाघनूर : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सब श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के विशेष वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ते समाप्त करने का विचार है ;

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय असैनिक सेवा के अधिकारियों के विशेष वेतन तथा भत्तों पर प्रतिवर्ष लगभग कितनी राशि व्यय की जाती है; और

(ग) इस कार्यवाही से प्रतिवर्ष लगभग कितनी बचत होगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) व्यय में बचत करने के लिए 15 सितम्बर, 1966 से सरकारी कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता केवल उन मामलों में दिया जाता है जिनमें उच्च वेतनमान के सवर्ग-बाह्य पदों पर स्थानान्तरण होता है। प्रतिनियुक्ति भत्ते तथा विशेष वेतन की सामान्य योजना की समीक्षा की जा रही है।

(ख) भारत सरकार के अधीन काम कर रहे भारतीय प्रशासन सेवा तथा इण्डियन सिविल सर्विस के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कर्मचारियों का दिल्ली से फरीदाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली तबादला

9716. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधीन निदेशालयों के प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने कर्मचारियों का पिछले तीन वर्षों से दिल्ली से फरीदाबाद और पुनः फरीदाबाद से दिल्ली तबादला किया गया है ;

(ख) क्या यह सच कि इस प्रकार अपने निदेशालयों के साथ फरीदाबाद स्थानान्तरित किये गये कुछ अधिकारियों को अपने मुख्यालय नई दिल्ली में रखने की अनुमति दे दी गई थी क्योंकि वे फरीदाबाद जाने को तैयार नहीं थे ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के विभिन्न निदेशालयों के कर्मचारियों को दिल्ली से फरीदाबाद तथा फरीदाबाद से दिल्ली प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरित किया जाता है। इस बारे में अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	कर्मचारी वर्ग	फरीदाबाद तबदील किये गये कर्मचारियों की संख्या	दिल्ली तबदील किये गये कर्मचारियों की संख्या
1.	निदेशक	3	2
2.	उप-निदेशक	3	2
3.	सहायक निदेशक	10	4
4.	अतिरिक्त सहायक निदेशक	9	7
5.	तकनीकी सहायक	1	1
6.	प्रोफेशनल सहायक	1	—
7.	वरिष्ठ ड्राफ्ट्समैन	1	1
8.	अवर ड्राफ्ट्समैन	1	1
9.	ट्रेसर	1	1
10.	आशुलिपिक	3	2
11	आशुटीपक	3	3
12.	उच्च श्रेणी लिपिक	3	2
13.	निम्न श्रेणी लिपिक	9	5
14.	चपरासी	12	8

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तृतीय श्रेणी के तकनीकी पदों में आरक्षण

9717 श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि गृह कार्य मंत्रालय ने शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले तृतीय श्रेणी के गैर अनुसचिवीय तकनीकी पदों में आरक्षित करने के लिये कुछ अभ्यंश नियत करने वाले कुछ आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके मंत्रालय तथा उससे सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वर्ष 1964 से 1967 तक की अवधि में कितने पद आरक्षित किये गये;

(ग) क्या यह भी सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा आदेश जारी किये जाने के बावजूद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुछ कर्मचारियों के हकों की उपेक्षा तथा अधिलंघण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो पहले किये जा चुके अधिलंघणों को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां। श्रेणी 3 के पद/ग्रेड, जिनकी आपूर्ति विभागीय कर्मचारियों तक सीमित परीक्षा के द्वारा अथवा योग्य व्यक्तियों के चयन के द्वारा की जाती है उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं।

(ख) **मन्त्रालय खास** : मंत्रालय में 1964 से 1967 तक के भर्ती में वर्गों श्रेणी -3 की अमंत्रालयी तकनीकी सेवाओं में पदोन्नति द्वारा आपूर्ति के लिये आरक्षित श्रेणी में कोई पद खाली नहीं हुआ।

संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय : मंत्रालय के संलग्न अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
1964	3	1
1965	—	—
1966	1	1
1967	1	—

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कार्यालयों का फरीदाबाद स्थानांतरण

9718. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री 4 मार्च 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2785 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महालेखापाल वाणिज्य, निर्माण और विविध (सी० डब्ल्यू एण्ड एम०), नई दिल्ली द्वारा फरीदाबाद से नई दिल्ली स्थानांतरित अधिकारियों की नियमित वेतन स्लिप जारी नहीं की जा रही है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का प्रधान कार्यालय और ट्रांसमिशन निदेशालय तथा उनके अधीन पद अब भी फरीदाबाद में हैं;

(ख) कर्मचारियों का पुनः फरीदाबाद तबादला करने अथवा उनका प्रधान कार्यालय बदल कर स्थाई आधार पर नई दिल्ली करने के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है; और क्या इस प्रयोजन के लिये मंत्रिमण्डल सलाहकार समति से अनुरोध किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : जब तक महालेखाकार द्वारा उठाई गई कुछ आपत्तियों का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता, महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, ने फरीदाबाद से नई दिल्ली को स्थानान्तरित अधिकारियों को इजाजत दे दी है कि वे 6 महीने तक अपना वेतन नई दिल्ली में ले लें। इस सम्बन्ध में आवश्यक स्पष्टीकरण महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, को दिया जा रहा है।

Directorate of Social Welfare of Delhi

9719. Dr. Surya Prakash Puri : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Ramavtar Sharma :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 24th February and 11th March, 1968, some serious complaints relating to the grave financial and administrative irregularities in the Directorate of Social Welfare of the Union Territory of Delhi were received by a high officer of Government; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha): (a) Two letters dated 23rd February and 8th March, 1968, making some allegations against the working of the Directorate of Social Welfare of the Union Territory of Delhi were received by the Chief Secretary.

(b) An inquiry has been made. The allegations made are either not substantiated or appear to be misconceived.

Hindustan Central Industry Ltd. Nangloi, Delhi

9720. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of foreign exchange given to M/s Hindustan Central Industry Ltd. Nangloi, Delhi during the last five years;

(b) the total amount realised by Government from this firm as Income-tax during the last five years and the arrears of Income-tax outstanding against them at present; and

(c) the action taken by Government to realise the arrears ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai): (a) The information is not readily available and collection of the same will involve considerable time and labour.

(b) A sum of Rs. 4,16,384 was realised from this concern as income-tax during the last five years. No arrears of Income-tax were due as on 1.4.1968.

(c) Does not arise.

उड़ीसा में खाने वाले तम्बाखू पर बिक्री कर

9721. श्री स० कुण्डू : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने खाने वाले तम्बाखू पर तीन प्रतिशत बिक्री कर लगाया है;

(ख) क्या उड़ीसा तथा केन्द्रीय सरकार के बीच 1957 में यह समझौता हो गया था कि अशोधित तम्बाखू पर बिक्री कर नहीं लगाया जाना चाहिये,

(ग) क्या अतिरिक्त उत्पादन शुल्क उस समझौते के अनुसार लगाया गया था तथा यह स्वीकार कर लिया गया था कि कोई बिक्री कर न लगाया जाये, और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि उपर्युक्त तम्बाखू पर से बिक्री कर हटा लिया जाये ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ख) तथा (ग) जी हाँ ।

(घ) उड़ीसा सरकार से जानकारी हो जाने पर मामले की जाँच पड़ताल की जायगी ।

भारत का आंतरिक लोक ऋण

9722. श्री स० कुण्डू : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) 1967 के अन्त तक भारत का केन्द्र तथा राज्य दोनों को मिलाकर कुल आन्तरिक लोक ऋण क्या था ।

(ख) राज्यों तथा केन्द्र द्वारा सारे आंतरिक ऋण पर 1965 से प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया गया,

(ग) इस ऋण के ब्याज के भुगतान के लिये करों से प्राप्त आय का कितने प्रतिशत भाग इस्तेमाल किया जाता है; और

(घ) अमरीका तथा ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में भारत का ब्याज भार कितना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966-67 के अन्त में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सम्मिलित आन्तरिक सरकारी ऋण की रकम 93,00 करोड़ रुपया थी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकारों द्वारा आन्तरिक सरकारी ऋण पर दिये गये कुल ब्याज की रकम, जिसमें रेलवे, डाक और तार आदि जैसे सरकारी उपक्रमों की ओर से दिया गया ब्याज भी शामिल है, 1965-66 में लगभग 318 करोड़ रुपया और 1966-67 में लगभग 385 करोड़ रुपया थी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज का काफी बड़ा भाग, विभिन्न वाणिज्यिक उपक्रमों और अन्य पार्टियों से, जिन्हें ऋण दिये गये हैं, प्राप्त होने वाले ब्याज से पूरा हो जाता है । इन वसूलियों के लिये कोई समायोजन किये बिना, आन्तरिक ऋण के ब्याज के रूप में अदा की गयी रकम, करों से प्राप्त आय के अनुपात के रूप में, 1965-66 में 10.9 प्रतिशत और 1966-67 में 11.9 प्रतिशत थी ।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों की पूर्ण रूप से तुलना नहीं की जा सकती । 1965-66 में आंतरिक और विदेशी ऋणों पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा, अदा किये गये ब्याज की रकम, उसकी, करों से प्राप्त आय के 11.8 प्रतिशत भाग के बराबर थी । संयुक्त राष्ट्र संघ की सांख्यिकीय वर्ष-पुस्तक (1966) में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन (केन्द्रीय सरकार) और संयुक्त राज्य अमेरिका (संघीय सरकार) के तत्सम्बन्धी आँकड़े क्रमश: 12.2 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत थे ।

Zila Parishads in U.P.

9723. Shri Molahu Prasad : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Zila Parishads of Deoria, Gorakhpur and Basti in Uttar Pradesh have passed resolutions during the last few years and have demanded that a metalled road alongwith the required bridges should be constructed from Deoria to Faizabad via, Rudropur, Nagva, Hata, Gole, Sikriganj, Daughata and Kalwari;

(b) if so, when the road in the backward regions of Deoria, Gorakhpur and Basti districts is likely to be completed; and

(c) the estimated cost of the construction of this road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c): The information will be furnished by the Minister for Transport and Shipping who is concerned.

पी० एल० 480 करार

9724. श्री वेणी शंकर शर्मा : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० एल० 480 करार के समाप्त करने की वांछनीयता पर विचार किया है ।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला, और

(ग) इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) : यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न में कौन से पी० एल० 480 करार का उल्लेख किया गया है । अन्न, कपास और दूसरी वस्तुओं का, निर्दिष्ट मात्राओं में आयात करने के लिए विभिन्न करार तब किये जाते हैं जब इन वस्तुओं का आयात अत्यावश्यक समझा जाता है । अब तक किये गये करारों के आधार पर आयात लगभग पूरा हो गया है और इन करारों में से किसी को समाप्त करने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

दिल्ली के गांवों का नगरीकरण

9725. श्री बलराज मधोक :

श्री जमुना लाल :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बहुत से ग्रामों को नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नगर घोषित किये गये इन क्षेत्रों में अभी तक पानी, शौचालय, पेशाबघर आदि की नगरीय सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन गांवों में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : जी हां । उन सभी गांवों को जो दिल्ली मास्टर प्लान में उल्लिखित नगरीय सीमाओं में आते है, नगर क्षेत्र घोषित कर दिया गया है । तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकार इन गावों के लिये विकास योजनाएं तैयार कर रहा है तथा आंतरिक सेवाओं की व्यवस्था और उनके रख-रखाव के खर्च के प्राक्कलन भी तैयार किये जा रहे हैं । विकास योजनाओं तथा खर्च के प्राक्कलन तैयार होते ही इन ग्रामों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कर दी जायेंगी ।

Electricity and Water Charges Payable by Central Government Employees

9726. Shri Nihal Singh. Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the number of times the rates of electricity and water charges payable by the Central Government employees (Class II, III and IV), category-wise, occuping Government

accommodation were increased during the period from 1957 to 1967 and the extent of increase affected each time; and

(b) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b) : The flat rates of water and electricity charges, based on the actual expenditure incurred by the Government on this account during the preceding year with incidental charges, are recovered in respect of the Government residences which are not provided with independents meters. The rates are fixed on the basis of type of residences and not on the category of employees occupying them. Class II, III and IV employees are generally in occupation of residences of type I, to type V. Seven statements showing the dates of revision of rates of water charges together with the revised rates for each type of residence served with common meters at different periods are laid on the table of the House. **(Placed in Library, See No: LT-1192/68)**

The rates of water charges in respect of type I residences allotted to Class IV employees have been registering upward trend particularly because of gradual withdrawal of subsidy granted by the Government on that account.

As regards electric charges, the residences are provided with independent meters and charges are paid direct by the tenants to the Local Bodies concerned except in the case of chummeries at Lodhi Road for which charges are recovered at flat rates as indicated in Statement No. 4.

Printing of Uttar Pradesh Budget

9727. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Budget has already been printed in Hindi;

(b) whether it is also a fact that it is being reprinted in English;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the amount spent on its printing in Hindi and English, respectively ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to (c) : The Uttar Pradesh Budget was presented to Parliament on the 14th March, 1968. In terms of Section 3(3) (ii) of the Official Languages Act, as amended by the Official Languages (Amendment) Act, 1967, both the English and Hindi versions were supplied to the Lok Sabha Secretariat. There was thus no question of the Budget being re-printed in English.

(d) The Budget documents were printed by the State Government Press at Lucknow, as part of the Government work handled by the Press. It would be difficult to indicate the amount spent on the printing of the documents in Hindi and English separately.

टैगोर थियेटर, नई दिल्ली

9729. श्री मुहम्मद इमाम : श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तेन्नेटि विश्वनाथन :

क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान रिज रोड नई दिल्ली में टैगोर थियेटर के पूरा होने में अत्यधिक विलम्ब के बारे में 12 अप्रैल, 1968 के "हिन्दुस्तान टाईम्ज़" में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके पूरा होने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) थियेटर कब तक पूरा हो जायगा; और

(घ) इस थियेटर के निर्माण के लिये सरकार ने कुल कितनी राशि नियत की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) : एक गैर सरकारी पंजीकृत सोसायटी, रवीन्द्रनाथ टैगोर सेन्टेनरी कमेटी के तत्वावधान में रवीन्द्र रंगशाला का निर्माण कार्य मार्च 1965 में आरम्भ हुआ था 31 मार्च, 1967 तक समिति (कमेटी) ने 35.86 लाख रुपये व्यय किये थे। 1 अप्रैल, 1967 को सरकार ने रंगशाला को अपने अधिकार में ले लिया तथा शेष कार्य पूरा करने के लिये लगभग 11 लाख रुपये का व्यय मंजूर किया। सम्पूर्ण कार्य की फ़रवरी, 1968 तक पूरा हो जाने की संभावना थी। तथापि, निधियों की अत्यधिक कमी के कारण कार्य सम्भावनाओं के अनुरूप पूरा नहीं हो सका। अब ऐसी सम्भावना है कि कार्य इस वर्ष के जून तक पूरा हो जायेगा।

स्टेट बैंक आफ इण्डिया की भिलाई शाखा का दर्जा ऊंचा करना

9730. श्री जे० एच० पटेल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया, भिलाई के कर्मचारियों ने बैंक की शाखा का दर्जा बढ़ाकर उसे "बी" क्षेत्र में रखने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने के प्रयोजन के लिये भिलाई को "बी" क्षेत्र का दर्जा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो स्टेट बैंक द्वारा उसे "बी" क्षेत्र का दर्जा दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां। राज्य बैंक भिलाई की शाखा के कर्मचारियों ने भिलाई को क्षेत्र II में शामिल करने की माँग की है।

(ख) राज्य बैंक ने 1 जनवरी 1966 से भिलाई को क्षेत्र II में शामिल करने का निश्चय किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस मामले पर अखिल भारतीय भारतीय राज्य बैंक कर्मचारी संघ से बातचीत की जा रही थी जिसने कुछ और जगहों का दर्जा बढ़ाने की भी मांग की थी और सभी मांगों पर एक साथ विचार किये बिना पहले कोई अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता था।

महाराष्ट्र में भाटसाई परियोजना

9731. श्री जे० एच० पटेल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** 1 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5951 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भाटसाई परियोजना की क्रियान्विति हेतु नगर निगमों और । अथवा महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सहायता देने का सर्वप्रथम अनुरोध कब किया था;

(ख) परियोजना की पूरा करने के लिये विश्व बैंक । अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की कितनी धनराशि की सहायता की आवश्यकता है ;

(ग) क्या इस परियोजना के बारे में अब तक विश्व बैंक । अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से कोई लिखा पढ़ी भी की गई है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना के लिये पूंजी की व्यवस्था करने को सहमत हो गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) 1964 में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से भटसई योजना संबंधी एक आरम्भिक प्रस्ताव किया था परन्तु सलाहकार की रिपोर्ट के आधार पर, जिसकी शीघ्र ही मिलने की आशा है, राज्य सरकार ने अभी भटसई तथा वैकल्पिक स्रोत का विवरण तैयार करना है ।

(ख) विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी की सहायता आवश्यक होगी या नहीं और यह सहायता कितनी होगी इस प्रश्न का निर्णय भटसई तथा वैकल्पिक योजनाओं के विवरण प्राप्त होने पर ही हो सकेगा ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से सम्भावित ऋण प्राप्त करने के लिए इस योजना के संबंध में विश्व बैंक । अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी से विचार विमर्श हो रहा है । 1967 में महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजन्सी से बातचीत के लिये अमेरिका गये तथा वृहद् बम्बई में जलपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विभिन्न उपायों पर बातचीत करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी के अधिकारी भी भारत आए ।

(घ) महाराष्ट्र सरकार को यह बता दिया गया था कि इस योजना का खर्च इसकी क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी एजन्सी के पास उपलब्ध साधनों में से ही चलाना पड़ेगा ।

विदेशी चीनी पकड़ी जाना

9732. श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी और रूसी निशान लगे हुए बोरों में 15 क्विण्टल चीनी हाल ही में बरौनी सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा पकड़ी गई है,

(ख) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि यह चीनी कहां से आई, और

(ग) इस प्रकार की तस्करी के साधन को रोकने तथा समाप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 10 अप्रैल 1968 को

बरौनी में चीनी के 16 बोरे पकड़े गये थे, जिनमें से एक बोरे पर चेकोस्लोवाकिया के निशान बने हुए थे। अन्य 15 बोरों पर कोई निशान नहीं थे ।

(ख) इस बात का पता लगाया जा रहा है कि ये 15 बोरे कहां से आये ।

(ग) इस प्रकार का तस्कर आयात जिस रास्ते अथवा माध्यम से होने की सम्भावना है उसे रोकने के लिये निरोधक तथा गुप्तचर्या सम्बन्धी उपाय बढ़ा दिये गये हैं ।

ट्राम्बे उर्वरक कारखाना

9733. श्री हिम्मतसिंहका : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे उर्वरक कारखाने ने गन्धक के तेजाब के बदले नाइट्रिक तेजाब का प्रयोग करके एक अद्वितीय सम्मिश्र उर्वरक तैयार किया है;

(ख) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि देश में गंधक के तेजाब की अत्यधिक कमी है और उसकी सप्लाई के लिये भारत को पूर्णतः आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, क्या सरकार का विचार इस उर्वरक के निर्माण में नाइट्रिक तेजाब के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) ट्राम्बे उर्वरक कारखाना नाइट्रिक अम्ल और द्वि-अमोनियमफास्फेट को प्रयोग करके नाइट्रो-फास्फेट का उत्पादन कर रहा है ।

(ख) और (ग) : नाइट्रो-फास्फेट के उत्पादन के लिये नाइट्रिक अम्ल के प्रयोग पर वास्तविक रूप में विचार किया गया और गंधक की निर्भरता को कम करने के विचार से कार्यान्वित किया गया । क्योंकि इस प्रक्रिया (प्रोसेस) में फास्फेट की जल-विलयता सीमित हो जाती है और सस्य विज्ञानियों के अनुसार कई मिट्टियों और फसलों के लिये अधिकतर जलविलयता की आवश्यकता होती है ; सम्मिश्र उर्वरक के उत्पादन में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए च्ययनाधार पर करना होता है । उत्पादन की किसी विशेष योजना को स्वीकृति या कार्यान्वित करते समय इन पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ।

आयकर विभाग के कार्यकरण की जांच

9734. श्री गाडिलिंगन गौड : **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक संसत्सदस्यों ने सरकार को एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें आयकर विभाग की कार्यप्रणाली की कड़ाई से जांच करने की मांग की गई है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) यह अनुरोध किया गया है कि एक उच्चाधिकार प्राप्त आयोग तत्काल नियुक्त किया जाय, जो आयकर विभाग की कार्यप्रणाली पर विचार करे और उसकी कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा देश में प्रत्यक्ष करों के प्रशासन को चुस्त बनाने के उपायों के बारे में सुझाव दे । माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव किया है कि उस आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्चन्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिये और उसके सदस्यों में, एक उच्चन्यायालय का आयकर सम्बन्धी मामलों का अनुभवी न्यायाधीश, तीन प्रशासक और पांच संसद-सभा-शास्त्री सम्मिलित होने चाहिये । ज्ञापन में दिये गये सुझावों पर सरकार विचार कर रही है ।

Indus Waters Dispute Talks

9735. Shri Y.S. Kushwah : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the decisions taken at the talks held between the representatives of India and Pakistan which commenced on the 18th April, 1968 regarding the Indus Water dispute ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : There is no 'Indus Water dispute' as referred to in the question, and no talks were held between the representatives of India and Pakistan regarding any Indus water dispute. However, the Permanent Indus Commission comprising the Indian Commissioner and the Pakistan Commissioner for Indus Waters in its last meeting which commenced on 18th April, 1968 finalised its annual report and submitted it to the Govt. of India and the Govt. of Pakistan on 23rd April, 1968. Other important items discussed and agreed to by the two Commissioners were the adhoc arrangements for distribution of supplies of the Sutlej and the Beas in the water accounting period May 1-10 to July 11-20, 1968 and Commission's programme for its future meetings and tours of inspection.

उत्तरी जोन में जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

9736. श्री उमानाथ : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

श्री चक्रपाणि :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक ने उत्तरी क्षेत्र बीमा कर्मचारी संघ के प्रधान को आश्वासन दिया है कि किसी भी कर्मचारी को मुअत्तिल या गिरफ्तार नहीं किया जायेगा,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के चण्डीगढ़ डिवीजन के डिवीज़नल मैनेजर ने इस आश्वासन का उल्लंघन किया है और कुछ कर्मचारियों को मुअत्तिल कर दिया है, और

(ग) क्या उत्तरी क्षेत्र बीमा कर्मचारी संघ की ओर से इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) : चंडीगढ़ में जीवन बीमा निगम के प्रभागीय कार्यालय के 5 कर्मचारियों को पुलिस द्वारा 9 अप्रैल 1968 को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन पर जीवन बीमा निगम के उन कुछ कर्मचारियों के घरों पर हिंसा की वारदातें करने का आरोप था जो हड़ताल के दिन कार्यालय में उपस्थित हुए थे अथवा जिन्होंने छुट्टी ली थी। कर्मचारी विनिमय 36 (1) (ख) के अन्तर्गत मुअत्तल किये जाने के पत्र 10 अप्रैल 1968, को जारी किये गये। 14 अप्रैल को कर्मचारी-संघ के उत्तरी क्षेत्र का अध्यक्ष क्षेत्रीय मैनेजर, नई दिल्ली से मिला जिससे उसने निवेदन किया कि क्योंकि कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि क्षेत्रीय मैनेजर से 18 अप्रैल, 1968 को दोबारा मुलाकात करने वाले थे इसलिये उस तारीख तक चण्डीगढ़ प्रभागीय कार्यालय के किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाये। जिन कर्मचारियों को मुअत्तल करने के आज्ञा-पत्र 4 दिन पहले ही जारी किये जा चुके थे, उनको छोड़कर बाकी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई आगे कार्यवाही न करने की बात को क्षेत्रीय मैनेजर ने मंजूर कर लिया। 16 अप्रैल, 1968 को कर्मचारी-संघ ने क्षेत्रीय मैनेजर को पत्र लिखा और उसमें यह आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय मैनेजर ने अपना आश्वासन भंग किया था क्योंकि पाँच व्यक्तियों को मुअत्तल किया गया था। यह क्षेत्रीय मैनेजर द्वारा दिये गये आश्वासन का भंग नहीं था क्योंकि ये पत्र 10 अप्रैल 1968 को ही रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे जा चुके थे।

कलकत्ता नमक झील को कृषि योग्य बनाने के काम में अनियमितताएं

9737. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता नमक झील को कृषि योग्य बनाने के काम में अनियमितताओं का पता लगा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) उत्तरी नमक की झील को कृषि योग्य बनाने की योजना में किसी अनियमितता का पता नहीं चला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता के अस्पतालों में रोगियों पर शुल्क

9738. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री देवेन सेन :
श्री गणेश घोष :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि कलकत्ता के सरकारी अस्पतालों में बहिरंग रोगियों तथा अन्तरंग रोगियों पर शुल्क लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू०

मूर्ति) : (क) और (ख) अभी कोई शुल्क नहीं लगाया गया है। वैसे इस संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पोंग बांध तथा सतलज, व्यास सम्पर्क निर्वासित पुनर्वास समिति

9739. **श्री हेमराज :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध तथा सतलज व्यास सम्पर्क निर्वासित पुनर्वास समिति के, जो 1967 के आम चुनावों के कारण भंग कर दी गई थी, पुनर्गठन के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय का कोई अधिकारी उसका सभापति होगा; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) व्यास पुनर्वास समिति की पुनः स्थापना के बारे में व्यास निर्माण बोर्ड विचार कर रहा है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

महिलाओं में अनैतिक पण्य दमन करने के लिये विशेष महिला पुलिस

9740. **श्री महन्त दिग्विजयनाथ :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक पण्य बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि अब तक सरकार द्वारा किये गये सभी उपाय असफल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या देश में ऐसे अनैतिक पण्य को दमन करने के लिये सरकार का विचार विशेष महिला पुलिस नियुक्त करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ)। स्त्रियों और लड़कियों में अनैतिक पण्य दबाने सम्बन्धी अधिनियम 1956, के कार्यान्वन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है ; और उनके लिये उचित यह है कि अधिनियम लागू करने की व्यवस्था निश्चित करें ।

कलकत्ता महानगर जिले का विकास

9741. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से कलकत्ता महानगर जिले के विकास के लिये विशेष अनुदान देने के बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार को कलकत्ता महानगर आयोजन संगठन से भी ऐसा ही ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ,तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Poetic Symposia on Family Plannin Programme.

9742. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5000 on the 25th March, 1968 and state :

(a) whether such poetic symposia were held in the States also and if so, the names thereof;

(b) the number of Hindi and Urdu poets called by the Centre and States in these poetic symposia :

(c) the amount paid to each Hindi and Urdu poet as Travelling allowance and remuneration by Government and the basis thereof; and

(d) the details regarding the expenditure incurred on the organisation of these programmes besides the amount spent on the Hindi and Urdu poets ?

The Minister of State for Health, Family Planning and Urban Development : (a) and (b) Information in regard to symposia held by the State is being collected. Number of Hindi and Urdu poets called by the Centre for the poetic symposia held in New Delhi were 25 and 26 respectively:

(c) The amount paid by the Centre in the symposia to each Hindi and Urdu poet as remuneration and T.A. is given in appendix I. **(Placed in Library. See No. LT-1193/68)** The remuneration was approved on **ad-hoc** basis by the Family Planning Mushira and Kavi Sammelan Committee after taking into consideration the standing of the poets and the fees usually charged by them for participation in Poetic Symposia.

(d) The details regarding the expenditure incurred by the Centre on the organisation of the programme is given in appendix II. **(Placed in Library. See No. LT-1193/68)**

Committee to enquire into unaccounted money with film artistes.

9743. Shri Arjun Singh Bhadoria : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a Committee to look into the question of unaccounted money possessed by the film artistes; and

(b) if so, the details thereof ;

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) : A Study Team of Departmental Officers has been appointed to study the problem of tax evasion in general, with special reference, among others, to film artistes.

अपना कारोबार करने वाली कम्पनियों के लिये योजना

9744. श्री वीरभद्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपना कारोबार करने वाले व्यक्तियों के लिये सरकार ने कोई योजना अन्तिम रूप से तैयार की है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस योजना से क्या क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई), (क) और (ख) : जन-साधारण के लिये भविष्य निधि योजना शुरु करने का, सरकार का विचार है । इस प्रकार की भविष्य निधि योजना चालू करने के लिये कानून बनाने का आवश्यक अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से, 18 अप्रैल 1968 को लोक-सभा में लोक भविष्य निधि विधेयक पेश किया गया था और वह 2 मई, 1968 को सभा द्वारा पास कर दिया गया था । योजना की मुख्य-मुख्य बातें 2 मई, 1968 को विधेयक पर विचार करते समय स्पष्ट कर दी गयी थीं ।

(ग) यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक उपाय है जो खास तौर पर अपना कारोबार करने वाले ऐसे व्यक्तियों के लिये है जिन्हें इस समय किसी भी निधि योजना के अंतर्गत अंशदान देने का अवसर प्राप्त नहीं है । इस निधि में किये गये अभिदानों से सरकार को सामाजिक और विकास-सम्बन्धी योजनाओं के लिये वित्त-व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी ।

नैनीताल में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की बैठक

9745. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनीताल में परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्मेलन में अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि जनमत विवाह की आयु बढ़ाने तथा गर्भपात के मामले में नर्मी बरतने के पक्ष में हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला था ; और

(ग) क्या सरकार परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देने के लिये व्यापक व्यवहार प्रणाली का विकास करने की योजना बना रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चन्द्र-शेखर) : (क) और (ख) जी हां । निम्नलिखित आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया था :—

(1) गर्भ पात कानून को उदार बनाने के लिये :— शान्तिलाल शाह समिति ने जिसका गठन इस प्रश्न का अध्ययन करने के लिये किया गया, चिकित्सा और विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों और विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक संस्थाओं को प्रश्नावलियां भेजी थीं । समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन विशेषज्ञों । संस्थाओं में से अधिकांश ने इस कदम का समर्थन किया । इसके पश्चात् राज्यों । सार्वजनिक निकायों । संस्थाओं को यह रिपोर्ट भेजी गई और उनके विचार इस दिशा में सामान्यतः अनुकूल थे । समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टें भी इस उपाय का सामान्यतः समर्थन प्रकट करती हैं ।

(2) **लड़के और लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु में वृद्धि है** । :—केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की जून 1966 और अक्तूबर 1967 की बैठकों में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया और समाचार पत्रों और मेरे मन्त्रालय के साथ किये गये पत्र-व्यवहार में भी इस पर विस्तृत रूप से विचार किया गया । समाचार पत्रों के और प्रतिष्ठित व्यक्तियों, नेताओं, सामाजिक संगठनों की राय सामान्यतः इस उपाय के पक्ष में रही है ।

(ग) जी हां, । एक योजना विचाराधीन है और उसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

9746. श्री० अ० दीपा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने उनसे, प्रधान मंत्री से तथा अन्य मंत्रियों से अपने राज्य की कुछ समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया था और यह अनुरोध किया था कि तालचेर ताप बिजली घर बालीमेला परियोजना महानदी ताइकोना भीमी तथा सिंचाई रेलों और उद्योगों के विकास के लिये विशेषतया फूलबनी जिले में विकास-कार्यों के लिये केन्द्र द्वारा और अधिक धन दिया जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ ।

(ख) मुख्य मंत्री को बता दिया गया था कि राज्य सरकार को पहले ही से मंजूर की गयी सहायता के अतिरिक्त और धन देना भारत सरकार के लिये संभव नहीं होगा ।

उड़ीसा को केन्द्रीय सहायता

9747. श्री अ० दीपा :

श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री उस राज्य की घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा सूखाग्रस्त जिलों की समस्याओं के बारे में उनसे तथा प्रधान मंत्री से विचार विमर्श करने के लिये हाल में दिल्ली आये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा सरकार द्वारा श्रेणीवार विकास कार्यों के लिये मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) उड़ीसा के मुख्य मंत्री ने प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री से हाल में उड़ीसा के विकास-कार्यक्रमों से सम्बद्ध कुछ सामान्य विषयों और उनके लिये वित्त प्रबन्ध करने की समस्याओं के बारे में बातचीत की थी । मुख्य मन्त्री को बता दिया गया था कि राज्य सरकार को पहले ही से मंजूर की गई सहायता के अतिरिक्त और धन देना भारत सरकार के लिये संभव नहीं होगा ।

राजस्थान में मलेरिया का उन्मूलन

9748. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान से प्राप्त समाचारों के अनुसार मलेरिया के रोगियों की संख्या 1965 की तुलना में 1967 में नौगुना बढ़ गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इसका मुख्य कारण केन्द्रीय तथा राज्य दोनों परियोजनाओं में काम करने वाले मजदूर हैं जो अपने साथ मलेरिया के रोगाणु वहां ले आते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि इस रोग को रोकने के लिये अतिरिक्त सहायता दी जाये ; और

(घ) क्या इस अनुरोध पर विचार कर लिया गया है और यदि हां, तो मलेरिया को रोकने के लिये राज्य सरकार को क्या सहायता दी गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। इसके मुख्य कारण इन स्थानों पर सन्निरीक्षण की अपर्याप्तता, सामग्री की कमी तथा वैक्टरों की बढ़ी हुई प्रतिरोधिता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल कर्म केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की बैठक

9749. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने, जिसकी बैठक इस सप्ताह नैनीताल में हुई थी ; बन्ध्यीकरण को सबसे अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का भी कोई अध्ययन किया है कि गत दो वर्षों में बन्ध्यीकरण कार्यक्रम का लाभ उठाने वाले कितने प्रतिशत लोग हिन्दू हैं और कितने प्रतिशत मुसलमान अथवा ईसाई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कुल मिलाकर जनसंख्या पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का ऐसा विचार है कि केवल एक ही सामुदायिक लोगों पर बन्ध्यीकरण लागू न किया जाये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्यमंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर) : (क) जी हां। 17 और 18 अप्रैल, 1968 को नैनीताल में हुई बैठक में केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने सिफारिश की है कि राज्यों को बन्ध्यीकरण कार्यक्रम को अधिक लोकप्रिय

बनाने के लिये प्रयत्नों को और प्रबल बनाया जाये। पारित संकल्प की एक प्रति संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1194/68)**

(ख) जी हां। अनेक स्थानीय अध्ययनों की उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि विभिन्न समुदायों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति लगभग उनकी जनसंख्या के अनुरूप ही हुई है। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति संलग्न है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1194/68)**

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक्टरी शिक्षा का पुनरीक्षण करने के लिये मंत्रियों की समिति

9750. श्री दामानी : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की डाक्टरी शिक्षा का समूचे रूप से पुनरीक्षण करने के लिये मन्त्रियों की एक समिति गठित की जा रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो किन किन विषयों पर इसे प्रतिवेदन पेश करने को कहा गया है ; और

(ग) क्या यह समिति स्नातकपूर्व स्तर के पाठ्यक्रमों में समानता लाने की आवश्यकता की भी जांच करेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क), (ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की कार्यकारी समिति ने 19-4-68 को हुई अपनी बैठक में देश में चिकित्सा शिक्षा की सम्पूर्ण समीक्षा के लिये मन्त्रियों की एक समिति के गठन की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं किया है।

विदेशी माल का तस्कर व्यापार

9751. श्री राजदेव सिंह :

श्री बीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी माल का तस्कर व्यापार प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है,

(ख) उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क प्राधिकारियों और पुलिस को सतर्क करने के अलावा तस्करी को समाप्त करने के लिये क्या निरोधी उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या देश में बनने वाले माल की तुलना में तस्करी का यह माल सस्ता और अच्छी किस्म का है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश में बनने वाले माल को सस्ता और अच्छी किस्म का बनाने के लिये क्या उपाय सोचे गये हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में तस्कर

आयात द्वारा लाये गये माल की संख्या का सही सही अनुमान करना असम्भव है । सरकार के पास यह बताने के लिये भी कोई सामग्री नहीं है कि विदेशी माल का तस्कर आयात प्रतिवर्ष बढ़ रहा है ।

(ख) तस्करी को रोकने के लिये किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं :—

सूचना को ठीक ढंग से इकट्ठा करना और उसके पीछे लगे रहना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, समुद्री-किनारों तथा भू-सीमाओं के पार हो सकने योग्य भागों की गश्त करना, सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत भारी दण्ड लगाने के अलावा उचित मामलों में मुकदमा चलाना तथा विभागीय न्याय-निर्णयों के मामलों में निषिद्ध वस्तुओं की जब्ती । जिन मामलों में पकड़े गये माल का एक लाख रुपये से अधिक होता है, उनमें मुकदमे की कार्यवाही के पश्चात् सीमा शुल्क अधिनियम में अब कारावास के अधिक भारी दण्ड की व्यवस्था की गई हैं । सोने के तथा हीरे और घड़ियों के अभिग्रहण के मामले में सीमाशुल्क अधिनियम में यह भी व्यवस्था कर दी गयी है कि माल के चोरी छिपे न लाये जाने का सबूत देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होगी, जिसके पास से माल पकड़ा गया हो । यह उपबन्ध हाल ही में निम्नलिखित वस्तुओं पर भी लागू कर दिया गया है,

(i) सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुएं
(ii) मेकेनिकल लाइटर तथा उसके लिये चकमक पत्थर
(iii) ताश
(iv) सेफ्टी रेजर की ब्लेडें
(v) सिगरेट
(vi) ट्रांजिस्टर तथा डायोड्स
(vii) संश्लिष्ट सूत तथा धात्विक सूत और
(viii) पूर्णतया संश्लिष्ट सूत अथवा मुख्यत: संश्लिष्ट सूत से बने कपड़े ।

(ग) तस्करी का कुछ माल सस्ता तथा अच्छी किस्म का होता है । कुछ माल के बारे में उपभोक्ताओं को गलत धारणा हो सकती है कि विदेशी माल अच्छी किस्म का होता है ।

(घ) : महानिदेशक, तकनीकी विकास, विभिन्न राज्यों के उद्योगों के निदेशक, लघु-उद्योगों के विकास आयुक्त आदि अपने निज के कार्यक्षेत्र में उद्योगों को उनके उत्पादों की किस्म सुधारने तथा उनकी कीमतें कम करने में सहायता देते हैं । टैरिफ आयोग ने उसे निर्दिष्ट की गई उत्पादों की लागत की रूपरेखा का निरीक्षण करते हुये संबंधित उद्योग की सहायता करने के लिये उपाय तथा साधनों की सिफारिश की है जिसमें उसके उत्पादों में सुधार भी शामिल है । इस सम्बन्ध में सिविल सम्भरण का आयुक्त भी कुछ उद्योगों की सहायता करता है । विभिन्न देशी उत्पादों के लिये स्वीकार्य मानक प्रस्तुत करके भारतीय मानक संस्था भी सहायता करती है ।

पी० एल० 480 निधियां

9753. श्री गं० च० दीक्षित :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री भारत सिंह चौहान :

श्री हो० ना० मुकर्जी श्री बृज भूषणलाल

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास स्थित अमरीकी कौंसल श्री फ्रैंसिस टामस ने भारत में पी० एल० 480 निधि को बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में 20 अप्रैल, 1968 को हैदराबाद में जो वक्तव्य दिया था उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार ने, आन्ध्र प्रदेश वाणिज्य और उद्योग मंडल तथा श्री टामस के बीच हुई बातचीत के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में जो खबरें छपी हैं उन्हें देखा है। श्री टामस के अनुसार, ये खबरें बिल्कुल गलत हैं और जिन विचारों को प्रकट करने के बारे में उन पर आरोप लगाया गया है वे उनसे सहमत नहीं हैं। इस बात को देखते हुये सरकार इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझती।

रूसी रिगों और मशीनों का आयात

9754. श्री गं० च० दीक्षित : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल निकालने तथा छिद्रण कार्यों के लिये रूस से कितने मूल्य के ऐसे रिग तथा अन्य मशीनें आयात की गईं जिनका अब तक उपयोग नहीं किया गया है ;

(ख) वे भारत में किस वर्ष में और किस महीने में पहुंची थीं; और

(ग) क्या इनका इसलिये उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि वे पुराने ढंग की हैं।

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) : रूस से आयातित तमाम रिगों और मशीनों को उपयोग में लाया गया है। ये रिगें और मशीनें मई, 1956 से अक्तूबर, 1963 की अवधि के बीच खरीदी गईं और विभिन्न प्रेषणों में तथा विभिन्न समय पर प्राप्त हुई, जिनके पूरे ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा नदी जल विवाद

9755. श्री क० नारायण राव :

श्री रवि राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि कृष्णा जल विवाद को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के अन्तर्गत किसी न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को लिखा गया है कि राष्ट्र के

व्यापक हित को ध्यान में रखते हुये यह बहुत जरूरी है कि इस विवाद को शीघ्र हल किया जाए उनके उत्तरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

राज्यों में कृषि ऋण निगम

9756. श्री वीर भद्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में, कृषि ऋण निगमों की स्थापना की व्यवस्था करने वाला एक विधेयक आज ही पेश किया जा रहा है।

(ख) 1. असम, बिहार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के राज्यों में तथा मणिपुर, और त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्रों में निगमों की स्थापना की जा सकती है। कोई दूसरा राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के बाद, ऐसा निगम स्थापित कर सकता है।

2. प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार, निगम की अधिकृत पूंजी एक करोड़ और पांच करोड़ रुपये के बीच रहेगी। शेयर पूंजी में, केन्द्रीय सरकार का अंशदान 30 प्रतिशत और राज्य-सरकार का 20 प्रतिशत और रिजर्व बैंक का 20 प्रतिशत होगा, और बाकी 30 प्रतिशत का अंश-दान, भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों, अन्य वाणिज्यिक बैंकों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायगा।

3. निगम का प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड द्वारा चलाया जायगा, जिसमें सात व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक केन्द्रीय सरकार द्वारा नामजद किये जायेंगे और दो निदेशक राज्य सरकार नामजद करेगी जिनमें से एक गैर-सरकारी सदस्य होगा। रिजर्व बैंक, एक निदेशक नाम-जद करेगा और दूसरे दो निदेशक, राज्य-बैंक, इसके सहायक बैंकों, और खाद्य निगम द्वारा, यदि निगम में उनके शेयर हों, चुने जायेंगे।

4. इस निगम का मुख्य काम किसानों, कृषि विपणन संस्थाओं और माल तैयार करने वाली संस्थाओं, खेती-बाड़ी की सहकारी समितियों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों और बुनियादी कृषि ऋण समितियों को कृषि तथा उससे सम्बन्धित काम काज के लिये ज्यादा से ज्यादा पांच वर्ष की अवधियों के लिये ऋण और अग्रिम देना है। इस निगम को, दूसरी तरह का ऐसा कारबार करने का भी अधिकार होगा जो एक सहकारी बैंक, सामान्य रूप से करने का अधिकारी होता है।

5. यह निगम, जनता से जमा के रूप में रकमें लेगा और रिजर्व बैंक से अपने कारोबार के लिये आवश्यक रकमें उसी तरह से उधार लेगा जैसे एक राज्य सहकारी बैंक रकमें उधार लेता है, और इसके अलावा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और उन दूसरी संस्थाओं से भी उधार लेगा, जनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार स्वीकृति प्रदान करे।

6. रिजर्व बैंक को, निगम की उधार देने की नीति तथा अन्य मामलों के बारे में उसे हिदायतें देने के लिये वे आवश्यक अधिकार दे दिये जायेंगे, जो एक सहकारी बैंक के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को पहले से ही हासिल हैं।

भारत में विदेशी गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा पूंजी विनियोजन

9757. श्री काशीनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1967 तक की अवधि में प्रति वर्ष अमरीका, रूस, जर्मनी और फ्रांस के गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा भारत में विभिन्न कारोबारों में कितनी कितनी पूंजी लगाई गई ; और

(ख) भारत में पूंजी विनियोजन से इन देशों को कितना वार्षिक मुनाफा भेजा गया।

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : सभा की मेज पर दो विवरण रख दिये गये हैं। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1195/68)**

दाहेज में दूसरा तेल शोधक कारखाना

9758. श्री एम० बी० राणा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला बड़ौच और दाहेज में तेल पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर दूसरा तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीरघुरामैया) (क) 1960 में बरोच जिले के अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल पाया गया और क्षेत्र में अब उत्पादन हो रहा है। दाहेज में अभी तक किसी तेल कुंए का छिद्रण नहीं किया गया है और इसलिये इस खण्ड में तेल क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) और (ग) : जी नहीं। दूसरे शोधन कारखाने की स्थापना का प्रश्न तब उठता है जब कच्चे तेल की पर्याप्त अतिरिक्त मात्राएं उपलब्ध हों जो गुजरात शोधन कारखाने में इसके विस्तार के पश्चात प्रक्रिया कृत न हो सकती हों।

आयकर विभाग बम्बई में एक प्रश्न की संसदीय कार्यवाही का वितरण

9759. श्री शंकरराव माने :

श्री रमेशचन्द्र व्यास :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स फ्री प्रेस जनरल में प्रकाशित मैसर्स राम नारायण एण्ड सन्स, बम्बई के आयकर निर्धारण के बारे में 1 अप्रैल 1968 में तारांकित प्रश्न की कार्यवाही की 400 प्रतियां 2 अप्रैल, 1968 को आयकर विभाग बम्बई में वितरित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतियों का ये वितरण उनके मंत्रालय के आदेशानुसार किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो वितरण किसने किया था ; और

(घ) इस वितरण का क्या प्रयोजन था ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सही है कि फ्री-प्रेस जर्नल की 2 अप्रैल 1968 जिस अंक में मैसर्स रामनारायन एण्ड संस लिमिटेड बम्बई के आय-कर निर्धारणों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 1968 को लोकसभा की कार्यवाही का विस्तृत विवरण था, उसकी कई प्रतियां 2 अप्रैल 1968 को बम्बई के आयकर विभाग के दफ्तर में बांटी गई थी । इस प्रकार की बांटी गई प्रतियों की सही संख्या का पता नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) मालूम नहीं ।

पत्रव्यवहार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम

9760. श्री क० प्र० सिंह देव: क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पत्र व्यवहार द्वारा परिवार नियोजन योजना को लोकप्रिय बनाने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर कितना धन खर्च होने की सम्भावना है ; और

(घ) उससे क्या क्या लाभ होने की संभावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री चंद्र-शेखर) : (क) और (ख) देश भर में लगभग 20 लाख परिवार नियोजन मार्गदर्शकों को प्रेरक साहित्य सीधे पत्र व्यवहार द्वारा भेजने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है । यह साहित्य मार्गदर्शकों को लघु परिवार नियम के लाभों और इसके प्रयोग के तरीके के बारे में सूचित करेगा तथा परिवार नियोजन के लिये लोगों को शिक्षित करने और प्रेरणा देने में उनकी सहायता करेगा ।

(ख) और (ग) पत्र व्यवहार पद्धति का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

आय-कर की बकाया राशि

9761. श्री दामानी : क्या **वित्त** मन्त्री 4 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2607 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी फर्मों से आयकर की बकाया राशि वसूल कर ली गयी है ;

(ख) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने सारी बकाया राशि दे ही दी है ;

(ग) क्या भुगतान समय पर किया गया था, और

(घ) बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) . (क) और (ख) : दो पार्टियों, अर्थात मैसर्स बर्मा सैल रिफाइनरीज लिमिटेड, और ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यूफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड से आयकर की बकाया रकम पूरी तरह वसूल की जा चुकी हैं। दूसरे मामलों में आंशिक अथवा 'शून्य' वसूलियां की जा चुकी है।

(ग) **मेसर्स वर्मा शैल रिफाइनरीज लिमिटेड :** 31-3-1967 को 285.49 लाख रुपये की माँग बाकी पड़ी थी। इसमें कर-निर्धारण वर्ष 1957-58, 58-59, 59-60 और 1960-61 के लिये क्रमश: 3.59 लाख रुपये ; 2.42 लाख रुपये 2.29 लाख रुपये और 4.42 लाख रुपये और कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिये 272.77 लाख रुपये की मांगें शामिल हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1957-58 और 1959-60 तक की मांगें उच्च न्यायालय के आदेश के कारण रद्द की गयी थीं। कर-निर्धारण वर्ष 1960-61 के लिये 4.42 लाख रुपये की मांग अपीलीय सहायक आयकर आयुक्त के आदेश से रद्द की गयी थी। दोनों आदेश 31-3-1967 के बाद प्राप्त हुए थे। कर-निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिये 272.77 लाख रुपये की मांग 27 मार्च 1967 को जारी की गयी थी। अदायगी की नियत तारीख 2-5-1967 थी। उक्त वर्ष की मांग के विरुद्ध निर्धारिती ने 271.94 लाख रुपये का अग्रिम कर 31 मार्च 1967 से पहले ही अदा कर दिया था, परन्तु वह निर्धारिती के नाम पर तभी जमा किया गया जब सरकारी खजाने के खातों में उसका समायोजन किया गया। बाकी 83,000 रुपये 28-4-1967 को अर्थात अदायगी की नियत तारीख से पहले नकद अदा किये गये थे। अतएव निर्धारिती ने वास्तव में कोई चूक नहीं की और अदायगी उचित समय पर की गयी थी।

मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्यूफेक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड : 31-3-67 को कम्पनी के विरुद्ध 148.59 लाख रुपये की रकम बाकी थी। ये बाकी रकमें कर-निर्धारण बर्ष 1960-61 से 1964-65 तक के वर्षों से सम्बन्ध रखती थीं और निम्नलिखित प्रकार से उनकी अदायगी की जानी थी :—

कर-निर्धारण वर्ष	रकम (रुपये लाखों में)	कब देय थी
1960-61	1·51	अप्रैल, 1965
1961-62	4.01	अप्रैल, 1966
1962-63	9.42	मई, 1967
1963-64	18.34 (अनन्तिम मांग)	अक्तूबर, 1964
1964-65	115.31 (अनन्तिम मांग)	फरवरी, 1965

9.42 लाख रुपये की मांग 30-3-1967 को जारी की गयी थी। निर्धारिती ने 4 लाख रुपये की आंशिक अदायगी अप्रैल, 1967 में की और बाकी बची रकम को भूल-सुधार के लिये उसकी दर-ख्वास्त पर फैसला हो जाने के बाद फरवरी 1968 में अदा किया। दूसरी मांगों अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1960-61 और 1961-62 के लिये नियमित माँगों और कर-निर्धारण वर्ष 1963-64 और 1964-65 के लिये अनन्तिम मांगों की अदायगी के लिये निर्धारिती ने आयकर प्राधिकारियों से समय-समय पर लिखा-पढ़ी की और उसे ब्याज के साथ रकम अदा करने के लिये मियाद बढ़ाई गयी। निर्धारिती ने अप्रैल, 1967 से मार्च 1968 तक सभी रकमें अदा कीं।

आस्थगित अदायगियों पर लगने वाले ब्याज की 4.24 लाख रुपये की रकम की वसूली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देय रकमों की अदायगी में निर्धारितियों द्वारा कोई चूक नहीं की गयी है ।

(घ) चूंकि उपर्युक्त दोनों पार्टियों ने पूरी तरह अदायगियाँ कर दी हैं इसलिये वसूली के लिये अन्य कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता । दूसरे मामलों में वसूली के लिये कानून में उपलब्ध सभी उचित उपाय किये जा रहे है ।

नाईलन का धागा जब्त किया जाना

9762. श्री कडप्पन :

श्री राजा राम :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक चोरी छिपे लाया गया नाईलोन का कितना धागा जब्त किया गया है ;

(ख) जब्त किये गये नाईलोन के धागे को बेचने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) नाइलोन का कितना धागा बेचा गया है और किस मूल्य पर ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

शराब में विष के कारण दिल्ली में मौतें

9763. श्री शशिभूषण वाजपेयी : **श्री गार्डिलिगन गोड़ :**

श्री दी० चं० शर्मा : **श्री अजमल खां :**

श्री अ० सिं० सहगल : **श्री मीठा लाल मीना :**

श्री जुगल मण्डल : **श्री अम्बचेगियान :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में कितने व्यक्तियों की अवैध शराब पीने से हुई मृत्यु के समाचार मिले हैं ;

(ख) अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या मौतों से पता लगा है कि बेचे जाने वाली शराब में कुछ ऐसे रसायन मिले हुये थे कि उनसे उसका नशीलापन बढ़ गया था और यदि हाँ, तो उस रसायन का क्या नाम हैं तथा उसकी बिक्री तथा दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) दिल्ली पुलिस को ऐसी 22 मोतों की खबर मिली जिनके विषय में सन्देह है कि उनका कारण शराब में मिला जहरीला पदार्थ था ।

(ख) अवैध शराब की बिक्री को रोकने हेतु आबकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा कठोर कदम उठाये जा रहे हैं । कुख्यात स्थानों और चौर्यविक्रतताओं पर नैत्यक नियंत्रण रखा

जाता है और अचानक छापे मारे जाते हैं। पिछले छः महीनों के दौरान छापों में अवैध शराब की 24948 बोतलें, 4236½ किलोग्राम लाहन, तथा प्रासव की 4570 बोतलें पकड़ी गई हैं। इस सम्बन्ध में 1100 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

(ग) जाँच परिणामों की प्रतीक्षा है।

Tobacco Dealers in Mathura

9764. Shri Nihal Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of tobacco dealers in Mathura District, Uttar Pradesh against whom cases were instituted during the last five years and the number of those whose godowns have been sealed for various reasons;

(b) whether it is also a fact that some high officers of Excise Department sealed their godowns on the plea that they have stored old tobacco there rather than new one, whereas according to the traders they have stored new tobacco there; and

(c) if so, whether Government have conducted any inquiry in this regard and if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Cases were instituted against 154 tobacco dealers in Mathura District during the last 5 years but no godown was sealed.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये सरकारी ऋण

9765. श्री कार्तिक ओराओं: क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण की राशि में हाल ही में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी हां।

(ख) (i) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमों के अंतर्गत दी जा सकने वाली पेशगी की राशि को आवेदक के मूल मासिक वेतन के 36 गुने से बढ़ाकर 48 गुना कर दिया गया।

(ii) अधिकतम पेशगी की राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये कर दिया गया।

(iii) मकान की संपूर्ण लागत जिसमें जमीन की लागत शामिल है, जो कि आवेदक के मासिक वेतन के 60 गुने अथवा 75,000 रुपये, इनमें जो भी कम हों, से अधिक नहीं होनी थी, उसे बढ़ा कर मासिक वेतन के 60 गुने अथवा 1,00,000 रुपया, इनमें जो भी कम हों कर दी गयी है।

(iv) यदि मकान की सम्पूर्ण लागत (जिसमें जमीन की लागत भी शामिल है) 25,000 रुपये से अधिक नहीं बढ़ती चाहे सरकारी कर्मचारी के मासिक वेतन के 60 गुने से अधिक बढ़ जाये, तब भी पेशगी दी जा सकती है।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण रोक थाम के लिये समिति

9766. **श्री महंत दिग्विजय नाथ :** **श्री रामगोपाल शालवाले :**
श्री रामावतार शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली प्रशासन ने राजधानी में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण की रोकथाम के लिये कठोर उपाय करने हेतु एक समिति स्थापित की है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले एक वर्ष में जुर्माने लगाने के अतिरिक्त अपराधियों के विरुद्ध और क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने खाद्यानों, औषधियों तथा अंगरागों के अपमिश्रण की रोकथाम की मशीनरी को सुदृढ़ करने के लिये 23 नवम्बर 1967 को निम्नलिखित सदस्यों की एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया :—

(1) मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

(2) दिल्ली प्रशासन के पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल दिल्ली ।

(3) म्युनिसिपल कमिश्नर, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली ।

(4) नई दिल्ली नगर पालिका का अध्यक्ष, नई दिल्दी ।

समिति को अभी तक दो बैठकें हुई हैं तथा आयोजित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही करने तथा अदालतों में मामले शीघ्र निपटाने के लिये दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के अधिकारियों तथा दिल्ली के आई० जी० पुलिस के बीच आपसी सहयोग के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं। जनता से भी एक प्रेस नोट के जरिये उन व्यक्तियों। फर्मों के संबंध में सूचना माँगी गई है जिन पर अपमिश्रण करने का शक है।

(क) स्थानीय म्युनिसिपल अधिकारियों ने बहुत से आकस्मिक छापे मारे तथा 1967 में लिये गये नमूनों और सजा की सूचना नीचे दी गई सजा है :—

		ऐसे मामले जिनमें सजा हुई			
लिये गये नमूनों की संख्या	अपमिश्रित पाये गये नमूनों की संख्या	जुर्माने के साथ कैद	केवल जुर्माना	कुल	वसूले गये जुर्माने की राशि
1	2	3	4	5	6
3117	741	393	44	437	4,39,029 रु०

मकानों की समस्या

9767. श्री महंत दिग्विजय नाथ : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कंक्रीट के ढांचे में बिशेषज्ञ अमरीका के, डा० फैलिक्स गुलाका ने सुझाव दिया है कि भारत में मकानों की समस्या अच्छी योजना तथा बहुमंजली इमारतों के निर्माण द्वारा ही हल की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के निर्माण से व्यय में 20 से 30 प्रतिशत तक कमी हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिये एक समिति बनाई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) डा० फैलिक्स कुल्का (डा. फैलिज़ गुलका नहीं) अभी हाल ही में भारत में स्ट्रैक्चुरल इन्जीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, रुड़की के मेहमान थे। उन्होंने राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन के आमंत्रण पर 22 अप्रैल, 1968 को "प्री-स्ट्रैस्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन" पर एक वार्ता दी थी। डा० कुल्का ने मुख्यत: अपनी वार्ता में "प्री-स्ट्रैस्ड कंस्ट्रैक्शन" तकनीकियों पर अमरीका में हुए विकास का ही जिक्र किया था। यद्यपि उन्होंने इसका उल्लेख किया था कि अमरीका में बहुमंजिले आवासीय खडों ने कम कीमत पर आवास-समस्या का समाधान कर दिया है, उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था कि भारत की आवास-समस्या अच्छी योजना तथा बहुमंजिली इमारतों के निर्माण द्वारा ही हल की जा सकती है। "दी स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिंग रिसर्च सेन्टर, रुड़की" ने लिफ्ट-स्लैब निर्माण तकनीकी का उपयोग करते हुए पहले ही प्रयोगात्मक निर्माण आरम्भ कर दिया है।

(ग) जी नहीं।

फिल्मी सितारों की आय

9768. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के फिल्म वितरकों, दिल्ली ने अपने 17 अप्रैल 1968 के खुले पत्र में, जो सूचना तथा प्रसारण मंत्री को संबोधित है और संसद सदस्यों में परिचालित किया गया है, कहा है कि निम्नलिखित फिल्मी सितारों ने उनके नामों के सामने दर्शायी गई फीस ली है, दिलीप कुमार 18 लाख रु०, राजेन्द्र कुमार 15 लाख रु., शम्मीकपूर 11 लाख रु., धर्मेन्द्र 8 लाख रु, मनोज कुमार 8 लाख रु०, देवानन्द 10 लाख रु०, वैजयन्तीमाला 9 लाख रु०, वहीदा रहमान 8 लाख रु०, साधना 9 लाख रु०, राजश्री 8 लाख रु०, माला सिन्हा 7 लाख रु०, नन्दा 5 लाख रु०, नूतन 8 लाख रु०, आशा पारिख 7 लाख रु० शर्मिला टैगोर 6 लाख रु०, शशिकला 3 लाख रु०, बबीता 5 7 लाख रु०, सायरा बानू 8/9 लाख रु०।

(ख) यदि हां, तो क्या इन सितारों को एक वर्ष में औसतन 4-5 फिल्मों में काम करने के लिये रखा जाता है; और

(ग) उपरोक्त फिल्मी सितारों ने वर्ष 1964, 1965, 1966 और 1967 में अपनी कितनी कितनी वार्षिक आय घोषित की है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ प्रमुख फिल्मी कलाकार एक ही समय में एक से अधिक फिल्मों में काम करते हैं।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है तथा सदन की मेज पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया जायगा।

दिल्ली में चोरी छिपे लाये गये माल का पकड़ा जाना

9769. **श्री अम्बचेजियान** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल 1968 के चौथे सप्ताह में दिल्ली में लगभग 150,000 रुपये के मूल्य का चोरी छिपे लाया गया बहुत सा माल पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन वस्तुओं पर विदेशी चिन्ह अंकित थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कुछ रेलवे कर्मचारियों का भी हाथ है; और

(घ) जो लोग इसके लिये उत्तरदायी पाये गये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) 22 तथा 23 अप्रैल 1968 को दिल्ली के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुल मिला कर 20 पैकेज पकड़े जिनमें कुल 1,42,420 रुपये मूल्य के ट्रांजिस्टर रेडियो, ट्रांजिस्टर सेल, चमकीला (रेडिएण्ट) सूत, ब्लेड, नेल कटर, सौन्दर्य-प्रसाधन की सामग्री तथा पैन के रिफिल थे। माल पर बने निशानों से पता चलता है कि ट्रांजिस्टर सैल तथा चमकीला सूत जापान के बने हुए हैं ब्लेड तथा सौन्दर्य-प्रसाधन सामग्री इंगलेड की बनी हुई है, नेल कटर अमरीका के बने हुए हैं तथा ट्रांजिस्टर रेडियों और पेन के रिफिल चीन के बने हुए हैं।

(ग) अब तक की गई पूछताछ से ऐसा संकेत नहीं मिलता कि इसमें रेलवे कर्मचारियों का हाथ है।

(घ) मामले की जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क

9770. **श्री अ० सिंह सहगल** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के सोडा लैमन आदि तैयार करने वाले व्यापारियों की एसोसिएशन ने अपने वार्षिक प्रतिवेदन में सरकार से यह अनुरोध किया है कि क्राउन कार्कों को प्रतिवेदन पटी पर हाल में लगाया गया 144 रुपये के उत्पादन शुल्क के कारण उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और बहुत से छोटे कारखाने बन्द हो गये हैं जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो गई है;

(ख) क्या यह सच है कि सोडा लैमन आदि बनाने वाले बहुत से कारखानों में प्रयोग किये गये क्राउन कार्कों का उपयोग करना आरम्भ कर दिया है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिये हानिकर हैं; और

(ग) क्राउन कार्कों के छोटे निर्माताओं की वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयां दूर करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो क्या ताकि वे उचित दरों पर सोडा लैमन आदि के कारखानों को अपने माल की सप्लाई कर सकें ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) अपनी 23वीं वार्षिक रिपोर्ट में मद्रास एरिएटेड वाटर रिक्विजिट्स मर्चेन्ट्स एसोशिएशन ने यह आशंका व्यक्त की है कि टीन की प्लेट की कीमतें बढ़ जाने से तथा क्राउन कार्कों पर नया उत्पादन शुल्क लगने के कारण देश भर में घरेलू उद्योगों के अन्तर्गत आने वाले हजारों छोटे-छोटे कारखानों को बन्द होना पड़ सकता है।

(ख) यह सच नहीं है कि क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क लगा दिये जाने के बाद से कई एरिएटैड वाटर कारखानों ने पुराने तथा काम में लिये हुए क्राउन कार्कों को फिर से काम में लेना शुरू कर दिया है। यह रिपोर्ट मिली है कि शुल्क के लगाये जाने से पहले भी बिना स्टैण्डर्ड के एरिएटेड वाटर के कुछ छोटे निर्माता पुराने तथा काम में लिए हुए क्राउन कार्कों को फिर से काम में लेते रहे हैं। ऐसे क्राउन कार्कों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अथवा नहीं यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्बन्ध रखता है।

(ग) भारत सरकार ने क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और इन निष्कर्ष पर पहुंची है कि छोटे कारखानों द्वारा निर्मित क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क की छूट के रूप में आर्थिक राहत देना न्याय संगत हीं है। क्राउन कार्कों के छोटे निर्माताओं के उत्पादन शुल्क सम्बन्धी औपचारिक कार्य को सरल बनाने के लिए यदि कोई उपाय आवश्यक हुए तो उनके बारे में, जांच की जा रही है।

Maharashtra State's Cheques Dishonoured by Reserve Bank

9771. Shri Deorao Patil : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cheques issued by the Secretariat of Maharashtra State Legislature in favour of Legislators have been dishonoured by the Reserve Bank of India; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b) : 32 cheques for Rs. 14,705.15 drawn by the Legislature Secretariat of Maharashtra in favour of the Members of the Maharashtra Legislature were returned unpaid by the Reserve Bank on the 15th and 16th April, 1968 as the assignment account on which they were drawn did not have an adequate balance and had not been replenished in time by the Gover nment of Maharashtra.

स्वास्थ्य मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधिकारियों का सेवा-निवृत्ति की आयु के पश्चात सेवा-काल बढ़ाना

9772. श्री सूरज भान : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों में उनके मंत्रालय से जिसमें स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक कार्यालय भी शामिल है सम्बद्ध कुछ तकनीकी तथा गैर-तकनीकी अधिकारियों का

सेवा काल, उनकी सेवा निवृत्ति की आयु अर्थात 58 वर्ष के बाद भी सरकार के स्थायी आदेशों के विरुद्ध बढ़ाया गया है और कुछ मामलों में तो 60 वर्ष की आयु के बाद भी बढ़ाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अधिकारियों के नाम क्या तथा पद नाम क्या है और उन्हें किन कारणों से रखा गया था अथवा फिर से नियुक्त किया गया था ;

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां। सरकार के स्थायी आदेशों के अनुसार।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1196/68]**

क्राउन कार्क पर उत्पादन शुल्क

9773. श्री न० स्व० शर्मा : क्या **वित्त** मन्त्री 15 अप्रैल 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्राउन कार्क के छोटे पैमाने के निर्माताओं की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के मामले में, ताकि उनके व्यापार को बन्द होने से रोका जा सके, कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ;

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : छोटे पैमाने पर क्राउन कार्क के निर्माताओं की दरख्वास्त पर सरकार ने ध्यानपूर्वक विचार किया है और वह इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि—ऐसे निर्माताओं को, क्राउन कार्कों पर उत्पादन शुल्क में कमी के रूप में आर्थिक राहत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Serving of Liquors in Ashoka Hotel, New Delhi

9774. Shri Hardayal Devgun : Shri K.P. Singh Deo :
Shri A.S. Saigal :

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that Ashoka Hotels, New Delhi ; has been served with notice by the Delhi Administration to the effect that liquor is sold and served there in contravention of the Excise Rules; and

(b) if so, the steps taken by Government to meet the objection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) (a) Yes.

(b) Replies have been sent by the Hotel to the Excise authorities denying contravention of Excise Rules and explaining the position. All the same, the management has issued suitable instructions to the employees to be particularly vigilant in enforcing the Excise regulations.

मकान का प्लाट खरीदने के लिए सामान्य भविष्य निधि के लेखे से धन निकालना

9775. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी बीस वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले अपने प्रयोग के लिए प्लाट खरीदने जैसे अत्यावश्यक काम के लिये भी सामान्य भविष्य निधि के अपने लेखे में से अन्तिम रूप से धन नहीं निकलवा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई विशेष व्यवस्था किये जाने की संभावना है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिन्हें नई दिल्ली में पुनर्वास विभाग द्वारा हाल में रिहायशी प्लाट अलाट किये गये हैं, अपने-अपने प्लाट का अवश्य भुगतान करने के लिये अन्तिम रूप से धन निकाल सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं विशेषकर जबकि एक लेखे से दूसरे लेखे में अदला बदली होने से धन सरकारी लेखे में पुनः चला जायेगा ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 20 वर्ष की नौकरी पूरा कर लेने पर अथवा सेवानिवृत्ति से पहले 10 वर्षों के अन्दर, इनमें से जो भी पहले हो, उसमें सामान्य भविष्य निधि से निर्दिष्ट निमित्तों के लिए अन्तिम रूप से धन निकालने की अनुमति है। रिहायशी प्लाट खरीदना निर्दिष्ट निमित्तों में से एक है।

(ख) आवश्यक शर्तें-पूरी करके सभी कर्मचारी अन्तिम रूप से धन निकालने की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 20 वर्ष की नौकरी पूरी होने की शर्त में ढील देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) प्रवर्तमान सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

आंध्र प्रदेश के लिये केन्द्रीय सहायता

9779. श्री क० र० नारायण राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्राय सरकार से अनुरोध किया है कि आन्ध्र प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को राहत देने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक केन्द्रीय दल ने हाल में उन क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उस दल ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) जी, हां।

(घ) सूखा-सम्बन्धी सहायता के खर्च के लिये राज्य सरकार को 1 करोड़ रुपये की रकम दी गयी है। और सहायता, दल की सिफारिशों को ध्यान में रख कर वास्तविक व्यय को देखते हुए, दी जायगी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश का दौरा

9780. श्री प्र० रं० ठाकुर क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने विभिन्न राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों का, जहां अनेक गांवों में

अनुसूचित जातियों के लोगों की हाल ही में बड़े पैमाने पर या संगठित ढंग से हत्या की गई अथवा निर्मम अत्याचार किये गये थे, दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग) - कंचीकचेरला और मुंगेली में हुई घटनाओं का माननीय सदस्य ने जो विवरण दिया है, सरकार उसे स्वीकार नहीं करती । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्राधिकार इस विभाग के अधीन नहीं है; अतः उनकी गतिविधियों पर या अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों की पूर्ति हेतु उन द्वारा अपनाई गई रीति पर कोई नियंत्रण शक्य नहीं ।

तो भी ऐसा समझा जाता है कि कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित ऐसे मामलों में आयुक्त विभिन्न एजेंन्सियों से प्रायः समुचित जानकारी प्राप्त करते हैं; इन (विभिन्न एजेंन्सियों) में राज्य सरकारें, पिछड़ा वर्ग कल्याण का महानिदेशालय, स्वैच्छिक संस्थाएं, अनुसंधान संस्थान इत्यादि शामिल हैं । इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यदि आयुक्त को प्रतीत होता है कि किसी विशेष मामले में अनुसूचित जातियां या अनुसूचित आदिम जातियां किसी ऐसी विशेष आयोग्यता अथवा हानि से पीड़ित हैं जिन्हें सरकार ने समुचित ढंग से ठीक नहीं किया है, तो वे निजी जांच करके अपनी उपपत्तियां उस प्रतिवेदन, जिसे वे संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रपति को पेश करते हैं, में समाविष्ट कर सकते हैं ।

फर्मों को दिये गये ठेके

9781. श्री जुगल मण्डल : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में मार्च, 1968 तक (1) हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, (2) पटेल इंजीनियरिंग कम्पनी, (3) शा कंस्ट्रक्शन कम्पनी, (4) जौली ब्रदर्स लिमिटेड, गम्मन इण्डिया लिमिटेड, (5) सिकन्द कंस्ट्रक्शन कम्पनी और (6) तीरथ राम आहूजा एण्ड कम्पनी को कितने सरकारी ठेके दिये गये हैं; और

(ख) क्या इन फर्मों ने कार्य समय पर पूरे कर दिये थे ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

फिल्मी सितारों द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी विनियमों का उल्लंघन

9782. श्री जुगल मण्डल : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में बनाई गई कुछ फिल्मों की विदेशों में शूटिंग करने के लिये जो फिल्मी सितारे विदेशों में गये थे, क्या उनके द्वारा पिछले पांच वर्षों में तथा मार्च 1968 के अन्त तक विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन किये जाने के कुछ मामलों का पता चला है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं और उन पर कितना जुर्माना किया गया है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

Raid on the Residence of Shri Panna Lal of Kanpur.

9783. Shri Onkar Singh :
Shri J.B. Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Section of the Income-tax Department, Bombay had raided at Kanpur the residence of Shri Panna Lal, the brother of Shri M.C. Kedia, Managing Director of Advance Insurance Company. Bombay;

(b) whether it is also a fact that the said raid was conducted without any authority letter and nothing could be recovered there from; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) : A search was authorised by the Commissioner of Income-tax. Bombay Central Charge, of the portion of premises No. 51/58 Collector ganj, Kanpur. in the occupation of Shri M.C. Kedia and his mother. A portion of these premises was in the occupation of Sarvashri Panna Lal and Amar Nath, brothers of Shri M.C. Kedia. At the time of the search, Shri M.C. Kedia was not present. In order to find out the portion occupied by Shri M.C. Kedia and his mother, the Search Officer had to go through the entire premises.

(c) : In the circumstances stated in reply to parts (a) and (b), the question of taking any action does not arise.

Raid at the Residence of Shri Amar Nath Kedia of Kanpur.

9784. Shri Onkar Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Section of the Income-tax Department Bombay had, without any authority letter, raided at Kanpur the residence of Shri Amar Nath Kedia, the brother of Shri M.K. Redia, Director of Advance Insurance Company;

(b) whether Government consider any raid without the letter of authority illegal; and

(c) if so, the action taken by Government against the persons who have conducted the said raid ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance, (Shri Morarji Desai) :
(a) A search was authorised by the Commissioner of Income-tax, Bombay Central Charge, of the portion of premises No.51/58 Collectorganj, Kanpur, in the occupation of Shri M.C. Kedia and his mother. A portion of these premises was in the occupation of S/Shri Pannalal and Amarnath, brothers of Shri M.C. Kedia. At the time of the search, Shri M C. Kedia. was not present. In order to find out the portion occupied by Shri M.C. Kedia and his mother, the Search Officer had to go through the entire premises.

(b) Yes, Sir. A raid can be conducted only under a valid authorisation issued by a Commissioner of Income-tax or Director of Inspection.

(c) In the circumstances stated in reply to part (a), the question of any action does not arise.

सहायक कलेक्टर के ग्रेड में पदोन्नति

9785. **श्री नायनार** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पूर्व सीमा शुल्क विभाग के मूल्यांकन कर्मचारियों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों में से पदोन्नति करके सहायक कलेक्टरों के सौ से अधिक रिक्त पद भरे गये थे और सहायक कलेक्टर के एक भी पद पर सीमा शुल्क विभाग की निवारक सेवा के किसी कर्मचारी को पदोन्नत करके नियुक्त नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) पदोन्नति का 80 प्रतिशत अंश (कोटा) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के श्रेणी 11 के अधिकारियों के लिए नियत होता है तथा 20 प्रतिशत सीमा शुल्क के श्रेणी 11 के अधिकारियों के लिए । सीमा शुल्क विभाग के प्रधान मूल्यांकक तथा मुख्य निरीक्षक सीमा-शुल्क (कोटा) में से पदोन्नति पा सकते हैं । प्रधान मूल्यांक अथवा मुख्य निरीक्षक के रूप में जैसा भी मामला हो, उनकी सेवा-अवधि के आधार पर योग्य अधिकारियों की एक संयुक्त सूची तैयार की जाती है । 5 मुख्य निरीक्षक श्रेणी 1 में पदोन्नति पाने की योग्यता रखने वाले 5 निरीक्षक थे । 1966 की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किये जाने के लिए उनमें से केवल एक मुख्य निरीक्षक ही पर्याप्त वरिष्ठ था और उसे उक्त पद पर उन्नति पाने के योग्य नहीं पाया गया । शेष चार अधिकारी इतने वरिष्ठ नहीं थे कि वे उस सीमा के अन्दर आ जायें जिस पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया था ।

सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति का प्रतिवेदन

9786. **श्री नायनार** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अखिल भारतीय सीमा शुल्क निरोध सेवा महासंघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें निरोध सेवा के संवर्गों एक और संवर्ग दो को मिलाने की प्रार्थना की गई है;

(ख) क्या श्री डी० एन तिवारी के अध्ययन दल ने निरोध सेवा के संवर्ग 11 को समाप्त करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सिफारिश को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है और उस पर निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा ।

दस रुपये का नया नोट

9787. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में सरकार दस रुपये का नया नोट जारी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसका आकार क्या होगा; और

(ग) नोट के आकार, प्रकार तथा छपाई में नवीनता लाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ।

(ख) दस रुपये के नये नोट का आकार 137 मिलीमीटर 63 मिलीमीटर अर्थात वही होगा जो दस रुपये के वर्तमान (घटाये हुए) आकार के नोट का है।

(ग) इस आशय की कुछ शिकायतें मिली हैं कि घटाये हुए आकार के दस रुपये के नोटों और एक रुपये के नोटों का अन्तर आसानी से दिखाई नहीं देता, खास करके जब दस रुपये के नोट की तह की गयी हो। नोट के आकार प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा, लेकिन उसके रंग और डिजाइन में फेर-बदल किया जा रहा है, ताकि वह आसानी से पहिचाना जा सके। इस सम्बन्ध में लोक-सभा के 21-12-1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5280 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

कुछ कम्पनियों को विदेशी मुद्रा का दिया जाना

9788. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 वर्षों में मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल, कलकत्ता, (2) मैसर्स खेम चन्द राजकुमार और (3) मैसर्स राम किशन कुलवन्तराय, कलकत्ता तथा उनकी सम्बद्ध कम्पनियों को अपने व्यापार के विस्तार तथा मशीनों या कच्चे माल के आयात के लिये कितनी कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ; और

(ख) क्या इन फर्मों में से किसी फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कारबार के विस्तार या मशीनों या कच्चे माल के आयात के लिये दी गई विदेशी मुद्रा की रकम के सम्बन्ध में, प्रत्येक फर्म के अलग आंकड़े नहीं रखे जाते, इसलिये, इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) संदिग्ध दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता चला है और इस सम्बन्ध में जाँच पड़ताल की जा रही है।

कुछ कम्पनियों द्वारा वास्तविक मूल्य से कम मूल्य के बीजक बनाये जाना

9789. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 से 1967 तक की अवधि में (1) मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल, कलकत्ता, (2) खेम चन्द राजकुमार, कलकत्ता, (3) रामकिशन कुलवन्तराय, कलकत्ता तथा उनसे सम्बद्ध कम्पनियों द्वारा निर्यात किये गये माल के वास्तविक मूल्य से कम मूल्य के बीजक बनाये जाने के परिणामस्वरूप भारत को कितने धन की हानि हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सम्बन्धित फर्मों में से किसी के बारे में, प्रश्न में निहित अवधि के लिये निर्यात के बीजक में कम मूल्य दिखाये जाने का

कोई ऐसा मामला नजर में नहीं आया है जिससे देश को आर्थिक हानि हुई हो ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुछ कम्पनियों पर बकाया आयकर

9790. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (1) राम किशन कुलवन्त राय, कलकत्ता (2) मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल, कलकत्ता, (3) खेमचन्द राजकुमार और उनसे सम्बद्ध कम्पनियों पर इस समय आयकर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या इन फर्मों के बारे में किसी कर अपवंचन के मामले का पता लगा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बकाया राशि को वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

कुछ कम्पनियों पर आयकर की बकाया राशि

9791. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय (1) ऐस्कोर्टस लिमिटेड, फरीदाबाद, (2) लार्सन एण्ड टाडब्रो लिमिटेड, बम्बई (3) शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता (4) डब्ल्यु० एच० ब्रेडी एण्ड कं० लिमिटेड, (5) टाटासन्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई (6) स्टेंडर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लिमिटेड, मद्रास (7) मदुरा मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मदुरै, (8) गैब्रियेल इण्डिया लिमिटेड, बम्बई (9) तुलसीपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता, (10) हिन्दुस्तान मिल्क फूड मैन्युफैक्चर्स, पंजाब (11) कोरोमाडेल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (12) एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी लिमिटेड पर आयकर की कितनी राशि बकाया है;

(ख) क्या इन फर्मों द्वारा कर चोरी के किसी मामले का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी वसूली के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

मैसर्स के प्राडक्शन्स

9792. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3456 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स के प्रोडक्शन्स के मामले की जाँच इस बीच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि मैसर्स के प्रोडक्शन्स के छापे में सरकार को ऐसे कागजात मिले थे जिनसे पता लगता था कि श्री दिलीप कुमार दोषी हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) पकड़ी गई सामग्री के आधार पर वर्ष 1963-64 के लिए कर-निर्धारण पूरा किया जा चुका है । दण्ड की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है ।

चलचित्र वितरकों के कार्यालयों पर छापा

9793. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में चल चित्र वितरकों के कार्यालयों पर मारे गये छापे के सम्बन्ध में इस बीच जांच पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन फिल्मी सितारों को लेखा-बाह्य धन दिया गया था और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ख) फिल्मी सितारों को लेखा-बाह्य धन दिये जाने के बारे में कोई सामग्री छापे के दौरान नहीं पाई गई । फिल्म वितरकों का फिल्मी सितारों से कोई लेन-देन नहीं होता ।

दिल्ली में फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स

9794. श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निम्न डिस्ट्रीब्यूटर्स के आय कर तथा अन्य करों के भुगतान के मामले गत पांच वर्षों से लम्बित पड़े हैं (1) आल इण्डिया फिल्म फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली (2) ए० वी० एम० लिमिटेड, (3) बिल्लीमोर राज छोटू भाई, (4) देसाई एण्ड कम्पनी (5) जनरल टाकीज़ (प्राइवेट) लिमिटेड, (6) फिल्मिस्तान डिस्ट्रीब्यूटर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, (7) ईगल पिक्चर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, (8) मनोरन्जन पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी, (9) वीनस पिक्चर्स (10) साहनी ब्रदर्स (प्राइवेट) लिमिटेड नई दिल्ली;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

विदेशी सहायता

9795. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को गत वर्ष यूरोपीय साझा बाजार के देशों से कुल कितनी राशि की सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) भारत द्वारा इन देशों को कुल कितनी राशि की अदायगी करनी शेष है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले वर्ष प्राप्त सहायता की कुल रकम (अर्थात्) यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ भारत सरकार द्वारा पहली अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक किये गये ऋण करारों की कुल रकम 52.23 करोड़ रुपया है ।

(ख) भारत सरकार द्वारा लिये गये तथा इन देशों को वापस किये जाने वाले ऋणों की रकम 31 मार्च, 1968 को 426.83 करोड़ रुपया थी ।

जीवन बीमा निगम में पदोन्नतियां

9796. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में अधीक्षक (श्रेणी 111) के पद से एक एक अधिकारी की सहायक-प्रशासन अधिकारी (श्रेणी 1) के पद पर पदोन्नति होने के बाद उस प्रशासन अधिकारी के कुल उपलब्धियां अपने अधीनस्थ अधिकारियों की अपेक्षा कम मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) (श्रेणी 111) के अधीक्षक पद से श्रेणी 1 के सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तरक्की होने पर कुछ मामलों में कुल परिलब्धियों में कमी हो सकती है, जिसका मुख्य कारण यह है कि श्रेणी 1 तथा श्रेणी 111 के कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों में फर्क है ।

(ख) इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का काम जीवन बीमा निगम का है ।

Expenditure on Family Planning Programme During 1967-68.

9797. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount spent, State-wise, on Family Planning programmes during the year 1967-68;

(b) the manner in which this amount was spent separately for publicity and on the staff as also towards gifts given for this purpose; and

(c) the amount actually spent, State-wise, on Family Planning devices during the last year ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development : (a) to (c) : The information is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the Lok Sabha as early as possible.

Heavy Losses in Public Sector Undertakings

9798. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether any Enquiry Committee is proposed to be set up to consider the question of heavy losses in the Public Sector Undertaking run by the Central Government in the light of the report of the Administrative Reforms Commission; and

(b) if not, how Government propose to achieve financial stability in view of such heavy losses ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) No, Sir.

(b) The performance of Public Sector Undertakings is kept under constant review, with this purpose in view, by the Government. The Administrative Reforms Commission has also made a number of recommendations to remove factors which impede the efficient performance of Public Enterprises and these are under consideration by Government.

Conversion of Religion by Scheduled Tribes

9799. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to poverty, the Scheduled Tribes are lured to change their religion; and

(b) if so, the steps taken to check this conversion due to poverty ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) and (b) In view of the fundamental right incorporated in article 25 of the Constitution, Government do not wish to express an opinion, or otherwise interfere in such matters.

Allotm ent of Land To Newspapers and Journalists in New Delhi

9800. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land and plots have been allotted to the different newspapers and journalists in Delhi at concessional rates;

(b) if so, the basis thereof;

(c) the number of sites and plots on which the construction have since been completed and the reasons for not completing the construction on the remaining sites and plots; and

(d) the rules for allotment of land to the newspapers and journalists ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) 9 plots of land on Bahadur Shah Zafar Marg have been allotted at a rate of Rs. 1,25,000/- per acre instead of at Rs. 1,50,000/- plus 2½% annual ground rent to various newspaper concerns and publishers. No land has been allotted to any journalist.

(b) A small concession in the rate of premium has been given in order to promote the growth of the Press Industry.

(c) Construction has been completed on 6 sites and on the remaining 3 sites construction is in progress.

(d) There are no rules as such for allotment of land. Every request is considered on its merits subject to availability of land and requirements of the Master Plans.

Scarcity of Drinking Water in Rajasthan

9801. Shri Onkar Lal Bohra : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the amount being provided at present for the drinking water in Rajasthan and specially in the hilly and sandy areas in view of the scarcity of drinking water; and

(b) the assistance likely to be given to the Government of Rajasthan during 1968-69 for the solution of this problem ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B.S. Murthy): (a) and (b): The execution of drinking water supply schemes and the provision of funds for them is the responsibility of the State Government. Central assistance is given to the State Government to the extent of 50% by way of grant-in-aid for rural piped water supply schemes. For 1968-69, a total provision of Rs. 300 lakhs has been made in the Central Budget for all State Governments. State-wise allocations have not yet been finalised.

देश में उत्पादित मट्टी के तेल की ढुलाई पर राज सहायता

9802 श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री अविचन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शक्ति प्रजनन के लिये प्रयुक्त देश में उत्पादित मट्टी के तेल की ढुलाई पर मार्च, 1968 के बाद भी राज सहायता जारी रखने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) पिछले वर्ष इस मद पर सरकार द्वारा कितनी राशि खर्च की गई, इस प्रयोजन के लिये वर्ष 1968-69 के आय-व्यय में कितने धन की व्यवस्था की गई है और क्या इस नियतन में वृद्धिकी जाने वाली है और यदि हां, तो कितनी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) पूर्णतया देशीय कच्चे तेल से उत्पादित मट्टी के तेल (जो शक्ति प्रजनन के लिए सार्वजनिक उपयोगों में लाया जाता है) के परिचलन पर भाड़ा-रियायत को निम्न अवधियों तक जारी रखने का निर्णय किया गया है :—

(i) मट्टी के तेल की नियमित श्रेणी पर 30 जून, 1968 तक ।

(ii) लो सल्फर हैवी स्टाक पर 31 मार्च, 1971 तक ।

(ग) पिछले साल की बजट-अनुदान 44,26,000 रुपये थी और व्यय के अन्तिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । इस रियायत को 31 मार्च, 1968 के बाद जारी रखने के निर्णय तक, 1968-69 के लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी । इसका पुनरीक्षण सार्वजनिक उपयोगताओं द्वारा शक्ति प्रजनन के लिए इस उत्पाद की खपत पर निर्भर होगा ।

नर्मदा जल विवाद

9803. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के सिंचाई मन्त्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जो प्रधान मन्त्री के साथ उनकी बातचीत के बाद नई दिल्ली से उनके भोपाल लौटने पर दिया गया था और 24 अप्रैल 1968 को 'नेशनल हेरल्ड' में प्रकाशित हुआ था जिसमें यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश सरकार गुजरात तथा अन्य राज्य के साथ विवाद के निपटाये जाने की प्रतीक्षा किये बिना नर्मदा परियोजना को क्रियान्वित करने में अग्रसर होगी;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रधान मंत्री के साथ उक्त मन्त्री की जो बातचीत हुई, उसका सार क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राज्यीय नदियों पर परियोजनाएं बनाने से पहले सम्बद्ध राज्यों में समझौता अथवा करार होना आवश्यक है।

(ग) मध्य प्रदेश के सिंचाई मन्त्री ने नर्मदा समस्या पर राज्य सरकार के विचार प्रधान मंत्री के सामने रखे थे।

राज्यों में घाटे की वित्त-व्यवस्था

9804. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री अविचन :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष 1968-69 में विभिन्न राज्यों की घाटे की वित्त व्यवस्था को मिलाकर कुल राशि कितनी है तथा यह राशि गत दो वर्षों की तत्समान राशि की तुलना में कितनी कम या अधिक है;

(ख) इस वर्ष राज्यों द्वारा बहुत घाटे की वित्त व्यवस्था की जाने के क्या मुख्य कारण बताये हैं;

(ग) घाटे की वित्त व्यवस्था करने से पूर्व, राज्यों द्वारा इस वर्ष अच्छी फसल होने के कारण अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) केन्द्र ने राज्यों को अधिक संशाधन जुटाने के लिए क्या निदेश दिये हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1968-69 के लिये राज्य सरकारों द्वारा जो बजट प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार अनुमान है कि वर्ष के लेन देनों के परिणाम स्वरूप दस राज्यों को कुल लगभग 98 करोड़ रुपये का घाटा होगा। 1967-68 में 15 राज्यों को कुल मिलाकर 211.86 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था जबकि 1966-67 में सात राज्यों को68.50 करोड़ रुपये का कुल घाटा हुआ था।

(ख) 1968-69 में प्रत्याशित घाटे का कारण गैर-आयोजना खर्च में वृद्धि और आयोजना-सम्बन्धी परिव्यय में वृद्धि का होना है जिसके लिए पर्याप्त अतिरिक्त साधन नहीं जुटाये गये हैं।

(ग) घाटे वाले राज्यों में से केवल दो ने सिंचाई उपकर तथा भूमि-अधिभार के रूप में मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त साधन जुटाने के उपाय सुझाये हैं।

(घ) सभी राज्य सरकारों को आयोजना आयोग द्वारा सलाह दी गयी है कि वे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली अतिरिक्त आय से साधन प्राप्त करने के उपाय सोचें।

सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद

9805. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री आदिचन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल में, जिसे 9 मार्च, 1968 को चालू किया गया था, चालू किये जाने के पहले महीने में कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्षमता की तुलना में मिल ने कितना काम किया है; और

(ग) इस मिल के पहले महीने के काम को देखते हुए इस मिल के चालू हो जाने से नोट बनाने के कागज के बारे में देश के कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की सम्भावना है !

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हांलाकि मिल का विधिवत उद्घाटन 9 मार्च, 1968 को किया गया था, लेकिन मिल की कागज बनाने वाली चारों मशीनें नवम्बर, 1967 के अन्त में ही चालू कर दी गयीं थीं। दिसम्बर 1967 में, मिल में 72.1 मैट्रिक टन और मार्च 1968 में 133.1 मैट्रिक टन कागज तैयार किया गया।

(ख) मिल की निर्धारित (रेटेड) क्षमता 270 करोड़ मैट्रिक टन वार्षिक की है और अनुमान है कि 1969-70 में मिल इस क्षमता को प्राप्त कर लेगी।

(ग) अनुमान है कि देश करेंसी और बैंक नोटों के कागज के सम्बन्ध में 1969-70 तक आत्मनिर्भर हो जायगा। चिपकने वाले स्टाम्पों के अपेक्षाकृत थोड़े से कागज को छोड़कर, अनुमान है कि मिल में और अन्य देशी साधनों द्वारा तैयार किये जाने वाले और किस्म के सिक्योरिटी कागज़ के मामले में भी देश 1971 के अन्त तक आत्म-निर्भर हो जायगा। जब सिक्योरिटी पेपर मिल में निधारित क्षमता के अनुसार उत्पादन होने लगेगा तब इसी मिल में चिपकने वाले स्टाम्पों के कागज़ का उत्पादन करने की संभावनाओं की खोज की जायेगी। इस सम्बन्ध में 14 दिसम्बर 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 671 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंज का प्रधान

9806. श्री लषण लाल कपूर :
श्री शशिभूषण वाजपेयी :

क्या वित्त मन्त्री 11 और 19 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 3583 और 4288 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान द्वारा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के प्रधान श्री हरबंस सिंह की पुस्तकें तथा अन्य कागजात पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे जबकि उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं थे;

(ग) दिल्ली स्टाक एक्सचेंज के बोर्ड सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा श्री हरबंस सिंह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) केन्द्रीय अनुसंधान कार्यालय के जांच-पड़ताल अफसर ने श्री हरबंस सिंह मेहता से कुछ दस्तावेज प्राप्त किये थे, जिन्होंने 15 अक्टूबर, 1965 को दिल्ली पुलिस के पास यह शिकायत की थी कि हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के 1,000 शेयरों की, उसकी मारफत हुई, बिक्री में उसे एक व्यक्ति ने धोखा दिया।

(ख) शिकायत में दिये गये बयान की पुष्टि के लिए जांच पड़ताल-अफसर को इन दस्तावेजों की आवश्यकता थी।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

बैंकों में हिन्दी में कारोबार

9807. श्री मीठा लाल मीना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी भाषी राज्यों में बैंक इस समय अपना सारा कार्य अंग्रेजी में कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बैंक कब तक अपना कार्य हिन्दी में करने लगेंगे ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) कुछ बैंकों ने अपने प्रपत्रों तथा अन्य पत्रों आदि को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी छापा है। भारतीय बैंक संघ ने रिजर्व बैंक के अनुरोध से, एक परिपत्र जारी किया है जिसमें प्रार्थना की गई है कि उन बैंकों को भी, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है अपने प्रपत्नों आदि को इन भाषाओं में छापने की वांछनीयता पर विचार करना चाहिये। चूंकि बड़े-बड़े बैंक अपने कर्मचारियों को अखिल भारतीय आधार पर भरती करते हैं और चूंकि चैक और दूसरे अधिकार-पत्र (इंस्ट्रमैण्ट चैकों के काटे जाने पर भी अक्सर दूसरे क्षेत्रों में हस्तांतरित किये तथा भुनाये जाते हैं, इसलिये, इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि बैंक कब तक अपना सारा कारोबार केवल हिन्दी में चलाने लगेंगे।

आयकर सहायक आयुक्त

9808. श्री लाखन लाल गुप्त : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के सहायक आयुक्तों की नियुक्ति विशेष वेतन वाले पदों पर की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों की संख्या कितनी है तथा इन पदों पर नियुक्ति का आधार तथा प्रक्रिया क्या है ;

(ग) क्या कुछ व्यक्ति जिन्हें इन पदों पर नियुक्त किया गया है बहुत कनिष्ठ अधिकारी हैं; और

(घ) ऐसे कामों पर आयकर विभाग के वरिष्ठ सहायक आयुक्तों की नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हाँ।

(ख) इस समय, आय-कर के सहायक आयुक्तों के 34 पदों के साथ विशेष वेतन जुड़ा हुआ है। अफसरों की, विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये अभिरुचि, सम्बन्धित क्षेत्र में उनके पूर्व अनुभव और अन्य उपयुक्त योग्यताओं के आधार पर चुनाव करके अफसरों को विशेष वेतन वाले पदों पर नियुक्त किया जाता है।

(ग) और (घ) चूंकि विशिष्ठ प्रकार के कार्य के लिये अभिरुचि और सम्बन्धित क्षेत्र में पूर्व अनुभव सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार है, इसलिये ऐसा भी हो जाता है कि कुछ अपेक्षाकृत कनिष्ठ अधिकारी इन पदों पर नियुक्त करने पड़ते हैं। लेकिन जब बराबर योग्यताओं वाले दो अधिकारी उपलब्ध रहते हैं तब वरिष्ठ अधिकारी को चुन लिया जाता है।

परिवार नियोजन विभाग में कार्यक्रम अधिकारी का पद

9809. श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री क० लकप्पा :
श्री श्रीधरन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन विभाग में हाल में कार्यक्रम अधिकारी का एक पद बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पद का ग्रेड और वेतन-क्रम क्या है तथा इस पद के लिये क्या अर्हताएं रखी गई हैं;

(ग) क्या ये अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियत की गई हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस बीच पद पर नियुक्ति कर दी गई है; और यदि हां, तो नियुक्ति किये गये व्यक्ति की अर्हताएं क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर) : (क) यह पद 27 दिसम्बर, 1966 से चल रहा है।

(ख) यह क्लास 1 पद 1100-50-1400 रुपये के वेतनमान में है। इस पद के भर्ती के नियम गृह मन्त्रालय की स्वीकृति के लिए भेजे गये हैं। भर्ती के नियमों के मसौदा के अनुसार इस पद की निम्नलिखित योग्यतायें हैं :—

(क) एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री।

(ख) जन प्रचार विधियों में प्रशिक्षण, विशेषकर परिवार नियोजन के सन्दर्भ में।

(ग) योजना के प्रचार क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

(घ) जन-प्रचार सामग्री को तैयार करने का अनुभव।

वांछनीय :

स्वास्थ्य शिक्षा में स्नातकोत्तर योग्यता जैसे स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा या एम० पी० एच०।

(ग) अभी नहीं। निर्धारित कार्यविधि के अनुसार भर्ती नियमों का मसौदा गृह मन्त्रालय की सहमति प्राप्त करने के बाद संघ लोक सेवा आयोग को भेजे जायेंगे।

(घ) जी हां। इस पद की नियुक्ति 2-3-68 को तदर्थ आधार पर एक साल की अवधि या इससे पहले इस पद के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कोई उम्मीदवार नहीं आ जाता है, की गई है जैसे संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) के नियम 1958 के अधिनियम 4 के अन्तर्गत मान्य है।

नियुक्त व्यक्ति की योग्यताएं निम्नलिखित है :—

(1) बी० एस० सी०

(2) दृश्य शिक्षा में डिप्लोमा।

(3) श्रव्य-दृश्य उपकरण में विशेष प्रशिक्षण।

(4) श्रव्य-दृश्य साधनों में स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

फाइलेरिया रोग का खतरा

9810. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि गत छः या सात वर्षों में फाइलेरिया रोग के रोगियों की संख्या लगभग दुगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह रोग कितने लोगों को है तथा वर्ष 1961 की तुलना में यह संख्या कितनी अधिक है;

(ग) किन किन नये क्षेत्रों में फाइलेरिया रोग हुआ है; और

(घ) देश में फाइलेरिया के रोग के इतना बढ़ने के क्या कारण हैं; और इस रोग की रोक थाम के लिये तथा इसे प्रभावशाली ढंग से समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा वर्ष 1968-69 की योजना में और चौथी पंचवर्षीय योजना में इस प्रयोजन के लिये यदि कोई योजना बनाई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये इन योजनाओं में कितनी कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अभी तक किये गये सर्वेक्षणों से मालूम पड़ता है कि करीब 12.20

करोड़ लोगों को फाइलेरिया होने का खतरा है जबकि 1961 में ऐसे लोगों की संख्या 6,45,30,000 थी।

(ग) अभी तक जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है उससे जान पड़ता है कि आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, महाराष्ट्र मैसूर, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में फाइलेरिया स्थानिकमारी के रूप में है।

(घ) इस तथ्य के अतिरिक्त कि हाल ही में किये गये सर्वेक्षण पूर्ण हैं फाइलेरिया के मामलों में वृद्धि के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं :—

(1) तीव्र औद्योगीकरण, जिससे मच्छरों की उत्पत्ति की अवस्था पैदा हो जाती है।

(2) स्थानिक मारी वाले क्षेत्रों से विकासशील नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के लिए आने वाले लोगों से फाइलेरिया वाहक तत्वों का फैलाव।

स्थानिक मारी वाले शहरों, नगरों में फाइलेरिया के फैलने को कम करने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण तथा राष्ट्रीय जलपूर्ति एवं नाली कार्यक्रम के अन्तर्गत कदम उठाये जा रहे हैं। करीब 70 लाख की आबादी वाले 73 शहरों, नगरों को 1968-69 में निरन्तर लार्वा-निरोधक उपायों से सुरक्षित किया जाना है।

पहली तीन योजनाओं तथा 1968-69 में राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के लिए किये गये आवंटन तथा खर्च से सम्बन्धित सूचना नीचे दी गई है :—

योजना	आवंटन	खर्च
पहली और दूसरी†	500.5	379.40
तीसरी	236.61	299.71
1966-67	27.51	24-63
1967-68	32.18	26.26
1968-69	30.55	—

†राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम पहली योजना के अन्तिम वर्ष में आरम्भ किया गया था।

चौथी योजना अवधि में किये जाने वाले फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के विवरण तथा उसके आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नीलरत्न सरकार चिकित्सा कालेज कलकत्ता में मकानों आदि का गिराया जाना

9811. बे० कृ० दास चौधरी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के नीलरत्न सरकार चिकित्सा कालेज में तीन सौ पचास अस्थाई मकानों को गिराने के नोटिस उनको गिराने से पहले जारी किये गये थे;

(ख) क्या ये नोटिस यदि दिये गये थे तो विधि न्यायालय अन्यथा किसी अन्य कार्यालय द्वारा जारी किये गए थे।

(ग) क्या पीड़ित व्यक्तियों को कोई वैकल्पिक आवास दिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) अस्पताल के अहाते में अनधिकृत निर्माणों को हटाने की ओर सरकार बहुत देर से ध्यान दिये हुए है तथा इन अनधिकृत निर्माणों से सम्बन्धित लोगों को एक नियत अवधि के अन्दर उन्हें गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिये गये थे, परन्तु उन्होंने उन नोटिसों का पालन नहीं किया। उन्हें मनाने के प्रयत्न भी विफल रहे। तब तक पोस्ट सर्जिकल मामलों में टिटेनस की घटनाएं हो गई और इससे मामला बढ़ गया। इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने तथा अस्पताल के अहाते से गन्दगी की अवस्थाओं को दूर करने के आदेश देने के सिवा सरकार के पास कोई चारा नहीं रहा।

(ग) और (घ) विस्थापित अस्पताल कर्मचारियों को आवास विभाग की गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत कलकत्ता नगरपालिका क्षेत्र में वैकल्पिक स्थान देने का प्रस्ताव किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र

9812. श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री दी० चं० शर्मा : श्री० क० प्र० सिंह देव :
श्री शिव चन्द्रझा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने वृहद दिल्ली के लिये एक योजना तैयार की है जिसका नाम "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" होगा तथा जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के बड़े भाग शामिल होंगे;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस योजना को पूरा करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० ब०सू० मूर्ति) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, जिसमें संघ क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के संलग्न क्षेत्र सम्मिलित हैं, एक क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने सम्बन्धी कार्य को प्रारम्भ कर दिया है।

(ख) यह कार्य अभी अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है।

नायलोन के धागे के उत्पादन के लिये लाइसेंस जारी करना

9812.-क श्री मंगलाथुमाडोम
श्री विश्वम्भरन

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नायलोन के धागे के उत्पादन के लिये कारखाने स्थापित करने के लिये अब तक कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) कितने लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ग) कितने लाइसेंस प्राप्तकर्त्ताओं ने अभी तक उत्पादन आरम्भ नहीं किया है और प्रत्येक को किस किस तारीख को लाइसेंस दिया गया था;

(घ) देश में नायलोन के धागे के उत्पादन की कितनी क्षमता के लिये लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ङ) वर्ष 1967 में वस्तुतः नायलोन के धागे का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) चौदह; ये आठ पार्टियों को जारी किये गये हैं।

(ख) चार; इन पार्टियों ने 6 लाइसेन्सों को कार्यान्वित कर दिया है।

(ग) आठ; इनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	लाइसेंस की तारीख
(1) मैसर्स निरलोन सिन्थेटिक फाइबर्स एण्ड कैमीकल्स लि०, बम्बई (विस्तार)	14-1-1965
(2) मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि० कोटा (विस्तार)	8-12-1966
(3) मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि० कोटा (विस्तार)	3-2-1967
(4) मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, कोटा (विस्तार)	15-5-1967
(5) मैसर्स सेन्चयूरी एन्का, बम्बई (नया यूनिट)	12-2-1960
(6) मैसर्स आर्थर इम्पोर्टस एण्ड एक्सपोर्टस कम्पनी लि०, बम्बई (नया यूनिट)	19-2-1960
(7) मैसर्स गुजरात पोलीमाईडज लि० सूरत (नया यूनिट)	16-2-1960
(8) मैसर्स स्टर्रैच फाइबर्स इण्डिया लि० बम्बई (नया यूनिट)	21-5-1966

(घ) लगभग 15,000 मीटरी टन।

(ङ) 2,500 मीटरी टन।

नायलोन के धागे की उत्पादन लागत

9812.-ख श्री मंगलाथुमाडोम :
श्री विश्वम्भरन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नायलोन और अन्य संश्लिष्ट रेशों और धागों की उत्पादन लागत का अनुमान लगाने के लिये सरकार ने कोई जाँच की है;

(ख) कितने कारखाने संश्लिष्ट धागों और रेशों का उत्पादन कर रहे हैं; और

(ग) वर्ष 1967 में इनमें से प्रत्येक कारखाने में कितना कितना उत्पादन हुआ और उस वर्ष इन कारखानों का सकल और शुद्ध लाभ कितना-कितना था ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) 5 (पांच)

		लाख रुपये
(ग)	(1) मैसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स लि० कोटा	789.17
	(2) मैसर्स निरलोन सिन्थेटिक्स फाइवर्स एण्ड कैमीकल्स लि०, बम्बई	779.47
	(3) मैसर्स प्लास्टिक्स पैकिजिंग (पी) लि०; बम्बई	138.86
	(4) मैसर्स कैमीकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इण्डिया लि० बम्बई	783.62
	(5) मैसर्स मोदीपान लि० मोदीनगर ने 17 फरवरी, 1968 से उत्पादन शुरू कर दिया है ।	

1967 के लिए मैसर्स कैमीकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इण्डिया को छोड़कर कम्पनियों की सकल एवं शुद्ध लाभ की सूचना उपलब्ध नहीं है । मैसर्स कैमीकल्स एण्ड फाइवर्स आफ इण्डिया के 30 सितम्बर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष का सकल और शुद्ध लाभ निम्न प्रकार था :–

करों से पूर्व लाभ	रु० 2,03,80,284
करों के बाद लाभ	रु० 1,26,49,284

केन्द्रीय सरकार के सरकारी प्रतिष्ठानों में स्थानीय श्रमिकों का नियोजन

9812-ग. श्री कार्तिक ओराओं : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, रांची राउरकैला इस्पात संयंत्र, बौकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे बड़े सरकारी प्रतिष्ठानों में नौकरियों के मामले में स्थानीय श्रमिकों को नुकसान होता है; और

(ख) यदि हां, तो प्रादेशिक विषमताओं को हटाने की दृष्टि से स्थानीय श्रमिकों के हितों के संरक्षण और बचाव के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) सरकारी उपक्रमों की भरती की नीति के अनुसार, यह व्यवस्था है कि अकुशल श्रमिकों की सब श्रेणियों के लिये भरती के मामले में, प्रायोजनाओं के लिये प्राप्त किये जाने वाले क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों को तरजीह देने की सभी कोशिशें सभी उपक्रमों को करनी चाहिये । कुशल श्रमिकों के मामले में भी इस प्रकार के विस्थापित व्यक्तियों को इस तरह की तरजीह तभी दी जायगी, जबकि वे बुनियादी योग्यताएं और अनुभव की शर्तें पूरी करेंगे । अकुशल श्रमिकों को सामान्य रूप से उन इलाकों से लिया जाता है, जहां वे प्रायोजनाएं स्थित हों ।

फिल्म अभिनेत्री कुमारी आशा पारिख द्वारा आयकर का अपवंचन

9812-घ. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर विभाग ने 2 लाख रुपये के कर का अपवंचन करने के लिये फिल्म अभिनेत्री आशा पारिख के विरुद्ध बम्बई के मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायतें दायर की थीं;

(ख) अन्य कितने मामलों में अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों ने आयकर का अपवंचन किया है; और प्रत्येक द्वारा कितनी राशि का अपबंचन किया गया है । और

(ग) इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) फिल्म-कलाकारों तथा उस उद्योग से सम्बद्ध अन्य लोगों के मामलों की जांच करने के लिये महत्वपूर्ण केन्द्रों पर विशेष आयकर मण्डल बना दिये गये हैं । अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के द्वारा कर की चोरी का पता लगाने के लिये आवश्यक सामग्री एकत्र करने को समय समय पर छापे मारे जाते हैं । बड़े पैमाने पर कर अपवंचन के मामलों को समुचित जांच-पड़ताल के लिये केन्द्रीय कार्यक्षेत्रों को सौंप दिये जाते हैं । कर अपवंचन की समस्या का अध्ययन करने के लिये, विभागीय अधिकारियों का जो अध्ययन दल, हाल ही में नियुक्त किया गया है, वह फिल्म कलाकारों द्वारा कर अपवंचन के प्रश्न पर भी विचार करेगा ।

Reports by Companies/Corporations Published in Hindi.

9812-E. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reports repared from time to time by various Companies and Corporations endu the Central Government;

(b) the reports out of them which are being published in Hindi also; and

(c) the arrangements made to publish such reports in Hindi under the Official Languages Act as are not published in Hindi at present ?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) : Apart from the Annual Reports, which are laid on the Tables of both the Houses of Parliament, the Public Enterprises occasionally bring out reports on specific aspects concerning their working. Some enterprises are already bringing out their Annual Reports in Hindi.

(c) Under sub-section (3) of the Official Languages (Amendment) Act, 1967, it is obligatory on the part of the Ministries/Departments/Central Government offices and also the corporations and companies owned or controlled by the Central Government or by any offices of such company or corporation to bring out their reports both in Hindi and English. For the implementation of the provisions of this Act, administrative instructions are being framed by the Government. As soon as these are issued, arrangements would be made by Public Sector Enterprises to take action accordingly.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दक्षिण भारत मिल मालिक संघ द्वारा कपड़े का उत्पादन 33 1/3 प्रतिशत कम कर देने के कथित निदेश से उत्पन्न स्थिति

श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि वह उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे :—

"दक्षिण भारत मिल मालिक संघ द्वारा मद्रास, केरल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और पांडिचेरी में अपने सदस्यों को कपड़े का उत्पादन 33 1/3 प्रतिशत तुरन्त कम कर देने के कथित निदेश से उत्पन्न स्थिति ।"

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सभा को विदित है, दक्षिण में इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका कारण सामान्यत: वही हैं जिनसे सारे भारत में इस उद्योग की कठिनाइयां पैदा हुई हैं । इसलिये इस कार्य संदर्भ में इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये ।

दक्षिण भारत में सूती कपड़ा मिलें जिनमें आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरल और पांडिचेरी की सूती मिलें भी शामिल हैं, प्रति मास 2.25 करोड़ किलोग्राम धागे का उत्पादन करती हैं । इन मिलों के पास पिछले बचे हुए धागे का स्टाक कुछ समय से बढ़ गया है । वर्ष 1967 के अन्त में 1.23 करोड़ किलोग्राम की तुलना में इस वर्ष फरवरी के अन्त में स्टाक बढ़कर 1.33 करोड़ किलोग्राम, मार्च के अन्त में 1.66 करोड़ किलोग्राम तथा 15 अप्रैल, 1968 को 1.75 करोड़ किलोग्राम हो गया । चाहे यह स्थिति असंतोषजनक है परन्तु इसे अभूतपूर्व नहीं माना जा सकता है । सच्चाई तो यह है कि वर्ष 1965 के कई महीनों में इन मिलों के पास स्टांक इस से भी अधिक था । तब से लेकर अब तक की अवधि के दौरान मिलों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ स्थापित तकुओं की संख्या भी बढ़ी है । दक्षिण क्षेत्र में जनवरी 1966 को 246 मिलों तथा 50,87,000 तकुओं और 1 जनवरी, 1967 को 264 मिलों तथा 53,02,000 तकुओं की तुलना में 1 जनवरी, 1968 को 283 मिलें तथा 55,15,403 तकुए थे । परिणामत: उत्पादन में तो वृद्धि हुई है परन्तु उत्पादन वृद्धि के अनुरूप योग में वृद्धि नहीं हुई है इस लिये यह माल जमा हो गया है । यह स्थिति दक्षिण भारत की मिलों की ही नहीं हैं बल्कि भारत की सभी मिलों की है । वस्तु स्थिति यह है कि जब क्षमता और उत्पादन में वृद्धि हुई उस समय मांग में कुछ गिरावट आई इसलिये मांग और पूर्ति के बीच और अधिक संतुलन लाना पड़ेगा ।

वाणिज्य मंत्री का कार्य भार सम्हालने के बाद मैंने सब से पहला जो निर्णय किया वह यह था कि मिलों में और अधिक तकुओं को लगाना रोका जाये । उन मामलों को छोड़कर जहां यह कार्य आरम्भ हो चुका था और उसे रोका नहीं जा सकता था । तकुओं के विस्तार को रोकने में इसका प्रभार पड़ा है । पिछले सप्ताह ही मैंने इस सभा पटल पर एक विवरण रखा था

जिसमें समूचे वस्त्र उद्योग में फिर से विश्वास पैदा करने तथा उस उद्योग को अधिक सुदढ बनाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपादों का व्यौरा दिया गया था। सभा को यह विदित है कि इन उपायों पर विचार करते समय विकेन्द्रित क्षेत्र की आवश्यकताओं की ओर भी ध्यान दिया गया था क्योंकि उसी क्षेत्र में इन कताई मिलों दारा स्वतेज रुप से बेचे गये सूत की मुख्य रूप से खपत होती है। इसी उदेश्य को पूरा करने के लिये मैंने साथ ही साथ यह भी कहा था कि हथकरघा सहकारी समितियों को ऋण की और सुविधायें दी जानी चाहिये। इससे वे सूत खरीदने और उसका भण्डार भरने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकेगी।

सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद सूत बेचने के लिये बड़े उत्साह से विदेशी मंण्डियों का का पता लगा रहा है। उसे काफी मात्रा में क्यादेश प्राप्त हुए हैं और अभी ऐसे और क्यादेश प्राप्त होने की आशा है। दक्षिण भारत मिल मालिक संघ के अध्यक्ष को एक निर्यात विशेषज्ञा दल बनाने का सुझाव भी दिया गया था ताकि ये उपाय किये जा सकें जिनसे निर्यात किये जाने वाले सूत की किस्म विदेशी खरीदारों द्वारा अपेक्षित स्तर की हो। दक्षिण की मिलों से कोनों पर लपेटे हुए सूत का निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष कार्यवाही की गई है। भाड़े के अन्तर के रुप में प्रति 10 पौड पर 2 रुपये की विशेष अतिरिक्त सहायता की जा रही है। इससे ब्रिटेन को निर्यात करने वाली दक्षिण भारतीय मिलों को लाभ पहुंचेगा जैसाकि मैं 1 मई, 1968 को सभा पटल पर रखे गये विवरण में बता चुका हूं। निर्यात संवर्धन योजनाओं में कुछ सुधार करने के लिये उद्योगों को, जिसमें हथकरघा वस्त्र तथा बनें बनाये कपड़े भी शामिल हैं। प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि 10 करोड़ रुपये के निर्यात स्तर को प्राप्त किया जा सके। इससे भी धागे की निकासी बढ़ेगी।

इस बात की भी आवश्यकता है कि स्वदेश में हथकरघा वस्त्रों की अधिक बिक्री हो केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से मिलकर वर्ष में कुछ समय के लिये रियायती दर योजना क चलाने का भी प्रयास करती है। एक सुझाव यह भी दिया गया है कि रियायती दर की अवधि को बढ़ाया जाये ताकि हथकरघा वस्त्रों की बिक्री बढ़ सके जिससे धागे की माँग भी होगी। ऐसे उपाय करने के लिये राज्य सरकारों का सहयोग मिलना आवश्यक है। यदि राज्य सरकारें अपने दायित्वों का पालन करना चाहें तो हम इस अवधि को बढ़ा सकते हैं।

मेरे मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दक्षिण की मिलों की समस्याओं के बारे में संबन्धित पक्षों से विचार विमर्श किया है। यदि आवश्यक हुआ तो मैं अग्रेतर विचार-विमर्श करूगां।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैंने जिन विभिन्न उपायों का निर्देश दिया है उनसे दक्षिण भारत की मिलों की वर्तमान कठिनाइयां काफी हद तक हल हो सकेंगी।

राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक के संदर्भ में विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के शीघ्र ही दिल्ली आने की सम्भावना है। वस्त्र उद्योग में अधिक दिलचस्पी रखने वाले मुख्य मंत्रियों को मैंने पहले ही लिख दिया है कि वे इन समस्याओं पर विचार करने के लिये कुछ समय निकालें ताकि हम उन्हें हल करने के उपाय ढ़ंड सकें।

Shri Mohammad Ismail : All that I want is that the employees must get all their awges for the period on which the employees were on strike and efforts should be made to ban the compulsory closures ?

श्री दिनेश सिंह : जहां तक मुझे जानकारी है इसे रोकने के लिये हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है । परन्तु हम सभी सम्भावनाओं पर विचार कर रहे हैं तथा मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूं कि हम श्रमिकों के हितों की एकता करने के लिये भरसक प्रयत्न करेंगे ।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : The policy of the Government is to protect the interest of the mill owners. They have earned crores of rupees but they have not invested any amount in this industry. The policy of Government should be so framed that the cotton growers get remunerative price of their production and the labourers also get all the facilities. The consumers shiould also get cloth at reasonable price. In this context, may I know what the Government is going to do at a meeting to be held so that cotton growers get remunerative price for their production ?

श्री दिनेश सिंह : श्री पाटिल ने यह जो सुझाव दिया है वह अच्छा हैं । जब मुख्य मंत्रियों की यहां पर बैठक होगी हम इस बारे में वहां पर चर्चा करेंगे ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : प्रश्न पूछने से पहले मैं एक दो शब्द इस बारे में कहना चाहूंगा कि इस उद्योग को कितने संकट का सामना करना पड़ रहा है। जहां तक सूत के स्टाक का सम्बन्ध है वह दिसम्बर 1966 में 76,000 गाँठों से बढ़कर मार्च 1968 में 1,34,000 गांठे हो गया अर्थात लगभग दुगुना हो गया। दूसरी बात यह है कि मंत्री महोदय जानते ही हैं कि दक्षिण भारत में लगभग 30 मिलें पूर्णतया बन्द हो गई हैं । वे मिलेंधन के अभाव के कारण बन्द हुई हैं । उन्हें मुनाफा नहीं हो रहा है और उनके पास मजदूरों को मजूरी देने के लिये धन नहीं है । जहां तक लागत मूल्य का सम्बन्ध है इसमें भी वृद्धि हुई है । आयातित कपास के मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई। केवल घरेलु मूल्य में ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में भी वृद्धिहुई है ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कपास के वास्तविक मूल्य के आधार पर व्यवहारिक रवैया अपनायेगी । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने कर का ढाँचा इस प्रकार बनायेगी जिससे लागत कम हो जाये और खपत बढ़े । क्या सरकार बन्द पड़ी मिलों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें फिर से भी चलवाना चाहती है तथा क्या उसका विचार कोई ऐसे भी उपाय करने का हैं जिससे निर्यात में वृद्धि हो ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य के इन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा ।

श्री उमानाथ (पुदूकोटै) : माननीय मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि वह मुख्य मंत्रियों के साथ सलाह करेंगे । मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि उनके साथ सलाह करने से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा । इसका सम्बन्ध तो केन्द्रीय सरकार से है । प्रश्न तो तुरन्त कार्यवाही करने का है । हम मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि वह तुरन्त क्या कार्यवाही करेंगे क्योंकि हर सप्ताह श्रमिकों को घर भेजा जाता है । मानभेनीय मंत्री यह भी कह रहें थे कि माल का जमा होना असाधारण नहीं है । परन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मैं उनकी मंशा क्या है क्योंकि इससे लगभग 12 $\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये आप्रयुक्त पड़ें है । यदि उनकी मंशा सही है तो राज्य

व्यापार निगम को लागत मूल्य पर माल खरीदने में क्या आपत्ति है ? यदि उनकी मंशा सच्ची नहीं है तो उनके माल को जब्त क्यों नहीं कर लिया जाता है ।

श्री दिनेश सिंह : जो भी कार्यवाही करने का हमारा विचार हैं मैंने उनको रूप रेखा बता दी है। अतः मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूगा कि वह इस कार्यवाही के परिणाम को देखने के लिये एक अथवा दो दिन तक और प्रतीक्षा करें । उनके कुछ सुभाव बहुत उपयोगी है तथा उनपर भी विचार किया जायेगा । हम श्रमिकों तथा उद्योग के लाभ के लिये ही कार्यवाही करेंगे ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें, 1968 आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवायें 1968 की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1966-67 के लिये प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे की एक प्रति तथा उनका वाणिज्यिक परिशिष्ट । **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1174/68]**

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्दीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 39 वाँ संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 739 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमी शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 40 वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 740 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा शूल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 41 वाँ संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 20 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 741 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1175/68**]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 780 की एक प्रति जो दिनाँक 22 अप्रैल 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1176/68**]

(3) जमा बीमा निगम, अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के लिए जमा बीमा निगम के कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1177/68**]

टैरिफ आयोग अधिनियम आदि के अन्तर्गत पत्र

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कास्टिक सोडा, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बलीचिंग पाउडर के उचित विक्रय मूल्यों के बारे में टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन (1967)।

(दो) दिनाँक 2 मई, 1968 का सरकारी संकल्प संख्या 5 (30)/67/सी० एच०/II

(तीन) ऊपर की मद (एक) और (दो) के दस्तावेज उक्त धारा में निर्धारित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रख सकने के कारण बताने वाला विवरण। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1178/68**]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) चौथा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 26 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 782 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) मिट्टी का तेल (उच्चतम मूल्यों का निर्धारण) पाँचवा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 1 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 828 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1179/68**]

(3) (एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) अन्तर्गत 8 दिसम्बर, 1966 से 30 जून, 1967 तक की अवधि के लिये मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) 8 दिसम्बर, 1966 से 30 जून, 1967 तक की अवधि के लिये मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1180/68**]

(4) (एक) पश्चिमी बंगाल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड, कलकता, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) दुर्गापुर कैमिकल्स लिमिटेड कलकता के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1181/68**]

वर्ष 1966-67 के लिये दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : मैं दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिये दामोदर घाटी निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1182/68**]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव: मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा 25 अप्रैल, 1968 को पास किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा के कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्यों का अवरुद्ध किया जाना, हटाया जाना और दोष सिद्ध किया जाना

RESTRAINT, REMOVAL AND CONVICTION OF MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : (एक) मुझे कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिनॉक 1 मई, 1968 के तीन सदृश्य पत्रों की सूचना सभा को देनी है, जिसमें बताया गया है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेध आदेशों का पालन न करने पर और सत्याग्रह के लिये अपने साथियों सहित कच्छ के रण की ओर निषिद्ध क्षेत्र

में बढ़ने पर लोक-सभा के सदस्य सर्व श्री ब्रजभूषण लाल और भारत सिंह चौहान और श्रीमती शकुन्तला नायर को 30 अप्रैल, 1968 को 10-45 बजे अवरुद्ध किया गया है। तदनुसार सदस्यों को बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत अवरुद्ध किया गया है और उसी दिन उन्हें कच्छ जिले के खावड़ा ग्राम में भेज दिया गया है और उन्हें 16-30 बजे जाने दिया गया और उनके कहने पर उन्हें भुज रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया।

मुझे कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 4 मई, 1968 के एक और तार की सूचना भी सभा को देनी है, जिसमें बताया गया है कि उक्त संसद सदस्यों के नामों में हुई गलती पोस्ट आफीस द्वारा परेषण के समय की गई मालूम पड़ती है और उनके रिकार्ड के अनुसार सही नाम श्री ब्रज भूषण लाल श्रीमती शकुन्तला नायर और श्री भारतसिंह चौहान हैं।

(दो) खावड़ाकच्छ, के न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त दिनाँक 4 मई, 1968 के एक तार की सूचनामुझे भी सभा को देनी है जिसमें बताया गया है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा188 के अन्तर्गत लोक-सभा के सदस्य सर्वश्री शिवचन्द्रझा, केदार पासवान और गुणानन्द ठाकुर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 243 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया और 3 मई, 1968 को न्यायालय के उठने के समय तक के कारावास की सजा दी गई।

(तीन) मुझे कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त दिनांक 4 मई, 1968 के एक तार की सूचना भी सभा को देनी है जिसमें बताया गया है कि कच्छ जिले में खावड़ा के 6 मील उत्तर में धराबनी ग्राम के निकट 4 मई,1968 को 11 बजे बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 81 के अन्तर्गत लोक-सभा के सदस्य श्री महाराज सिंह भारती को गिरफ्तार किया गया और उन पर उसी दिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया गया और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट खावड़ा द्वारा उन्हें न्यायालय के उठने तक के समय के साधारण कारावास की सजा दी गई।

(चार) खावड़ा के न्यायिक मजिस्ट्रेट से प्राप्त-दिनांक 5 मई, 1968 के एक तार की सूचना मुझे भी सभा को देनी है जिसमें बताया गया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 5 मई, 1968 को लोक-सभा के सदस्य श्री रवि राय को गिरफ्तार किया और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 243 के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया गया और 5 मई, 1968 को न्यायालय के उठने के समय तक के कारावास की सजा दी गई।

बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक
BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL
प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री गु० सिं० ढिल्लो (तरन तारन) : मैं बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों अथवा आनुशंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पुरस्थापित करता हूं ।

बैंकिंग विधियां संशोधन विधेयक
BANKING LAWS (AMENDMENT) BILL
साक्ष्य

श्री गु० सिं० ढिल्लो (तरन तारन) : मैं बैंकों पर सामाजिक नियन्त्रण के विस्तार और तत्संसक्त विषयों तथा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आगे संशोधन करने वाले तथा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 तथा स्टेट बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1955 में भी आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

हरिजनों के विरुद्ध आन्ध्र प्रदेश के मंत्री की कथित टिप्पणी के बारे में वकतव्य
STATEMENT RE: ALLEQED REMARKS OF ANDHRA PRADESH MINISTER AGAINST HARIJANS.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मुझे 4 तारीख की शाम को आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने श्री पी० थिम्मा रेड्डी के साथ 22 अप्रैल को भेंट करने वाले 7 संवाददाताओं के वक्तव्यों को और श्री थिम्मा रेड्डी के वक्तव्य को भेजा है । मैं उस पत्र की एक प्रति और उसके साथ संलग्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1173/68**]

श्री सोनावने (पंढरपुर) : अब माननीय गृह मंत्री ने प्रतिवेदन तो पढ़ दिया है परन्तु हमें वक्तव्यों का कुछ पता नहीं लगा है । उन वक्तव्यों को पढ़ा जाना चाहिये था ताकि सदस्य उस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर सकते । इसलिये हमारी यह प्रार्थना है कि इसके लिये एक न्यायिक जाँच आयोग बनाया जाना चाहिये, जिसके सभापति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हों, ताकि वह इस मामले की सच्चाई का पता लगा सके ।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास हाल ही में पत्र आये थे तथा हम उन्हें इतने कम समय में पढ़ नहीं सके । उन्हें सभा पटल पर रख दिया गया है । माननीय सदस्य उन्हें वहां से पढ़ सकते थे । इसलिये इस सम्बन्ध में कब चर्चा हो तथा कैसे चर्चा हो इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति निर्णय कर सकती है । उस समिति की बैठक आज मध्यान्ह भोजन के पश्चात होने वाली है । इस समिति

के सदस्यों के अलावा भी मैंने कुछ सदस्यों को आमंत्रित किया है। इसलिये सभा के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर अब चर्चा करें।

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक

ESTATE DUTY (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 69 में कहा गया है कि व्यय सम्बन्धी विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन भी लगा होना चाहिये। परन्तु इस विधेयक के साथ ऐसा कोई ज्ञापन नहीं लगा हुआ है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस व्यवस्था के प्रश्न के अलावा मेरा एक और व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 117 के अधीन राष्ट्रपति की ओर से दो सिफारिशें की जानी चाहिये। एक सिफारिश तो खन्ड 1 के अधीन वित्त विधेयक के सम्बन्ध में होनी चाहिये तथा दूसरी सिफारिश उसी अनुच्छेद के खण्ड 3 के अधीन भारत की सचिव निधि से व्यय के सम्बन्ध में होनी चाहिए। परन्तु हम देखते हैं कि खण्ड 1 के अधीन तो सिफारिश की गई है। और खण्ड 3 के अधीन कोई सिफ़ारिश नहीं की गयी है।

इन दोनों प्रश्नों के अतिरिक्त मैं तीसरा प्रश्न भी उठाना चाहता हूँ। यह उपबन्ध शक्ति प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इसे अन्य राज्यों पर भी लागू कर सकती है। ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि संवैधानिक उपबन्ध तो यह है कि यदि दो या दो से अधिक राज्य इस आशय का संकल्प पारित करें तो संसद उन राज्यों के सम्बन्ध में कानून बना सकती है।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है यह निर्णय देना न्यायालय का काम है कि यह शक्ति प्रस्ताव है कि नहीं। इस बारे में हम निर्णय नहीं कर सकते हैं।

जहां तक पहले प्रश्न अर्थात व्यय का सम्बन्ध है विधेयक में कोई नई बात नहीं है। व्यय तो पहले ही हो रहा है। इस विधेयक द्वारा तो उसे आगे ही रखा जा रहा है। उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी वक्तव्य में यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी गई है। यही कारण है कि अलग से कोई वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Deputy Speaker, Sir, I feel that the hon. Minister has not understood the impact of Rule 69. This Rule says that a Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum immaterial of the fact whether the expenditure is more or less.

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : माननीय मंत्री ने स्थिति को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम में प्रशासन तंत्र पर पहले ही विचार किया गया है। संविधान के

अनुसार केवल इस कारण ही विधेयक पर विचार करने, चर्चा करने और उसे पारित छरने के बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि संविधान में जिस सिफारिश की कल्पना की गई है, वह प्राप्त नहीं हुई। वह सिफारिश तो बाद में भी प्राप्त कर ली जा सकती है।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : माननीय मंत्री महोदय की व्याख्या से न तो आप ही और नहीं हम संतुष्ट हुए हैं। अतः अध्यक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में पहले दिये गये पूर्वोदाहरणों और विनिर्णयों को देखते हुए नियम 69 का पालन न किये जाने के कारण विधेयक पर अग्रेतर चर्चा रोकी जा सकती है।

जहां तक प्रक्रिया और कानून का सम्बन्ध है, कई बार यह विनिर्णय दिया जा चुका है कि नियम 69 का पालन न किये जाने पर विधेयक पर आगे विचार रोका जा सकता है। यदि आप कहें, तो मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण दे सकता हूँ।

श्री कृष्ण चन्द पंत : कहां त व्यय का सम्बन्ध है, विधेयक में कोईज नई बात नहीं है। अब प्रश्न केवल यह है कि क्या इस विशेष विधेयक के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय होगा या नहीं। स्थिति यह है कि जो खर्च होना है वह तो हो ही रहा है और उसके लिये संसद की स्वीकृति भी ली जा चुकी है और प्रस्तुत विधेयक के द्वारा उसे आगे जारी रखा जा रहा है : इस विधेयक का क्षेत्र मूल अधिनियम से परे नहीं जा रहा है। बात केवल यह है उद्घोषणा की अवधि समाप्त होने जा रही है, अतः उस व्यवस्था को जारी रखने के लिये यह विधेयक लाया गया है। चूंकि ज्ञापन तथा अन्य ब्यौरे पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न किये गये थे। इसलिये उन्हें फिर इस विधेयक में शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया :

श्री नाथ पाई : अतिरिक्त व्यय का कोई प्रश्न नहीं है सवाल यह है, जैसा कि नियम 69 (1) में व्यवस्था है, कि यदि कोई ऐसा विधेयक पेश किया जाता है। जिसको क्रियःन्विति पर खर्च आता हो, तो सके साथ वित्तीय ज्ञापनउ लगाना आवश्यक है। यह एक बड़ा साधारण नियम है

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा चाहे, तो वह इस सम्बन्ध में विधि मंत्री के विचार सुन सकती है और मैं तब तक अपना विनिर्णय रोक लूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में यह बात साफ है कि विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन लगाना आवश्यक है। फिर भी सरकार को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देना जरूरी है। अतः मध्याह्न भोजनोपरान्त विधि मंत्री इस मामले पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करगे।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे (म० प०) पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : हमें देखना यह चाहिये कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ? इससे पहले इस सभा ने सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पारित किये हैं। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि वे अधिनियम कृषि-भूमि पर भी लागू होंगे। इसमें खर्च का प्रश्न ही कहां है ? इसलिये व्यवस्था के इस प्रश्न में कि इस विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 117 (3) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त नहीं है, कोई औचित्य नही है।

श्री सेझयान (कुम्बकोणम) : नियम 69 (1) बहुत स्पष्ट है। यह कहना निरर्थक है कि व्यय अतिरिक्त है या मूल है। विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन होना चाहिए और उसमें सरकार यह कह सकती है कि इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। लेकिन वित्तीय ज्ञापन का मामला केवल इस आधार पर ही खत्म नहीं किया जा सकता कि इस सम्बन्ध में कोई अतिरिक्त खर्च होने वाला नहीं है।

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एम० वाई० सलीम) : सम्पदा शुल्क (संशोधन) 1968 का उद्देश्य यह है कि इस अधिनियम में किये गये कुछ संशोधनों को जारी रखा जाये।

अब प्रश्न यह है कि क्या इस विधेयक का सम्बन्ध खर्च से है अथवा नहीं। यदि इसका सम्बन्ध खर्च से है, तो संविधान का अनुच्छेद 117 और नियम 69 इस पर भी लागू होंगे और उस स्थिति में केवल एक ही ज्ञापन की आवश्यकता होगी। इस बात पर कि क्या प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध खर्च से है अथवा नहीं, विधि मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय ने गम्भीरता पूर्वक विचार किया है और वे इस निष्क पर पहुंचे कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य आपात अवधि के दौरान इस सभा द्वारा पारित किये गये विधेयक को लागू रखना है अतः वित्त मंत्रालय की राय में इसमें संचित निधि से अतिरिक्त व्यय की कोई बात नहीं है। अतः अनुच्छेद 117 (3) का उपबन्ध इस विधेयक पर लागू नहीं होता। यदि अनुच्छेद 117 का खण्ड (3) लागू नहीं होता, तो नियम 69 के अधीन इसके साथ वित्तीय ज्ञापन लगाने का प्रश्न भी नहीं उठता। जहां तक खर्च सम्बन्धी मामले का सवाल है, वित्त मंत्रालय इस मामले पर कभी भी पुनर्विचार कर सकता है। लेकिन जहां तक संवैधानिक तथा कानूनी पहलू का सम्बन्ध, है मैं स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं और मुझे उसमें कोई सन्देह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन सदस्यगण यह तर्क दे सकते हैं कि विधेयक के पारित होने के बाद एक नई अधिसूचना की आवश्यकता पड़ेगी जिस पर खर्च आयेगा। यदि उस पर अतिरिक्त व्यय न भी होता हो, तो भी सभा का कृत्य है कि वह सतर्कता अपनाये और पूर्ण सन्तुष्टि प्राप्त करें।

श्री सेझियान : यदि यह विधेयक इस वक्त नहीं लाया जाता, तो इन संशोधनों का कोई महत्व नहीं होता और वसूलियां नहीं की जा सकेंगी। इसलिये व्यय में कटौती होगी। अतः प्रस्तुत विधेयक इस रिक्तता को भरेगा और खर्च जारी रखेगा जिसका अर्थ यह हुआ कि इस विधेयक का

खर्च से सम्बन्ध है । चूंकि सरकार यथा पूर्व स्थिति बनाये रखना चाहती है अतः इसका सम्बन्ध खर्च से है ।

श्री नाथ पाई : हम यह नही कहते कि इस पर अतिरिक्त आयेगा । हम तो केवल यह कहते हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ खर्ज जरुर होगा जैसे कि सम्पदा शुल्क वसूल करने वाले अधिकारियों के वेतन आदि । इसलिये इस विधेयक पर अनुच्छेद 117 (3) तथा नियम 69 (1) दोनों ही लागू होते हैं अतः वित्तीय ज्ञापन आवश्यक है ।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : प्रस्तुत शुल्क विधेयक का, जो संशोधन के रूप में है, व्यय से अवश्य सम्बन्ध है । अतः विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन लगाना आवश्यक है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सम्पदा शुल्क लगाया जाता है, उसके लिये प्रशासन मौजूद है । लेकिन यदि सम्पदा शुल्क कृषि भूमि पर न भी लगाया जाये, तो भी प्रशासन मौजूद है । इसलिये यदि प्रस्तुत विधेयक पारित नहीं भी किया जाता, तो भी कर्मचारियों की छटनी नहीं की जानी है, वे तो रहेंगे ही और न ही खर्च में कमी आयेगी । अतः इस पर कोई खर्च नहीं आयेगा ।

चूंकि यह मामला एक बार पहले भी उठा था और आपने भी इस पर पुनर्विचार करने को कहा है अतः हम मामले पर और विचार करेंगे ताकि ऐसे मामलों में एक निश्चित निर्णय पर पहुँचा जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने स्थिति को और भी स्पष्ट कर दिया है फिर भी यदि ऐसा मालूम हो जाये कि यह मामला कुछ खर्च से सम्बन्धित है, तो मंत्री महोदय वित्तीय ज्ञापन पेश करेंगे ।

राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक

STATE AGRICULTURAL CREDIT CORPORATION BILL.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगमों तथा तत्सम्बन्धी मामलों अथवा प्रासंगिक विषयों के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कृषि ऋण निगमों तथा तत्सम्बन्धी मामलों अथवा प्रासंगिक विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

पश्चिमी बंगाल आय-व्ययक 1968-69 जारी
WEST BENGAL BUDGET 1968-69 CONTD

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा पश्चिम बंगाल आय व्ययक पर विचार-विमर्श करेगी ।

श्री हुमायून कबिर (बसिरहाट) मैं सभा का ध्यान पश्चिम बंगाल की तीन महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूँ । सबसे पहले मैं सुन्दरबन क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । जब तक इस क्षेत्र का समुचित रूप से विकास नहीं किया जाता, तब तक पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं सकेगा और उसमें हमेशा ही रुकावट रहेगी ।

मैं कुछ समय से यह सुझाव देता आ रहा हूं कि बसिरहाट के लिये ताक्सिआ, कुल्टी, मलंचा, चन्ताल, बेदिया, मेनारीशाह तथा बसिरहाट से होकर एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाये । इस समय बसिरहाट सदेन्शकाली तक केवल उस सड़क से होकर पहुंचा जा सकता है जो बड़े भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और कलकत्ता की औद्योगिक पट्टी (बेल्ट) से होकर गुजरती है । इसके फलस्वरूप इस सड़क पर बड़ी भीड़-भाड़ रहती है और यदि कोई विध्वंसक कार्य करना चाहे, तो वह बड़ी आसानी से यातायात को रोक सकता है । इस दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने के लिये एक वैकल्पिक मार्ग का होना बहुत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है । इस सम्पूर्ण योजना पर 1.25 करोड़ रुपया खर्च होगा । इस मामले पर भारत सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच वर्षों तक विचार-विमर्श होता रहा । मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में यह प्रस्ताव फिर केन्द्रीय सरकार के समक्ष रखा था । प्रतिरक्षा मंत्रालय ने भी इस सड़क के मामले में रुचि दिखाई है । अत: केन्द्रीय सरकार को इस मामले में विशेष रुचि लेनी चाहिए और इस क्षेत्र मे यथाशीघ्र सड़क बना देनी चाहिए ।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कलकत्ता की समस्या है जिस पर प्रासंगिक रूप से इस सभा में कई बार विचार-विमर्श किया गया है । इस समस्या का समाधान राष्ट्रीय हित की दृष्टि से किया जाना चाहिए न कि पश्चिम बंगाल के हित की दृष्टि से । कलकत्ता का महत्व केवल पश्चिम बंगाल के लिये ही नहीं अपितु सम्पूर्ण पूर्वी भारत वास्तव में सम्पूर्ण भारत के लिये है । कलकत्ता से राजधानी हटाये जाने के बाद भी यह शहर काफी समय तक भारत की औद्योगिक, वित्तीय तथा वाणिज्यक राजधानी रही । किन्तु आज उसकी स्थिति खराब है, जिसके लिये काफी हद तक केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है ।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair]

कलकत्ता की विभिन्न समस्याओं में से शहर का कूड़ा-करकट फेंकने की एक समस्या है पश्चिम बगाल सरकार कूड़ा करकट को आर्गेनिक खाद में बदलने की योजना पर कुछ समय से विचार कर रही है । इस योजना की क्रियान्विति से दो लाभ होंगे। पहला यह कि शहर अधिक साफ-सुथरा हो जायेगा : कूड़ा-करकट इकट्ठा हो जाने के कारण शहर वासियों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है । दूसरा लाभ यह होगा कि हमें आर्गेनिक खाद मिल जायेगी जिसकी हमें बहुत आवश्यकता है । रासायनिक उर्वरक भी तब तक लाभप्रद नहीं होते

जब तक कि उनके साथ किसी विशेष अनुपात में आर्गेनिक खाद न मिलाया जाये। इस योजना पर लगभग 60 से 70 लाख रुपये तक का खर्च आयेगा और सम्भवतः 10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। यदि देश में धीरे-धीरे विकसित हो रही क्षमता का समुचित उपयोग किया जाये, तो यह खर्च और भी कम आ सकता है।

कलकत्ता की दूसरी समस्या धुए की है। सारे शहर में धुआं छाया रहता है। अतः इस धुए को कम करने के लिये कुछ उपाय किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसके जरिये कोयले का कार्बनीकरण करके उससे वाष्पशील तेल और अन्य रासायनिक निकाले जा सकते हैं तथा उसके बाद जो अवशेष बचता है वह बड़े-बड़े शहरों के नागरिकों को सस्ते मूल्य पर ईंधन के रूप में प्रयोग करने के लिए दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में हैदराबाद में जो संयम चालू किया गया है उसके बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं। अतः अन्य शहरों के लिये भी यही व्यवस्था की जानी चाहिए। कम से कम कलकत्ता के लिये तो यह आवश्यक है।

तीसरी बात यह कि कलकत्ता में यातायात की भीड़-भाड़ को कम करने के लिये हुगली नदी पर एक और पुल बनाया जाना चाहिए। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जा चुकी है और आशा है इस वर्ष के अन्त तक इस पुल का निर्माण-कार्य आरम्भ हो जायेगा।

कलकत्ता में पानी की सप्लाई और गंदे पानी की निकासी की समस्या को हल करना बहुत आवश्यक है। मुझे किसी जिम्मेदार अधिकारी से पता चला है कि इस सम्बन्ध में सभी योजनाएं तैयार हैं और देर केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति दिये जाने की है। यदि केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिये धन दे दें, तो कलकत्ता में पानी की सप्लाई और गन्दे पानी की निकासी की समस्या को हल करने की दिशा में शीघ्र कार्यवाही की जा सकती है।

गन्दी बस्तियों को हटाने तथा उनमें सफाई का प्रश्न भी इतना ही महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में भी, मेरा विश्वास है, सभी योजनाएं तैयार हैं और केवल केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति मिलने पर यह कार्य भी आरम्भ किया जा सकता है।

इसके साथ-साथ सिंचाई के प्रश्न पर भी जिसका खाद्य से सीधा सम्बन्ध है, सीमित माने में कुछ कहना चाहूँगा। आजकल बंगाल में एक समस्या यह भी उत्पन्न हो गई है कि वहां पर बहुत सी नदियों के तलों में मिट्टी जमा होती जा रही है और परिणामस्वरूप उनका पानी खेतों में भर जाता है। कुछ नदियों के तल ऊपर उठ जाने के कारण उनके आस पास के क्षेत्रों में भी पानी भर जाता है। इसलिये यह जरूरी है कि सिंचाई की एक ऐसी योजना बनाई जाये जिससे नदियों का बहाव ठीक रहे और उनका पानी खेतों में न भरने पाये और पश्चिम बंगाल की इस खतरे से रक्षा हो जाये।

अन्त में मैं पश्चिम बंगाल में आम चुनावों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। बहुत सारे दलों ने नवम्बर में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। लेकिन हमें राजनैतिक दलों की नहीं बल्कि

निवचिकों की सुविधा देखनी है। नवम्बर में बंगाल के कई हिस्सों में पानी भरा रहता है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां न तो नावें चल सकती हैं और न ही कोई अन्य सवारी जा सकती है। इसलिये यदि चुनाव नवम्बर में किये जाते हैं तो इसका मतलब बंगाल के देहाती क्षेत्रों की स्त्रियों का बहुत बड़ी मात्रा में मताधिकार छीनना होगा। अतः मेरा सुझाव यह है कि इस मामले पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और वहां पर चुनाव दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह अथवा जनवरी के प्रथम सप्ताहमें, जब फसल पूरी बटोरी जाती है, आयोजित किये जाने चाहिए।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) सभापति महोदया, पश्चिम बंगाल की अनुदानों की माँगों का समर्थन करते हुए मैं इस सदन का ध्यान राज्य की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं।

कलकत्ता पश्चिम बंगाल का केन्द्र है और वर्तमान स्थिति इस प्रकार है कि यदि केन्द्रीय सरकार उसके साथ कुछ विशेष व्यवहार नहीं करती, तो हम बड़ी कठिनाई में पड़ जायेंगे। बृहत्तर कलकत्ता योजना के लिये 1,24,67,000 रुपये पूंजी परिव्यय की आवश्यकता है लेकिन उसके लिये केवल 62,33,000 रुपये की व्यवस्था की गई है जो इस योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत ही अपर्याप्त है।

जब मैं कलकत्ता की बात करता हूं तो, दुर्भाग्यवश उसमें हावड़ा भी शामिल है। विदेशियों द्वारा विशेषतः **लन्दन टाइम्स** तथा **न्यू यार्क टाइम्स** में प्रकाशित लेखों के अनुसार भी, जो विश्व के प्रमुख शहरों के अध्ययन पर आधारित हैं, कलकत्ता विश्व का सबसे गया-गुजरा अर्थात् रद्दी शहर है। यह शहर वास्तव में समस्याओं से ही भरा हुआ है। उसकी स्थिति वास्तव में बहुत दयनीय है।

पश्चिम बंगाल में अनाज की कमी के लिये केन्द्रीय सरकार को दोषी ठहराना व्यर्थ है। लेकिन इस राज्य में खाद्य समस्या के प्रश्न पर सापेक्ष रूप से विचार करना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के एक अध्यन दल ने अपने रिपोर्ट में कहा है वहां की वर्तमान स्थिति का कारण यह है कि यह राज्य खाद्य सम्बन्धी अपनी आवश्यकता को पूरी करने के लिये पर्याप्त अनाज उगाने में असमर्थ है। इस राज्य की जनसंख्या तीन प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ रही है लेकिन अनाज के उत्पादन में वृद्धि की दर उससे कम है। इसलिये राज्य में पहले की कमी और भी बढ़ गई है। यदि सूखा न पड़ता, तो भी राज्य में सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण अनाज का उत्पादन कम ही होता।

यह दुख की बात है कि हमारे राजनैतिक विरोधी भी अनाज के सवाल को लेकर हमारी आलोचना करते हैं। पिछले इतवार को बारंगर क्षेत्र में कुटीघाट में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के तत्वाधान में आयोजित एक बैठक में उप मुख्य मन्त्री, श्री ज्योति बसु ने कहा कि यह कहना ठीक नहीं है कि राज्य में भुखमरी की स्थिति है और इसकी जिम्मेदारी से संयुक्त मोर्चा सरकार नहीं बच सकती। श्री ज्योति बसु ने बताया कि मंत्रिमण्डल के अन्दर कुछ निहित स्वार्थों का दल है जो सरकार के प्रगतिवादी सिद्धान्तों को कार्यरूप देने में रोड़ा अटका रहा है। यह था संयुक्त मोर्चा सरकार का कृत्य—और मंत्रिमण्डल के सदस्यों के बीच आपस में यह रस्साकसी चल रही थी जिससे जनता यह महसूस करने को विवश हो गई कि संयुक्त मोर्चा सरकार से स्थिति में सुधार करना संभव नहीं है और परिणामस्वरूप अनाज की वसूली कतई नहीं हुई।

आज राष्ट्रपति के शासन के अधीन पश्चिम बंगाल में स्थिति सुधर रही है और खाद्य स्थिति में भी सुधार हुआ है ।

पश्चिम बंगाल आज एक और दूसरी मुसीबत से गुजर रहा है - वह है औद्योगिक अशान्ति की समस्या, जो संयुक्त मोर्चा सरकार के समय औद्योगिक अवरोध, मजदूरों द्वारा घेराओ और अशान्ति की हालतें पैदा करने के कारण उत्पन्न हुई है । इसके अलावा वहां बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है और रोजगार दफ्तर हां वकाम नहीं कर रहे हैं जिससे कि लोगों को काम मिल सके । अत: इस स्थिति में सुधार करना आवश्यक है ।

यह अशान्ति केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही नहीं हैं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अशान्ति है और छात्रों में अनुशासन हीनता छा गई है । यह सब इसलिये है कि युवकों के सामने भविष्य अन्धकारमय है-उनके सामने उज्जवल तथा निश्चित भविष्य नहीं है, राज्यपाल को इस समस्या का हल निकालना चाहिये । यदि इस समस्या को उचित रूप से सुलझाया गया तो वहां स्थिति सम्भवत: अच्छी हो सकती है ।

संयुक्त मोर्चा के राजनैतिक दल आम चुनावों से पहले सभी राजनैतिक बन्दियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं । हम कांग्रेसी सभी राजनैतिक बन्दियों को रिहा करवाने के लिये तैयार हैं लेकिन इसके साथ-साथ हमें यह भी ध्यान में रखना है कि नक्सलबाड़ी आन्दोलन के दौरान क्या हुआ था । इसलिये राज्यपाल को बहुत कठिन फर्ज़ निभाना है और आम चुनाव शान्तिपूर्ण वातावरण में करवाने हैं ताकि जनता राज्य में स्थायी सरकार लाने के लिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) ; The Central Government and the Congress party are to a great extent responsible for the present state of affairs in West Bengal. The Congress party suffered a debacle there during the fourth general elections and as a result, the state of West Bengal had the United Front Government and C.P.I. (Marxist) was the biggest partner in that Front. They indulged in subversive activities and tried to undermine the roots of democracy. The trouble in Naxalbari made it clear beyond doubt that they did not dese- any share in rve political sphere to run democracy and also that they did not believe in the democratic way of Government. If the centre had taken the necessary steps and imposed President's rule in the state at that time, it would have been better. But the way in which the United Front Government was dismissed and a minority Government was installed instead did not only violate the provisions of the constitution but also gave an opportunity to the communists who were murdering democracy there to come before the public as a hero. How ever, the situation did not improve as a result of that change and the President's rule had to be imposed at last. Had it been done earlier—four months back, when there were solid and sound reasons to do so, the kind of situation prevailing in West Bengal today would not have arisen.

Today the Centre and the Congress leaders are not bold enough to come forward with truth, so far as the present state of affairs in West Bengal is concerned. They always talk in an evasive manner. So far as the common people in West Bengal are concerned, they have lost their faith in he congress party and the communist party as well. They do not want that either of these two parties should run the administration there. The time has come when the nationalist political parties should combine together and try to give a good Government to West Bengal,

A provision of Rs. 3.62 crores has been made in the budget for the refugee problem. But looking to the magnitude of the refugee problem in West Bengal, the budget amount is

most inadequate. If the transfer of populations between East Pakistan and India had taken place at the time of partition of the country as it happened between India and West Pakistan, the refugee problem in West Bengal would have also ended. The refugees from East Pakistan are coming even now. The result is that the refugee problem has become a gigantic one and as such is one of the main causes of the problems in the State. Hence, it is necessary that the refugee problem in West Bengal should be tackled as a national problem.

Calcutta which is the biggest city of India is also the biggest slum area in the country. There has been too much concentration of industries there which has created many economic and social problems. Also Calcutta being a border town and Pakistan being our enemy, it is not advisable to have concentration of industries there from security point of view. No new industry should therefore, be set up in Calcutta now.

Calcutta is having the housing problem. It is facing acute shortage of houses. A housing corporation should be set up to construct houses there and these houses should be given to the public on hire-purchase basis, otherwise the whole city will turn into a slum area.

The pay of primary teachers in West Bengal is the lowest as compared to that in Assam and Punjab. At the same time, primary education is also not free there. The Government should take necessary steps to improve the situation in the matter.

So far as the food positson is concerned, West Bengal is a deficit state in the matter of foodgrains. No doubt foodgrains from other parts of the country should be sent to that state, but steps should also be taken to increase food production there also.

श्री हिम्मतसिंहका (गोडा) : विरोधी दलों के सदस्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयां संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा पैदा की गई हैं जो लगभग नौ महीने तक सत्तारूढ़ रही। घेराव तथा अन्य घटनाओं के कारण जिनका पहले किया जा चुका है, कई समस्याएं पैदा हुई और बहुत से उद्योगों को बन्द करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन के उपरान्त स्थिति में सुधार होने लगा किन्तु आर्थिक मन्दी ने भयंकर रूप धारण कर लिया है और इसे दूर करने में अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है।

बाहर से आने वाले अनेक लोगों द्वारा कलकत्ता को प्लेग का स्थान कहा जाता है। कलकत्ता की समस्याओं की ओर श्री हुमायून् कबिर द्वारा सभा का ध्यान दिलाया गया है। कलकत्ता की समस्याओं का कोई हल शीघ्र निकाला जाना चाहिए क्योंकि कलकत्ता को ही मिलाकर पश्चिम बंगाल का अस्तित्व है। यदि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता को निकाल दिया जाये तो राज्य में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। अतः सरकार को कलकत्ता की समस्याओं की ओर ध्यान देकर उन्हें शीघ्र हल करना चाहिए। कलकत्ता में सड़कों पर मोटर गाड़ियों की बहुत भीड़भाड़ रहती है। वहां पर पैदल चलने वाले लोगों के लिये सड़क पर चलना ही कठिन हो गया है। वहां पर केवल एक पुल है जो वहाँ की भीड़भाड़ को देखते हुये पर्याप्त नहीं है। अतः कलकत्ता में एक पुल का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिये। कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की भी एक विकट समस्या है। इन बस्तियों को हटाना अत्यन्त आवश्यक है। ये सब कार्य तभी हो सकते हैं जब केन्द्रीय सरकार इस कार्य में रुचि दिखाये तथा पर्याप्त सहायता दे क्योंकि कलकत्ता नगर निगम

के पास इतना धन नहीं है कि वह इन कार्यों को कर सके इस निगम की आय तो उसके अधिकारियों के वेतन पर ही व्यय हो जाती है ।

मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कलकत्ते कूड़े करकट आदि का उल्लेख भी किया है । यदि इस कूड़े की खाद बनाई जाय तो उससे काफी लाभ होगा । अतः सरकार को इस पहलू की ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

कलकत्ता में सरकारी बस सेवा संतोषजक नहीं है । इस से सरकार को लगभग एक करोड़ रुपये प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है । घाटे पर चलने वाली इस बस सेवा से कोई लाभ नहीं है । मैं समझता हूं कि यदि यह बस सेवा गैर-सरकारी बस वालों को सौंप दी जाय तो उससे सरकार को पर्याप्त आय हो सकती है ।

पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनावों के लिये नवम्बर का महीना निश्चित किया गया है जो कि मतदाताओं की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । उस समय मतदाताओं तथा अधिकारियों के लिये कई स्थानों पर जा सकना संभव नहीं होगा । अतः इन चुनावों को नवम्बर में न करा कर आगे किसी और समय कराया जाना चाहिये यदि जनवरी या फरवरी में हो तो बहुत अच्छा है ।

शिक्षित व्यक्तियों, वकीलों आदि की अनेक संस्थाओं ने इस आशय के संकल्प पारित किये हैं कि वे राष्ट्रपति के शासन से बहुत सन्तुष्ट है और वे इसे बने रहने देना चाहते हैं । मिली जुली सरकार के शासन काल में होने वाली कठिनाइयां के राष्ट्रपति के शासन में अनुभव नहीं कर रहे है । राष्ट्रपति शासन में खाद्यान्नों की वसूली का कार्य भी संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल की तुलना में कहीं अधिक संतोषजनक है और खाद्यान्नों की वसूली भी पहले की तुलना में बहुत अधिक हुई है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : यह खेद की बात है कि पश्चिम बंगाल जो कभी भारत की प्रगति का प्रतीक समझा जाता था आज दुर्दिनों के चंगुल में पड़ गया है । आज भी इस राज्य से 40 प्रतिशत विदेशी मुद्रा की आय होती है किन्तु इस राज्य को एक समस्या वाला राज्य कह कर कुचला जा रहा है ।

सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में इस समय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिये एक समिति बनाई गई है । किन्तु यह विचित्र बात है कि इस समिति के सभी सदस्य पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल से लोक सभा का कोई भी सदस्य इस समिति में नहीं लिया गया है । जो कि निर्वाचित संसदीय परम्परा के अनुकूल नहीं है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव नहीं होने चाहिये । जब सभी दलों की सहमति से निर्वाचन आयुक्त ने यह निर्णय किया था तो अब इसमें परिवर्तन करने का कोई औचित्य नहीं है । निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में अभी तक 36 व्यक्ति राजनीतिक बन्दी हैं । सरकार का उन्हें रिहा करने का भी कोई विचार नहीं है । हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन में यह एक बहुत बड़ी कमी है ।

[श्री हेम बरुआ पीठासीन हुए
Shri Hem Barua in the Chair]

वर्ष 1966 में कांग्रेस सरकार ने खाद्य स्थिति की जांच करने के लिये एक जांच आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग का कहना है कि राज्य में अपनाई जाने वाली खाद्य नीति के कारण वहां पर अपराधियों में वृद्धि हुई है और तस्कर व्यापार बढ़ा है। मैं यह मानता हूँ कि राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए और यह बढ़ाया भी जा सकता है। सिंचाई और विद्युत मन्त्री डा० कु० ल० राव ने अभी हाल में कहा था कि थोड़ा सा प्रयत्न करने पर पश्चिम बंगाल राज्य न केवल अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है अपितु अन्य राज्यों को भी अनाज दे सकता है। इस सम्बन्ध में सुन्दर वन का उल्लेख किया गया है हावड़ा जिले में नीची सतह वाले कुछ क्षेत्र हैं तथा मुर्शिदाबाद जिले में भंडार डाका बील भी ऐसा ही क्षेत्र है। केवल एक करोड़ से कुछ अधिक रुपये व्यय करके वहाँ 3 करोड़ रुपये की मूल्य की तीन फसलें प्रति वर्ष पैदा की जा सकती हैं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का समय हो गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : कुछ सदस्यों को तो आवश्यकता से अधिक समय दिया जाता है और कुछ को बहुत कम। में इसका विरोध करता हूं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : विपक्षी दल के सदस्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि कुछ सदस्यों को अधिक समय दिया जा रहा है। किसी भी सदस्य को अधिक समय नहीं दिया गया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : माननीया सदस्या को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि किसको कितना समय दिया जा रहा है। मैं इसके विरोध में अब सभा की आज की आगे की कार्यवाही में भाग लेना नहीं चाहता हूं।

इसके पश्चात श्री ही० ना० मुकर्जी सभा छोड़ कर चले गये
Then Shri H. N. Mukerjee left the House

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh): Mr. Chairman, it is regretted that United Front Government is responsible for the imposition of President's Rule in West Bengal. During the regime of the United Front Government there, the things took shape in such a way that they created a feeling of unrest amongst the people, indicipline amongst the students due to talk of employment opportunities and a feeling of uneasiness amongst the workers. These things affected the industrial production adversely. Then a situation arose when it became necessary to impose the President's Rule there.

The communists in the United Front Governments are trying to spread communism through out the country. But they failed to do so and they are exposed before the country.

Being a border state West Bengal holds a special position. The boundry of China is quite near to it. We do not want that foreign influence increases there and the state becomes a land of foreign conspiracies. So it was natural that the people and the Government of India felt concerned about that state. Now with the imposition of President's rule there the people are having a feeling of satisfaction.

Before the formation of United Front Government in West Bengal, there were no problems in the State. But after its formation West Bengal is having many problems and

the biggest of all is that of land reforms, There are big land-lord and landless peasants in Naxalbari even today. Now when we have President's rule there, we should try to solve this problem without any further delay.

The other problem of West Bengal is that of unemployment amongst the educated people. It is a matter of regret that even the United Front Government did not do anything to solve this problem. Steps should be taken to provide employment to them; it would help to create a peaceful atmosphere there.

Calcutta, the Capital of West Bengal and the biggest city of our country still has man-driven rickshaws. It is very disgusting that even in modern times, a man should pull another man in a rickshaw. This practice should be put an end to at the earliest.

Calcutta has also the problems of beggers and sanitation. They are the blots on the face of that big developed city. Steps should be taken to solve both these problems.

The problems of West Bengal are not merely economic but political also. The democratic forces should be strengthened there so that there can be stability in the State.

Shri Deven Sen (Asansol) : There has been discrimination in giving central assistance to West Bengal. According to the recommendation of the Fourth Finance Commission, a sum of Rs. 44 crores should have been given to West Bengal in the year 1967-68 But in fact Rs. 34 crores only were given to this state. Besides, the commission had said that 7.51 per cent of the divisible pool of the Central excise duties should be given to West Bengal. This award should be accepted and the state should be given its share accordingly.

West Bengal is having a refugee problem. This problem has not been tackled. For example, the refugees from West Pakistan got compensation for their properties left in Pakistan while nothing of the sort was done for the refugees from East Pakistan. The Government should call for the details of the properties left in East Pakistan and give compensation to the people concerned.

So far as the food problem of the State is concerned, the budget allocation for food has been reduced from Rs. 55.31 crores in 1967-68 to Rs. 53.7 crores in 1968-69. One fails to understand as to why it has been done. There has been no procurement of rice in West Bengal. There is acute shortage of rice in the state. The Government should take necessary steps to meet food requirements of the people there.

There are still 34 persons under detention under the Preventive Detention Act. Then there are court warrants against 108 persons. All these persons should be set free.

The present Governor of the State has been very partial in his dealings. He should be called back immediately.

It is said that West Bengal is a problem state. It is because of the fact that British capital has been invested there in a big way. The labourers of West Bengal get less wages in comparision to the labourers in other states. Government should pay immediate attention to solve the problems of this state.

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION CF ADJOURNMENT

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to leave to move an adjournment motion. The statement and affidavit filed in the Delhi High Court by the Under Secretary, to the Government, Shri Ranganatham, in connection with the question of Kutch is a grave insult

to the country and the House. The House has been repeatedly told in the past that we do not accept the claim of Pakistan and reject it entirely. But the statement and affidavit filed in the Delhi High Court "denied that the territory which the tribunal has held it to be on the Pakistan side of the boudary line belongs to the Kutch district of Gujarat state under the Bombay Recoganisation Act and that it is recognised as an Indian territory by the constitution of India," The affidavit further stated that it is in adverse possession of India and therefore, the demarcation of real boundary does not amount to a cession of territory.

It is a very serious matter that the territory which we have held to be our own all along is now being declared to be not ours. It should be allowed to be discussed in the House as an abjournment Motion.

श्री क० नारायणराव (बोबिल्ली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह मामला उच्च न्यायालय के निर्णयाधीन है। इसलिये इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : यह न्यायाधीन होने का प्रश्न नहीं है। यह एक गम्भीर मामला है। क्या भारत सरकार देश के उच्च न्यायालय के सामने यह शपथ लेकर कह रहा है कि यह क्षेत्र हमारा है अथवा नहीं। इस बारे में रिकार्ड मौजूद है कि इस सभा में निर्णय किया गया है कि यह क्षेत्र भारत का है। आज एक न्यायाधीश के हमारे विरुद्ध निर्णय दिये जाने पर यदि हम यह कहें कि हम इस निर्णय को मानने के लिये वचनबद्ध हैं तो यह बात तो समझ में आ सकती है। किन्तु भारत सरकार अब यदि यह कहने लगे कि यह क्षेत्र कभी हमारा नहीं था और यह कच्छ का भाग नहीं ही है, यह गलत ढंग से हमारे कब्जे में था, इसका तातपर्य यह हुआ कि हमने सम्पूर्ण मामले को ही छोड़ दिया है और हम सारे विश्व को बता रहे हैं कि हम आक्रामक हैं और हमने पाकिस्तान के क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है।

इस प्रकार हमने सम्पूर्ण देश की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया है और हम देश की सीमाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी सरकार की सत्ता समाप्त कर दी जानी चाहिये। हमें सभा का अन्य कार्य स्थगित करके इस विषय पर चर्चा करनी चाहिये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, I think the Minister of State may not be able to explain the position regarding the issue raised by the hon. Member Shri Madhu Limaye. I therefore submit that the Prime Minister or the Home Minister should be asked to make a statement clarifying the whole thing.

श्री समर गुह (कन्टाई) : माननीय सदस्य श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया मामला बहुत गम्भीर हैं क्योंकि इससे वह आधार ही नष्ट हो गया है जो भारत ने न केवल कच्छ विवाद अपितु अन्य सीमा विवादों के सम्बन्ध में अपनाया था वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अवर सचिव द्वारा दिया गया वक्तव्य बहुत गम्भीर है। अतः यह स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिये लिया जाना चाहिये और इस मामले पर शीघ्र चर्चा की जानी चाहिये।

सभापति महोदय : में जानता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बगाल के बजट पर चर्चा पूरी हो जाने के बाद वह स्थिति को स्पष्ट करें। प्रधान मन्त्री अथवा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री भगत को स्थिति स्पष्ट करने के लिये एक वक्तव्य देना चाहिये।

पश्चिम बंगाल आय-व्ययक-जारी
WEST BENGAL BUDGET—CONTD

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य (राय गंज): पश्चिम बंगाल में शिक्षा सम्बन्धी समस्या कलकत्ता में छात्रों के निरन्तर आन्दोलन के रूप में प्रकट हो रही है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न भागों में इस समय आठ विद्यालय हैं फिर भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही अधिक से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं। इसका कारण यह है कि अन्य विश्वविद्यालयों में छात्रों को सीमित संख्या में दाखिल किया जाता है। इससे विश्वविद्यालयों में शिक्षा के मामले में बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है। यदि इस समस्या का हल नहीं किया गया तो कलकत्ता विश्वविद्यालय पर यह बोझ बना रहेगा और विद्यार्थियों का आन्दोलन भी चलता रहेगा। कलकत्ता में छात्रों के जमाव की समस्या का हल करना होगा, अन्यथा युवकों में यह असंतोष सारे राज्य में फैल जायेगा।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुये
Shri Thirumala Rao in the Chair]

विश्वविद्यालयों के ढांचे में इस प्रकार परिवर्तन किये जाने चाहिये जिससे विद्यार्थियों के लिये मानसिक और आध्यात्मिक विकास के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों।

शिक्षा सम्बन्धी असन्तुलन के अतिरिक्त सिनेमा भी असंतोष का एक कारण है और इससे शहरों में बड़ी भीड़भाड़ रहती है। आज जो फिल्में दिखाई जाती हैं वे हमारे सामाजिक मूल्यों के अनुकूल नहीं होती हैं अपितु वे पाश्चात्य देशों के सामाजिक मूल्यों पर आधारित रहती है। चूंकि समाज में इस प्रकार के मनोरंजन की छूट नहीं है और सिनेमाघरों में इस प्रकार का मनोरंजन मिल सकता है इसलिये समाज में असंतोष उत्पन्न होता है। इन सिनेमा घरों से एक ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है जिससे लोग अपनी सीमा से बाहर चले जाते हैं।

छात्रों में व्याप्त असंतोष के लिये समाचारपत्र भी कुछ सीमा तक उत्तरदायी हैं। कभी कभी संयम से काम लेना होता है किन्तु वे ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जिससे शिक्षा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अतः इन सभी संस्थाओ से शिक्षा का कार्य शांतिपूर्वक चलते रहने के लिये सहायता ली जानी चाहिये।

पश्चिम बंगाल में दूसरी समस्या शरणार्थियों की है। वहां पर शरणार्थी अभी भी आ रहे हैं। पूर्वी बंगाल से आने वाले इन शरणार्थियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपना सारा सामान वहीं छोड़ना पड़ा किन्तु उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। अतः उनकी समस्या पर इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिये।

अब में कलकत्ता नगर की कुछ समस्याओं का उल्लेख करूंगा। उस नगर की अपनी कुछ समस्याएं हैं। भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय, संचार मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि पांच मंत्रालय मुख्य चेनल से हुगली नदी के बहाव के बारे में कोई हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि ये सब मंत्रालय मिल कर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करें तो यह समस्या हल हो सकती है। आज भी कलकत्ता की जनता को खारा पानी पीना पड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये सरकार को नगर में मीठे पानी की व्यवस्था करनी

चाहिये । इसी तरह कलकत्ता में परिवहन की समस्या भी है जिसका हल किया जाना अत्यन्त आवश्यक है । पहले आश्वासन दिया गया था कि वहां एक सर्कुलर रेलवे लाइन बनाई जायेगी किन्तु वह अभी तक नहीं बनाई गई है । अतः इसका निर्माण यथाशीघ्र किया जाना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल की मूल्य समस्या को सहानुभूतिपूर्वक समझने का प्रयत्न नहीं किया है । देश के विभाजन से न केवल बंगाल के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची अपितु उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है । अब तक पूर्वी बंगाल से 60 लाख शरणार्थी भारत आ चुके हैं इनमें से 45 लाख शरणार्थी पश्चिम बंगाल में बसाये गये हैं । इन शरणार्थियों की पूर्वी पाकिस्तान में 70 प्रतिशत भूमि थी । शहरों में 80 प्रतिशत सम्पत्ति इन लोगों की थी तथा 85 प्रतिशत व्यापार तथा उद्योग पर भी इनका अधिकार था । सरकारी सेवाओं में भी 70 प्रतिशत कर्मचारी इन्हीं लोगों में से थे । देश के विभाजन के कारण एकाएक इन लोगों को दरिद्र बनना पड़ा । ये लोग शरणार्थी बन कर जब भारत आये तो इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया जब कि पश्चिम पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थियों को यहां बसाने के लिये पर्याप्त मुआवजा दिया गया था । सरकार को पश्चिम बंगाल की इस समस्या की ओर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए ।

विश्व बैंक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कलकत्ता की समस्या एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य की समस्या पैदा होने का खतरा भी है । हावड़ा पुल, हावड़ा स्टेशन तथा कलकत्ता बन्दरगाह के माध्यम से 40 प्रतिशत आयात तथा 45 प्रतिशत निर्यात होता है । हावड़ा पुल के ऊपर प्रतिदिन लगभग 44,000 व्यक्ति गुजरते हैं । कलकत्ता में हुगली के ऊपर केवल एक ही पुल होने से स्थिति गंभीर है । इस पुल पर यातायात का रुकना नित्य प्रति की घटना हो गई है। यदि हुगली नदी पर शीघ्र ही एक और पुल नहीं बनाया गया तो कलकत्ता तथा वृहद् कलकत्ता के उद्योगों को ही नहीं अपितु हल्दिया के उद्योगों को तथा पूर्वी भारत के सभी उद्योगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ।

केन्द्रीय सरकार की समान औद्योगिक नीति के कारण पश्चिम बंगाल में उद्योगों के और अधिक विकास की आशा नहीं की जा सकती है । वहां पहले ही 5 लाख शिक्षित बेरोजगार थे । लगभग 33 लाख खेतिहर मजदूरों के पास भूमि नहीं है और उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिये । शरणार्थियों के आ जाने से यह समस्या और भी अधिक गम्भीर हो गई है ।

पश्चिम बंगाल में काम करने वाले राज्य से बाहर के मजदूरों द्वारा लगभग 27 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष राज्य से बाहर भेजा जाता है और वहां पर अपने उद्योग चलाने वाले उद्योगपतियों द्वारा राजस्थान, गुजरात तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिये करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं । पश्चिम बंगाल की यह भी एक समस्या है । इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी पश्चिम बंगाल भारत के अन्य अनेक राज्यों की अपेक्षा राष्ट्रीय आय में अधिक योगदान कर रहा है । एक तिहाई

विदेशी मुद्रा इसी राज्य से होने वाले निर्यात से प्राप्त होती है। इस राज्य में प्रतिवर्ष 374 करोड़ रुपये का 21 प्रतिशत औद्योगिक सामान तैयार किया जाता है। पश्चिम बंगाल में 63 करोड़ रुपये के खनिज, जिनमें कोयला भी शामिल है निकाले गये। अल्प बचत में भी इसका पर्याप्त योगदान रहा है। अतः पश्चिम बंगाल की समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझा जाना चाहिये।

राज्य में लोकऋण जुटाने की कोई संभावना नहीं है। करारोपण भी अन्तिम सीमा तक पहुँच गया है। अतः पश्चिम बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए केन्द्रिय सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिये। पश्चिम बंगाल में 1970 तक आत्मनिर्भर बनने के लिये जोरदार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्य के लिये उसे ऋण के रूप में प्रथम अवधि के लिये 17,70 करोड़ रुपये तथा दूसरी अवधि के लिये 22.68 करोड़ रुपये की आवश्यकता है जिससे यह अनाज के मामले में आत्म निर्भर हो सके। केन्द्रीय सरकार को उसे यह ऋण देना चाहिये।

शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में अन्य माननीय सदस्य कह ही चुके हैं। अन्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल की समस्या का हल एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में किया जाना चाहिये।

श्री श० ना० माइती (मिदना पुर) : इस वर्ष मिदनापुर जिले के एक बड़े भाग में, विशेष रूप से कन्टाई सब-डिविजन में तथा सदर सब-डिविजन में पिंगरु तथा साबुंग में, अभूतपूर्व बाढ़ आने के कारण बहुत क्षति हुई है। इन क्षेत्रों में फसलें नष्ट हो गई। हजारों मकान टूट गये तथा व्यापार पर भी बाढ़ का प्रभाव पड़ा है। किन्तु खेद की बात है कि सरकार ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सहायता नहीं दी। इन क्षेत्रों में अनाज की कमी के कारण एक गम्भीर संकट पैदा हो गया है और बहुत से लोगों के भूख से मरने के समाचार भी मिले हैं। सरकार को पशु, बीज, उर्वरक तथा पशुओं के लिये चारा खरीदने के लिये तुरन्त ऋण देने चाहिये ताकि इन क्षेत्रों में लोग आगामी फसल पैदा कर सकें।

मिदनापुर एक कृषि प्रधान जिला है। सरकार को इस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलना चाहिये। इस जिले के तटवर्ती क्षेत्रों में काजू के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हल्दिया पत्तन पर मिदना पुर के लोगों के लिये कुछ नौकरियां आरक्षित होनी चाहिये।

श्री अ० कु० किस्कू (झाड़ग्राम) : कलकत्ता निगम क्षेत्र में लाखों बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधाएं देने से इन्कार किया गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब प्रारम्भिक शिक्षा को कलकत्ता शहर में यह दशा है तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी क्या दशा होगी? अभी भी बहुत से पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल नहीं है। ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जहां स्कूल में बच्चों के लिये खाना, कमीज पैंट और फ्राक की व्यवस्था किये बिना प्रारम्भिक शिक्षा आरम्भ नहीं की जा सकती। आदिवासी बच्चों को अब बिना विलम्ब के उनकी भाषा सन्ताली में प्रारम्भिक शिक्षा दी जानी चाहिये।

शिक्षा में कुछ प्रसार हुआ है, परन्तु उसमें गुणात्मक सुधार भी किया जाना चाहिये। इसके लिये शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। इस समय पश्चिमी बंगाल में फैली असंगत स्थिति के क्या कारण हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों के लिये अच्छे वेतनमानों की घोषणा की गई है परन्तु प्रशिक्षण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इसके परिणामस्वरूप

शिक्षकों में बहुत निराशा है । शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाना चाहिए ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय जो देश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है वो बहुत बुरी दशा में है । इस महत्वपूर्ण संस्था में शीघ्र सुधार किया जाना चाहिये ।

पश्चिमी बंगाल के शिक्षा विभाग पर बहुत अधिक भार पड़ा है । इससे प्रशासन का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये ।

आदिवासियों के कल्याण की उपेक्षा की गई है । वहां अच्छी सड़कें, अस्पताल और पीने के पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । विशेषकर बेल पहाड़ी से बन्स पहाड़ी तक सड़क बनाने की आवश्यकता है । यह बिल्कुल जंगल क्षेत्र है और यहां लगभग 20 से 30 हजार व्यक्ति रह रहे हैं । आदिवासी परम्परागत अपने खेतों और जंगल से सम्बन्ध रखते हैं । लेकिन चतुर साहूकार, महाजन और अन्य व्यक्ति जो आदिवासी नहीं है, ने उनकी जमीनों को हथिया लिया है । जिसके परिणामस्वरूप आदिवासियों में बहुत असंतोष हैं । जंगलों सम्बन्धी सरकारी नीति का भी पुनरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि आदिवासियों को जंगल उत्पादों में उचित अंश मिल सके ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पश्चिम बंगाल के आय व्ययक के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने विभिन्न बातें उठाई हैं, जिनमें से कुछ बातें बजट से सम्बन्धित हैं और कुछ बातें राजनैतिक मामलों से सम्बन्धित है । साधारणतया इस बजट पर राज्य विधान सभा में चर्चा होनी थी, परन्तु कुछ असाधारण कारणों से इसे यहां पास किया जा रहा है । इसलिये यह स्वाभाविक है कि इस बजट पर चर्चा करते समय विभिन्न विषयों से सम्बन्धित बातें कही गई हैं । मेरे लिये यह तो सम्भव नहीं हैं कि मैं प्रत्येक माननीय सदस्य की प्रत्येक बात का उत्तर दूं, तथापि मैं अधिकांश सदस्यों द्वारा उठाई गई बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

मेरे माननीय मित्र भी समर गुह ने अपने भाषण में कहा है कि हमें पश्चिम बंगाल की समस्याओं कों समझना चाहिये । हम पश्चिम बंगाल की समस्या की वास्तविकता को समझते हैं । इन समस्याओं को समझना बहुत जरूरी होता है । हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी हैं जिससे देश का प्रत्येक नागरिक देश के किसी भी भाग की समस्या को समझ सके । अखण्ड भारत का वास्तविक अर्थ ही यह है ।

इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि देश के विभाजन के कारण बंगाल के लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है और उस का आर्थिक स्थिति पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा है विभाजन के कारण उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं का अभी तक भी हल नहीं निकाला जा सका है । शरणार्थियों की समस्या ने पश्चिम बंगाल की समस्या को और भी उलझा दिया है । इसके अतिरिक्त विभाजन के कारण बंगाल का वह क्षेत्र जहां चावल तथा पटसन अधिक पैदा होते थे, दूसरी ओर रह गया है । विभाजन के उपरान्त पश्चिमबंगाल की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है । वर्ष 1951 में उसकी जनसंख्या 2 करोड़ 6 लाख थी जो वर्ष 1961 में बढ़ कर 3 करोड़ 5 लाख हो गई और इस समय उसकी जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है । समस्या यह है कि आबादी बढ़ गई है, लेकिन भूमि पहले ही जितनी है । पश्चिम बंगाल में आबादी का घनत्व देश में दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक है ।

कई माननीय सदस्यों ने शिक्षित लोगों में वेरोजगारी, खाद्यान्न की कमी तथा विधि और व्यवस्था आदि की समस्याओं का उल्लेख किया है। मैं इनके बारे में बाद में कुछ कहना चाहूंगा, इस समय में कलकत्ता नगर की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हुं, जिनका उल्लेख सर्वश्री सेन, हुमायूं कबिर, चटर्जी, बलराज मधोक, हिम्मतसिंहका तथा अन्य कई माननीय सदस्यों द्वारा किया गया है। कलकत्ता शहर की भीड़-भाड़, नागरिक सुविधा आदि की समस्याओं का वहाँ पर ये सब समस्यायें विद्यमान हैं। कलकत्ता देश के सबसे बड़े नगरों में एक है और यह उद्योग तथा व्यापार का केन्द्र है। कलकत्ता में देश की सबसे बड़ी बन्दरगाह है और वह एक सर्वदेशीय केन्द्र है। कलकत्ता का पश्चिम बंगाल के लिये और सम्पूर्ण देश के लिये बड़ा महत्व है। परन्तु इसकी विशालता और पिछले बीस वर्षों में हुए इसके तीव्र विकास के कारण, इसकी समस्यायें भी बढ़ गई हैं। इन समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्री दीवीन सेन तथा श्री समर गुह ने पंचवर्षीय योजनाओं में पश्चिम बंगाल के लिये निर्धारित की गई राशि का उल्लेख किया है। पश्चिम बंगाल को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में पिछली योजनाओं के दौरान उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 68 करोड़ रुपये परिव्यय में से केन्द्रीय सहायता 30.6 करोड़ रुपये थी, जो कि 45.2 प्रतिशत बैठती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो कि पहली पंचवर्षीय योजना में जो कि पहली पंचवर्षीय योजना से दुगुनी से भी अधिक थी और जो कि 156 करोड़ रुपये की थी, केन्द्रीय सहायता 46.8 प्रतिशत थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से दुगनीं थी और इसमें 307 करोड़ रुपये के परिव्यय में से केन्द्रीय सहायता 51.5 प्रतिशत थी। वर्ष 1966 से 1969 तक 162 करोड़ रुपये के परिव्यय में से केन्द्रीय सहायता 107 करोड़ रुपये थी, जो कि 67 प्रतिशत बैठती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि केन्द्रीय सहायता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती रही है। इसके अतिरिक्त दामोदर घाटी निगम परियोजना और चित्तरंजन लोकोमोटिव, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, कलकत्ता बन्दरगाह, फरक्का बांध, हल्दिया बन्दरगाह, एम० ए० एम० सी० आदि केन्द्रीय परियोजनाओं पर बहुत धन खर्च हुआ है।

दो अथवा तीन माननीय सदस्यों ने हुगली नदी पर दूसरा पुल वनाने को बात उठाई है। यह एक स्वीकृत योजना है। इस पर लगभग 1.65 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस योजना के लिये वर्ष 1967-68 के बजट में और उससे आगे भी उपबन्ध किया गया है। इस योजना को पूरा करने में कुछ वर्ष लगेंगे।

विस्थापितों की समस्या के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 1963 तक 33 लाख विस्थापित आ चुके थे और उसके बाद 7 लाख विस्थापित और आ गये तथा इस प्रकार विस्थापितों की संख्या 40 लाख हो गई। इन लोगों के पुनर्वास पर लगभग 155 करोड़ रुपये खर्च हुए। राहत और पुनर्वास कार्य कई प्रकार का चलाया गया। मकान बनाने और व्यापार करने के लिये ऋण दिये गये। शिक्षा के लिये अनुदान दिये गये। चिकित्सा आदि के लिये सहायता और सुविधायें दी गई। आज भी पश्चिम बंगाल में 6 लाख शरणार्थी हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में यह याद रखना होगा कि इन लोगों के पुनर्वास का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार ने ही दिया है। इसका भार बंगाल सरकार पर नहीं पड़ा है। इसे राष्ट्रीय समस्या माना गया हैं। ये शरणार्थी लोग देश के विभिन्न भागों में गये है। कुछ माननीय सदस्यो ने कहा है कि वे लोग बंगाल से बाहर जाकर खुश नहीं हैं।

इस सम्बन्ध में मैं अधिक तो नहीं कह सकता, परन्तु अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि जो लोग नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में बसे हैं, वे बहुत खुश हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Speaker in the Chair]

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है श्री एन० सी० चटर्जी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया है, जो सम्पूर्ण की समस्या और शरणार्थियों को बसाने के बारे में विचार कर रहा है। आयोग ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन भी पेश कर दिया है, जिसकी जाँच लगभग पूरी हो गई है। हमें आशा है कि उस प्रतिवेदन के आधार पर हम शीघ्र ही कुछ अन्तिम निर्णय कर सकेंगे। श्री चटर्जी का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। हम अन्तरिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बंगाल की खाद्य स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह सच है कि पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न की बहुत कमी है। पिछले कुछ वर्षों में उस भूमि पर पटसन की खेती की गई है, जिस पर पहले धान की खेती की जाती थी। गत दो वर्षों निरन्तर सूखा पड़ने के कारण भी खाद्य स्थिति और बिगड़ गई है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, भूमि पर आबादी का अधिक दबाव पड़ने के कारण भी स्थिति और खराब हो गई है। खेती की पैदावार बढ़ाने से ही यह समस्या हल हो सकती है। हमें बंगाल में भी देश के अन्य भागों की तरह प्रति एकड़ अधिक पैदावार करनी है। अच्छे बीज और आधुनिक जानकारी से खेती का उत्पादन बढ़ाना असम्भव नहीं है। वास्तव में बंगाल में उत्पादन बढ़ा है। खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तीन बड़ी योजनायें चालू की गई हैं। मयूराक्षी और दामोदर घाटी निगम परियोजनायें पूरी हो गई हैं और कंसबारी का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त अधिक उपज कार्यक्रम का तेजी से विस्तार किया जा रहा है।

श्री घोष ने वसूली का उल्लेख किया था। इस वर्ष 2.53 लाख मीटरी टन अनाज वसूल किया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 76,000 मीटरी टन अनाज वसूल किया जा सका था। मुझे उनकी यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ था कि वसूली में ढील दी जा रही है।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने खाद्यान्न की सप्लाई के प्रबन्ध का प्रश्न उठाया था। बंगाल को अब भी बाहर से अनाज की सप्लाई की जा रही है। बंगाल खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर नहीं है।

यदि हम पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों की समस्या हल करना चाहते हैं, तो हमें उत्पादन बढ़ाना होगा। हम आर्थिक विकास की गति को तेज करना चाहिए और उत्पादन बढ़ाना चाहिए। हमें अपना ध्यान इसी ओर केन्द्रित करना होगा। पिछले कुछ समय से अशांति फैली हुई है। वास्तव में वर्ष 1967 में औद्योगिक अशान्ति फैलाने के लिये जानबूझकर वातावरण किया गया। घेराव आदि की बहुत सी घटनायें हुई। घोष मंत्रिमंडल के सत्तारूढ़ होने के बाद स्थिति में कुछ सुधार हुआ और बहुत सी यूनिटें जो बन्द कर दी गई थीं, चालू कर दी गई। हम बंगाल में ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं। जिससे वहां पर स्थिरता आये तथा वहां धन लगाने की

समुचित व्यवस्था हो सके और लोगों को रोजगार दिया जा सके तथा राज्य में रहन सहन की स्थिति में सुधार किया जा सके।

मेरे माननीय मित्र श्री गणेश घोष ने कहा है कि पुलिस पर खर्च बहुत बढ़ गया है। वास्तविक स्थिति यह है कि वर्ष 1966-67 में पुलिस पर 13.48 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जबकि वर्ष 1967-68 के बजट में जो श्री ज्योति बसु ने पेश किया था, पुलिस पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर 16.87 करोड़ रुपये कर दिया गया। पुनरीक्षित बजट में इस सम्बन्ध में 16.11 करोड़ रुपया रखा गया है। इस वर्ष के लिये इस सम्बन्ध में 16.5 करोड़ रुपया रखा गया है। इस प्रकार श्री ज्योति बसु द्वारा पेश किये बजट में पुलिस व्यय पहले वर्ष की अपेक्षा बढ़ा दिया गया है।

मेरे मित्र श्री गणेश घोष ने एक और प्रश्न उठाया था, जो कि राजनैतिक कैदियों से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल का शासन अपने हाथ में लिया उस समय राजनैतिक कैदियों की संख्या 127 थी, जबकि आज केवल 34 राजनैतिक कैदी हैं और वे भी उग्रपंथी के दल से लोग हैं, जिन्होंने खुले आम सशस्त्र संघर्ष के लिये आन्दोलन किया था।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सब कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The Cut motion were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1968-69 के लिये पश्चिम बंगाल की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं।

The following Demands for the year 1968-69 in respect of West Bengal were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
1.	4—निगम-कर से भिन्न आय सम्बन्धी कर	3,05,000
2.	9—भू-राजस्व	1,95,72,000
	76—भू-राजस्व-अन्य विविध क्षतिपूर्ति और समर्पण	9,61,000
	92—भू-राजस्व-जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के सम्बन्ध में भूमिधारियों को क्षतिपूर्ति की अदायगी	1,16,66,000
3.	10—राज्यीय उत्पादन शुल्क	28,22,000
4.	11—गाड़ियों पर कर	5,72,000
5.	12—बिक्री कर	18 89,000
6.	13—अन्य कर और शुल्क	7,00,000
7.	14—स्टाम्प	6,84,000
8.	15—रजिस्ट्री फीस	20,24,000
9.	16—ऋणों और अन्य देनदारियों पर ब्याज	20,00,000
11.	18—संसद, राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र के विधान मंडल	15,91,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
12.	19—सामान्य प्रशासन	1,96,43,000
13.	21—न्याय प्रशासन	54,58,000
14.	22—जेल	71,80,000
15.	23—पुलिस	6,07,15,000
16.	26—विविध विभाग दमकल सेवा	25,26,000
17.	26—विविध विभाग दमकल सेवा को छोड़कर	1,24,74,000
18.	27—वैज्ञानिक विभाग	26,000
19.	28—शिक्षा	14,66,87,000
20.	29—चिकित्सा	5,66,30,000
21.	30—लोक स्वास्थ्य	2,82,99,000
22.	31—कृषि—कृषि	5,06,37,000
	95—कृषि—कृषि सम्बन्धी सुधार और गवेषणा की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,22,53,000
23.	31—कृषि-मीन क्षेत्र	26,87,000
24.	33—पशुपालन	65,01,000
	124—पशुपालन सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय—बृहत्तर कलकत्ता दुग्ध पूर्ति योजना	2,41,77,000
25.	34—सहकारिता	40,03,000
26.	35—उद्योग- उद्योग	1,04,16,000
	96—उद्योग—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	58,23,000
27.	35—उद्योग—कुटीर उद्योग	66,36,000
	96—उद्योग—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय—कुटीर उद्योग	4,65,000
28.	35—उद्योग-सिंकोना	17,04,000
29.	37—सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	1,51,03,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय-सामुदायिक विकास प्रयोजनाएं राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	4,47,000
	सामुदायिक विकास प्रायोजनाओं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्यों के अनुसार ऋण और अग्रिम	10,53,000
30	38—श्रम और नियोजन	1,51,27,000
31	39—सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन—	

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	51,11,000
32.	39—सामाजिक और विकास संबंधी विविध संगठन— अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को छोड़कर	49,32,000
33.	42—बहुप्रयोजनी नदी योजनाएं	2,40,52,000
	43—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी संबंधी निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)	27,17,000
	44—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं-सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	1,28,44,000
	98—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं, बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	84,66,000
	99 - बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं-सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी संबधी निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)	16,61,000
	100—बहुप्रयोजनीय नदी योजनाएं-सिंचाई, नौपरिवहन, तटबन्ध और जल निकासी सम्बन्धी निर्माण कार्य (अवाणिज्यिक)	11,88,000
34.	50—सरकारी निर्माण कार्य	5,19,83,000
35.	51क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना	19,78,000
	106क—बृहत्तर कलकत्ता विकास योजना पर पूंजी परिव्यय	62,33,000
36.	53—बन्दरगाह और नौचालन	5,16,000
37.	57—सड़क और जल परिवहन योजनाएं	19,64,000
	114—सड़क और जल परिवहन योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,50,000
38.	64—दुर्भिक्ष सहायता	2,00,00,000
39.	65—पेंशनें और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	66,28,000
	120—पेंशनों के राशीकृत मूल्य की अदायगी	1,86,000
40.	67—भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	50,000
41.	68—लेखन-सामग्री और छपाई	36,91,000
42.	70—वन	89,94,000
43.	71—विविध-अंशदान	1,25,80,000
44.	71—विविध—अन्य विविध व्यय	1,82,72,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,92,93,000

45.	71—विविध—विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये अशोध्य ऋण जो बट्टे खाते डाल दिये गये	50,00,000
	71—विविध-विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,24,02,000
	109—अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	21,66,000
	विस्थापित व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम	16,67,000
46.	78—विभाजन-पूर्व की अदायगियाँ	1,000
47.	78क—राष्ट्रीय संकट से संबद्ध व्यय	1,29,28,000
48.	98—बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूजीं परिव्यय—दामोदर नदी घाटी प्रायोजना	1,44,62,000
49.	103—सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	2,35,64,000
50.	124—सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	1,80,64,000
52	राज्य/संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	5,31,45,000

पश्चिम बंगाल विनियोग (संख्या 2) विधेयक

WEST BENGAL APPROPRIATION (NO. 2) BILL 1968

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं श्री मोरारजी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की सेवाओं के लिये पश्चिम बंगाल राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 2 and 3 were added to the Bill.

खण्ड 1 अनुसूची, अधिनियमन सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिये गये ।
Clause 1, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE: MOTION FOR ADJOURNMENT

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रधान मन्त्री वक्तव्य देना चाहती हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं जानना चाहती हूं कि किस नियम के अन्तर्गत मुझे अपना वक्तव्य देना है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कल सायं 6 बजे के लगभग इन मामलों को उठाया जायगा तथा यह स्वाभाविक है कि सब वक्तव्यों तथा अन्य मामलों के बारे में हम कल सायं 6 बजे विचार विमर्श करेंगे । कच्छ के मामले पर भी कल विचार किया जायेगा । इस सम्बन्ध में श्री वाजपेयी अपनी पूर्व सूचना दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कच्छ के सम्बन्ध में दिये गये विवरणों की त्रुटियों और गिरफ्तारियों का उल्लेख किया है । श्री वाजपेयी के प्रस्ताव का क्या रूप होगा, इस पर मैं बाद में विचार करूंगा ।

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य देंगी अथवा सभा किसी विशेष प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस सम्बन्ध में श्री वाजपेयी और श्री मधु लिमये से दो पृथक-पृथक प्रस्ताव आये हैं । ये प्रस्ताव कच्छ में कुछ सदस्यों की गिरफ्तारी के बारे में दिये गये विवरण के सम्बन्ध में हैं । इस सम्बन्ध में कुछ त्रुटि हो गई है भेजे गये तार में निरुद्ध शब्द का उपयोग किया गया है, जबकि बाद के लिखित सन्देश में अवरुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है । एक दूसरी बात जो मेरे ध्यान में कल लाई गई थी, वह किसी अधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हलफनामे के सम्बन्ध में है । हम इन दोनों मामलों पर कल विचार करेंगे । मैं इस सम्बन्ध में सरकार को भी काफी समय देना चाहता हूं, जिससे कि वह इस सम्बन्ध में तैयार होकर आ सकें ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker it is an important matter and that is why I have given notice for an adjournment motion under rule 346. The sentences used in the affidavit are contradictory of those used by Government in the statements given in this House so far. The hon. Chairman has given a ruling that the Prime Minister will give a statement immediately after the West Bengal Budget.

श्री स० कुण्डू : महोदय, श्री हेम बरुआ ने जबकि वह अध्यक्ष सीट पर पीठासीन थे, इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट विनिर्णय दिया था

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इस बात की जानकारी है कि इस सम्बन्ध में एक निश्चित विनिर्णय दिया गया है। मैं मानता हुँ कि उस विनिर्णय का आदर किया जाना चाहिये, परन्तु कभी कभी समय के अभाव के कारण सरकार के लिये उत्तर देना सम्भव नहीं होता। यह पूर्व सूचना बहुत थोड़े समय पहले दी गई है और मैं सरकार को कुछ और अधिक समय देना चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह मामला महत्वपूर्ण हैं, परन्तु क्योंकि मैं सरकार को कुछ और समय देना चाहता हूं। इसलिये इस मामले को कल लिया जायेगा।

श्री पें वेंकटासुब्बया : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रस्ताव पेश किया है। हम नहीं कह सकते कि वह स्थगत प्रस्ताव है अथवा विशेषाधिकार प्रस्ताव है, क्योंकि यह निर्णय आपको करना है कि वह स्थगत प्रस्ताव है अथवा विशेषाधिकार प्रस्ताव है।

श्री वाजपेयी के प्रस्ताव में सरकार द्वारा न्यायालय में दर्ज किये गये हल्फनामे में त्रुटियां होने का उल्लेख किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सभा ऐसे मामले पर विचार विमर्श कर सकती है, जो न्यायालय के बिचाराधीन है ?

श्री बलराज मधोक : मैं नहीं समझता कि वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। प्रश्न यह है कि इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिये कि अवरसचिव ने हल्फनामा अपनी ओर से दिया है अथवा सरकार की ओर से। कच्छ भारत का भाग है तथा न्यायाधिकरण ने भी यही निर्णय किया है। परन्तु उस हल्फनामे में जो कुछ लिखा है वह उन आश्वासनों के विरुद्ध है जो सरकार ने इस सभा को दिये थे। मैं समझता हूं कि सरकार के लिये ऐसा करना न केवल इस सभा का अपमान करना है, अपितु जनता को भी धोखा देना है। उस हल्फनामे की एक प्रति सभा पटल पर रखी जानी चाहिये।

श्री हेम बरुआ : खड़े हुए।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने विनिर्णय दिया था।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि वह उस समय सभापति थे, इसलिये उन्होंने विनिर्णय दिया था।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि उस हल्फनामे में ऐसी बातें है, जो कच्छ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा इस सभा में कही गई बातों के विरुद्ध हैं, इसलिये मैंने कहा था कि प्रधान मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का पता है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कुछ बातें उठाई थी। प्रश्न यह उठाया गया था कि हल्फनामे की उन बातों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिये, जो प्रधान मंत्री द्वारा यहां पर कही गई बातों के विरुद्ध हैं। स्वाभाविक है कि उन बातों को उठाया जा सकता है। यह मामले का न्यायानिर्णाधीन होने का प्रश्न नहीं है। परन्तु इस मामले को कल उठाया जायेगा।

सिविल प्रतिरक्षा विधेयक
CIVIL DEFENCE BILL

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रतिरक्षा तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

सिविल प्रतिरक्षा विधेयक इस सभा में गत दिसम्बर में पुरःस्थापित किया गया था । सिविल प्रतिरक्षा संगठन भारत प्रतिरक्षा अधिनियम तथा नियम, 1962 के उपबन्धों के अन्तर्गत स्थापित किया गया था । आपातकाल की समाप्ति पर, जुलाई, 1968 से भारत प्रतिरक्षा अधिनियम की प्रयुक्ति बन्द हो जायेगी । हमें सिविल प्रतिरक्षा संगठन तथा इसके प्रशासन को बनाये रखने के लिये संविधिक उपबन्ध की आवश्यकता है और इसलिये यह विधेयक पेश किया गया है ।

सिविल प्रतिरक्षा का लक्ष्य जीवन बचाना, सम्पत्ति का नुकसान कम करना और देश के उत्पादन और सिविल सेवाओं को बनाये रखना है । सिविल प्रतिरक्षा मुख्य रूप से एक स्वयंसेवी संस्था है । संगठन के सदस्य इसमें स्वयंसेवी आधार पर शामिल होते हैं और वे आपात के समय देश की सुरक्षा के लिये अपनी शक्ति का योगदान देने पर संतुष्ट हैं । 12 सेवायें ऐसी हैं जिन्हें इस संगठन के अधीन आयोजित करने की आवश्यकता है और उन्हें दीर्घ प्रशिक्षण देने की जरूरत है और इसलिये इस संगठन के लिये सिविल प्रतिरक्षा व्यवस्था के अधीन एक स्थायी ढांचे की जरूरत है । काफी उपकरण ग्रहण करने लगाने और एकत्र करने की जरूरत है ।

इस विधेयक से विद्यमान व्यवस्था के वर्तमान ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होता । संगठन पहले की तरह स्वयंसेवी रहेगा और जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये किसी तरह के दबाव का प्रयोग नहीं किया जायेगा । मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि आपातकाल मे जन जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये सिविल प्रतिरक्षा परम आवश्यक है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सिविल प्रतिरक्षा तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर चर्चा की जाये ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संविधान की अनुसूची सात में उल्लिखित सूची संख्या 2 में दिये गये विषयों पर संसद को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है । वे राज्यों के विषय हैं । अतः यह एक राज्य का विषय है और मैं जानना चाहता हूँ कि इस विषय के बारे में संसद द्वारा कानून कैसे बनाया जा सकता है जबकि उसे कानून बनाने का कोई अधिकार ही नहीं है । क्या केन्द्र "प्रतिरक्षा" शब्द जोड़ कर जिस विषय पर यदि कानून बना सकता है ? मैं सूची संख्या 2 में उल्लिखित सब विषयों का उल्लेख तो नहीं करना चाहता, परन्तु यह कहना चाहता हूँ कि "प्रतिरक्षा" का नाम लेकर केन्द्रीय सरकार उन शक्तियों को प्राप्त करना चाहती है, जो राज्य सरकारों की दी हुई हैं । केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वे राज्य सरकारों को लिखें कि वे इस सम्बन्ध में सहमत हों । जब तक राज्य सरकारें सहमत नहीं होती, तब तक इस सम्बन्ध में कानून बनाना केन्द्र के क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा प्रतिरक्षा शब्द जोड़कर इस सम्बन्ध

में केन्द्र द्वारा कानून बनाना उचित नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि इस बारे में कानून बनाना इस सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री समर गुह अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं ?

श्री श्रीनिवास मिश्र : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कि "प्रतिरक्षा" शब्द जोड़ कर केन्द्र इस सम्बन्ध में कानून बनाना चाहता है। मैं इस सम्बन्ध में और क्या कह सकता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि सिविल प्रतिरक्षा तथा तत्सम्बन्धी मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की 16 सदस्यों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के 11 सदस्य, अर्थात :—

(1) श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ।

(2) श्री कृष्ण कुमार चटर्जी।

(3) श्री यशवन्त राव चव्हाण।

(4) श्री जे० के० चौधरी।

(5) श्री विनय कृष्ण दास चौधरी।

(6) महाराजा प्रताप केसरी देव।

(7) श्रीमती शारदा मुकर्जी।

(8) मेजर रणजीत सिंह।

(9) श्री पी० जी० सेन

(10) श्री श्रीधरण और

(11) श्री समर गुह, और राज्य सभा के 5 सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल सख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को 29 जून, 1968 तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य बातों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रस्ताव तथा संशोधन दोनों सभा के समक्ष हैं। श्री समर गुह बाद में अपना भाषण दे सकते हैं।

श्री के० प्र० सिंह देव (ढेंकानाल) : विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकार ने वर्ष 1962 के चीनी आक्रमण के बाद ही सिविल प्रतिरक्षा को आवश्यक समझा है। यद्यपि वर्ष 1957 में प्रादेशिक सेना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने प्रादेशिक सेना की पत्रिका "सावधान" में अपने संदेश में कहा था कि सभी देशों में कुशल और विस्तृत सिविल प्रतिरक्षा संगठन हैं और वे हर समय कारगर ढंग से तैयार रहते हैं, ताकि वे एक दम बाहरी का शिकार न बन जाये, तथापि इस सम्बन्ध में वर्ष 1962 तक कोई कार्यवाही नहीं की गई और हम अचानक बाहरी आक्रमण के शिकार हो गये।

आधुनिक युद्ध शक्ति की कसौटी केवल रणक्षेत्र ही नहीं, अपितु घरेलू मोर्चे पर जनता का का मनोबल भी है। उस समय पूरे राष्ट्र की शक्ति की परीक्षा होती है, जिस समय शत्रु राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक युद्ध द्वारा, जिसका उद्देश्य एकता तथा लोगों की मुकाबला करने की संगठित कामना को खत्म करना होता है, अपने विरोधियों पर हावी होने का प्रयत्न करता है। निम्न मनोबल तथा निश्चय के अभाव का मुकाबला, जिसे शत्रु प्रचार के नियोजित कार्यक्रमों तथा अन्य देश भक्तिहीन तथा अन्तर्राष्ट्रीय तत्वों को सहायता है जनता में पैदा करना चाहता है, केवल उचित सिविल प्रतिरक्षा उपायों द्वारा ही किया जा सकता है। डर तथा भय के कारण जनता का आत्म-विश्वास डगमगा जाता है और शत्रु तोड़फोड़ की कार्यवाहियां करके प्रतिरक्षा उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे सशस्त्र सेनाओं को हथियारों की सप्लाई बन्द हो जाती है और विजय की आशा समाप्त हो जाती है। कुशल सिविल प्रतिरक्षा व्यवस्था द्वारा ही इनका मुकाबला किया जा सकता है।

यह सच है कि एक सुप्रशिक्षित और वीर सेना ही आक्रमण से सुरक्षा कर सकती है, परन्तु आंतरिक विघटन, आंतक और नैतिक पतन से समाज को बचाने के लिये एक सुसंगठित सिविल प्रतिरक्षा आवश्यक है। सिविल प्रतिरक्षा द्वारा नागरिक का मनोबल बनाये रखा जाना चाहिये।

सिविल प्रतिरक्षा उपायों को सफल बनाने के लिये जनता के सहयोग और उत्साह की आवश्यकता है और जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को उच्च स्तर पर रखा जाना चाहिए। जनता में सिविल प्रतिरक्षा के उत्साह की कमी नहीं है, जैसाकि वर्ष 1962 और 1965 में आक्रमणों के बाद देखा गया है। परन्तु सरकार अपना कर्तव्य पालन करने में बुरी तरह विफल रही है। सरकार की निष्प्रभाविकता का प्रमाण दिल्ली से ही मिल जाता है, जहां 25,000 रुपये के सिविल प्रतिरक्षा के औजार खो गये हैं। जब दिल्ली में ही इतना नुकसान हुआ है, तो इस बात का अनुमान लगाना तो असम्भव है कि देश में कितना नुकसान हुआ होगा। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारों को सिविल प्रतिरक्षा के लिये उचित औजार उपलब्ध किये जाने चाहिये।

सिविल प्रतिरक्षा को दो किस्मों-सक्रिय और निष्क्रिय में बांटा जा सकता है। सरकार जनता से भाग लेने का आग्रह करने में असफल रही है, जैसा कि हमें आशा थी। पाकिस्तान के आक्रमण के समय हमारे सहयोगी श्री ढिल्लो ने अपने क्षेत्र में हथियारहीन नागरिकों को संगठित

किया था, तथा उन्होंने बहुत से पाकिस्तानी छातधारियों को पकड़ा था, हालांकि सरकार अथवा सिविल प्रतिरक्षा संगठन ने इस सम्बन्ध में कोई पहल नहीं की थी और उन नागारिकों को एक भी हथियार नहीं दिया गया था।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

जहां तक निष्क्रिय उपायों का सम्बन्ध है, मेरा सुझाव है कि प्रत्येक पड़ौस में आयात केन्द्र खोले जाने चाहियें। सरकारी डाक्टरों को स्वयंसेवकों के रूप में काम करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये। अनुशासनहीनता तथा अकुशलता के लिये सिविल प्रतिरक्षा अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये तथा कठोर कदम उठाये जाने चाहियें। सिविल प्रतिरक्षा के सम्बन्ध में दूसरे महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा और हाल में इजराइल द्वारा प्रदर्शित कुशलता से हमें सबक सीखना चाहिये।

Shri A.S. Saigal (Bilaspur): Mr. Deputy Speaker, I would like to say a few word regarding this Bill on the basis of my experience I have had the occasion of organising Homs Guards in the Border areas. So I am very happy with the following provision of this bill, which has been made at page 6 of the Bill.

> "Provided that if there is in existence in any area in a state, immediately before the commencement of this Act in this area, an organisation which in the opinion of the State Government may be entrusted with the functions of the corps, the State Government may, instead of constituting a separate corps for such an area, call upon the organisation to take over or discharge the functions of the corps of that area."

So it is a very good provision. According to this provision the Home Guards and similar other organisations will be given recognition and they will be much helpful in onr Civil Defence measures. They should be given the same rights as are given to this corps. At the same time I want to submit that the members of the Home Guards organisation or other similar organisations which have been set up on the pattern of Civil Defence Organisation should be given full training and a refresher course should be arranged for them annually, so that they are able to work efficiently in hour of need and time of emergency.

A provision has been made under clause 6 (1) for the dismissal of a member of the corps. I agree that it is a good provision. No organisation can be run efficiently without discipline and for the maintenance of discipline it is essential that the rule and regulations should be enforced strictly and anyone who disobeys the rules and regulations should be punished and dismissed. We should maintain discipline strictly and anyone who disobeys the rules should be shown no mercy. I wish that this clause which says, "If any person neglects or fails without any reasonable excuse to obey any order made or direction given to him under this Act or rules made thereunder, he shall be punishable with fine which may be extended to five hundred rupees." If anyone disobeys the rules he should be debarred from Government service.

I wish that the training of discipline, national defence and civil defence should be made compulsory in our schools. Every child should be given this training. That is not

all. It should be made popular among our public and those in the age group of 17—18 years to 30—35 years should compulsorily be given this training.

In addition to all this I would like to request that proper attention should be given for the welfare of the employees of civil Defence organisation. They should be given good food, uniform and other facilities.

Shri Ram Singh Agarwal (Sagar): Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the Civil (Defence) Bill. The responsibility of defending the country does not entirely rest on our Armed forces alone but the labourer, the farmers and anyother person in any walk of life is also responsible for the internal security of the country. At the same time it is also necessary that we should maintain law and order. So it is in view of all these things that we need a civil Defence organisation.

Modern war is a total war and it is not limited to warfield only. Modern war is fought with aeroplanes and air raids are made on thickly populated areas. In the border areas, the people should be armed, so That they may face the intruders. So it is very essential that we should have an efficient civil Defence Organisation to face all these eventualities I would like to congratulate the Government for bringing this measure.

During the Chinese aggression we saw that every individual was ready to sacrifice himself for the sake of the country. Even the people in villages felt that they are being attacked by a foreign country and so the entire nation rose as one man. This bill is also important from this point of view, because it will help in creating a feeling of patriotism and national integration.

So far as the question of giving training to the Civil Defence personnel is concerned, I would like to submit that they should be given a very good and full training. They should be well-trained and well-equipped. At the same time I would like to say that there should be no political interference, in the Civil Defence organisation. It hampers the efficient working of the organisation and hence it should be avoided. It should also be ensured that anti national elements are not included in Civil Defence. There are some persons in our country, who want to create disorder. So my submission is that Civil Defence should be kept away from such persons.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): Mr. Deputy Speaker, I agree with the objects of the Bill, because I understand that national defence is not possible on the strength of our armed forces alone, but a well organised Civil Defence is a must to save the nation. But I think that our Government has brought this measure very late, because during the past we have been subjected to many aggressions and Government never thought of bringing any such measure. So far as this object of the bill is concerned, there is no doubt that we appreciate the bill, but at the same time we have a feeling that this Government is intruding upon the powers of the State Governments by enacting such a measure.

Though I agree that the objects of the bill are no doubt good, but I feel that they can be achieved only when we get the co-operation of the public and the co-operation of the public is possible only when there is economic well being in the country. Today we see that the general condition of our country is very bad. There are communal disturbances and thousands of people are being killed. In big cities people have no houses to live in and they are compelled to sleep on roads. Atrocities are being committed on Harijans. There is no Civil liberty in our country. In such circumstances, it is very doubtful that this bill will serve any useful purpose. So my submission is that if you want to make the Civil Defence an effective organisation then it is essential that the general lot of the people should be improved, so that they may feel that it is their country and it is their duty to

defend it. If you really want that civil Defence is made effective then the Civil Defence Organisation should be made a permanent organisation and arms training should be given to those who are above 18 years in age, particularly to those who are living in border areas and on sea coasts.

मंत्रियो के निवास स्थान (संशोधन) नियमो के बार में प्रस्ताव
MOTION RE: MINISTERS RESIDENTES (AMENDMENT) RULES

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, Sir, while raising a discussion on the motion regarding Ministers Residences (Amendment) Rules, I want to point out that it was twenty one years before when it was resolved that India would be a s. cialistic state. But the fact is that the disparity between the lowest and the highest expenditure is widest in the world. The disparity in our country between the highest and lowest income is even more than it exists in the so called capitalistic pattern of societies. I have been in the communist countries of East Europe and have seen that the gap between the lowest and highest incomes is about 1 : 6 or 1 : 7 whereas it is much more in our country. The Minister of state in the Ministry of Education is present here, so I want to tell him that the gap between the pay of a primary school teacher and that of the Vice Chancellor of a University or any other top official in the field of education is 1 : 50 or 1 : 60.

In answer to a question it was stated that an amount of Rs. 1,12,000 is spent annually on a cabinet Minister by way of his salary allowances, house rent, electricity and water charges etc. etc.

In our country Ministers are provided with lot of facilities free of any charges. The expenditure incurred by the Government on a cabinet Minister is Rs. 1,12,000 on a state Minister Rs. 75,000 and on a Deputy Minister the expenditure incurred is Rs. 45,000 in which their salaries, allowances, rents and expenditure on electricity water, furniture and secretaries etc. are included. The accommodation which is allotted to us is not free of charges. This matter of providing free facilities to Ministers requires reconsideration. In the market tuch bungalows earn very high rents.

Even in England and Sweden such facilities are not given to Ministers. In England only two of three Ministers of topmost ranks get such accommodation facilities. In Sweden even the Ministers go by bicycles. They do not get free accommodation facilities.

Such facilities are not in accordance with the principles of the socialistic pattern of society. Steps should be taken to see that the ratio between the maximum pay and minimum pay should be 10 : 1 both in the public as well as private sectors. This principle should be followed in the Fourth Five Year Plan. Government should implement this principle in the case of Ministers, officers and other workers of Government Departments and undertakings in the first instance and then it can be done in the case of private sector.

श्री अनिरुधन (चिरयिन्कील) : हमारे देश में एक साधारण व्यक्ति की आय इतनी कम है कि जनता में और मंत्रियों में स्पस्ट असमानता है, यहाँ तक कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी यह असमानता बनी हुई है, मंत्रिमंडल के मंत्रियों की कोटि में भी असमानता है।

इतनी बड़ी राशि वेतन और भत्ते के रूप में प्राप्त करते हुए तथा इतने अधिक विश्राम और विलास सामग्री के उपलब्ध होते हुए भी ये मंत्रीगण विदेशों का दौरा करते हैं और वहाँ विलास मयजीवन व्यतीत करते हैं तथा लौटते समय अपने साथ विलास सामग्री को लाते हैं। खादी

ग्रामीद्योग, मितव्ययिता की बात करने वाले ये मन्त्री इस प्रकार विदेशों से विलास सामग्री लाते है और हमारे सीमा शुल्क तथा टैक्स-अधिकारियों को धोखा देते हैं। अतिसंयम की बात करने वाले इन मंत्रियों को स्वयं पहले संयम का प्रयोग कर आदर्श उपस्थित करना चाहिए नहीं तो यह सब पाखण्ड माना जायेगा।

Shri Sheo Narain (Basti) : The Members and Ministers of our country are not receiving more emoluments and facilities than the Members and Ministers of other countries. There should be no reduction in amenities given to our Ministers and they should continue to get what they are getting.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Every Minister should get all the facilities necessary for the proper functioning of his duties. But the question is that whether the present amenities being provided are justified? At present, there is an expenditure of Rs. 16,000, or Rs. 17,000 p.m. on a Minister of a cabinet rank, which is too much and should be reduced. Ministers should lead a simple life. They should not live like Rajas and Maharajas. Ad hoc salary should be fixed for the Ministers and they should not get other facilities except this. Ministers should not misuse the water and electricity facilities given to them for doing official work at their residence. They should not take with them their sons and daughters when they visit abroad and should not bring luxurious goods to India without paying tax. They should maintain a certain decorun and standard.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस समय हमारे देश में जबकि हमें वितीय संकट का सामना करना पड़ रहा है उप-प्रधान मंत्री नियुक्त करना उचित नहीं है। उप-प्रधान मंत्री के बिना भी हम पिछले 20 वर्षों से जब से संविधान लागू हुआ है अपना कार्य चलाते रहें हैं। दल में आन्तरिक झगड़ो के कारण काग्रेस सरकार एक उप-प्रधान मन्त्री नियुक्त करना चाहती थी और उसे प्रधान मंत्री की जैसी सुविधाएं देना चाहती थी यह आपत्तिजनक है, इसीलिए मैं श्री लिमये के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri B.D. Deshmukh (Aurangabad) : There is a definite difference in the status of a Prime Minister, Deputy Prime Minister, Minister and a Deputy Minister.

The status of an ordinary man cannot be at par with that of our Prime Minister because there is a question of her security and status and the status of the country. Therefore, it is absolutely proper and necessary that there should be a difference in the status of the Prime Minister and other Ministers. More than 50 percent of the expenditure incurred at the residence of the Prime Minister is spent on the security arrangements and on their staff. Therefore it is basically wrong to say that there should be no disparity between the expenditure incurred at the residence of the Prime Minister and a Minister.

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : श्री मधु लिमये का प्रस्ताव सीमित है, उसमें कहा गया है कि "मंत्रिमंण्डल के मंत्रियों के बीच, इन नियमों में उपबन्धित सुविधाओं को दिए जाने के सम्बन्ध में कोई विभेद नहीं किया जायेगा....." लेकिन उन्होंने अपने भाषण में मंत्रियों के वेतनों और भत्तों के आधार पर भी आपत्ति उठाई है, और समाजवाद तथा समाजवादी समाज की बात को भी बीच लाये हैं। मंत्रियों के वेतनों और भत्तों से सम्बन्धित यह अधिनियम 1952 में पास किया गया था। नियम 8 के साथ एक परन्तुक है जिसमें कहां गया है कि इन नियमों में कोई नियम प्रधान मंत्री के निवास के मामले में लागू नहीं होगा" उप-प्रधान मंत्री का पद पिछले डेढ वर्ष से बनाया गया है। हमें एक नियम बनाना

है जिसमें उप-प्रधान मंत्री के पद को भी मुक्त रखा जायेगा। प्रधान मंत्री और उप-प्रधान मंत्री का स्थान अनन्त है और के अधिक अच्छी सुविधाओं के हकदार हैं क्योंकि उनको ऐसे उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। उनकी तुलना अन्य मंत्रियों की स्थिति के साथ नहीं की जा सकती हमारे देश में अधिकतम और न्यूनतम वेतन में 10 : 1 का अनुपात रखना व्यवहार्य नहीं है। न ही हम अपने देश की परिस्थितियों की तुलना ब्रिटेन अथवा फ्राँस से कर सकते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ही असमानता अन्तर्निहित है इसे एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। इस असमानता का गरीबों को अमीरों के स्तर पर लाकर दूर किया जा सकता है न कि अमीरों को नीचे के स्तर पर लाकर माननीय सदस्य के तर्क का कोई आधार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री मधु लिमये के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

The Motion was put and negatived.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सम्बन्ध में जांच समिति पर वक्तव्य

STATEMENT REGARDING : COMMITTEE OF ENQUIRY ON C. S. I. R.

शिक्षा मन्त्री (डा०त्रिगुण सेन) : मैंने दिनांक 28 मार्च, 1968 को राज्य सभा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यों के सम्बन्ध में विचार विमर्श के दौरान बताया था कि परिषद् की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की जांच करने के लिये तथा इसे सुधारने के मार्गोपायों का सुझाव देने के लिये संसद-सदस्यों, वैज्ञानिक विशेषज्ञों और अन्य ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जायेगी।

तदानुसार प्रधान मन्त्री ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के नियमों तथा विनियमों के अनुच्छेद 57 और उपनियमों के अनुसार एक समिति नियुक्त की जिसकी कार्मिक-मंडली तथा निर्देश-पद इस प्रकार थे :

कार्मिक

सभापति

न्यायाधीश श्री ए० के० सरकार, — भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश।

सदस्य – संसद सदस्य

1. श्री अकबर अली खाँ	राज्य सभा
2. श्री एस० एस० भण्डारे	राज्य सभा
3. डा० के० रामैया	राज्य सभा
4. श्री पैं० वेंकटासुब्बया	लोक सभा
5. श्री नारायण दांडेकर	लोक सभा
6. श्री चन्द्रजीत यादव	लोक सभा

7. श्री इन्द्रजीत गुप्त — लोक सभा

सदस्य—वैज्ञानिक

1. डा० सी० आर० राव, एफ० आर० एस, — निदेशक, भारतीय सांख्यकी संस्था, कलकत्ता ।
2. प्रो० एम० जी० के० मेनन, निदेशक, — टाटा इंस्टीट्यूट आफ फन्डामैंटल रिसर्च, बम्बई
3. डा० एम० एस० स्वामीनाथन, निदेशक, परिषद — भारतीय कृषि अनुसंधान
4. डा० पी० के० केलकर, निदेशक, संस्था, — भारतीय प्रौद्योगिकी कानपुर ।

सदस्य—सचिव :

श्री एन० सहगल, — अपर सचिव, कैबिनेट सचिवालय

निर्देश पद :

(1) यह समिति लागू नियमों तथा विनियमों के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर अपनाई गई कार्मिक नीतियों पर पुनः विचार करेगी और विशेष रूप से संसद को समय-समय पर भेजे गये अनियमितताओं के आरोपों की जांच करेगी और सुधार के लिये आवश्यक उपायों की सिफारिश करेगी ;

(2) यह स्वत्व शुल्क के भुगतान के सम्बन्ध में वर्तमान नीतियों की उपयुक्तता अथवा अनुपयुक्तता की भी जांच करेगी । साथ ही यह ऐसा करते समय वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद की संस्था के ज्ञापन में विहित निम्नलिखित उद्देश्य को भी ध्यान में रखेगी :—

> "देश में औद्योगिक विकास के लिये परिषद के तत्त्वाधान में किये गये अनुसंधान के परिणामों का उपयोग करना तथा उन व्यक्तियों को जिन्होंने ऐसे अनुसंधानों में योगदान दिया है, अनुसंधानों के परिणामो के विकास से प्राप्त होने वाले स्वत्व शुल्क के एक अंश का भुगतान करना ।"

(3) यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के सम्पूर्ण कार्यप्रणाली पर भी पुनः विचार करेगी और सुधार के लिये मार्गोपायों का सुझाव देगी ।

समिति से यह अनुरोध किया जायेगा कि वह तीन महीने के अन्दर अपना कार्य पूर्ण करने का प्रयत्न करे ।

---

*आधे घन्टे की चर्चा

*HALF AN-HOUR DISCUSSION

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

NATIONAL DISCIPLINE SCHEME

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : मैं इस योजना के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं और केवल इतना कहूंगा कि यह योजना बहु-उद्देशीय थी । शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त इसका

उद्देश्य नैतिक शिक्षा देना और मानसिक विकास करना भी था। इससे भी अधिक बड़ा इसका उद्देश्य था देश का एकीकरण।

कुछ समय के पश्चात एक समिति नियुक्त की गई और समिति ने सुझाव दिया कि इस योजना को किसी ऐसी ही अन्य योजना के साथ मिला दिया जाय और फिर इसे राष्ट्रीय स्वस्थता योजना के नाम से पुकारा जाय। सहायक कैडेट कोर और शारीरिक शिक्षा की अन्य योजनाओं को इसमें मिला दिया गया था तथा यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों तथा उच्चतर शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्तर पर जीवन की कला में युवकों को प्रशिक्षण देने के लिये एक नीति बनाई जाय। एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया था जिसमें एक अखिल-भारतीय लक्षण विद्यमान था। भारत की यह राष्ट्रीय स्वस्थता योजना सम्पूर्ण शारीरिक गतिविधियों, नृत्यों, संगीत तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का दर्पण बन गई। यह एक बड़ी अच्छी योजना थी जिसके द्वारा हमारे विद्यार्थी भारत की, न कि इस राज्य या उस राज्य की बात सोच सकते थे। सरकार ने इस योजना को राज्यों को सौंप देना उचित समझा। यह योजना पहले केन्द्र प्रशासित थी, जैसे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा संस्थान एक सम्पूर्ण भारतीय दृष्टिकोण को जन्म देती हैं उसी प्रकार इस योजना से भी एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को उत्पन्न करने की आशा की गयी। आश्चर्य की बात है कि जिन राज्यों को सरकार यह योजना सौंपना चाहती थी उन्होंने इसे अपने हाथ में लेने से इंकार कर दिया, इसका कारण यह था कि यद्यपि सरकार उनको चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ धनराशि दे सकेगी लेकिन बाद में राज्यों को स्वयं इस योजना को चलाना पड़ेगा। इसलिये कुछ राज्यों ने इस योजना को अपने हाथ में लेने से अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार कुछ संघ राज्य क्षेत्रों ने भी इसे अपने हाथ में लेने से इंकार कर दिया और केन्द्रीय सरकार के साथ भी सहमत नहीं हुये। यह एक बहुत अच्छी योजना है और यह आदर्शों से पूर्ण है। अब तक यह ठीक ढंग से कार्य करती रही है। केन्द्रीय सरकार को इस योजना को बनाये रखना चाहिये और इसका प्रशासन करना चाहिये तथा विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों के लिए व्यक्ति आवंटित करने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि व्यक्तियों की प्रवरता, इनके वेतन तथा उनकी अन्य सेवा शर्तों को हानि न पहुंचे।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भगवत झा आजाद) : बहु-प्रयोजनीय शारीरिक शिक्षा का एक सुगठित कार्यक्रम बनाने का निर्णय 1965-66 में किया गया था। लेकिन इसमें सभी राज्यों तथा देश के सभी भागों की संस्कृति और सभ्यता प्रतिबिम्बित नहीं होती। यह शारीरिक शिक्षा की एक सुगठित योजना थी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना तथा सहायक सेना छात्र दल राष्ट्रीय स्वस्थता दल (कोर) में विलयन कर दिया गया। यह 1965-66 में बनाई गयी थी और तभी यह निर्णय किया गया था कि इसका विकेन्द्रीकरण कर दिया जायेगा। जिस क्षण यह योजना राष्ट्रीय स्वस्थता दल (कोर) के रूप में बनी थी उसी क्षण यह निर्णय किया गया था कि इस योजना का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा। अतः इस योजना के सम्बन्ध में कोई अनिश्चितता नहीं अपनायी गयी। यह बहु-प्रयोजनीय शारीरिक शिक्षा की योजना है। यह प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों अथवा माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। यह निर्णय किया गया था कि चौथी योजना में हम पहले उच्चतर माध्यमिक अथवा माध्यमिक विद्यालयों में इसे लागू करेंगे। यह बहु-प्रयोजनीय शारीरिक शिक्षा योजना है और इसे विभिन्न गैर-

सरकारी और सरकारी स्कूलों द्वारा चलाया जाता है । इसलिये केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि देश में विभिन्न स्कूलों द्वारा चलाये जाने वाली इस बहु-प्रयोजनीय शारीरिक शिक्षा योजना को केन्द्र से चलाये । विलयन के समय इस बात का निर्णय किया गया था । तब यह कहा गया था कि जब हमने दिनांक 13-11-66 को यह कहा था कि हम 28 फरवरी, 67 तक निर्णय पर पहुंचेंगे, तो हम इस बात पर टिके क्यों नहीं रहे ? यह ज्ञापन का दूसरा भाग है । यह सच है कि हम इस निश्चित तिथि 28 फरवरी 1967 तक कोई निर्णय नहीं कर पाये लेकिन इसका कारण यह है कि हम प्रशिक्षकों के वर्तमान वेतन तथा सेवा की शर्तों को बनाये रखना चाहते थे । हमने राज्य सरकारों से यह निवेदन किया था कि उनके वर्तमान वेतन और सेवा की शर्तों को बनाये रखें । राज्य सरकारें अभी तक इस बात के लिये राजी न हो सकीं क्योंकि ये प्रशिक्षक केन्द्रीय सरकार में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं और इनके साथी अप्रशिक्षक राज्य सरकार में इनसे अधिक योग्यता के होने पर भी कम वेतन पा रहे हैं । राज्य सरकारें कहती हैं कि हम केन्द्रीय सरकार की भांति अधिक वेतन देने में असमर्थ हैं । 1962 के आपात काल से पहले 3,000 प्रशिक्षक थे और 1963 से1965 की अवधि में उनकी संख्या बढ़कर 4,000 हो गई । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 1966 में इन प्रशिक्षकों में से आधे से अधिक प्रशिक्षकों की केवल तीन वर्ष से भी कम की नौकरी थी । ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमने बहुत अधिक समय लिया है । यह अच्छा ही हुआ क्योंकि अन्यथा अच्छी शर्तें निर्धारित करना कठिन होता । जहां तक पदोन्नति का सम्बन्ध है, हमने प्रशिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी क्योंकि ये प्रशिक्षक राज्य सरकारों के प्रशिक्षकों की अपेक्षा अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं । यदि इनकी पदोन्नति कर दी जाये तो इनको राज्य सरकारों में खपाना कठिन होगा ।

हम अच्छी शर्तें निर्धारित करने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में बातचीत कर रहे हैं तथा हम यथा सम्भव प्रयत्न करेंगे कि राज्य सरकारों का रुख उनके प्रति अच्छा रहे ।

श्री अद्वाकर सूपकार (सम्बल पुर) : मैं जानना चाहता हूं क्या जिस दिन इस योजना का जन्म हुआ था उस दिन यह निर्णय किया गया था कि प्रशिक्षकों को उन राज्य सरकारों की सम्मति और सहमति से अधिक वेतन दिया जाये जिन्होंने विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया हो ? इससे कितने शिक्षको पर प्रभाव पड़ा है ? उनके वेतन आदि को सुरक्षित रखने का वचन दिये बिना, सरकार केवल चौथी योजना के दौरान उनके वेतन को सुरक्षित रखकर ही यह आशा कैसे करती है कि राज्य सरकारें पांचवी, छटी आदि योजनाओं के दौरान इस योजना के लिये वित्त देगी ? जहां तक राज्य सरकारों के अन्तर्गत काम करने वाले प्रशिक्षकों के वेतन में अन्तर का प्रश्न है, तो जब यह योजना इतने वर्षों तक चलती रही तो ये बातें सरकार की जानकारी में क्यों नहीं लायी गयीं अथवा राज्य सरकारों के प्राधिकारियों से बातचीत करके हल क्यों नहीं निकाला गया ?

Shri Shashibhushan Bajpai (Khargone) : The aim of this scheme was to create discipline in the country which is deeply concerned with national integration and national security. After a period an officer came and he desired that these instructors should be made drill-teachers and should be placed under Municipalities and corporations and their jurisdiction should be limited to that only. This scheme was formed for achieving emotional integration in the country. We should first follow the path of discipline and then people will also act accordingly. Now in future we should not yield to the whimsical attitude of

the officers. The moral responsibility of the instructors which are being separated from this scheme lies with the Government of India.

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : I would like to know whether the terms in relation to this good scheme which are under examination between the central and State Governments are acceptable to the State Governments and whether the Government hope that their terms will be accepted by the State Government ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शशिभूषण बाजपेयी ने बताया कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना को इसलिये बनाया गया था कि इससे देश के युवकों और युवतियों में एक संगठन और एकता की भावना जागृत होगी। मैं इस पहलू का स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : राष्ट्रीय स्वस्थता दल से पहले भी कई योजनायें थीं। राष्ट्रीय अनुशासन योजना बहुत ही अच्छी योजना थी जिसका आरम्भ स्वर्गीय श्री जनरल भौंसले ने किया था। ए० सी० सी० योजना भी थी और इसके साथ ही शारीरिक शिक्षा योजना भी थी इन सब को मिलाकर राष्ट्रीय स्वस्थता दल में बदल दिया गया। हमें इस योजना पर ऊंचे उद्देश्यों और सिद्धांतों को आक्षेपित नहीं करना चाहिये। यह योजना विभिन्न स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिये है। यह देश के सामान्य युवकों के लिये नही है जिनकी संख्या देश की जनसंख्या का 1/3 है। यह योजना प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों को बहुप्रयोजनीय शारीरिक प्रशिक्षण देने के लिये है। यह कालिजों के लिये नहीं है। अतः इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि देश में इन सारे स्कूलों का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले। यह कार्य राज्य सरकार ही कर सकती है। हम इसका विकेन्द्रीकरण इसलिये कर रहे हैं कि नियन्त्रण और निरीक्षण अच्छी प्रकार हो सके तथा भारत के स्कूलों में इसे मजबूती से चलाया जा सके। प्रशिक्षकों को निगमों और नगरपालिकाओं में नहीं भेजा जा रहा है। वे पहले से ही उन स्कूलों में काम कर रहे हैं। इस योजना के पीछे भावना यह है कि इसको मजबूत बनाया जाय और इन प्रशिक्षकों का भविष्य अधिक अच्छा और स्थायी बनाया जाये। इसलिये हम उनके वेतन मानों को बनाये रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम अच्छी भावना से इस कार्य को कर रहे हैं और हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि प्रशिक्षकों के लिये सेवा की यथासम्भव अच्छी शर्तें हों।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 7 अप्रैल 1968/17 बैशाख, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 7, 1968/Vaisakha 17, 1890. (Saka)